खण्ड-283, अंक-9
गुरूवार, 14 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(4 जून, 1970 ई0)

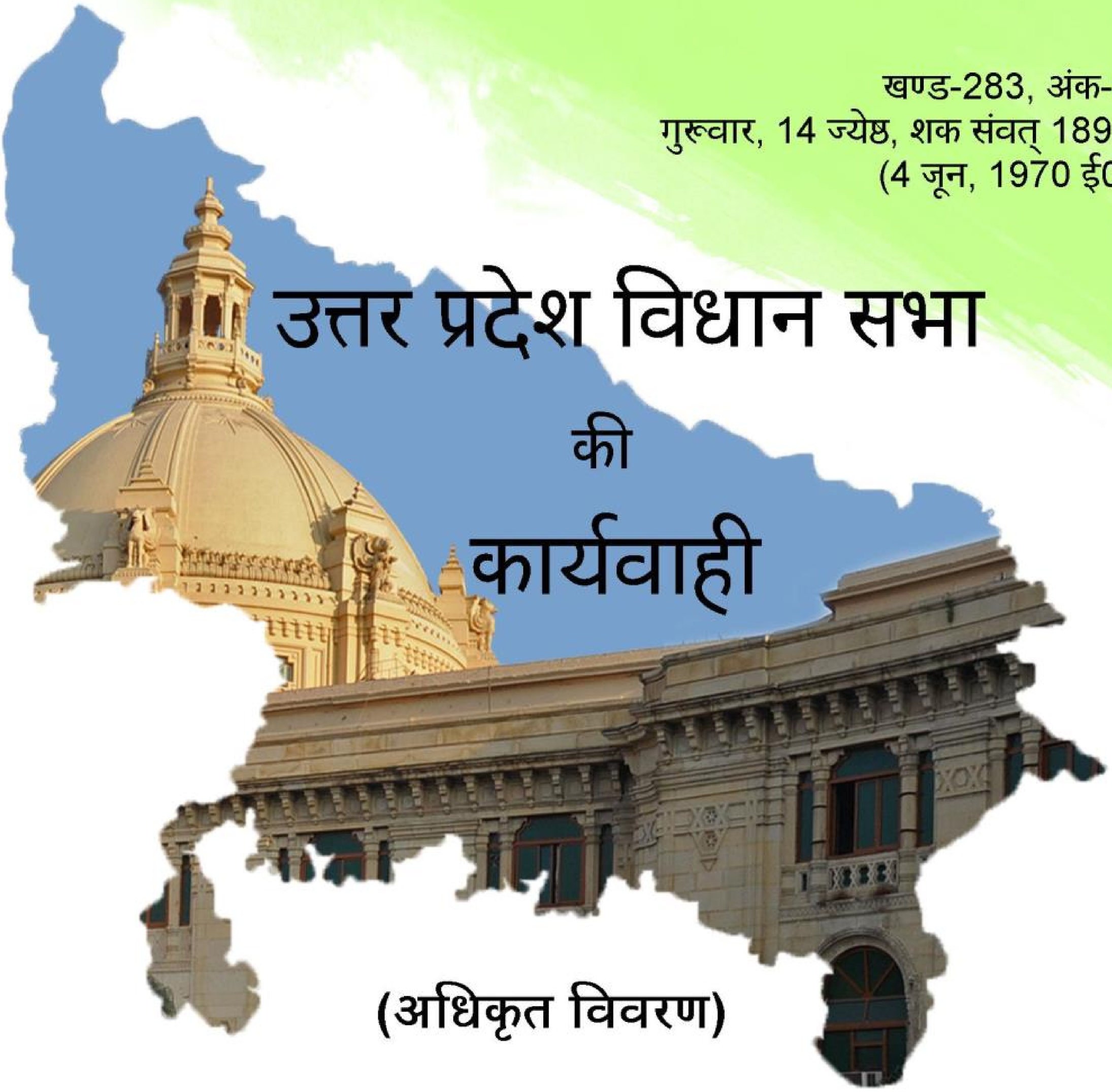

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 283 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	८४७–८५१
प्रश्नों के उत्तर विलम्ब से प्राप्त होने के सम्बन्ध में आपत्ति ..	८५१
प्रश्नोत्तर	८५२–८९२
उत्तर प्रदेश गुन्डा विरोधी विधेयक, १९७० को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर विचार करने के पूर्व विधेयक पर विचारार्थ समय की मांग	८९३–८९६
वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	८९७–८९८
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	८९८–८९९
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनाएं (स्वीकृत)	८९९–९४२
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	९४२–९४८
दैनिक पत्र भारत के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण पत्र का प्रकाशन बन्द होने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	९४८–९५६
कार्य मंत्रणा समिति से विरोधीदल के सदस्यों का त्याग पत्र	९५७
चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण में विलम्ब के कारण मिल मालिकों द्वारा गन्ने की पेराई में ढिलाई के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा	९५७–९८०
नत्थियां	९८१–९९५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार ४ जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३६२

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्णकान्त, श्री
कृष्ण चन्द्र श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह,श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपालसिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह,श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाल सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां,
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपूर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मम्हमद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपति देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमार बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन, श्री (जिला गाजीपर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र, विकल, श्री
रामचरण श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री

रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्प्रयारे शुक्ला, श्री
राम स.द, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पान्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफि खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजांहपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री

सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरिवंश प्रसाद, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--खाद्य तथा रसद मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य तथा शिक्षा मंत्री श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे ।

प्रश्नों के उत्तर विलम्ब से प्राप्त होने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । नियम ३२ देखें कि लिखित प्रतियां कब सदस्यों को उपलब्ध होंगी । इसमें यह है कि एक दिन पहले उपलब्ध होंगी । पेज ३ पर हमारा १८-१९ का प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि हमको अभी-अभी उपलब्ध हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

जिस वक्त यह प्रश्न आयेगा तो पोस्टपोन कर देंगे । मेरे पास भी ऐसे प्रश्नों के उत्तर अभी आये हैं । मैं माननीय मंत्रीगण सभी से कहता हूं कि प्रश्नों का उत्तर समय से पहले दे दिया करें ।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, २८ व २९ प्रश्नों का उत्तर मुझे अभी मिला है । उसे मुल्तवी करा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

यह मैंने सभी ऐसे प्रश्नों के लिये कह दिया है ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ४ जून, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री एस० पी० जैन, सिविल सर्जन द्वारा गबन

**१—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस० पी० जैन, सहायक सिविल सर्जन, मेरठ को गोंडा में सिविल सर्जन के पद पर काम करने के समय के गबन एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों पर विजिलेंस की रिपोर्ट आने के बाद निलम्बित किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

जी हां, परन्तु डा० एम० पी० जैन को बांदा में सिवलि सर्जन के पद पर तैनाती के समय प्राप्त शिकायतों पर विजिलेंस अधिष्ठान द्वारा की गई जांच के आधार पर निलम्बित किया गया। जांच अभी जारी है।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, उनके विरुद्ध चार्जेज क्या हैं ? वे कब मुअत्तिल हुये थे और यह क्रम कब तक चलता रहेगा ?

श्री अनवार अहमद—

१ अप्रैल, १९७० को ये मुअत्तिल हुये थे। बाकी सूचना बताना जनहित में उचित न होगा।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मेरठ की जनता ने व असेम्बली के मेम्बरों ने सन् ६७ से लगातार इस असिस्टेन्ट सिवलि सर्जन के बारे में, इनके भ्रटाचार के बारे में, शराब पीने के बारे में और गलत काम करने के बारे में क्या कुछ शिकायतें मंत्री महोदय को दी हैं ?

श्री अनवार अहमद—

जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की गई।

श्री मंजूर अहमद—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरठ की जनता ने, प्रेस में और असेम्बली के मेम्बरों ने जो दरख्वास्तें मंत्री जी और मुख्य मंत्री को दी हैं इनके बारे में, उस पर भी क्या जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

इसके लिये सूचना की जरूरत होगी। अगर ऐसी बात है तो निश्चित जांच कराई जायेगी।

श्री रामधारी शास्त्री—

जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं उनमें मुख्य मुख्य शिकायतें इस अधिकारी के खिलाफ क्या-क्या हैं ?

श्री अनवार अहमद--

क्योंकि जांच खुफिया तरीके से कराई जा रही है इसलिये जांच का आधार बताना जनहित में ठीक नहीं होगा ?

वनस्पति घी का वितरण तथा मूल्य निर्धारण

**२--श्री महरमसिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश वनस्पति घी का वितरण एवं मूल्य सुनियोजित करने के लिये मार्च, १९७० के बाद कोई आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो आदेश क्या हैं ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

जी नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सरकार को विदित है कि वनस्पति घी का प्रदेश में अभाव है और वह चोरबाजारी में बिक रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी हां, सरकार की नोटिस में यह बात है कि प्रदेश में वनस्पति घी की कमी है । उसके लिये ही हमने लाइसेंसिंग व्यवस्था की है जिससे कि उसका वितरण आदि ठीक तरह से हो सके ।

श्री महरमसिंह--

जब सरकार को विदित है कि प्रदेश में वनस्पति घी की बहुत कमी है और उसमें ब्लैक हो रहा है तो उसने इस व्यवस्था को ठीक करने के लिये कोई सरकारी आदेश जारी क्यों नहीं कराये, क्योंकि उत्तर दिया है कि "जी नहीं" ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि मार्च के बाद कोई आदेश दिये हैं, जिसका उत्तर 'जी नहीं' में दिया गया । लाइसेंसिंग आदेश तो हमने २६ दिसम्बर, १९६९ को ही जारी कर दिये थे ताकि वितरण व्यवस्था ठीक तरह से हो और घी ब्लैक में न बिकने पाये । तो व्यवस्था तो हमने उसके लिये पहले से ही कर रखी थी, इधर कोई आदेश नहीं जारी किये ।

श्री कल्पनाथसिंह--

लाइसेंसिंग व्यवस्था के लिये दिसम्बर में आपने आदेश दिये, मगर घी के वितरण के संबंध में कोई व्वयस्था क्यों नहीं की गयी, उसके लिये आपने कोई आदेश क्यों नहीं निकाले जब कि घी ब्लैक में बिक रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

वितरण, सप्लाई और डिस्ट्रीव्युशन का जब तक सरकार का पूर्ण नियन्त्रण नहीं हो जाता तब तक सरकार उसे लागू नहीं कर सकती । वनस्पति निर्माता अपने स्टाकिस्ट्स को जो स्टाक भेजते हैं उसी को हम भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिकवा सकते हैं, उस पर हमारा अपना कोई नियन्त्रण नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

क्या आपको इसकी सूचना है कि बनस्पति घी के वितरण में ब्लैक और भ्रष्टाचार है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामधारी शास्त्री--

क्या सरकार को पता है कि डालडा घी बाजार में साढ़े ८ रुपये किलो बिक रहा है, यदि हां, तो उसके रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

उसी के लिये हमने लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की है ताकि ब्लैक न हो सके । जो लोग चोरी छुपे कुछ स्टाक रखे रहते हैं, उसे जैसे ही सूचना मिलती है, छापा मार कर उसे निकाल कर निर्धारित मूल्य पर उसे बिकवाया जाता है ।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि देहातों के लिये वितरण की क्या व्यवस्था उन्होंने की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मैंने पहले यह निवेदन किया कि बनस्पति निर्माताओं के जो स्टाकिस्ट्स हैं या रिटेलर्स हैं उनकी दुकानों से यह बिकता है । हमारी जो फेयर प्राइज शाप्स हैं उनके माध्यम से यह नहीं बिकता है । पहले से जैसे देहात वाले दुकानों से ले जाते रहे हैं वैसे आज भी ले जाते हैं ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)--

क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि जब वनस्पति व्यापारी लोग वनस्पति घी का दाम बढ़ाना चाहते हैं तो वे उसको छुपा लेते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार का आदेश जारी करने की कृपा करेगी कि मूल्य निर्धारित करते समय इस समय के पहले से इसके दाम नहीं बढ़ाए जा सकते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मैंने निवेदन किया कि भारत सरकार ही इसका मूल्य निर्धारित करती है । जब तक दूसरा रिवीजन नहीं होता है या कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है, तब तक वह चलते रहते हैं । बीच में मूल्य घटाने बढ़ाने का सवाल नहीं उठता है ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)--

जो नया आदेश सन् ७० का है, और जिसके मातहत जिले-जिले में तलाशियां हुई हैं, तो इसके अन्तर्गत कितना घी बरामद हुआ है प्रदेश में ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मेरे पास वह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या खाद्य मंत्री जी को यह मालूम है कि बनस्पति विक्रेताओं की यह प्रथा बन गई है कि जब कोई उपभोक्ता राशन कार्ड लेकर घी लेने जाता है तो उससे कह दिया जाता है कि "नहीं है" और वही दुकानदार ८ रुपये किलो में घी दे देता है ? इसको रोकने के लिये क्या सरकार तत्काल कोई उपाय करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

यदि कोई उपभोक्ता इस प्रकार की शिकायत करेगा कि अमुक बनस्पति बिक्रेता ८ रु० किलो के दाम ले रहा है तो निश्चय ही उसके खिलाफ लाइसेंसिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मंत्री जी ने कहा है कि मार्च के बाद सरकार का कोई आदेश डालडा के बारे में नहीं गया, लेकिन अप्रैल और मई से सारे प्रदेश के अन्दर कितने ही तहसीलदारों ने परमिट काटे हैं डालडा के वितरण के बारे में और उसमें यह व्यवस्था हुई है कि एक टिन जो डालडा लेगा उसको एक टिन सुपरफाइन आयल का भी लेना पड़ेगा, तो यह कैसे किया गया और किस नियम से किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

२६ दिसम्बर, १९६९ को लाइसेंस के आदेश लागू हुए और उन्हीं के अन्तर्गत जिलों ने प्रसारित किया है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

सप्लाई अफसर व तहसीलदार किस आदेश के मुताबिक परमिट ईश्यू कर रहे हैं, क्या यह उनको अधिकार है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

लाइसेंस देने का अधिकार जिलाधीश को है, किन्तु वह अपने इस अधिकार को डेलीगेट कर सकता है कि डी० एस० ओ० या अन्य जिस अफसर को चाहे, वह उस अधिकार का उपयोग करे।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, जब नियम ५१ के अन्तर्गत मैंने इस प्रश्न को उठाया था तो मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये गये हैं, किन्तु आज जब उसी संबंध में पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया है कि कोई आदेश नहीं जारी किया गया है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह बयान सही था जो २८ तारीख को दिया था या यह सही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से समय-समय पर अदेश दिये जा रहे हैं। जैसे-जैसे परिस्थिति सामने आती है उस परिस्थिति के मुकाबले क लिय सरकार आदेश जारी करती रहती है। लेकिन वह मूल प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि मार्च के बाद कोई आदेश जारी किये गए हैं लाइसेंसिंग के, तो पहले लाइसेंसिंग आदेश जारी हो चुका था। इसलिये प्रश्न नहीं उठता है कि कोई इस तरह का आदेश हो।

श्री रामचरण--

जिस तरह से मंत्री जी ने गुमराह किया है, मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

लिखकर भेजें आप। आपका नोटिस हो गया।

श्री राम चरण--

वह बयान मेरे पास है जिसमें आपने आदेश दिया था ।

श्री अध्यक्ष--

उसका तरीका यह है, आपने नोटिस दे दिया । अब आप लिखकर भेज दीजिए ।

सोयाबीन पर आधारित उद्योग की स्थापना

**३- -श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में सोयाबीन पर आधारित किसी उद्योग की स्थापना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह उद्योग किस स्थान पर खोला जायगा और कब तक खुल जायगा ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

जी नहीं ।

श्री कृष्णस्वरूप--

माननीय कृषिमंत्री बतायेंगे कि अमेरिका के स्वैक्ट कम्पनी के प्रतिनिधि श्री स्काट ई० क्रैमर और आर० ए० ग्रीनबर्ग उत्तर प्रदेश में बनस्पति सोयाबीन पर उद्योग लगाने के लिये पधारे थे और कृषि मंत्री और मुख्य मंत्री से मिले थे और आपने आश्वासन दिया था कि इस प्रदेश के तराई क्षेत्र में सर्वे करके वह यहां पर उद्योग लगा सकते हैं ?

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, यह बात सही है कि मोदी इन्डस्ट्रीज के निमंत्रण पर स्वैक्ट कम्पनी का प्रतिनिधि-मण्डल उत्तर प्रदेश में गत मई मास में यहां सोयाबीन पर कोई इन्डस्ट्री स्थापित करने के प्रश्न पर खोज के लिये आया था । यहां आकर वह मुझसे और माननीय मुख्य मंत्री से मिले । इस संबंध में उनसे कुछ वार्ता हुई थी ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि सरकार के द्वारा सोयाबीन खरीदने के लिये कोई योजना विचाराधीन है जिससे काश्तकार को उचित मूल्य मिल सके ?

श्री शिवराज सिंह--

जी नहीं ।

श्री कृष्णस्वरूप--

माननीय कृषि मंत्री से प्रश्न किया था कि जो प्रतिनिधि अमेरिका से आये थे और तराई क्षेत्र में कोई उद्योग लगाना चाहते हैं आपने उनको इस बात का आश्वासन दिया कि आप उनको उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान करेंगे ? और क्या वे इस संबंध में तराई क्षेत्र में भी गये ?

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, तराई क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय में इस संबंध में हमारा बड़ा कार्यक्रम चल रहा है । वे लोग वहां भी गये और उनको यह आश्वासन दिया गया है कि उसे इस उद्योग को लगाने के लिये जो भी सहायता हम दे सकते हैं, देने का प्रयास करेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर से संबंधित यह बात बतलायेंगे कि मोदीनगर के मिल-मालिकों के निमंत्रण पर जो विदेशी लोग यहां आए थे वे हमारे मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री से मिले थे तो इन विदेशियों, मोदीनगर के मिल-मालिकों और मुख्य मंत्री के बीच इस प्रदेश में सोयाबीन का जो उद्योग लगाने की वार्ता हुई उसमें क्या निर्णय लिया मिया ?

श्री शिवराज सिंह—

मोदी इन्डस्ट्री और इस कंपनी के प्रतिनिधियों में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वे किसानों को सोयाबीन बोने के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं ? यदि हां तो जो सोयाबीन तैयार होगी उसकी खपत कैसे होगी और उसका उचित मूल्य कैसे मिलेगा ?

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन, इस संबंध में कृषि विभाग की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि यह किस हालत में अच्छी से अच्छी उपज दे सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सोयाबीन का उत्पादन इस समय किया जा रहा है वह किस उद्योग में प्रयोग किया जा रहा है ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, इस समय हमारे प्रदेश के अन्दर जो तेल के कारखाने हैं और इस तरह के कारखाने हैं उसमें इस सोयाबीन का प्रयोग किया जाता है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या हमारे कृषि मंत्रालय ने काश्तकारों के लिये कोई टारगेट फिक्स किया है ?

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन, जी नहीं ।

श्री गोविंद सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विदेशी कम्पनी के प्रतिनिधि और मोदीनगर के मिल-मालिकों के बीच जो वार्ता हो रही है उसकी क्या शर्तें हैं ? क्या इसकी सूचना सरकार को है ?

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि सोयाबीन की इन्डस्ट्री लगाने का कोई विचार सरकार नहीं कर रही है और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य मंत्री और मोदी नगर इन्डस्ट्री तथा विदेशी कंपनी के बीच इस तरह के उद्योग लगाने की वार्ता हुई है । तो क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उनके बीच क्या सांठ-गांठ थी ?

(उत्तर के लिये संबंधित मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नैनीताल जिले के ग्राम लकूरा में स्टेनगन तथा कारतूस की बरामदगी

*१—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा तथा श्री कृष्णस्वरूप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिला के अन्तर्गत ग्राम लकूरा में तीन दिन पूर्व पुलिस द्वारा छापा मार एक स्टेन गन तथा ३४ कारतूस बरामद हुए हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह उपमंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

३ अप्रैल, १९७० को एक स्टेनगन और ४३ कारतूस बरामद किये गये। मामले में चार्जशीट लगा दी गई है।

श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा—

क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि यह सामान किस स्थान पर पकड़ा गया और संबंधित व्यक्ति कौन था जिसके खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

श्रीमन्, ३ अप्रैल, १९७० को श्री गंगा राम ग्राम लकूरा पोस्ट बाजपुर का व्यक्ति पकड़ा गया और उसके यहां ४३ कारतूस और एक स्टेनगन पाई गई।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस स्थान पर यह सामान पकड़ा गया, है वह नक्सलपंथियों का अड्डा है और उससे संबंधित व्यक्ति नक्सलपंथियों के सक्रिय कार्यकर्त्ता हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कृष्ण स्वरूप—

जिन श्री गंगा राम के यहां स्टेनगन मिली है, उनको गिरफ्तार किया गया है या नहीं तथा क्या सरकार को यह मालूम है या नहीं कि इसके पूर्व भी इस प्रकार की कार्यवाहियां वहां हुई हैं तथा हथियार पकड़े गये हैं, इस बारे में गुप्तचर विभाग की कोई रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के पास है या नहीं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मेरे पास तो केवल यह सूचना है कि वे गिरफ्तार हुए थे। उनको जमानत पर छोड़ दिया गया है और चार्जशीट लगा दी गई है।

श्री शिव कुमार—

यह स्टेनगन कहां की बनी हुई है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

स्टेनगन यू० एस० ए० की बनी हुई है और उसका नम्बर ३५०३३ और कारतूस पर लिखा हुआ है आई० सी० आर० आई० ९ ए० एम० अप।

श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या सरकार को मालूम है कि यह श्री गंगाराम वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्त्ता हैं और वे इस प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेते रहे हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

प्रदेश में अस्थायी मुंसिफों का स्थाई किया जाना

*२--श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में मुंसिफों के कुल कितने पद हैं तथा इस समय कुल कितने स्थायी मुंसिफ तथा अस्थायी मुंसिफ कार्य कर रहे हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दो वर्ष से अधिक समय से कार्यरत १०३ अस्थायी मुंसिफों को कब तक स्थायी मुंसिफ के पद पर नियुक्त कर दिया जायगा ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

मुंसिफों के कुल २०७ पद हैं। इस समय सभी स्थायी मुंसिफ सिविल जज अथवा सिविल एवं सेशन्स जज के पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं। १५२ अधिकारी अस्थायी मुंसिफों के रूप में काम कर रहे हैं और तीन अस्थायी मुंसिफ प्रतिनियुक्ति पर हैं।

मुंसिफ के पदों पर भर्ती अस्थायी रिक्तियों में होती है, स्थायी में नहीं। इसलिये मुंसिफों के संवर्ग में स्थायी, रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही अस्थायी मुंसिफों को स्थायी किया जा सकता है, भले ही उनकी सेवा दो वर्ष से अधिक हो गई हो। मुंसिफों के संवर्ग में इस समय जो स्थाई रिक्तियां हैं उनमें अधिकारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो स्थायी मुंसिफ सिविल जज या सिवल ऐन्ड सेशन्स जज के स्थानों पर स्थानापन्न कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या है ? उक्त पदों पर वे कितने दिनों से काम कर रहे हैं ? उनकी नियुक्ति अभी तक स्थायी रूप से क्यों नहीं की गई है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

नोटिस की आवश्यकता है। इसमें तफसील से जवाब मंगाने की आवश्यकता होगी।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय कितने स्थायी पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्तियां करनी है ?

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, दरअसल हमारे यहां स्थायी स्थान बहुत कम ह। हम हाई कोर्ट को लिख रहे हैं कि अगर उनका तजुरबा यह कहता हो कि ज्यादा स्थायी आफीसरों की आवश्यकता है तो उसकी हमें रिकमेंडेशन भेजें। जब स्थान बढ़ जायेंगे तभी हम लोगों को स्थायी कर सकेंगे।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, १०-१० साल से मुंसिफ अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट है कि १५२ अस्थायी मुन्सिफ हैं और कुल पद २०७ हैं। तो इनके जवाब से ही साफ है कि ५२ जगहें खाली हैं। तो इन जगहों पर तत्काल स्थायी तौर पर न्युक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह तो शुरू के जवाब में आ गया था कि दस वर्ष से भी ज्यादा मुद्दत के लोग हैं जिनको परमानेन्ट नहीं करार दिया जा सका है। अब उन्होंने २९ आदमियों को जो १९५९ से १९६२ तक के हैं रेकमेन्ड किया है कि इनको परमानेन्ट कर दिया जाय। यानी १९६२ से पहले के सब परमानेन्ट हो जायेंगे। इस तरह से ८ साल से ही काम करने वाले आफिशिएटिंग माने जायेंगे। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया, हम हाई कोर्ट से यह कहने वाले हैं कि वह इस पर विचार कर लें और परमानेन्ट काडर बढ़ाने की कोशिश करें।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

जो करीब ५० के ऊपर मौजूदा मुंसिफ आफिशिएट कर रहे हैं सिविल और सिविल ऐण्ड सेशन्स जज के स्थानों पर और मुंसिफी अदालतों में क्रिमिनल और सिविल केसेज की तादाद बढ़ गई है। तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए और मुंसिफों की नियुक्ति करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--

जी हां, विचार कर रही है।

सीतापुर के थाना लहरपुर के गांव खपुरा में डाकुओं द्वारा श्री विक्रम सिंह का अपहरण

*३--श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि थाना लहरपुर, जिला सीतापुर के गांव खपुरा में डाकुओं ने मार्च सन् १९७० में डाका डाला व विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति को जिन्दा या मुर्दा उठा ले गये और क्या अभी तक पुलिस पता लगाने में असमर्थ रही है ? यदि हां, तो अभी तक पता न लगा पाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित घटना के संबंध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और मुल्जिमान ने यह स्वीकार किया कि श्री विक्रम सिंह को उठाकर जिन्दा ले गये थे ? यदि हां, तो क्या यह पता लगाया गया है कि वह जिन्दा है या मार दिये गये हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

थाना लहरपुर में प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २/३ मार्च, १९७० की रात ग्राम खपूरा थाना लहरपुर जिला सीतापुर में श्री लल्लू सिंह के मकान पर डकैती पड़ी थी तथा श्री लल्लू सिंह के भतीजे श्री विक्रम सिंह को डकैत पकड़ ले गये थे। इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त ने यह बताया है कि श्री विक्रम सिंह को तीन चार अभियुक्त पकड़ ले गये थे। श्री विक्रम सिंह का पता लगाने का हर संभव प्रयत्न जारी है। अभी तक श्री विक्रम सिंह का पता नहीं चला है इसलिये यह विश्वसनीय रूप से नहीं कहा जा सकता कि डाकुओं ने उनका क्या किया।

श्री रामलाल राही--

घटना के कितनी देर बार रिपोर्ट लिखाई गई और पुलिस घटनास्थल पर कब पहुंची ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

२-३ मार्च, १९७० की घटना है और ३ मार्च, १९७० को ७-३० बजे सुबह रिपोर्ट लिखायी गयी।

श्री रामलाल राही--

पुलिस घटनास्थल पर कब पहुंची इसका उत्तर नहीं आया।

श्री ओमप्रकाश सिंह--

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामलाल राही--

मुख्य मंत्री ने उत्तर में बताया कि इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक अधिकारी ने यह बताया कि विक्रमसिंह को ३-४ अभियुक्त पकड़ कर ले गये । तो कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये और किस अभियुक्त ने यह बताया ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

१४ अभियुक्त प्रकाश में आए हैं । ५ गिरफ्तार हो गये । ६ हाजिर अदालत हैं । ३ के खिलाफ ८७, ८८ की कार्यवाही की गयी तथा हसन अली नामक अभियुक्त ने उक्त सूचना दी और कुछ माल भी बरामद हुआ ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

क्या रिपोर्ट नामजद लिखायी गयी ? अगर नहीं तो इन अभियुक्तों को जो १६-१७ बताये गये इनको किस आधार पर पुलिस ने पकड़ा ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

नामजद ४ गुन्डे हैं, अगर कहें तो नाम पढ़ दूं और उन्होंने ही नाम बताया जो पकड़े गये हैं ।

श्री शिवकुमार--

यह देखते हुए कि माल के साथ एक आदमी भी गायब है, गायब कर दिया गया है तो क्या माननीय मंत्री जी उस आदमी को खोजने के लिए स्थानीय पुलिस के जरिये यह काम न करा कर कोई और इन्तजाम करने की कोशिश करेंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

उसकी पूरे तौर से जांच हो रही है और की जा रही है । कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है ।

श्री रामलाल राही--

क्या स्थानीय पुलिस के विरुद्ध वहां के लोगों ने इस किस्म की कोई शिकायत की कि पुलिस ढील दे रही है और पुलिस की ढील की वजह से विक्रम सिंह का पता नहीं चल पाया है ?

श्री चरण सिंह--

यह तो पहले से ही शिकायत हो रही है कि वह आदमी नहीं मिल रहा है और ढील हो रही है ।

मथुरा जिले के लोक सभा के उप चुनाव में संयुक्त समाजवादी दल के प्रत्याशी की जीप पर हमला

*४--श्री कल्पनाथ सिंह, श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर), श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री भानु प्रताप सिंह तथा श्री महरम सिंह--

क्या गृह मन्त्री को इस बात की सूचना मिली है कि मथुरा में लोक सभा के आगामी १७-५-१९७० को होने वाले उपचुनाव में संसोपा प्रत्याशी की जीप पर हमला हुआ है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की जीप पर हमला किये जाने की कोई घटना नहीं हुई वरन् जांच से पता चला है कि ८ मई, १९७० को करीब ११ बजे रात में बाहर से आई एक बारात की भीड़ के कारण रास्ता न मिलने पर जीप में बैठे व्यक्तियों ने उतर कर बारात के लोगों को धमकाया जिसका विरोध उन लोगों ने भी किया और इस झगड़े में जीप के शीशे टूट गये। परन्तु उसी रात श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्त, अध्यक्ष, संसोपा मथुरा ने लिखित रिपोर्ट थाना कोतवाली में दाखिल की कि जीप पर बैठे लोगों को जान से मारने के लिये भारतीय क्रान्ति दल के १४ व्यक्तियों ने जो फर्सा, वल्लम आदि से लैस थे हमला किया, तमचा से फायर किया और जीप के शीशे तोड़ डाले व स्टेपनी लूट ले गए। दो व्यक्तियों के नाम भी रिपोर्ट में लिखाए गये तथा यह कहा गया कि अन्य व्यक्तियों को भी लोगों ने पहचान लिया है उनसे पता लगाया जा सकता है। जांच तुरन्त आरम्भ की गई परन्तु प्रयत्न करने पर भी न तो रिपोर्ट लिखाने वाले और न ही अन्य कोई उल्लिखित गवाह पुलिस को मिल पाए। बाद में १७ मई, १९७० को शिकायतकर्ता ने लिखित अनुरोध किया कि मामले को समाप्त कर दिया जाय अतएव जांच बन्द कर दी गई।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर में यह दिया गया है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की जीप पर हमला किये जाने की कोई घटना नहीं हुई और फिर यह कहा गया कि जांच से यह पता चला कि ८ मई, १९७० को ११ बजे रात में कुछ बारातियों के और जीप वालों के बीच एक झगड़ा हुआ और उसके फलस्वरूप ही शीशा टूट गया। तो क्या सरकार यह बतायेगी कि इस जांच के बाद सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, हुआ यह कि जीप जा रही थी, ऐसा नहीं हुआ कि वह जा रही थी और लोगों ने हमला कर दिया। कोई गली थी, बारात आ रही थी, उधर से जीप पहुंच गयी इनको जगह नहीं मिली। तहकीकात की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि जीप वाले लोगों ने ही झगड़ा खरीद लिया बारात वालों से। मार-पीट भी की। तफसील के साथ रिपोर्ट मौजूद है। फिर वह जीप को वहीं छोड़ कर चले गये। झगड़े में जीप को कुछ नुक्सान हुआ। जिस वक्त कोतवाल पहुंचे तो लक्ष्मण प्रसाद गुप्त ने खुद ही कहा था कि हम तहकीकात नहीं चाहते।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह बात दूसरी है कि लक्ष्मणप्रसाद गुप्त ने उस तारीख को कहा जिस तारीख को वोट पड़ने वाला था और १७ तारीख को दूसरी जगह मथुरा में बाई इलेक्शंस में वोट पड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम तहकीकात नहीं चाहते, लेकिन क्या सरकार ने अपना यह फर्ज समझा कि जहां इस प्रकार का झगड़ा हुआ और कहा गया कि झगड़ा खरीद लिया तो वे झगड़ा खरीदने के लिए वहां पहुंच गये थे यह यकीन सरकार को किस आधार पर हुआ ?

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं क्या जवाब दूं ? मैं अर्ज कर चुका कि कोतवाल तहकीकात करने के लिए खुद गए, वहां कोई शहादत देने के लिए मौजूद नहीं था। जिन्होंने रिपोर्ट दी और जिन्होंने लिखाई उन्होंने कहा कि तहकीकात नहीं चाहते और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं, मथुरा शहर के मशहूर गुन्डे हैं वह।

श्री रामधारी शास्त्री--

मंत्री जी के उत्तर में है कि दो व्यक्तियों के नाम भी रिपोर्ट में लिखाये गये तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये दो आदमी कौन-कौन हैं और क्या ये भारतीय क्रान्ति दल के सदस्य हैं ?

श्री चरण सिंह—

दो व्यक्ति लिखाये गये हैं। एक तो हैं कोई केदार एक और मचल हैं। मैं तो नहीं जानता कौन हैं। बारात में जा रहे होंगे, बी० के० डी० से इलेक्शन लड़ रहा था तो उन्होंने मुनासिब समझा कि बी० के० डी० का नाम लिखा दो। न कोई झगड़ा था और न बी० के० डी० के आदमी, बारात से झगड़ा हुआ था।

श्री रामधारी शास्त्री—

उत्तर में उन्होंने कहा कि जिसने रिपोर्ट लिखाई वह गुन्डा था उनके मत के अनुसार। यह किस आदमी के लिए उन्होंने कहा ?

श्री चरण सिंह—

मैंने यह कहा कि जो उस वक्त मौजूद थे और जिन्होंने सब से ज्यादा झगड़ा किया—कहिये तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री रामधारी शास्त्री—

गुंडा लोग हैं तो क्या गुंडई की ?

श्री चरण सिंह—

कई मुकदमे पहले से उस आदमी पर चल रहे हैं। पुलिस कोतवाल ने लिखा कि वह शहर मथुरा का यह कृष्णा उर्फ कुन्ने बदमाश और गुन्डा है और उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं। उसने ही ज्यादा झगड़ा किया, यह उनकी रिपोर्ट है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, जिन साहब की तरफ से रिपोर्ट लिखाई गई है वह हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्त, मथुरा के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। मैं जानना चाहता हूं कि तफतीश में क्या उनका बयान लिया गया ? मैं तो कहता हूं कि न तो लक्ष्मण प्रसाद का बयान लिया गया और न किसी दूसरे का बयान लिया गया। जो रिपोर्ट कोतवाल ने तहकीकात की दी है वह बिल्कुल गलत है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है, उन्होंने यह भी कहा कि यह खत्म कर दिया जाय, मैं मुकद्दमे को चलाना नहीं चाहता।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामधारी शास्त्री—

जो रिपोर्ट लक्ष्मण प्रसाद गुप्त ने लाज की, क्या मुख्य मन्त्री जी उसको पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि लक्ष्मण प्रसाद गुप्त, अध्यक्ष, संसोपा ने जो रिपोर्ट लिखाई थी वह क्या है ?

श्री चरण सिंह—

जिस रिपोर्ट की कोई परवाह नहीं की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री महीलाल—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह सही है कि क्या श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्त ने दरख्वास्त दी है कि हम मुकदमा नहीं चलाना चाहते ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मैं दोनों पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। ८–५–१९७० की रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है :

"श्रीमान कोतवाल साहब आज ता० ८–५–१९७० को करीब रात ११ बजे जब हमारी जीप जिसमें बागडी जी के समर्थन में नारे लगाते जा रहे थे तो उनके ऊपर १४ आदमियों ने जो बी० के० डी० के थे जिनके पास फरसा व वल्लम व २ तमंचे थे हमला कर दिया और तमंचे से २ फायर हमारे स्टूडेन्ट्स के ऊपर जान से मारने की नियत से किए व फरसा व बल्लम व लाठियों से जीप पर हमला करके उसे तोड़ डाला। यह स्टूडेन्ट्स फायर की आवाज सुनकर तुरन्त जीप छोड़ कर भाग गए व इनके साथ ड्राइवर भी छोड़ कर भाग गया। इन लोगों ने पीछे से स्टेपनी को लूट कर ले गए व जीप का पर्दा भी फाड़कर ले गए जो कुछ लोगों ने कुछ दूर जा कर छीना परन्तु लोग स्टेपनी लूट कर ले गए। इन लोगों ने यह हमला उनको जान से मारने की नियत से किया था। इन लोगों ने जीप के शीशे व लाइट वगैरह चकनाचूर किए हैं। जीप मौके पर खड़ी है। जिसको हम लोग तभी ले जावेंगे जब इस गुन्डागिरी को रोका जायगा। इन हमलावारों में केदार व मचल का नाम बताया जाता है व बाकी के लोगों को पहचान सकता है। इस वाके को बहुत से लोगों ने देखा है। जिनके नाम बुग्गी सा० केन्ट राजेन्द्र चौहान व जगन प्रसाद वगैरह हैं। परन्तु कार्यवाही करने की कृपा की जावे। हमारी जीप वहीं खड़ी है। लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जिला अध्यक्ष संसोपा पार्टी मथुरा। ८–५–७०।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, इसमें एक कृष्ण कुमार का नाम आया है .....

(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश सिंह—

श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता ने जो दूसरी रिपोर्ट दी है वह इस प्रकार है:

कोतवाल साहब, मैंने एक रिपोर्ट श्री केदार, मचल व उनके साथियों पर मेरी जीप पर हमला करने का व स्टेपनी ले जाने की थी जिसको अब मैं चलाना नहीं चाहता मेरा मंशा शान्ति से चुनाव हो जाने का था। मेरी स्टेपनी भी मिल गयी है। अतः हमको इस मुकदमे को चलाना नहीं है। अब कृपा करके इसे समाप्त किया जाये। आपका, लक्ष्मण प्रसाद, अध्यक्ष; जिला संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी, १७–५–७०।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। संसोपा के अध्यक्ष माननीय लक्ष्मण प्रसाद के लिए गुन्डा शब्द का उच्चारण किया गया।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, उन्होंने नहीं कहा है।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, उन्होंने कहा है और मैंने सुना है। या तो वह स्वयं उठ कर कह द कि उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने उनको गन्डा कह कर संसोपा के सारे माननीय सदस्यों का और माननीय सदन का अपमान किया है।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, उन्होंने उनको गुन्डा नहीं कहा। आप बैठ जाइये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जो रिपोर्ट श्री लक्ष्मण प्रसाद जी ने लिखाई वह पुलिस के लिए दस्तन्दाज जुर्म के अन्तर्गत थी या नहीं और अगर दस्तन्दाजी जुर्म के अन्दर थीं तो कौन कौन सी दफायें थीं और १७ तारीख के पूर्व गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई ?

श्री चरण सिंह—

कोई सहादत देने वाला नहीं था तो गिरफ्तारी किस बात की की जाती।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कौन से सेक्शन्स में यह रिपोर्ट दर्ज की गई ?

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर इस तरह से गुन्डागर्दी होगी तो प्रजातन्त्र कैसे चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

मैं अध्यक्ष महोदय आप की व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अभिमन्यु प्रसाद पान्डेय (जिला बस्ती)—

किस कानून की तहत तफतीश रोक दी गई ?

(व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कौन सी धाराओं के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई थी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

३९५ और ३९७ धाराओं के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, यह धारायें डकैती की हैं। क्या डकैती की धाराओं के अन्तर्गत जिन अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट थी उनके विरुद्ध वारंट इशू किये गये थे ?

श्री चरणसिंह—

झूठा केस है वारंट कैसे इशू होता।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह बहुत आसान है मान्यवर कह देना कि झूठा केस है। डकैती के केस में वारंट इशू होना चाहिए।

श्री महीलाल—

क्या उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया है ?....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर मेरे प्रश्न का उत्तर आप ने नहीं दिलवाया है।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे....

(व्यवधान)

कि ३९५ और ३९७ में मुकदमा दिया, रजिस्टर हो गया ...

(व्यवधान)

फिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई ?

श्री चरण सिंह---

कानून की बात है। ३०२ और ३९५ पर मुकदमा दर्ज करवा दें तो पुलिस बगैर तहकीकात किये उसको कैसे गिरफ्तार कर ले ? आप क्या चाहते हैं कि अगर पुलिस के यहां रिपोर्ट दर्ज करवाई जाये तो पहले गिरफ्तार कर ले और बाद में तहकीकात करे ? यह कहा है कि दो आदमी बताये जाते हैं और नामजदगी नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

जिन लोगों के सम्बन्ध में यह कहा गया कि बताये जाते हैं तो क्या कभी उनका कोई बयान लिया गया ? कृपया इसको बतलाने का कष्ट करें।

श्री चरण सिंह---

जो रिपोर्ट दी उसकी कोई सहादत देने के लिये कोई आदमी नहीं मिला तब उसका क्या सवाल है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ठीक ही कहा कि केवल एक ही रिपोर्ट लिखवा देने से कैसे गिरफ्तारी की जा सकती है। एक कागनीजेबुल आफेन्स में ३९५ और ३९७ में रिपोर्ट लिखवा दी गई बिना किसी तफतीश के किये हुये।

श्री चरण सिंह---

कोतवाल गया और तहकीकात उसने की। यह तो मोटी सी बात है कि जिन लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई उनके ऊपर ही झूठा मुकदमा चलाया जाय, यह कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष---

अब इसमें कोई प्रश्न नहीं होंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

मुरादाबाद जिले की कोतवाली में इनफैन्ट मिल्क पाउडर फूड फैक्टरी, दलपतपुर के दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की रिपोर्ट पर जांच

*१---श्री रियासत हुसैन---

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ अप्रैल, १९७० को दो बज कर ४५ मिनट (दिन के) पर कोतवाली मुदाराबाद में जो रिपोर्ट इनफैन्ट मिल्क पाउडर फूड फैक्टरी, दलपतपुर को दो ठेले टकराने से चार व्यक्तियों के मरने और ७ के गम्भीर चोटें आने की जो रिपोर्ट दर्ज हुई उस पर पुलिस कोतवाली, मुरादाबाद ने क्या कार्यबाही की ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

दिनांक १-४-७० को दोपहर में दो ट्रकों (जो मिल्क पाउडर फूड फैक्टरी, दलपतपुर के थे) से एक दुर्घटना होने, जिसमें कुछ व्यक्ति हताहत हुए, की सूचना थाना मूढापांडे पर लगभग २ बजे प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर धारा २७९/३०४-ए भा० द० वि० के अंतर्गत एक मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्यवाही की गई थी। इसी घटना के बारे में दोपहर २-४५ बजे थाना कोतवाली पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर थाना कोतवाली पर भी एक मुकदमा उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कायम किया गया और संबंधित कागजात थाना मुंढ़ा पाण्डे भेजे गए मुकदमे की विवेचना हो रही है कोतवाली पर जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट की थी वह भी दुर्घटना में घायल हुआ था। उसे कोतवाली पुलिस द्वारा एक कांस्टेबिल के साथ अस्पताल भेजा गया तथा एक सब-इन्सपैक्टर को घायलों की देखभाल के लिए भेजा गया था। कोतवाली पुलिस ने एक घायल व्यक्ति जिसकी अस्पताल में मृत्यु हुई, का पंचायतनामा भी भरा था।

*२--श्री रियासत हुसैन--

क्या यह सही है कि उपर्युक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना श्री महेश्वरी, बी० डी० ओ०, फरीदपुर, जिला बरेली द्वारा टेलीफून, से थाना कोतवाली और थाना मुगलपुरा को दी गई परन्तु यह कह कर टाल दिया कि आज पहली अप्रैल है?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

इस संबंध में जांच से ज्ञात हुआ कि लगभग २ बजे दिन में थाना कोतवाली पर व उसके बाद थाना कोतवाली पर व उसके बाद थाना मुगलपुरा में उक्त दुर्घटना के संबंध में टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी। थाना कोतवाली के कांस्टेबिल ने सूचना देने वाले को बताया था कि इस घटना से थाना मुगलपुरा संबंधित है। थाना मुगलपुरा के कांस्टेबिल ने सूचना देने वालों को यह बताया था कि इस घटना से थाना मूढा संबंधित है। दोनों थानों के कन्स्टेबिल ने, जिन्हें टेलीफोन से सूचना मिली थी किसी अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी थी। इसके लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिये आदेश दिये गये हैं।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उस दुर्घटना की इत्तला टेलीफोन पर २ बजे कोतवाली को हो गयी और २-४५ पर तहरीरी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज हो गयी, जैसा कि जवाब में कहा गया है, तो इसके बाद दुर्घटना स्थल पर जो कि कोतवाली से सिर्फ छः मील के फासले पर है, किस समय कोतवाली की पुलिस पहुंची?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

कोतवाली में इत्तला जरूर हो गयी थी लेकिन चूंकि वह गांव थाना मोढ. पांडे में आता है इसलिए वहां के सब इन्स्पेक्टर गए और वह वहां पर ढाई बजे पहुंच गए थे।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थाना मोढा के इंचार्ज जो उस समय मुरादाबाद गए हुए थे--एक चौकीदार ने थाने में कहा और फिर एक आदमी वहां आया तो वह तीन, साढ़े तीन बजे घटनास्थल पर पहुंचे। तो घटनास्थल पर पहुंचने के पहले कोतवाली वालों को कैसे मालूम हो गया कि यह स्थान किस थाने में है?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

जब गांव का नाम आया तो उन्होंने कहा कि यह वाकया थाना मोढा पाडे का है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मंत्री जी ने दूसरे सवाल के जवाब में कहा है कि पहले कोतवाली ने कहा कि यह थाना मुगलपुरा में पड़ता है और मुकगलपुरा वालों ने कहा कि थाना मोढा पांडे में पड़ता है। अब मंत्री जी कहते हैं कि कोतवाली को (मालूम हुआ कि मोढा थाने में पड़ता है) तो जब ड्रायवर ने, जो खुद मुलजिम था, २-४५ पर रिपोर्ट लिखायी, जिसको मेडीकल एड देने के लिए भेजने की बात कही गयी, तो उसको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया और क्या यह सही नहीं है कि ३०० रु० जो उसकी जेब में था उसको लेकर उसे छोड़ दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपका नया प्रश्न हो गया। इसमें ३०० रुपये की बात नहीं है।

श्री चरण सिंह--

आपका खयाल यह है कि जहां पर वाकया हुआ वह जगह चाहे उस थाने में नहीं भी है तो भी रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिये थी लेकिन जो कुछ गलती हुई कांस्टेबिल से वह तो हुई, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। यह जवाब में बतला दिया।

श्री रियासत हुसैन--

यह तसलीम किया गया कि जिन लोगों को पहले टेलीफोन से खबर मिली उन कांस्टेबिल के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है किन्तु मेरा प्रश्न यह है कि इन्जार्ज कोतवाली के खिलाफ जिनके यहां २ बज कर ४५ मिनट पर रिपोर्ट दर्ज हुई फिर भी वह घटनास्थल पर नहीं पहुंचे मेडिकल ऐड लेकर तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह--

मुझे नहीं मालूम है कि अफसर क्या कार्यवाही कर रहे हैं। मेरे माननीय मित्र बतला दें तो मैं उनके पास भेज दूंगा।

प्रादेशिक होम गार्ड तथा नागरिक सुरक्षा विभाग में सेवा निवृत सेना अधिकारियों की नियुक्ति

*३--श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून), श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली) तथा श्री कल्यानसिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फरवरी, १९६८ से फरवरी, सन् ७० तक कितने सेवा निवृत्त सेना अधिकारियों को प्रादेशिक होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा में विभिन्न पदों पर लिया गया है ?

श्री चरण सिंह--

फरवरी, १९६८ से फरवरी, १९७० तक कुल १६१ अधिकारी होम गार्ड्स संगठन अवैतनिक मानदेय प्राप्त विभिन्न पदों पर नियुक्त किये गये।

नागरिक सुरक्षा संगठन में कोई भी सेवा निवृत्त अधिकारी उक्त अवधि के दौरान नियुक्त नहीं किया गया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०७१ पर)

नोट:--तारांकित प्रश्न २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

चमोली जिले के पैदल मार्गों पर पुल निर्माण-कार्य

*४—श्री शेरसिंह दानू तथा श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद, चमोली के पैदल मार्गों पर सार्वजनिक विभाग द्वारा निर्मित होने वाले कितने पुलों का कार्य कब से बन्द है ? क्या इनको पूरा करने की व्यवस्था वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में होगी ? यदि हां, तो कितनी अवधि में निर्माण-कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री चरण सिंह—

जनपद चमोली में पैदल मार्गों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणार्थ स्वीकृत १८ पुलों पर वर्तमान समय में काम नहीं हो रहा है। इनमें से १५ पुलों पर कार्य वर्ष १९६५ से १९६८ की अवधि में विभिन्न समय से बन्द है। शेष तीन पुलों पर कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में १६ पुलों के लिये प्राविधान है। इनमें से २ पुलों की वर्ष १९७०–७१ में तथा ३ पुलों की ३१–१२–७१ तक पूर्ण होने की आशा है। शेष पुलों में से अधिकांश के पुनरीक्षित आगणन तैयार किये जा रहे हैं। आगणनों की तैयारी तथा स्वीकृति हो जाने पर उन पुलों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जायगा।

*५—श्री शेरसिंह दानू तथा श्री नरेन्द्र सिंह—

[८वें सोमवार के ता० प्र० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

थाना नरही के व्यक्ति, थाना बक्सर के उमरपुर दियारा के हत्याकांड के अभियुक्त

*६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिलान्तर्गत नरही थाने के नरही गांव से ८५ व्यक्ति बिहार राज्य के शाहाबाद जिलान्तर्गत बक्सर थाने से उमरपुर दियारा में २३ अक्तूबर, सन् १९६९ को की गई ११ व्यक्तियों के हत्याकांड में अभियुक्त हैं ? यदि हां, तो इन अभियुक्तों में कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने अभी बाकी है ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवबन्द स्टेशन अफसर का स्थानान्तरण रद्द किया जाना

*७—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान स्टेशन अफसर, देवबन्द, जिला सहारनपुर का स्थानान्तरण दो बार जिले से बाहर किया गया और दोनों बार उनको रिलीव कर दिया गया तथा रिलीव करने के बाद पुनः सरकार ने उन्हें वहीं नियुक्त करने के आदेश प्रसारित किये ? यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री चरण सिंह—

वर्तमान थानाध्यक्ष देवबन्द का स्थानान्तरण जिले से बाहर अभी तक नहीं किया गया।

[४ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[८वें सोमवार के तारांकित प्रश्न १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित।]

*४—श्री इन्द्रलाल—

[८ मई, १९७० के ता० प्र० ४ के अन्तर्गत उत्तरित।]

*५-६—श्री राम गोपाल संड—

[८वें मंगलवार के ता० प्र० २-३ के अन्तर्गत स्थान्तरित।]

*७—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[११वें बुधवार के प्र० सं० ९९ के अन्तर्गत स्थान्तरित।]

सचिवालय में खस टट्टियां

*८—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, १९६९ से ७ जून, १९६९ तक लखनऊ सचिवालय में कितनी खस की टट्टियां नई लगाई गयीं और कितनी पुरानी मरम्मत करके लगायी गयीं तथा पुराने और नये पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ ?

श्री चरण सिंह—

११७०.७३ वर्ग मीटर नई खस की टट्टियां और ४०६.५६ वर्ग मीटर मरम्मत की गई पुरानी खस की टट्टियां सचिवालय में उक्त अवधि में लगायी गयीं।

नई खस की टट्टियों पर ६,०२७.४३ रुपया और पुरानी खस की टट्टियों की मरम्मत पर ४३५.०१ रुपया व्यय हुआ।

*९-१०—श्री जगदीश गांधी—

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

*११—श्री इन्द्रलाल—

[८ मई, १९७० को प्र० सं० ५ के अन्तर्गत उत्तरित।]

उत्तर प्रदेश के हिन्दी, उर्दू अखबार एवं रिसालों की सरकारी इश्तहार

*१२—श्री रियासत हुसैन—

क्या सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन हिन्दी और उर्दू अखबार और रिसाले ऐसे निकलते हैं जिनको सरकार इश्तहार देती है ?

*१३—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि साल १९६७-६८ और १९६८-६९ में उन अखबार और रिसालों को कितने-कितने रुपये के इश्तहार दिये गये ?

सूचना मंत्री (श्री गेंदा सिंह)—

†१२—सूची संलग्न है।

†१३—सूची संलग्न है।

---

†छापी नहीं गयी।

हस्तिनापुर थाना के ग्राम सदरपुर के हरिजनों का शिकायती प्रार्थना-पत्र

*१४—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम सदरपुर, थाना हस्तिनापुर, जिला मेरठ के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र दिनांक २५ अक्तूबर, १९६९ जो एक जाति विशेष द्वारा बेहद परेशान करने तथा जान-माल की सुरक्षा के विषय में मेरे पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

उल्लिखित विषय पर ग्राम सदरपुर, थाना हस्तिनापुर, जिला मेरठ के कुछ हरिजनों का प्रार्थना-पत्र दिनांक २५ अक्टूबर, १९६९ का तो नहीं वरन् दिनांक १४ अक्टूबर, १९६९, का सदस्य महोदय के पत्र के साथ प्राप्त हुआ। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई।

नईमऊ ग्राम के प्रधान के घर डाका

*१५—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या पुलिस मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४/५ दिसम्बर, १९६९ की रात को ग्राम नई मऊ, थाना देवां, जिला बाराबंकी के प्रधान के घर में जो डाका पड़ा उसमें अब तक कितने डाकू पकड़े गये हैं ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक ४/५ दिसम्बर, १९६९ की रात में ग्राम नई मऊ, थाना देवां, जिला बाराबंकी के प्रधान के घर डकैती पड़ने की नहीं बल्कि चोरी होने की लिखित सूचना थाना देवां पर प्राप्त हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसी गांव के दो व्यक्तियों पर सन्देह व्यक्त किया गया था। मामले की जांच तुरन्त प्रारम्भ की गई परन्तु चोरी का कोई पता नहीं लगा। अतः मामले में अन्तिम रिपोर्ट लिखाई गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हुई।

*१६—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या पुलिस मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस डकैती में थाना देवां के दो सिपाहियों का भी हाथ है जिसके कारण थानाध्यक्ष इस डकैती की ठीक तरह से जांच नहीं कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—

चूंकि डकैती की कोई घटना नहीं घटी, अतः यह प्रश्न नहीं उठता। थानाध्यक्ष ने चोरी की घटना की जांच सुचारु रूप से की।

एक्साइज इन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण

*१७—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, १९७० में प्रदेश में किन-किन एक्साइज इन्सपेक्टरों का और कहां से कहां स्थानान्तरण किया गया और क्या इन इन्सपेक्टरों में कोई ऐसा भी है जो बतौर सजा जनवरी, १९६९ में गांजा स्क्वैड गोंडा में तैनात किया गया था तथा उसके विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है और उसका इन्टीग्रिटी सार्टिफिकेट व वार्षिक वेतन-वृद्धि रुके हुये हैं ?

श्री चरण सिंह—

जनवरी, १९७० में निम्नलिखित आबकारी निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया :—

(१) श्री पी० एन० त्रिपाठी आबकारी निरीक्षक न्यू इन्टर नेशनल केमिकल्स बाराबंकी से सर्वश्री सिंथेटिक्स एण्ड-केमिकल्स, बरेली।

(२) श्री पी० एस० माथुर आबकारी निरीक्षक सर्व श्री सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स बरेली से न्यू इन्टरनेशनल केमिकल्स बाराबंकी ।

(३) श्री एस० एन० सिंह आबकारी निरीक्षक गांजा स्क्वैड गोंडा से क्षेत्र २ (सदर) गोरखपुर।

(४) श्री जटाशंकर सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र २ (सदर) गोरखपुर से क्षेत्र एक बस्ती।

(५) श्री एच० जी० एस० कुशवाहा आबकारी निरीक्षक क्षेत्र एक बस्ती से गांजा स्क्वैड, गोंडा।

उक्त आबकारी निरीक्षकों में से जनवरी, १९६९ में श्री एस० एन० सिंह का स्थानान्तरण क्षेत्र २ बस्ती से गांजा स्क्वैड, गोंडा जनहित में किया गया था। यह सही है कि वर्ष १९६९–७० के लिये इनकी इन्टीग्रिटी सार्टिफिकेट जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा प्रमाणित न किये जाने के कारण रोक दिया गया था। जहां तक उनके वार्षिक वेतन वृद्धि का संबंध है यह मामला अन्य निरीक्षकों के वेतन वृद्धि के साथ विचाराधीन है।

ताजपुर मठिया के श्री फिरंगी यादव की हत्या

*१८—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मऊ थाने के ताजपुर मठिया निवासी कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री फिरंगी यादव की हत्या दिनांक २० जून १९६९ को कर दी गई थी ? यदि हां, तो इस हत्याकांड के अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई और अभियोग-पत्र अदालत में २० फरवरी, १९७० तक न भेजने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—

दिनांक २९–६–६९ को आजमगढ़ जिलान्तर्गत मऊ थाने में लिखाई गई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्राम ताजपुर मठिया निवासी श्री फिरंगी यादव की हत्या दिनांक २०–६–६९ को कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में धारा ३०४ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ और विवेचना आरम्भ की गई समस्त सम्भव प्रयास के उपरान्त भी अभियुक्तों का कुछ पता नहीं चला। अतएव अन्तिम रिपोर्ट १७–१२–६९ को प्रेषित की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया और पुनः विवेचना के आदेश २०–४–७० को दिये। तदनुसार पुनः विवेचना हेतु यह मामला सर्किल इन्सपेक्टर, मऊ को सौंप दिया गया है।

*१९—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री भाभी यादव—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त फिरंगी यादव की पत्नी श्रीमती दासी देवी ने एक शिकायती-पत्र दिनांक २० अक्तूबर, १९६९ को मऊ थाना के थानाध्यक्ष श्री सर्वदेव कुंवर के विरुद्ध पुलिस कप्तान, आजमगढ़ को दिया था ? यदि हां, तो वह शिकायती-पत्र क्या है और उस पर जांच कब की गई और इस जांच से क्या तथ्य प्रकट हुये ?

श्री चरण सिंह—

श्रीमती दासी देवी विधवा श्री फिरंगी यादव ने एक शिकायती-पत्र दिनांक २०–१०–६९ मऊ थाना के थानाध्यक्ष श्री सर्वदेव कुंवर के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को दिया था। उक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

इस शिकायत की जांच क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा की गई जिससे यह आरोप सिद्ध नहीं हुए।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०७२ पर)

*२०—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

सीतापुर जिले के अमीनों के विरुद्ध मुकदमें

*२१—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर के किन-किन अमीनों के विरुद्ध सन् १९६४ ई० में मुकदमें धारा ४०९ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज कराये गये तथा किन-किन की चार्जशीट अदालत भेजी गई है ?

श्री चरण सिंह—

वर्ष १९६४ में जिला सीतापुर के अमीन श्री सरोज कुमार के विरुद्ध दो मुकदमें तथा अमीन श्री चन्द्रिका प्रसाद और अमीन श्री दरबारी लाल के विरुद्ध एक-एक मुकदमा धारा ४०९ भा० द० वि० के अन्तर्गत दर्ज कराया गया। श्री सरोज कुमार के विरूद्ध एक मुकदमे में चार्जशीट अदालत भेज दी गई।

*२२—श्री रामलाल राही—

क्या कुछ ऐसे मामले संबंधित धारा के पुलिस क विचाराधीन हैं जिनकी चार्जशीट अदालत को नहीं भेजी गई है ? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और अदालत में अभी तक चार्जशीट न भेजने का क्या कारण रहा है ?

श्री चरण सिंह—

जिला सीतापुर के अमीनों के विरुद्ध वर्ष १९६४ में दर्ज धारा ४०९ भा० द० वि० के ऐसे तीन मामले हैं जिनमें अभी तक पुलिस विवेचना पूर्ण न होने के कारण चार्जशीट अदालत नहीं भेजी गई है।

*२३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

इलाहाबाद के बिजलीघर की विद्युत् क्षमता

*२५—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के बिजलीघर की कितनी बिजली देने की क्षमता है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञान है कि गत मार्च माह में जब परीक्षाएं चल रही थीं कितनी बार बिजली फैल हुई ? क्या सरकार इलाहाबाद के बिजलीघर की विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण होगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री रामलखन)—

इलाहाबाद बिजलीघर में तीन जेनरेटर हैं तथा हर एक की क्षमता ४,००० किलोवाट है। इनमें से एक जेनरेटर काफी पुराना है इसलिये ज्यादातर दो जेनरेटर ही चलाये जाते हैं जो करीब ६,००० से ७,००० किलोवाट बिजली पैदा करते हैं। इलाहाबाद की बिजली की

अतिरिक्त मांग रीवा रोड पर बने हुए २२० के० बी० विद्युत् मुख्य उप स्थान से पूरी की जाती है। इस मुख्य उप स्थान पर २०,००० के० बी० ए० क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। मार्च माह में पूरे इलाहाबाद में एक साथ एक बार भी बिजली बन्द नहीं हुई लेकिन पांच बार अलग-अलग जगहों पर बिजली बन्द रही। इलाहाबाद पावर हाऊस में नये जेनरेटर लगाने की कोई योजना नहीं है।

सतिया काण्ड, किशन लाल हत्याकांड तथा साम्प्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच की मांग

*२६—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सतिया काण्ड, जिला मिर्जापुर बी० के० डी० कार्यकर्त्ता किशनलाल हत्याकाण्ड, जिला इलाहाबाद और मऊ, जिला आजमगढ़ के साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं की न्यायिक जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो ऐसी जांच कराने में अब उनको क्या आपत्ति है?

श्री चरण सिंह—

सतिया काण्ड, जिला मिर्जापुर के संबंध में १ अगस्त, १९६९ को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सदन में कहा था कि यदि विधान सभा के सदस्य जिन्होंने उक्त घटना क संबंध में आरोप लगाये हैं, आरोपों को लिखित रूप में सदन के बाहर उनके पास भेजेंगे और आरोपों के लगाने का उत्तर-दायित्व अपने ऊपर लेंगे तो न्यायिक जांच के लिये कमीशन बैठाया जायगा। जब तक उक्त शर्त पूरी न हो इस घटना के संबंध में न्यायिक जांच का प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक इलाहाबाद में पुलिस की गोली से श्री राम कृष्ण राय की मत्यु और मऊ जिला आजमगढ़ में हुए झगड़ों का प्रश्न है, इन मामलों में उच्च अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक जांच हो चुकी है और शासन इन घटनाओं के संबंध में न्यायिक जांच आवश्यक नहीं समझता।

सतर्कता अधिष्ठान को सुपुर्द राजपत्रित अधिकारियों के मामले

*२७—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस तिथि से विजीलेंस (vigilence) की स्थापना हुई है तब से दिनांक १५ अप्रैल, १९७० तक कितने मामले राजपत्रित अधिकारियों के विजीलेंस सुपुर्द हुए और उनमें से कितनों के विरुद्ध विजीलेंस की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई?

श्री चरणसिंह—

सतर्कता अधिष्ठान की स्थापना के दिनांक से १५ अप्रैल, १९७० तक कुल ५६४ जांच राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध उन्हें सुपुर्द की गई। इनमें से ३८६ मामलों में जांच की अंतिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई।

नरहरपुर निवासी श्री कल्लू के घर सशस्त्र डकैती तथा हत्या

*२८—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद) तथा श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २१, २२ जुलाई, १९६८ की दरम्यानी रात ११ बजे श्री कालूराम उर्फ पुत्र रामस्वरूप, निवासी ग्राम नहरपुर, थाना हंडिया, जिला इलाहाबाद के घर सशस्त्र डकैती पड़ी थी जिसमें लूट के अतिरिक्त ३ आदमी गोली से मार डाले गये थे और क्या भागते समय डाकुओं की ३ साइकिलें और दो जोड़े जूते घटनास्थल पर छूट गये थे जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरण सिंह--

दिनांक २२ जुलाई, १९६८ को थाना हंडिया पर इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ग्राम नरहरपुर, जिला इलाहाबाद में रात में लगभग ११ बजे श्री कल्लू के घर एक सशस्त्र डकैती पड़ी थी। जिसमें माल लूटने के साथ डाकुओं ने गोली भी चलाई थी। डाकुओं की गोली से दो व्यक्ति घटनास्थल पर मर गये और दो व्यक्ति घायल हुए जिनमें से एक की मृत्यु अस्पताल में हो गई थी। डाकुओं की तीन साइकिलें और दो जोड़े जूते घटनास्थल पर छूट गये थे जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। स्थानीय पुलिस द्वारा जांच से अभियुक्तों का पता नहीं लगा अतः अंतिम रिपोर्ट लगाकर जांच समाप्त की गई। घटनास्थल पर पाई गई साइकिलों के आधार पर अब अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा छानबीन की जा रही है।

*२९--श्री रूपनाथ सिंह यादव तथा श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मुख्य मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि क्या उपर्युक्त मृतक स्व० श्री जगदेव के लड़के श्री पारसनाथ जो घटना के दौरान स्वयं घायल हुए थे, ने लिखित रूप से स्थानीय अधिकारियों एवं आई० जी० पुलिस व मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को घटना के कुछ ही दिनों बाद एवं दिनांक १० अप्रैल, १९७० को भी डाकुओं की सुरागरसी के बारे में सूचना दी थी? यदि हां, तो क्या उस सुरागरसी के आधार पर कोई कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरण सिंह--

श्री पारसनाथ से कुछ प्रार्थना-पत्र घटना के बाद और अप्रैल, १९७० में प्राप्त हुए। उनमें पुलिस के विरुद्ध शिकायतें थी और घटनास्थल पर डकैतों की साइकिलें और जूते बरामद होने की सूचना थी। पुलिस के विरुद्ध शिकायतें जांच से सही नहीं पाई गई। साइकिलों के आधार पर जांच में स्थानीय पुलिस को सफलता नहीं मिली। अब अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

*३०--श्री शेरसिंह दानू--

[१० वें गुरुवार के लिये स्थगित]

जिला गन्ना अधिकारी, सीतापुर द्वारा गन्ना ग्राम सेवकों का स्थानान्तरण

*३१--श्री रामलाल राही--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिला के जिला गन्ना अधिकारी ने जनवरी, १९६८ से १५ अप्रैल, १९७० तक कितने व किन-किन गन्ना सेवकों व केन यूनियन व केन डेवलपमेंट कौंसिल के कर्मचारियों के स्थानान्रण किये हैं तथा स्थानान्तरण करने का आधार क्या रहा हैं? क्या कुछ गन्ना ग्राम सेवक या गन्ना विभाग से संबंधित कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनके स्थानान्तरण साल में दो या तीन बार किये गये?

श्री चरण सिंह --

जिला गन्ना अधिकारी, सीतापुर ने जनवरी, १९६७ से १५ अप्रैल, १९७० तक क्रमशः ४९ राजकीय, १८ समिति भोगी तथा ४ परिषद् भोगी गन्ना ग्राम सेवकों स्थान्तरण के किये। स्थानान्तरण के आधार थे :--

(१) आदेश के अनुसार एक स्थान पर अधिक दिनों तक रहना, (२) प्रशानिक (३) जनहित व (४) उनकी स्वयं की प्रार्थना पर। संबंधित गन्ना ग्राम सवकों की सूची संलग्न है।

जिला गन्ना अधिकारी ने किसी गन्ना ग्राम सेवक या कर्मचारी का स्थानान्तरण साल में दो या तीन-बार नहीं किया।

चार समिति भोगी गन्ना ग्राम सेवकों का जिला गन्ना कमेटी ने दो बार स्थानान्तरण किया।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०७४ पर।)

प्रेस मान्यता कार्डों का नवीनीकरण

*२३—श्री गोविन्द सिंह—

क्या सूचना मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि देहरादून स्थित आल इंडिया रेडियो यू० एन० आई०, नैशनल हेरल्ड, पायनियर टाइम्स आफ इंडिया नव भारत टाइम्स के प्रतिनिधि एवं संवाददाताओं को क्या इस वर्ष सरकार की ओर से प्रेस एक्रिडिशन कार्ड नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री गेंदासिंह—

पायनियर एवं नव भारत टाइम्स के संवाददाताओं के वर्ष १९७० के लिये मान्यता कार्डों-के नवीनीकरण के आदेश जिलाधीश को दिये जा चुके हैं। आल इंडिया रेडियो अपने संवाददाताओं को स्वतः ही मान्यता देता है। यू० एन० आई० व नेशनल हेराल्ड ने १९६१ से अब तक इस तरह की मान्यता की मांग ही नहीं की है। टाइम्स आफ इंडिया के संवाददाता की मान्यता १९६८ में समाप्त हो गई, उसके बाद उन्होंने अपने देहरादून स्थित संवाददाता की मान्यता के लिये कोई मांग नहीं की है। अतएव उन्हें मान्यता देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

गंगानाथ झा होस्टल, इलाहाबाद में ो पार्टियों में झगड़ा

*३३—श्री रुपनाथ सिंह यादव—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि २० अप्रैल, सन् १९७० को गंगानाथ झा हास्टल, इलाहाबाद थाना कर्नेलगंज में कुछ गुन्डे अपराधी व नक्सलपंथी घुस गये और विद्यार्थियों को मारा-पीटा जिससे ३ विद्यार्थी घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं? यदि हां, तो उसमें कितने मुलजिम पकड़े गये और पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २० अप्रैल, १९७० को गंगानाथ झा होस्टल, इलाहाबाद में कुछ गुन्डे अपराधी व नक्सलपंथियों ने प्रवेश नहीं किया बल्कि होस्टल के बाहर विद्यार्थियों की दो पार्टियों के मध्य झगडा हुआ जिसमें दो विद्यार्थी तथा एक बाहरी व्यक्ति को जो विद्यार्थियों की एक पार्टी का साथी था, मामूली चोटें आयीं, जिनको एम० एल० एन० मेडिकल कालेज से चिकित्सा के उपरान्त वापस कर दिया गया। इस संबंध में धारा १४७/३२३ ता० हि० तथा धारा २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमे कायम किये गये हैं जिसकी विवेचना हो रही है और दोनों पार्टियों के विरुद्ध १०७/११७ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई और चालानी रिपोर्ट न्यायालय को भेज दी गई हैं जहां पर यह विचाराधीन है। उपर्युक्त मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

*३४—श्री सूरज लाल गुप्त—

[७वें सोमवार के तारांकित प्रश्न ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३५—श्री श्यामलाल तथा श्री भाभी—

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

गडवाने थाना पन्नूगंज में हरिजन व्यापारी की हत्या

*३६—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम गडवाने थाना पन्नूगंज (मिर्जापुर) में मार्च, १९७० में एक हरिजन व्यापारी की हत्या की गई है ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में कितने मुल्जिम पकड़े गये हैं, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक १० मार्च, १९७० को थाना पन्नूगंज पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गडवान, थाना पन्नूगंज, जिला मिर्जापुर के पूरब पड़ाव पर सोये हुए एक व्यापारी को कुछ व्यक्तियों ने जान से मार डाला और उसका रुपया पैसा छीन कर भाग गए। इस सूचना के आधार पर थाना पन्नूगंज पर एक मुकदमा कायम करके जांच आरंभ की गई। एक व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मुकदमें की तफ्तीश अभी जारी है।

चकरिया ग्राम के श्री अली हुसेन के घर डकैती

*३७—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम चकरिया थाना कोन (मिर्जापुर) में १ अप्रैल, १९७० की रात्रि में एक व्यक्ति के घर पर डकैती पड़ी है ? यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २ अप्रैल, १९७० को थाना कोन पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक १/२ अप्रैल, १९७० की रात्रि में श्री अली हुसैन, निवासी ग्राम चकरिया, थाना कोन, जिला मिर्जापुर के घर पर डकैती पड़ी। इस सूचना के आधार पर धारा ३९५/३९७ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया। इस संबंध में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जो बाद में धारा १६९ द० प्र० सं० के अन्तर्गत छोड़ दिये गये। मुकदमें में जांच जारी है।

कैडवा के श्री नत्थवा के घर डकैती

*३८—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १५, १६ मार्च, १९७० की रात को ग्राम कैडवा, थाना बिनौली, जिला मेरठ में, नत्थवा पुत्र मोहन सिंह के यहां डकैती पड़ी जिसमें मौके पर एक डकैत जयपाल नामक मारा गया और नत्थवा व नवाब सिंह को डकैतों ने मार दिया तथा अन्य कई घायल हुए ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार १५/१६ मार्च, १९७० की रात को ग्राम कैडवा, थाना बिनौली, जिला मेरठ में नत्थवा पुत्र मोहन सिंह के यहां डकैती पड़ी, जिसमें डकैतों द्वारा नत्थवा व उसका पुत्र नवाब मौके पर मार डाले गये और अन्य कई व्यक्ति घायल हुये। जयपाल नामक एक डकैत भी मौके पर मारा गया। इस संबंध में एक अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और इसके विरुद्ध चालान भी न्यायालय भेज दिया गया। शेष अभियुक्तों के बारे में जांच जारी है।

कमलापुर थाने में डाके, राहजनी एवं कत्ल

*३९—श्री श्यामलाल रावत (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ नवम्बर, सन् १९६९ से ३० अप्रैल, १९७० तक थाने कमलापुर, जिला सीतापुर में कितनी डाकेजनी, राहजनी, एवं कत्ल के केस हुए, कितने कैसेज में फाइनल रिपोर्ट लगी, कितने केसेज में चार्जशीट लगाई गई तथा कितने केसेज पेंडिंग में हैं ?

श्री चरण सिंह--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ १०७९ पर)

धर्मखोरकरन गांव में डकैती

*४०--श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरया थाना खाम्पार के अन्तर्गत ग्राम धर्मखोर करन में गत २/३ मार्च, १९७० को एक भीषण डकैती पड़ी ?

श्री चरण सिंह--

ग्राम धर्मखोरकरन थाना खाम्पार, जिला देवरिया में २/३ मार्च, १९७० को कोई डकैती पड़ने की रिपोर्ट थाने पर दर्ज नहीं है।

*४१--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त डाके की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार उस पर कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरण सिंह--

इस शिकायत के बारे में कि पुलिस द्वारा डकैती की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा द्वारा जांच की जा रही है। जांच समाप्त होने पर जो कार्यवाही आवश्यक होगी की जावेगी।

*४२--श्री रामदेव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*४३--श्री रामदेव--

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

धर्मपुर के श्री अब्दुल हकीम के घर डकैती तथा उनकी हत्या

*४४--श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)--

क्या गृह मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद गोंडा के अन्तर्गत उतरौला थाने के ग्राम धर्मपुर में दिनांक १ अप्रैल, सन् ७० से १५ अप्रैल, सन् ७० के बीच अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के यहां डकैती की घटना घटित हुई है जिसमें आग्नेयास्त्रों का भी प्रयोग किया गया है फलस्वरूप एक व्यक्ति वहीं मर गया तथा दूसरा अब भी बलरामपुर अस्पताल में भरती है ? यदि हां, तो इस घटना में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरण सिंह--

दिनांक १२-४-७० को थाना उतरौला पर एक लिखित सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि श्री अब्दुल हकीम निवासी ग्राम धर्मपुर, थाना उतरौला, जिला गोंडा के घर ११।१२ अप्रैल, १९७० की रात में डकैती पड़ी जिसमें आग्नेय अस्त्र का प्रयोग हुआ और अब्दुल हकीम मारे गए तथा उनका लड़का इब्राहीम तथा उनकी पत्नी घायल हुए। इस सूचना पर थाना उतरौला पर धारा ३९५।३९६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया जिसकी तफतीश जारी है। अभी तक ५ अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं।

इब्राहीम, जिन्हें दिनांक १२-४-७० को अस्पताल में भरती किया गया था अब भी अस्पताल में हैं।

कोडवा के श्री मुंशी लाल के घर डकैती

*४५--श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)--

क्या यह सच है कि दिनांक १२/१३-२-७० को ग्राम कोडवा थाना शिवली कानपुर में श्री मुंशीलाल के यहां डकैती पड़ी थी जिसकी रिपोर्ट थाना अध्यक्ष शिवली ने डकैती में न लिखवा कर दफा ४५८ आई० पी० सी० में ही लिखवाया था ? क्या यह भी सच है कि निरन्तर मुंशीलाल के कहने एवं दरखास्तें देने पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और सही डकैतों को बताने पर भी गिरफ्तार नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री जी गुप्तचर विभाग द्वारा जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह--

दिनांक १३-२-७० को १०-५० बजे प्रातः ग्राम कोडवा के निवासी श्री मुंशीलाल ने थाना शिवली में एक लिखित रिपोर्ट दी जिस पर एक मुकदमा धारा ४५८ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज हुआ। यह रिपोर्ट थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में दर्ज हुई।

वादी श्री मुंशीलाल ने दिनांक २१-४-७० को इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र पुलिस महानिरीक्षक को प्रेषित किया था जिसकी जांच कराई गई। जांच से अपराध धारा ४५८ भा० द० वि० का ही पाया गया। इस अभियोग से सम्बन्धित ११ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं। अतः यह कहना सही नहीं मालूम होता है कि निरन्तर श्री मुंशीलाल के कहने एवं दरख्वास्त देने पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और सही अपराधियों को बताने पर भी गिरफ्तार नहीं किया गया।

इस अभियोग की विवेचना सही ढंग से चल रही है अतः इसे गुप्तचर विभाग को सौंपने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

मृत संजीवनी सुरा पर बिक्री-कर

*४६--श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)--

क्या सरकार पिथौरागढ़ जिले में मृत संजीवनी सुरा के बिक्री-कर पर रोक लगायेगी ?

श्री चरण सिंह--

औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां इस निर्मिति पर (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, [Medicinal Toilet Preparations) (Excise Duties) Act] १९५५, जो कि एक केन्द्रीय अधिनियम है, के प्राविधान लागू होते हैं, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार को बिक्री पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

बाघनगर ग्राम में सशस्त्र डकैती एवं हत्या

*४७--श्री गंगा प्रसाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बाघनगर, थाना दुधारा, जिला बस्ती में दिनांक ४/५-२-६८ ई० की रात में डकैती हुई थी और डाकुओं ने डकैती करते हुए बन्दूक से एक आदमी को जान से मार डाला था और कई व्यक्ति घायल हुए थे? यदि हां, तो डाकू कितना धन; माल लूट ले गये थे और रिपोर्ट किस धारा में लिखी गई थी ?

श्री चरण सिंह--

ग्राम बाघनगर थाना दुधारा जिला बस्ती में ४/५-२-६८ की रात में एक डकैती पड़ने की रिपोर्ट जिसमें डाकुओं द्वारा चलाई गई गोली से एक आदमी के मारे जाने को व कई व्यक्तियों के घायल होने का उल्लेख था, थाना दुधारा में दिनांक ५-२-६८ को प्राप्त हुई थी। इस डकैती में लगभग १३००० रु० का माल जिसमें नगदी, गहने, कपड़े आदि शामिल थे लूटा जाना

[श्री चरण सिंह]

बताया गया था। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर थाना दुधारा पर धारा ३९६ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ है।

विकास खंड दोहरीघाट एवं घोसी के गांवों को बिजली

*४८—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत विकास खंड दोहरीघाट एवं घोसी में ३०-४-७० तक किन-किन गांवों में बिजली दी गयी है?

श्री रामलखन—

आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत विकास खंड दोहरी घाट एवं घोसी में दिनांक ३०-४-७० तक निम्नलिखित गांवों का विद्युतीकरण किया गया :—

१—सिपाह इब्राहिमाबाद,

२—काठ तरांव,

३—नढ़वल,

४—भोपोरा।

*४९—श्री लालसा—

क्या विद्युत् मंत्री इसका कारण बताने की कृपा करेंगे कि जब दोहरी घाट ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर बाजार में बिजली उपलब्ध है तो बाजार से सटी हुई बड़ी आबादी वाले गांव रसूलपुर के नागरिकों को अभी तक बिजली क्यों नहीं उपलब्ध हुई है? क्या रसूलपुर गांव के भारी संख्या में नागरिकों ने गत वर्ष बिजली की मांग भी की थी?

श्री रामलखन—

जी हां, दोहरीघाट विकास क्षेत्र के अन्तर्गत रसूलपुर गांव से सटी हुई आबादी में बिजली की लाइन ले जाने के संबंध में रसूलपुर के नागरिकों का एक प्रार्थना-पत्र, जिस पर ३० व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे, दिनांक ३०-११-१९६९ ई० को प्राप्त हुआ था। इनको विभागीय औपचारिकतायें पूर्ण करने पर बिजली दिया जाना सम्भव होगा।

पुलिस उपाधीक्षक, पीलीभीत द्वारा सरकारी जीप का निजी कार्य में उपयोग

*५०—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी प्राप्त हुई है कि पीलीभीत के पुलिस उप अधीक्षक महोदय को सरकारी वाहन का निजी कार्य में उपयोग करते हुए जनता ने २४ अप्रैल, ७० को रात्रि को घेराव किया? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री चरण सिंह—

यह सही है कि पीलीभीत के पुलिस उपाधीक्षक की जीप का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा २४-४-७० को घेराव किया गया था। इस संबंध में पुलिस उप-महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र द्वारा जांच की जा रही है कि गाड़ी का प्रयोग निजी कारणों के लिए किया गया था या नहीं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

ऊंचगांव में गोली चलाने से मृत्यु

*५१—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया), श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव) तथा श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के थाना हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम ऊंच गांव में अप्रैल, १९७० में किसी व्यक्ति द्वारा गोली चलाने से दो बच्चों की मृत्यु हो गयी है, और तीन व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गये हैं ?

श्री चरण सिंह—

जिला उन्नाव के थाना हसनगंज में २२-४-७० को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उसी दिन ऊंचगांव में एक व्यक्ति ने एक लड़के और एक आदमी को गोली से मार दिया और तीन को घायल कर दिया।

*५२—श्री मैनेजर सिंह, श्री संजीवनलाल तथा श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के थाना हसनगंज के ग्राम ऊंचगांव में जो गोली द्वारा हत्यायें हुई हैं वह गिरोह हसनगंज से शराब पीकर चला था और यह एक अराजक गिरोह है जिसने इसके पूर्व भी कुछ ऐसी ही घटनायें की हैं ?

श्री चरण सिंह—

इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है कि अभियुक्त किसी अराजक गिरोह का है अथवा वह घटना के पूर्व शराब पीकर गांव में आया था।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि० गोला गोकरन नाथ के गन्ना उत्पादकों का नलकूप विद्युतीकरण क्लस्टर योजना के अन्तर्गत लाइन चार्ज व जमानत का जमा धन

*५३—श्री छेदालाल चौधरी, श्री माखनलाल तथा श्री सेवाराम (जिला खीरी)—

क्या विद्युत् मंत्री को इस बात की जानकारी है कि सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड गोला गोकरननाथ के माध्यम स उसके करीब २२५ गन्ना उत्पादकों की लगभग ७५,००० रुपये (पछत्तर हजार) की भारी धनराशि नलकूप विद्युतीकरण कलस्टर लाइन्स योजना के अन्तर्गत गत फरवरी, १९६९ ई० से विद्युत् विभाग के पास लाइन चार्ज व जमानत के रूप में जमा है ? यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों के नलकूपों को बिजली मिलने में क्या प्रगति हुई है ?

श्री रामलखन—

सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड गोला गोकरनाथ के माध्यम से कुल २१८ व्यक्तियों ने मार्च और मई, १९६९ में ८६,७३७ रु० की धनराशि लाइन चार्ज की जमानत के रूप में निजी नलकूपों के विद्यतीकरण हेतु जमा की थी। इनमें से ४४ व्यक्तियों के नलकूपों का विद्युतीकरण हो चुका है और ५३ व्यक्तियों की लाइन बनकर तैयार हो गई है, परन्तु बी० एल० फार्म जमा न किए जाने के कारण उनके नलकूपों का विद्यतीकरण अभी तक नहीं हुआ है। जैसे ही ये व्यक्ति वांछित फार्म जमा कर देंगे उनके नलकूपों का विद्युतीकरण हो जायगा। शेष १२१ व्यक्तियों द्वारा अनुबन्ध न किए जाने के कारण उनके लिए लाइन बनाने का कार्य अभी नहीं किया जा सका है। जैसे ही य व्यक्ति अनुबन्ध कर लेंगे उनके लिए लाइन बना दी जायगी।

*५४-५५—श्री सुखपाल पाण्डेय , श्री रामकरन—

[७वें सोमवार के प्र० सं० ४६-४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गन्ना पर्यवेक्षकों का साक्षात्कार

*५६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना पर्यवेक्षकों की नई नियुक्ति हेतु फरवरी, सन् १९७० में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सम्पन्न हुआ था? यदि हां, तो उनमें से कौन-कौन से व्यक्ति चुने गये और उनकी क्या-क्या योग्यतायें रहीं और सरकार की नियुक्ति का आधार क्या रहा?

श्री चरण सिंह—

जी हां। चुने हुये अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है जिसमें उनकी शैक्षिक योग्यतायें भी दर्शायी गयी हैं। नियुक्ति का आधार अभ्यर्थियों का व्यक्तित्व, शैक्षिक योग्यता एवं पद के लिये उनकी उपयुक्तता रक्खा गया था।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०८० पर)

सरेनी विकास खंड में नलकूपों को बिजली

*५७—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले के सरेनी विकास खण्ड के ग्राम रामपुर कलां रालपुर, रौतापुर, साहनीपुर, माथुरपुर, गोंडा तथा सराय जैसे सिंचाई साधनहीन पिछड़े क्षेत्र में नलकूप जैसे आधुनिक सिचाई के साधन के लिये बिजली का प्राविधान कब तक हो जायगा?

श्री रामलखन—

रायबरेली जिले के सरेनी विकास खण्ड के इन ग्रामों को बिजली पहुंचाने की अभी कोई योजना नहीं बनी है।

*५८—श्री कृष्ण स्वरूप—

[१० वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*५९—श्री मंजर अहमद तथा श्री श्यामलाल—

७वें सोमवार के प्र० सं० ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित

पिछड़ी जातियों के लिये सरकारी नौकरियों में ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित करना

*६०—श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों की नियुक्तियों में ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां तो कब तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी?

श्री चरण सिंह—

सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार नहीं कर रही है।

*६१—श्री चेतराम गंगवार तथा श्री भानुप्रताप सिंह—

[७वें सोमवार के ता० प्र० ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६२—श्री चेतराम गंगवार—

[७ वें सोमवार के प्र० सं० ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*६३—श्री भानु प्रताप सिंह—

[७वें सोमवार के ता० प्र० ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

पिछड़ी तथा परिगणित जाति के रिजर्व इन्स्पेक्टर्स

*६४—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या माननीय मंत्री कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी संख्या आर० आईज० की हैं और उसमें पिछड़ी, परिगणित जाति के आर० आईज० की संख्या क्या है ?

श्री चरण सिंह—

प्रदेश के पुलिस विभाग में रेंज इन्स्पेक्टर नाम का कोई पद नहीं है। आर० आईज० (रिजर्व इन्स्पेक्टर्स) की कुल संख्या २३२ है जिनमें पिछड़ी जाति के १३ तथा अनुसूचित जाति के २ रिजर्व इन्स्पेक्टर हैं ।

अल्मोड़ा में पूर्ण मद्य निषेध की मांग

*६५—श्री हरी सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में पूर्ण मद्य-निषेध के लिये ३० मार्च, १९७० को जनता द्वारा कोई आन्दोलन हुआ ? यदि हां, तो कितने आदमी तथा महिलाएं गिरफ्तार हुईं ?

श्री चरण सिंह—

जी हां उक्त तिथि को अल्मोड़ा नगर में देशी शराब के ठेकों की नीलामी के विरुद्ध एक आन्दोलन हुआ था। दफा १४४ भा० दं० सं० का उल्लंघन करने के कारण कुल ३४ व्यक्ति जिसमें २ महिलाएं थीं गिरफ्तार किये गये ।

*६६—श्री हरी सिंह बिष्ट—

क्या यह सही है कि दिनांक ५ अप्रैल, १९७० को शराब के पुराने ठेकेदार ने शराब बेचने से (ठेके से) त्याग-पत्र देकर भट्टी बन्द कर दी थी ? क्या यह सही है कि अल्मोड़ा शराब भट्टी के लिये अल्मोड़ा, नैनीताल में कोई भी व्यक्ति ठेका लेने को तैयार नहीं हुआ और सरकार द्वारा दिनांक १६ अप्रैल, १९७० से दफा १४४ के अन्तर्गत पुलिस दल के संरक्षण में शराब की बिक्री की जा रही है ?

श्री चरण सिंह—

यह सही है कि ५ अप्रैल, १९७० को अल्मोड़ा नगर में स्थित देशी शराब की दुकान के ठेकेदार ने त्याग-पत्र देकर दुकान बन्द कर दी थी। अल्मोड़ा में देशी शराब की दुकानों के ठेकों की नीलामी ३० मार्च, १९७० को निर्धारित की गई थी तथा इसके लिये लगभग ४० ठेकेदार समीपवर्ती जिलों से आए थे, जो आन्दोलन की वजह से हतोत्साहित होकर लौट गये। यह कहना सही नहीं है कि पुलिस के संरक्षण में शराब की बिक्री कराई गई। १७ अप्रैल, १९७० से १७ मई, १९७० तक अल्मोड़ा नगर की दुकान के क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दफा १४४ लागू की गई जो १८ मई, १९७० को हटा दी गई ।

कानपुर में चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में गांवों का विद्युतीकरण

*६७—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में चतर्थ पंचवर्षीय योजना में तहसीलवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जायगा तथा प्रथम व द्वितीय वर्ष में किन-किन गावों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। क्या यह सही है कि डेरापुर तहसील में अभी तक केवल एक ही गांव का विद्युतीकरण हुआ है? यदि हां, तो क्या डेरापुर तहसील के विद्युतीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा ?

श्री रामलखन- -

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में कानपुर जिले में तहसीलवार किन-किन गावों का विद्युतीकरण किया जायेगा, ऐसी कोई सुनिश्चित रूपरेखा अभी तैयार नहीं है। डेरापुर तहसील में ग्राम झींझक का ही विद्युतीकरण किया गया है।

इस वर्ष (१९७०-७१) डेरापुर तहसील में ग्राम बनीपारा, किशोरा, रसूलाबाद, चिलोली एवं खमैला विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं।

*६८—श्री कल्यान सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*६९—श्री मदन मोहन मिश्रा—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

बिजली परामर्श समिति

*७१—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला स्तर पर बिजली के कनेक्शन देने में परामर्श देने के लिये कोई परामर्श समितियां हैं ?

श्री रामलखन—

जी नहीं।

सचिवालय के सहायक अधीक्षक

*७२—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के विभागों में सहायक अधीक्षक को अभी भी आधा प्रवर वर्ग सहायक समझा जाता है जबकि सहायक अधीक्षक का पद राजपत्रित हैं और उसका एक अलग संवर्ग है ? यदि हां, तो क्या सरकार सचिवालय मैनुअल के प्रस्तर २९ को निरस्त करने पर विचार करेगी ?

श्री चरण सिंह—

जी हां, परन्तु सहायक अधीक्षक का पद राजपत्रित हो जाने से उनके कर्त्तव्यों में कोई अन्तर नहीं आया है। अतएव सचिवालय मैनुअल के प्रस्तर २९ को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत् परिषद् के विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति

*७३—श्री ईश्वरदयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य विद्युत् परिषद् में विभागीय कर्मचारी जिन्होंने सहायक लेखपाल की परीक्षा पास कर ली है, लेखपाल के पद पर पदोन्नति न देकर

बाहर से लिये हुए तथा बिना परीक्षा पास लेखपाल के पद पर पदोन्नति दी जा रही है ? यदि हां, तो विभागीय व्यक्तियों को उन्नति क्यों नहीं दी गई ?

श्री रामलखन—

जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठा ।

मेरठ में गोली मारने की घटनायें

*७४—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ नगर में दिनांक २३ / २४ अप्रैल, १९७० की रात्रि को गोली से मारने की कितनी घटनाएं हुई है ? क्या उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है ? यदि हां, तो पुलिस ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह—

मेरठ नगर के थाना सदर बाजार में २३ / २४ अप्रैल, १९७० की रात में यह सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि के १२-१५ बजे विजय होटल के मालिक के लड़के को गोली मार दी गई । बाद में वह अस्पताल में मर गया ।

उक्त घटना की सूचना पर एक मुकदमा कायम किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है ।

*७५—श्री रामलाल राही—

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

*७६—श्री गंगा प्रसाद—

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

*७७—श्री त्रिबेणी सहाय, श्री एस० एल० गुप्ता तथा श्री राम सिंह—

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

सीतापुर जिले में नये थाने

*७८—श्री कृष्णाकान्त (जिला सीतापुर) तथा श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में कितने नये थाने खोलने का सरकार का विचार है तथा कहां-कहां ? यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री चरण सिंह—

जिला सीतापुर के लिये थानों के पुनस्संगठन योजना के अन्तर्गत ४ नये थाने रामपुर, मथुरा, रामपुर कलां, सकरन एवं रामकोट स्वीकृत किये गये हैं । ये थाने जैसे ही इनका अधिकार क्षेत्र घोषित हो जायगा, स्थापित हो जायेंगे ।

विद्युत् परिषद् के वर्क चार्ज कर्मचारियों का स्थायीकरण

*७९—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित राजाज्ञा दिनांक २० दिसम्बर, १९६९, सं० १२००७-ई० के अनुसार उन सभी वर्कचार्ज कर्मचारियों को जो ३ वर्ष से लगातार नौकरी में हैं, स्थायी करने का प्राविधान किया गया था ? यदि हां, तो दिनांक १९ अप्रैल, १९७० को राज्य विद्युत् परिषद् में ३ वर्ष से लगातार काम करने वाले ऐसे सहायक अभियन्ता (वर्कचार्ज) तथा अधीनस्थ अभियन्ता कितने हैं जिन्हें स्थायी नहीं किया जा सका तथा क्यों ?

श्री रामलखन---

जी नहीं । इस पत्र में केवल परिषद् के दायित्व का उल्लेख है कि अनुरक्षण कार्य में लगातार तीन वर्ष तक सेवा करने वाले कार्य प्रभारित लोगों को स्थायी किया जाना है । इसके कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित कार्यवाही का भी निदेश है। अनुरक्षण कार्य पर कोई कार्य प्रभारित सहायक अभियन्ता नियुक्त नहीं है परिषद् में "अधीनस्थ अभियन्ता" नाम का कोई पद नहीं होता है ।

*८०---८१---श्री बिहारी लाल---

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

मथुरा जिले की छाता तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

*८२--श्री तेजवान (जिला मथुरा)--

क्या विद्युत् मंत्री को मालूम है कि मथुरा जिले की तहसील छाता में पिछले दो वर्षों से केवल छाता टाउन में ही बिजली आई है ? तहसील के किसी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है यद्यपि ३३,००० किलो वाट का सब-स्टेशन कोसी कलां में दो वर्ष से बना पड़ा है ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष १९७०-७१ में तहसील के किन-किन गावों का विद्युतीकरण होगा ?

श्री राम लखन--

जी हां । मथुरा जिले की तहसील छाता में केवल छाता का ही विद्युतीकरण वर्ष १९६९-७० में किया गया है ।

इस वर्ष १९७०-७१ में छाता तहसील के ग्राम नन्द गांव, पैगांव, शेरगढ़, थालोन, हथिया अजीजपुर, दूदना व कोटवान के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है ।

अपराध अनुसन्धान विभाग के कान्सटेबुल एवं हेड कांस्टेबुल्स का वर्दी भत्ता बन्द होना

*८३---श्री शिव कुमार ---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध अनुसंधान विभाग में कान्स्टेबुल्स तथा हेड कान्स्टेबुल्स को वर्दी के एवज में मिलने वाला दो रुपया मासिक भत्ता अब नहीं मिलता ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों ?

श्री चरण सिंह---

जी हां । वह भत्ता १ नवम्बर, १९६५ से उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग १९६०-६१ के प्रतिवेदन के प्रस्तर २२७ में की गई संस्तुति के अनुसार बन्द कर दिया गया है ।

*८४---श्री शेरसिंह दानू---

[९वें शुक्रवार के लिए तारांकित प्रश्न ८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

हाथरस में एस० डी० एम० कोर्ट तथा पुलिस सी० ओ० का हेडक्वार्टर बनाने के लिये समिति

*८५---श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाथरस सब-डिवीजन में, हाथरस में एस०डी०एम० कोर्ट तथा पुलिस सी० ओ० का हेडक्वार्टर बनाने का निर्णय भूतपूर्व सरकार ने लिया था ? यदि हां, तो अभी तक क्यों कार्यान्वित नहीं हुआ ?

श्री चरण सिंह--

हाथरस के अलावा राज्य के अन्य तहसीलों को सब-डिवीजनल हेडक्वार्टर्स बनाने के प्रश्न के व्यापक पहलुओं पर शासन द्वारा गठित एक सरकारी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

*८६--श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री उपरोक्त निर्णय को शीघ्र कार्यान्वित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह--

इस प्रश्न का उत्तर समिति की रिपोर्ट आने पर दिया जा सकता है।

खीरी थाने के ओयल कस्बे में चोरियां

*८७--श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक ८-९ फरवरी, सन् १९७० के बीच की शीज में लखीमपुर खीरी जिले के थाना खीरी के कस्बा ओयल में ऐसी चोरी किस-किस व्यक्ति के यहां हुई, जिसमें ४० हजार रुपये से अधिक का माल तथा नकदी चोरी गया तथा उन पर पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ८-९ फरवरी, १९७० की रात में थाना खीरी के कस्बा ओयल में केवल श्री शत्रोघन शरण गुप्ता के यहां नकब लगी थी जिसमें ४० हजार के ऊपर नहीं वरन् ३३,४०० रु० के जेवर नकदी आदि की चोरी हुई थी। इस घटना के संबंध में मुकदमा कायम होकर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

आजमगढ़ जिले के थाना महराजगंज में डकैती, राहजनी तथा हत्या की घटनायें

*८८--श्री दल सिंगार (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत गत फरवरी, सन् १९७० से ५ मई, सन् १९७० के बीच डकैती, राहजनी और कत्ल की कितनी घटनाएं हुयीं और उनमें से कितने में मुकदमा चला, कौन-कौन लोग मुलजिम रहे और कितने पर फाइनल रिपोर्ट लगी ?

श्री चरण सिंह--

आजमगढ़ जिले के महराजगंज थाने के अन्तर्गत १ फरवरी, १९७० से ५ मई, १९७० के बीच एक डकैती और तीन कत्ल की घटनायें होने की सूचना पुलिस की प्राप्त हुई। उक्त अवधि में राहजनी की कोई घटना होने की सूचना पुलिस को नहीं प्राप्त हुई। डकैती और कत्ल की घटनाओं के बारे में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है जिससे ज्ञात होगा कि डकैती की रिपोर्ट जांच से सही नहीं पायी गयी।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ १०८३ पर)

*८९--श्री दल सिंगार --

क्या यह सही है कि ६ मार्च, १९७० को हुए एक कत्ल में १४ आदमियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि रिपोर्ट १७ आदमियों पर थी, और इन सत्रह में से १ को पुलिस अधीक्षक ने स्वयं छुड़वा दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक ६-३-१९७० को हुई कत्ल की घटना की रिपोर्ट थाना महराजगंज, आजमगढ़ पर प्राप्त होने पर धारा १४७/१४८/१४९/३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत थाने पर एक मुकदमा कायम किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में १७ व्यक्तियों को नामांकित किया गया था। जांच के दौरान १३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए जिनमें से ७ का चालान किया गया। यह सही नहीं है कि पुलिस अधीक्षक ने किसी अभियुक्त को स्वयं छुड़वा दिया।

लखीमपुर खीरी में लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी पेट्रोल पम्प पर बर्माशैल कम्पनी के टैंकर में आग लगना

*९०—श्री तेज नरायन (जिला खीरी) तथा श्री छेदालाल चौधरी—

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि गत २ मई, १९७० ई० को करीब ६.३० बजे अपरान्ह में लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी पेट्रोल पम्प पुलिस चौकी संकटा देवी लखीमपुर खीरी के टैंकर में आकस्मिक रूप से एक पैट्रोल पम्प में आग लग गई और जिसको बड़ी कठिनाई से नियन्त्रण में किया गया और श्री राम सिंह नामक व्यक्ति की दुर्घटना के फलस्वरूप जल जाने से चिन्ताजनक गम्भीर स्थिति हो गई जो सदर अस्पताल लखीमपुर खीरी में पड़ा हुआ है ?

श्री चरण सिंह—

जी हां, गत २ मई, १९७० को करीब ७ बजे शाम को वर्मा शेल कम्पनी के एक टैंकर में, जो संकटा देवी चौराहे पर स्थित लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी के पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल उतार रहा था, अचानक आग लग गई। स्थानीय पुलिस ने तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच कर हर सम्भव प्रयास के पश्चात् आग पर काबू पाया। श्री राम सिंह नामक व्यक्ति, जो उक्त दुर्घटना में बुरी तरह जल गया था, की दिनांक ४ मई, १९७० को काफी उपचार के पश्चात् अस्पताल में मत्यु हो गई।

लखीमपुर खीरी नगरपालिका में फायर ब्रिगेड का न होना

*९१—श्री तेज नरायन तथा श्री छेदालाल चौधरी—

क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जिला लखीमपुर खीरी में करीब १५-२० पेट्रोल पम्प हैं, और उनमें से अधिकांश रेलवे-लाइन के पास सामरिक स्थिति में स्थित हैं फिर भी आकस्मिक और दैवी दुर्घटनाओं से नागरिक सुरक्षार्थ कोई 'फायर ब्रिगेड' आदि आग बुझाने का साधन नहीं है ? यदि हाँ तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जिला लखीमपुर खीरी में १७ पेट्रोल पम्प हैं जिनमें से १० पेट्रोल पम्प रेलवे लाइन के समीप हैं। आकस्मिक और दैवी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये प्रत्येक पेट्रोल पम्प पर नियमानुसार बालू या मिट्टी उपलब्ध रहती है। लखीमपुर नगरपालिका के पास फायर ब्रिगेड नहीं है। वे धनाभाव के कारण उसे खरीदने की स्थिति में नहीं हैं।

बुलन्दशहर में तीसरे जल विद्युत् खण्ड की स्थापना

*९२—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह जिला बुलन्दशहर में एक तीसरा हाईडिल डिवीजन खुलवाने की तुरन्त व्यवस्था करेंगे जिससे कि बुलन्दशहर के किसानों के नलकूपों का विद्युतीकरण होने में अधिक समय न लगे ?

श्री राम लखन—

बुलन्दशहर जनपद में तीसरा जल विद्युत् खण्ड तुरन्त स्थापित करने की इस समय कोई व्यवस्था नहीं है।

बांसगांव, कौड़ी राम तथा मझिगांव के चकबन्दी कार्यालयों पर गुन्डई तथा मारपीट

*९३—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के अन्तर्गत कौड़ीराम, बांसगांव मझिगांव में चकबन्दी कार्यालयों पर होने वाली गुन्डई, मारपीट एवं सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र जनता तथा प्रश्नकर्त्ता का १ जनवरी, १९७० से ३० अप्रैल, १९७० तक मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए और उन पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के अन्तर्गत कौड़ी राम, बांसगांव तथा मझिगांव में चकबन्दी कार्यालयों पर होने वाली गुन्डई मारपीट के संबंध में १ जनवरी, १९७० से ३० अप्रैल, १९७० तक केवल प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र प्राप्त होना प्रतीत होता है। इस संबंध में आवश्यक पूछ ताछ के बाद पुलिस महानिरीक्षक को आदेश भेजा गया है कि वे चकबन्दी कार्यालयों पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये समुचित प्रबन्ध करा दें।

सिगडा उर्फ पुरुवादेउर, थाना गोला में श्रीपति की हत्या

*९४—श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिलान्तर्गत गोलाथाने के सिगडा उर्फ पुरुवा-देउर गांव के निवासी श्रीपति हरिजन की निर्मम हत्या १४ अप्रैल, १९७० की रात्रि में सोते समय कर दी गई ? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

श्री चरण सिंह—

ग्राम भैंसडी खुर्द जिला गोरखपुर निवासी श्री श्रीपति को दिनांक १५/१६—४—७० को रात में ग्राम सिगडा उर्फ कटधौली टोला पुरवा देउर में हत्या होने की सूचना १६—४—७० को थाना गोला में प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित चारों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया और जेल भेजे गये। जांच के उपरान्त चारों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी गई है जहां मुकदमा विचाराधीन है।

रोही ग्राम थाना सोरांव की डकैती में पुलिस तथा डाकुओं की मुठभेड़

*९५—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के थाना सोरांव के अन्तर्गत ग्राम रोही में दिनांक २७/२८ अप्रैल, १९७० की दरम्यानी रात में पड़ी डकैती के समय पुलिस और डकैतों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें १ पुलिस वाला और २ डाकू हताहत हुये ? यदि हां, तो उक्त पुलिस वाले के परिवार को सरकार ने क्या पुरस्कार दिया ?

श्री चरण सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २७/२८ अप्रैल, १९७० की रात में जब कुछ डाकुओं ने ग्राम रोही में श्री दुक्खी के घर पर डकैती डालना शुरू किया तो थाना सोरांव व नवाबगंज की पुलिस, जिसने मुखबरी के आधार पर घेरा डाला था, और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें डाकुओं की गोली से थाना नवाबगंज के एक कान्सटेबिल की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। दो डाकू भी पुलिस की गोली से मारे गए हैं।

मृत कान्सटेबिल के परिवार को १,५०० रुपये सहायतार्थ दिये गये हैं।

पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तर काशी में जिला परामर्शदात्री समिति का गठन

*९६--श्री गोपाल दत्त--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जिले, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तर-काशी में जिला परामर्शदात्री समिति का गठन किया जा रहा है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब?

श्री चरण सिंह--

मामला शासन के विचाराधीन है।

*९७-९८--श्री शेरसिंह दानू--

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

पीलीभीत गन्ना, समिति के संचालक सदस्यों के विरुद्ध वारन्ट गिरफ्तारी, कुर्की तथा साइटेशन नोटिस

*९९--श्री रूपराम (जिला शाहजहांपुर) श्री हरनारायन (जिला पीलीभीत) श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व अवैतनिक मंत्री पीलीभीत गन्ना समिति एवं गन्ना विकास निरीक्षक वसूली में सन् १९६८-६९ में पीलीभीत गन्ना समिति के कितने संचालक सदस्यों के वारन्ट गिरफ्तारी व कुर्की तथा साइटेशन नोटिस निकलवाये तथा गन्ना विभाग ने ऐसे संचालक सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री चरण सिंह--

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

जिला सूचना कार्यालयों के बन्द होने से हुई बचत

१--श्री मंजूर अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला स्तर पर सूचना विभाग के कार्यालयों को बन्द करने के बाद कितने धन की बचत हुई?

सूचना मंत्री (श्री गेंदा सिंह)--

लगभग १६ लाख रुपया सालाना की बचत हुई।

गाजियाबाद में टूरिंग टाकीज

२—श्री जगदीश गांधी (जिका अलीढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६५ से १९६६ तक के बीच गाजियाबाद जिला मेरठ में शासन द्वारा किसी टूरिंग टाकीज को परमीशन दी गई थी ? यदि हां, तो यह परमीशन कब और कितने समय की दी गई व किसके नाम से लाइसेंस दिया गया था ?

श्री चरण सिंह—

गाजियाबाद जिला मेरठ में श्री मुकुटपाल सिंह बाल्मीकि को टूरिंग टाकीज का लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा ६ माह के लिये १ जनवरी, १९६६ से ३० जून, १९६६ तक दिया गया था ।

उझियानी तथा नानपारा में टूरिंग टाकीज के लाइसेंस

३—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उझियानी जिला बदायूं व नानपारा जिला बहराइच के जिलाधीशों ने पिछले दो वर्षों में किन-किन टूरिंग टाकीजों को कितने-कितने समय के लिये लाइसेंस दिया है ?

श्री चरण सिंह—

पिछले दो वर्षों अर्थात् १९६८-६९ तथा १९६९-७० में जिला मजिस्ट्रेट बदायूं द्वारा उझियानी में किसी भी टूरिंग टाकीज को लाइसेंस नहीं दिया गया । जिला मजिस्ट्रेट बहराइच द्वारा नानपारा में निम्नलिखित टूरिंग टाकीज को उनके समक्ष लिखी अवधि के लिये टूरिंग लाइसेंस दिये गये:—

सिनेमा का नाम	टूरिंग लाइसेंस की अवधि
१—राकेश टूरिंग टाकीज	२३-१०-६८ से २२-४-६९ तक
	१६-५-६९ से १५-७-६९ तक
	१५-८-६९ से १४-२-७० तक
	१९-२-७० से १८-५-७० तक
२—हीरा सिनेमा	१२-७-६९ से ११-१०-६९ तक
३—शंकर टूरिंग सिनेमा	८-१२-६९ से ७-२-७० तक
	८-२-७० स ७-३-७० तक

केन्द्रीय कारागार, बरेली के एपरेंटिस वार्डर

४—श्री सुरेन्द्र बिक्रम—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय कारागार बरेली के अन्तर्गत कितने ऐसे एपरेंटिस वार्डर हैं जिनको नौकरी करते ४ वर्ष से अधिक हो गये और आज तक मुस्तकिल नहीं किये गये ?

कारागार मंत्री (श्री बिशनलाल यादव)—

एक्कावन (५१) हैं ।

५-६—श्री जयराम यादव—

[११वें शुक्रवार के प्र०सं० ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

७–८—श्री मदन मोहन मिश्र—

[१० वें गुरुवार के लिये स्थगित]

जौनपुर जिले के पम्पिंग सेटों को बिजली के कनेक्शन

९—श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६८-६९, १९६९-७० में जौनपुर जनपद में पंपिंग सेटों के लिये बिजली कनेक्शन हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं और उनमें से कितनों को कनेक्शन दिया गया है और जिन्हें नहीं दिया गया उसके क्या कारण हैं ?

श्री रामलखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

इलाहाबाद जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

१०—श्री श्यामसूरत उपाध्याय तथा श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के किन-किन गांवों का सरकार वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में विद्युतीकरण करेगी ?

श्री रामलखन—

चालू वित्तीय वर्ष (१९७०–७१) में इलाहाबाद जनपद के १२५ ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ १०८४ पर)

पुलिस सब इन्सपेक्टरों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के मामले

११—श्री गोविन्द सिंह—

प्रदेश में ऐसे कितने इन्सपेक्टर व सब-इन्सपेक्टर पुलिस हैं जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही एक वर्ष की अधिक अवधि से चल रही है ?

श्री चरण सिंह—

इन्सपेक्टर—शून्य।

सब-इन्सपेक्टर—२३।

१२—श्री भगवती सिंह विशारद—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त।]

संविद सरकार द्वारा सीरे का परमिट दिया जाना

१३—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या आबकारी मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि संविद सरकार की अवधि में उत्तर प्रदेश आबकारी आयुक्त द्वारा किन-किन व्यक्तियों को किस-किस जिले के लिये कितनी-कितनी मात्रा में सीरे की परमिट किस कार्य के हेतु दी गई है ?

श्री चरण सिंह—

संविद सरकार की अवधि में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा जिन-जिन व्यक्तियों को जिस-जिस जिले में जितनी-जितनी मात्रा के लिए शीरे के परमिट जिस कार्य हेतु दिये गये थे उसका विवरण †संलग्न तालिकाओं 'क' व 'घ' में दिया गया है।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश गुण्डा विरोधी विधेयक, १९७०, को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर विचार करने के पूर्व विधेयक पर विचारार्थ समय की मांग

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, आज के कार्यक्रम पर गुन्डा विधेयक छपा हुआ है कि वह सब से अन्त में लिया जायगा। अगर कैलकुलेशन लगाया जाय तो ७।। या ८ बजे से पहले वह नहीं आ सकेगा। कौन ऐसा सदस्य है जो दिन भर कार्य करने के बाद तब इस पर बहस करना शुरू करेगा। अगर यह बात हो कि सरकार अपने पक्ष की बात रखना चाहती है और किसी न किसी तरह से घसीट कर अपनी बात कर ले और कार्य मन्त्रणा समिति की भी उपेक्षा की जाय तो मुझे कुछ नहीं कहना है। यदि आपका यह निर्णय नहीं कि ८ बजे के बाद यहां सदस्य बैठ कर इस पर बहस करें तो मेरा निवेदन है कि इसको किसी दूसरे दिन के लिये रख दें। २ घंटे की बहस उस पर होनी है तो ७।। से पहले यह प्रारम्भ नहीं हो सकेगा तो ९, १० बजे तक कौन यहां पर रुकेगा ?

श्री अध्यक्ष—

कल नेता विरोधी दल से बात हुई थी। वह मेरे पास आये थे। उन्होंने बताया था कि हम विचार करके बतायेंगे कि क्या तय होता है।

श्री गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

इस सम्बन्ध में मेरी सब साथियों से बात हुई थी। बहुत विचार विमर्श के बाद यह उचित समझा गया कि इस विधेयक की विशेषता को देखते हुये इसको प्रवर समिति में जाने के पहले इसके ऊपर समय देना जरूरी होगा और उसके लिए कम से कम हमको २ दिन दिये जायं तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह बात वह खुद कल कह चुके हैं। उस वक्त नेता सदन को भी बुलाया था। तो उस समय यह हुआ था कि हम आपस में बातचीत करके सूचना देंगे। मैंने कहा था कि जो आप सब की राय हो वह बतला दें वह रख दिया जायगा। दूसरा सुझाव भी देने के लिये बात हुई थी। इस सम्बन्ध में मैं एक बात बतलाना चाहता हूं कि इसी तरह का प्रश्न पहले भी पन्त जी के जमाने में आया था। मैंने उनको बतलाया था और एक रास्ता निकाला था। मैंने उनसे यह कहा था कि क्या आप यह जरूरी समझते हैं कि प्रवर समिति में जाने के पहले जनरल डिस्कशन हो जाय तो मैंने उसमें यह कहा था कि इस वक्त तो यह प्रवर समिति में चला जाय और जिस वक्त यह बिल बाद में सामने आयेगा उस वक्त सदन को उस पर जनरल डिस्कशन का अधिकार रहेगा, लोग समझते हैं कि उस समय वह अधिकार नहीं रहता लेकिन अगर यह तय हो जाता है कि उस वक्त दो दिन जनरल डिस्कशन के लिये मिल जायंगे तो इस तरह से यह गुत्थी सुलझ सकती है वर्ना तो जो यह सदन अन्ततः तय करेगा वही होगा। लेकिन मेरा यह सुझाव है। मैं आपको वह पुरानी चीज ढूंढ़ कर बतला दूंगा कि पहले एक बार ऐसा प्रस्ताव हुआ था और उस वक्त बिला बहस इसी तरह से प्रवर समिति को विधेयक भेज दिया गया और उसके बाद जो लोग कहते हैं कि जनरल डिस्कशन नहीं हो सकता या उस स्टेज पर सिद्धान्तों की बात नहीं की जा सकती, उसके लिये इस समय यह प्रस्ताव पारित करायें कि उस वक्त यह इजाजत रहेगी कि जनरल डिस्कशन होगा और उसमें सिद्धान्तों के प्रश्न भी उठाये जा सकते हैं और भाषण दे सकते हैं क्योंकि जिस समय खंडों पर विचार होगा तो वैसे सिद्धान्तों पर प्रवर समिति में विचार हो जाता है, सदन में नहीं होता लेकिन इस तरह से वह विचार उस वक्त भी हो सकेगा। मैंने एक रास्ता आपके

[श्री अध्यक्ष]

सामने रखा, इस पर सरकारी पक्ष और विपक्ष सोच ले कि क्या यह एक तरीका इस गुत्थी के सुलझाने का हो सकता है या नहीं, क्योंकि अच्छा यही है कि यहां इस को लेकर ज्यादा गर्मागर्मी न हो, सब एक मत हो जायं तो अच्छा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, आप इस पर तो विचार कर लें कि एक विधेयक सदन में आये और वह बिना किसी विचार के संयुक्त प्रवर समिति को चला जाय, हम यह भी न देख सकें कि वह विचार करने लायक है या नहीं, उसके सिद्धान्त ऐसे हैं कि नहीं कि उसको प्रवर समिति में भेजना चाहिये या नहीं भेजना चाहिये। इतना अवसर भी न दिया जाय कि हम यह भी देख सकें कि वह इस लायक भी है कि नहीं कि....।

श्री अध्यक्ष---

यह बात तो हो गई थी कि इसको लेना तो है और प्रवर समिति को भेजना है लेकिन सिद्धान्तों पर विचार होना चाहिये या नहीं, लेने के बारे में तो बात हो गई थी। अनुरोध २ दिन की बहस का था, उस पर तिवारी जी ने कहा कि आधा घंटा देने को तैयार हैं या शनिवार को ले लें लेकिन अगर यह भी न हो तो जैसा मैंने कहा कि इस समय प्रवर समिति में यह भेजा जाय और बाद में जनरल डिस्कशन हो जाय, इस पर विचार कर लें, जल्दी न करें, विचार करके इस संबंध में 'हाँ' या 'न' करें।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, क्या आप चाहते हैं कि यह गुन्डा विधेयक बिना यहां विचार किये ही प्रवर समिति में चला जाय ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो मैंने कहा कि इसके सिद्धान्तों पर भी बाद में प्रवर समिति से वापस आने पर आप विचार कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)---

इसमें क्या हर्ज है कि बजट समाप्त हो जाय और उसके बाद २ दिन में यह कर लिया जाय तो क्या हर्ज है ?

श्री अध्यक्ष---

उससे गुत्थी नहीं सुलझती, एक बात पर या तो वह राजी नहीं होते या आप नहीं होते। जो पहले एक बार हो चुका है वह तरीका मैंने आपके सामने रखा उस पर आप विचार कर लें। यदि इस वक्त आप को अड़चन है तो जिस वक्त वह प्रवर समिति से वापस आये और यहां खंडों पर विचार हो तो आप वैसे तो सिद्धान्तों पर विचार नहीं कर सकेंगे लेकिन अगर यह बात तय हो जाती है तो उस वक्त जनरल डिस्कशन हो सकेगा और इस वक्त इसे ऐसे ही प्रवर समिति के पास भेज दिया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

श्रीमन्, प्रश्नगत विधेयक में जो संज्ञा इस्तेमाल की गई है और जो अन्य संज्ञायें इस्तेमाल की गई हैं उनके सम्बन्ध में मुझे आप की पुरानी रूलिंग्स देखने का अवसर मिला और वे सब संज्ञायें असंसदीय घोषित हो चुकी हैं। परन्तु आप के सचिवालय ने इस विधेयक के सम्बन्ध में इस संज्ञा का प्रयोग इस विधेयक के सम्बन्ध में किया है जो असंसदीय घोषित की जा चुकी है....।

श्री अध्यक्ष—

यह हो सकता है कि 'गुन्डा' या 'बदमाश' शब्द निकालने की बात हो तो दस पांच मिनट या आध घंटे इसको लेकर थोड़ी बहस हो जाय लेकिन पूरा जनरल डिस्कशन तो बाद में ही हो सकेगा अगर आप मेरे इस सुझाव को मानते हैं। यह एक रास्ता निकल सकता है, थोड़ा सा विचार आप इस पर कर लें, जल्दी न करें आज या कल देख लें। यह करके अगर ये शब्द निकलवाना चाहते है तो निकलवा दीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, जितनी संज्ञाओं का इस्तेमाल किया गया है, उसका आदान-प्रदान भी हो सकता है। तो ऐसी दशा में क्या रहेगा? इस पर आपकी व्यवस्था हो जानी चाहिए?

श्री अध्यक्ष—

मुझे आशा है आदान-प्रदान नहीं होगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, माधव बाबू ने जो बात उठायी उस पर आप स्पष्ट निर्णय दें कि यह साढ़े ७ बजे होगा, ८ बजे होगा। आपने केवल एक मार्ग बता दिया लेकिन जो चीज एजेन्डे पर आ गयी है, उसका क्या होगा, इस पर आप निर्णय दीजिये?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न रखने के बाद मैं अपना निर्णय दूंगा। पुरानी रूलिंग्स निकलवा रहा हूं। उनको आपके और नेता विरोधी दल के सामने रख दूंगा। तो आप विचार कर लें। तारीख मैं बाद में एनाउन्स कर दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, इस प्रश्न पर भी हम दुबारा विचार कर सकते है प्रवर समिति में भेजने का। नियमों में यह भी है कि प्रवर समिति को निदेश दे सकते हैं। तो यह जो प्रोपोजल है कि शाम को एक घंटे इस पर चर्चा हो जाय तो वह तो बहुत गलत बात है। शाम को जब शासन का काम समाप्त हो जाता है, उसके बाद सदन में गड़बड़ी हो जाती है। उस गड़बड़ी में शांतिपूर्वक विचार नहीं हो सकता है। आप इसे कौन से दिन ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

इस पर तो चर्चा होगी, कार्य मंत्रणा समिति में कोई राजीनामा नहीं हो पाया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, जहां तक विधेयक पर चर्चा का सवाल है सामान्य नियम यह है कि उस पर कोई पाबन्दी नहीं लगती तो इस विधेयक विशेष की चर्चा पर इस तरह की पाबन्दी लगाना कहां तक उचित है?

श्री अध्यक्ष—

किसी विधेयक पर सामान्य विवाद उसे प्रवर समिति में भेजने के पहले ही होना चाहिये किन्तु सदन के निश्चय से समिति के प्रतिवेदन के बाद उस पर सामान्य विवाद हो सकता है। यह पहले तय हो चुका है। इस सम्बन्ध में आप १८ फरवरी, १९५९ के फैसले को देख लें। इसलिये मैंने कहा कि चर्चा करने का कब समय देते हैं।

अब २ विशेषाधिकार के प्रश्न आये हैं.....

श्री गोविन्द सिंह--

मान्यवर, आपने सदन के अन्दर हमको आश्वासन दिया था कि मैं जो नियम ५१ में सूचना दूंगा, उसको आप एडमिट कर लेंगे। हमने प्रस्ताव भी किया लेकिन माननीय उपाध्यक्ष ने हमें यह सूचित किया कि उसे आपने अस्वीकृत कर दिया है। तो मेरी प्रार्थना है कि जब आप सदन में कोई आश्वासन देते हैं तो उसका तो कम से कम पालन होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---

जब यह हुआ तो मैंने सुना था, मैं उस समय बैठा था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वीकृति के बजाय अस्वीकृति हो गयी होगी तो मैंने अपने पी०ए० को भेजा तो उसमें गल्ती से सब बातें हुयीं। श्री कृष्णानन्द राय ने बताया कि १८ व १९ तारीख को बराबर नियम ५१ की सूचनाएं लगी हुयी हैं लेकिन उन्होंने कहा था कि इसको बाद में रख दीजिये। उन्होंने बाद में रखने के लिये कहा तो मैंने कहा कि इसको २० तारीख के लिये रख दीजिये। उसको पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गयी और गलती यह हुई कि २० की जगह शायद ता० २४ उपाध्यक्ष जी ने पढ़ दिया--यानी बजट के बाद। पहले मैंने २० तारीख रखने की बात कही थी और आपसे कहा था कि आप देंगे तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा और उसे मैंने स्वीकार कर लिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ने में जरा गड़बड़ी हो गयी। मैं पढ़ने वाला था लेकिन मेरी तबियत कुछ खराब हो गयी जिससे मैं चला गया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह एक असाधारण विधेयक है। साधारण विधेयक के लिये सामान्य नियम यह है कि उस पर चर्चा के लिये किसी तरह की रोक न हो और व्यवस्थित ढंग से उस पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिये। उसके पीछे आशय यह है कि कोई पहलू छूटने न पावे और उतावलेपन में कोई कानून न बन जाय। तो जब साधारण विधेयक के लिये यह नियम है तो ऐसे असाधारण विधेयक को पास कराने के लिये उतावलेपन का रास्ता अख्तियार करना कहां तक उचित होगा ?

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि यह प्रश्न आप सरकारी पक्ष से पूछ सकते हैं, मुझसे नहीं पूछ सकते। बात यह है कि मैंने यह कहा था कि कार्य मंत्रणा समिति में एक पालिसी कोई तय करनी चाहिये। इसके लिये मैं कहता रहा लेकिन कुछ तय नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि एक दूसरे का नाम बताये बिना अपना अपना मत बतला दें लेकिन आपने नाम तक ले लिया और यह कह दिया कि उन्होंने यह कहा, उन्होंने यह कहा। उसके बाद भी कोई बात तय नहीं हुई तो इसके लिये मैं और को उपाय सोचूंगा और आपके सामने रखूंगा, मैं सेवक हूं आपका। इसपर हमें सोचना पड़ेगा कि यह महत्व का है या क्या है। और इस पर किसी बेसिस पर एकता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर एकता नहीं होती है तो जैसा चलना है वैसा चलेगा। मुझे समय दें, मैं आज दोपहर के बाद ३-४ बजे अपना निर्णय इस पर दे दूंगा। कल और परसों भी एजेंडे पर था। जो भी निर्णय दूंगा वह नियम के अनुसार दूंगा। और आज ही दूंगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस बात से मैं बहुत परेशान हूं, या तो मेरे कानों में कोई डिफेक्ट है या आप अपनी बात खड़े होकर जब माइक पर कहते हैं तो उसको मैं ठिकाने से नहीं सुन पाता हूं। लेकिन जब मैं अपने अगल बगल के माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि माननीय सदस्य का क्या आदेश है तो वे कहते हैं कि मैंने भी नहीं समझा है। इसलिये मेरा ख्याल है कि आपके सामने जो माइक लगा है उसको आप बदलवाने की कृपा करें क्योंकि अभी तक मैं नहीं समझा सका हूं कि यह पेश होगा या नहीं पेश होगा या कब पेश होगा।

श्री अध्यक्ष---

मैं इसको बदलवाने की कोशिश करूंगा।

वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ सिंह ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न भेजा है कि ३-६-७० को माननीय वित्त मंत्री जब अपना अनुदान पेश करने जा रहे थे तब मैंने कहा था कि अगर उन्हें कोई नयी बात कहनी हो तो उसे बजट पेश करते हुए ही कह दें ताकि उस पर भी बहस हो सके। इस पर दे माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि नयी बात मुझे कुछ नहीं कहनी है। किन्तु जब वह बहस का उत्तर रहे थे तब उन्होंने घोषणा कर दी कि एक लिफ्ट सिंचाई निगम बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री ने जान बूझ कर तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया और माननीय अध्यक्ष के कहने के बावजूद कोई घोषणा करने से इन्कार कर दिया। प्रदेश को सिंचाई की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में यह घोषणा करके उन्होंने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है इसलिये मैं प्रक्रिया नियमावली के अनुसार विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं।

मेरी समझ में नहीं आता कि किस नियम के अनुसार यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं यह कह रहा था कि यह सारी घटना आपके सामने हुई है और आपने स्वयं कहा था मंत्री जी को कि अगर कोई नई घोषणा करनी है, कोई नई बात करनी है तो आप सदन में कह दें ताकि इस पर सदन अपना विचार प्रकट कर सके। बहस हो सके। मेरा सीधा प्रश्न यह था कि क्या सरकार कोई तिथि निश्चित कर सकेगी कि प्रदेश के हर खेत को पानी मिल सके ? साधारण सिंचाई की सुविधा सारे प्रदेश को उपलब्ध हो सके। उस प्रसंग में बाद के उत्तर में यह बात कही गई कि सरकार एक लिफ्ट सिंचाई निगम बनाने की बात सोचती।

श्री अध्यक्ष—

यह बताइये कि विशेषाधिकार का कौन सा हनन हुआ है ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

पहले तो यह बात कही गई कि सरकार की कोई योजना नहीं है और बाद में जब यह सवाल पैदा किया गया और सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं था कि प्रदेश में सिंचाई की सुविधा का क्या होगा। साधारण किसान तबाह हो रहा है। तो उसके बाद इस बात पर पर्दा डालने के लिये कह दिया गया। अगर पर्दा डालने के लिये नहीं कहा गया तो वह बात गलत थी कि आपके आदेश की अवहेलना की गई। दोनों में से कौन बात सही है ? या तो आपके आदेशा की अवहेलना की गई या बाद में यह तथ्य प्रकट किया गया ? इसलिये श्रीमन्, हर हालत में यह तो सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई या आपके आदेश की अवहेलना करने की कोशिश की गई। दोनों सूरतों में सदन का अवमान होता है। आपका अवमान सदन का अवमान है। इस लिये, श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इसे विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वित्त विभाग की नई नीति की घोषणा कर देते हैं वित्त मंत्री जब वे भाषण कर देते हैं। मैंने यह कहा था कि अगर नई नीति के बारे में कहना है तो कह डालिये। आप लोग इस बात के लिये तैयार हो गये। वहां से भी एतराज हुआ कि दूसरी दफे कैसे बोलेंगे। तो उनको कोई नई नीति की घोषणा नहीं करनी थी। लिफ्त इर्रीगेशन —यह कोई नई नीति की घोषणा नहीं है। उसमें यह बात थी कि जब आपने उस पर आक्षेप किया कि हर खेत पर होना चाहिये। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमने उसके लिये तजवीज कर रक्खा है। बजट पर जब डिस्कशन

[श्री अध्यक्ष]

हुआ तो उसमें यह बात आ चुकी है। लिफ्ट इर्रीगेशन की तो उसमें कोई नई बात नहीं है। एक दफे इंगलैन्ड में एक बात आई। मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं—

"Mr. Speaker remarked that he was "quite prepared to participate in a little harmless amusement occasionally, if that be the intention of the hon. Members. He would point out, however, that privilege is a very serious thing and that personally (he could) not find (himself) in the position to treating it lightly."

अगर थोड़ा-सा चुटकुला उठाने के लिये, अम्यूजमेन्ट लेने के लिये अगर प्रश्न उठाया है तो मैं भी कहता हूं कि मैंने इसको आपके सामने रख दिया है। लेकिन यह बड़ी सीरियस बात है। मैं समझता हूं कि अगर मंत्री ने कहा और दूसरा शब्द कह दिया तो रोज के रोज नतीजा यह होता है कि प्रिविलेज का प्रश्न उठने लगता है। मैं समझता हूं कि उसको हम लाइटली ट्रीट न करें। यह माननीय सदस्य को अधिकार मिला हुआ है और हम लोग हर जगह बात कह जाते हैं कि बहुत सीरियस मामला है कि मंत्री या सदस्य जानबूझ कर धोखाबाजी करते हैं लेकिन आपके उत्तर में कोई चीज कहते हैं और वह कोई नयी नीति की बात नहीं है, तो उससे यह प्रश्न नहीं उठता है। मैं प्रागदर्शन में इसको विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं समझता हूं, इसलिये इसकी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय सदस्य ने कल घोषणा की थी कि सिंचाई या सड़कों के मामले में वे पूर्व या पश्चिम आदि का कोई भेदभाव नहीं रखेंगे मगर, श्रीमन्, पिछले वर्ष जब ९ करोड़ का बजट सिंचाई का था तो उसमें ६० नलकूप इलाहाबाद जिले के लिये रखे गये थे और इस साल ११ करोड़ का सिंचाई का बजट है तो ४० ही नलकूप लगाने की व्यवस्था है, यह भेदभाव नहीं तो और क्या है....?

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दें तो मैं देख सकता हूं, ऐसे मैं क्या बता सकता हूं।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक प्रस्ताव माननीय कृष्णानन्द राय जी का ११ बजे मेरे पास आया है, मैं उसे देख नहीं पाया हूं, उसके ऊपर कल कहूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

विशेषाधिकारों से संबंधित जो नियम है उसमें लिखा है कि सदन का कार्य आरम्भ होने के किसी समय पूर्व भी वह प्रस्ताव दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

आपने तो वक्त से दिया, मगर मैंने पढ़ा नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

इस संबंध में, श्रीमन्, एक निवेदन है, मेरे प्रस्ताव को पढ़ते समय आप माननीय नारायण दत्त जी ने जो कल स्टेटमेंट दिया है उसे भी कृपया पढ़ लें कार्यवाही में जिसमें उन्होंने कहा है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण अवश्य करेंगे जबकि चौधरी चरण सिंह ने जो ३ आदमियों की कमेटी बनायी थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब तक केन्द्रीय सरकार संबंधित ऐक्ट में तरमीम नहीं करेगी, उनका राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता जिससे कि यह साफ जाहिर

है कि चौधरी चरणसिंह चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते, केन्द्रीय सरकार का बहाना लेकर यह भ्रामक प्रचार करना चाहते हैं।

१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनाएं

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १६–खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१५,१९,२०० रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५४–राज्य व्यापार की योजनायों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३१,२५,४६,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दो अनुदान मैंने सदन के समक्ष पेश किये हैं इसमें अनुदान संख्या १६ का संबंध जिला खाद्य एवं वितरण अधिकारी तथा दूसरे संगठन से है। इन पर जो व्यय आता है उस के लिये ४९ लाख ४५ हजार रुपया रखा है। दूसरा संगठन राशनिंग का है। इसके अन्तर्गत ९० लाख ७५ हजार रुपया रखा गया है।

तीसरा बाट और माप का संगठन है। इसके अन्तर्गत १९ लाख ३७ हजार ५ सौ रुपये का प्राविधान है। अध्यक्ष महोदय, जो नये प्रस्ताव हैं उनका भी मैं उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूं। नान–प्लान के अन्तर्गत हमारे संचिवालय स्तर पर और जिलों में पूर्ति कार्यालयों पर कुछ अस्थायी पद हैंजिनको स्थायी करना है, जिनका स्थायीकरण होना आवश्यक है। उसके लिए बजट में १ लाख ४५ हजार ४ सौ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त प्लान आईटम में हमें एक 'सचल–दल' (मोबाइल स्क्वायड) की बाट तथा माप संगठन के अधीन अपने प्रदेश में व्यवस्था करना है। दूसरे सचल प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई है इस बजट में। उसके लिये ७५ हजार रुपया साज–सज्जा पर व्यय करने की व्यवस्था है। सचल दल के अन्तर्गत एक जीप और स्टेशन वैगन की व्यवस्था की गई है। अनुदान संख्या ५४ के अन्तर्गत जो राज्य व्यापार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अन्तर्गत इस प्रदेश के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के लिये, उन लोगों के लिये जो गरीब हैं और जिनके पास इतनी मात्रा में गल्ला पैदा नहीं होता और जिनको खरीदकर ही खाना पड़ता है और जो हमें भारत सरकार को देना पड़ता है, उसके लिये २ लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने की व्यवस्था है जिस पर १५ करोड़ ६० लाख रुपया खर्च होगा। यह खरीदारी भारतीय खाद्य निगम के द्वारा शुरू की गई है। दूसरे हमारे प्रदेश में चावल की खरीदारी है। दो लाख मैट्रिक टन चावल खरीदा जा रहा है जिस पर २० करोड़ रुपया खर्च होगा। ज्वार व बाजरा ५० हजार मैट्रिक टन खरीदने का प्राविधान है। २ करोड़ ७७ लाख रुपया इस पर खर्च होगा। चना ४० हजार टन खरीदा जाएगा जो कि २ करोड़ ७२ लाख रुपये का होगा। इस प्रकार से कुल व्यवस्था हमने ४१ करोड़ २ लाख रुपये की है। इसमें से लेखा अनुदान में कुछ स्वीकृत हो चुका है और अब ३१,२५,४६,३०० रुपये का प्राविधान किया गया है। जिसकी माननीय सदन को स्वीकृति देनी है।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और भारत सरकार अपने खाद्यान्नों को रखने के लिये नये गोदामों का निर्माण कर रही है और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन भी इस दिशा में प्रयत्नशील है। फिर भी हमारे प्रदेश की सरकार को अपने स्टाक को रखने के लिये, जो कि हम फेयर प्राइज शाप्स के जरिये से उपभोक्ताओं को देते हैं, गोदामों की आवश्यकता है। इसलिये इस बजट में हमने ३६ लाख ३१ हजार ७ सौ रुपये का प्राविधान किया है। ये गोदाम गोरखपुर, राबर्ट्सगंज, अतर्रा (बांदा), इटावा, टनकपुर, रामनगर, कोटद्वार, हलद्वानी, हरिद्वार व देहरादून में बनाए जायेंगे। लगभग १८ हजार मैट्रिक टन गल्ला रखने के लिये व्यवस्था की जा रही है। ये प्रस्ताव हैं जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है।

अब मैं कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य अपने सुझाव इस संबंध में दे सकें। प्रदेश में इस समय खाद्य की स्थिति आमतौर पर यद्यपि सन्तोषजनक है, फिर भी भविष्य के लिए राज्य सरकार खाद्यान्नों का बफर स्टाक जमा करने की आवश्यकता समझती है। हमारे प्रदेश की कृषि मौसम पर ज्यादा आश्रित करती है। कभी ज्यादा वर्षा होने से बाढ़ आ जाती है और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कुछ नहीं रह जाता है। राज्य सरकार को वहां लोगों के खाने पीने के लिये अन्न की व्यवस्था करनी पड़ती है। दूसरे वह क्षेत्र हैं जहां कभी-कभी सूखा पड़ जाता है। सूखे के कारण अन्न की कमी हो जाती है। उन क्षेत्रों में फेयर प्राइस शाप्स के जरिये गल्ले की व्यवस्था करनी पड़ती है।

एक और आवश्यक बात है जिसको मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। कभी-कभी भाव ऊंचे चढ़ जाते हैं और जो उपभोक्ता हैं, जो समाज के कमजोर तत्व हैं उनको अपने पास इतना धन न होने की वजह बड़ी परेशानी होती है। उस वक्त सरकार को अपना स्टाक बाजार में लाना पड़ता है जिससे भाव ऊंचे न जा कर स्थिर हो जांय। इतना ही नहीं हमें किसानों का भी ध्यान रहना है। जब किसान के भाव नीचे गिरने लगते हैं तो प्राइस सपोर्ट स्कीम के द्वारा बाजार में आना पड़ता है और गल्ला खरीदने की स्कीम बनानी पड़ती है। इस समय भी हमारे प्रदेश में खरीदने की एक योजना भारतीय खाद्य निगम के द्वारा चल रही है। करीब १ लाख १० हजार मीटरिक टन गल्ला भारतीय खाद्य निगम खरीद चुका है। जो भाव भारत सरकार ने निर्धारित किये हैं उन भावों पर जहां-जहां मार्केट में भाव नीचे आये हैं वहां गेहूं खरीदा गया है। कहीं-कहीं अभी भाव नीचे नहीं आया है इस लिए जो ५ लाख टन खरीदने का लक्ष्य है उस लक्ष्य तक शायद हम न पहुंच सकें क्योंकि भाव ठीक चल रहे हैं किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है। इसलिए जहां-जहां भाव गिर रहे हैं उन्हीं मंडियों में सरकार गल्ला खरीद रही है, स्टाक जमा कर रही है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। गत दिसम्बर के मध्य से कुछ भाव ऊपर जाने लगे तो जो गरीब लोग थे, जो उपभोक्ता थे उनको परेशानी महसूस होने लगी उस समय सरकार ने सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा अन्न बाजार में निकाला। उसका नतीजा यह हुआ कि मार्च तक यह कठिनाई बनी रही। उसके बाद भाव फिर ठीक हो गये और ठीक भाव पर समाज के कमजोर तत्वों को गल्ला मिलने लगा। इस तरह से प्रदेश में खाद्य की सामान्य स्थिति है और यदि मैं यह कह दूं कि संतोषजनक स्थिति है तो बेजा बात न होगी। प्रदेश की मंडियों में गत वर्ष १९६९–७० में भारत सरकार ने इस प्रदेश की सरकार को ५ लाख १३ हजार २८१ टन गेहूं दिया जिसमें ३ लाख ५७ हजार ५४७ टन आटा मिलों को दिया गया। शेष राज्य सरकार ने अपने गोदामों में रख कर सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा वितरण किया।

अध्यक्ष महोदय, हम अपने प्रदेश में चावलों का भी स्टाक जमा कर रहे हैं। हमने लेवी सिस्टम यहां पर चालू किया है। यह भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत है। प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र को छोड़ कर शेष क्षेत्र में हम ६० प्रतिशत लेवी लेते हैं। गोरखपुर में ३० प्रतिशत लेवी ली जा रही है। इसके अन्तर्गत अब तक २ लाख १० हजार टन हमारे पास चावलों का

स्टाक है। उसमें से हमारा जो सेन्ट्रल पूल है उसको हम १ लाख टन चावल देते हैं और शेष स्टाक हमारे पास मौजूद है। केन्द्रीय सरकार हमसे ६ हजार टन बासमती का चावल लेना चाहती है जिसको कि वह एक्सपोर्ट करके बाहर भेजेगी। इस तरह से हमारे प्रदेश में इस समय चावल के स्टाक की मात्रा काफी है और हम अपने उपभोक्ताओं को समय-समय पर अपनी सस्ते गल्ले की दुकानों के जरिये से देते रहते हैं। जो खाद्य सामग्री सरकार की ओर से दी गई उसका ब्योरा मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख रखना चाहता हूं--गेहूं-१,३४,३९९ टन, चावल-९४,१४४ टन, माइलो-२,७१४ टन, मक्का ७,३५३ टन, ज्वार ५ टन कुल मिलाकर २,३८,६१५ टन। इस तरह से फ्लोर मिलें सीधे बाजार से गेहूं नहीं खरीदती हैं उनको सरकार को ही देना पड़ता है। उनको जो आटे की मिलें हैं सरकार को प्रति माह ८२,५५२ टन देना पड़ता है और वे सूजी आटा और मैदा तैयार करके सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्यों पर हमारी सस्ते गल्ले की दुकानों के द्वारा या सरकार की स्वीकृति से दूसरे लोगों को भी देती हैं।

अध्यक्ष जी, पहले इस प्रदेश में खाद्य सलाहकार समितियां जिलों में संगठित थी लेकिन जब से स्थिति अनुकूल हुई है और खाद्यान्न की समस्या बहुत कम है तब से वे समितियां काम नहीं कर रही हैं और उन्हें समाप्त कर दिया गया है। चीनी की समस्या हमारे सामने कोई विकट समस्या नहीं है। चीनी इस प्रदेश में उपभोक्ताओं को दो तरह से मिल रही है एक तो ४० प्रतिशत सीधे मिल-मालिक मार्केट को देते हैं और जो लेवी वाली चीनी है उसे राज्य सरकार सस्ते गल्ले की दुकानों के जरिये से उपभोक्ताओं को देती है। इस तरह से जो स्थिति पहले थी वह अब नहीं रह गई है। कोई भी व्यक्ति अपने किसी काम के लिये जितनी उसकी आवश्यकता हो यदि वह लिखकर देता है तो उसको उतनी चीनी मिल सकती है। शहर में पहले एक किलो प्रतिमाह प्रति व्यक्ति के लिये थी उसे अब बढ़ाकर २ किलो प्रतिमाह कर दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि इस समय चीनी की स्थिति बड़ी संतोषजनक है। यह प्रश्न हमारे सामने जरूर है कि जो चीनी इस समय मिलों में इकट्ठा है उसका उचित मूल्य किसानों को मिले, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं मोटी-मोटी बातें इस माननीय सदन के सामने रखना चहता हूं। मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में तथा इस विभाग की जो कार्यक्षमता है उसके बारे में और जो हम इस प्रदेश के खाद्यान्नों की व्यवस्था करते हैं उसके बारे में जो सुझाव वे देंगे उन पर विभाग विचार करेगा और अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों की तरफ से जो सुझाव आयेंगे उन पर विचार होगा। अन्त में मुझे यदि अवसर मिला तो विस्तार से उन पर प्रकाश डालूंगा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी मंत्रीजी ने यह बताया कि बाजार भाव किसानों को उचित मूल्य पर मिल रहा है। तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार को यह सलाह देगी कि किसानों को जो बाजार भाव मिल रहा है, उसी भाव पर वह भी किसानों का गल्ला खरीदे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

भारतीय कृषि मूल्यांकन आयोग के द्वारा कीमतें निर्धारित की जाती है। उसी भाव पर खाद्य निगम खरीद कर रहा है। चूंकि जोनल प्रतिबंध इस समय हटा दिये गये हैं इसलिये दूर-दूर से आयात और निर्यात हो सकता है। केवल बाम्बे और कलकत्ता शहरों में, जहां पर राशनिंग की व्यवस्था है, रोक है। उनको छोड़ कर हिन्दुस्तान के कोने कोने में अनाज आ जा सकता है। इस कारण से खाद्य की कीमतें कुछ बढ़ गयीं है। उससे किसानों को ज्यादा पैसा मिल रहा है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि किसानों को फायदा होता है वह हमारा ही फायदा है। सरकार किसानों को नुकसान नहीं होने देना चाहती।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)--

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष आपने कितना चावल खरीदा था, उसमें से कितना प्रदेश के अन्दर खपा और कितना भारत सरकार के कहने से बाहर भेजा ?

श्री बल्देवसिंह आर्य--

इसका उत्तर मैं शाम को ही दूंगा ।

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कभी करने का उद्देश्य--सुझाव देना ।

दूसरा प्रस्ताव इस प्रकार है---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य- विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मेरे सामने पूज्य राष्ट्रपिता गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है । जब उनकी तस्वीर मेरे सामने आती है तो मुझे याद आ जाता है कि आजादी की लड़ाई जब हम लड़ा करते थे तो और नारों के साथ साथ एक नारा हम यह भी लगाते थे कि इस देश में दूध और घी की नहर बहा करेंगी । श्रीमन्, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इतने सालों के बाद भी हम दूध की नहरें तो न बहा पाये लेकिन पानी की नहरें दूध के साथ में समाज के अन्दर जरूर बहने लगीं ।

इसके साथ ही साथ मंत्री जी रामपुर से आते हैं । आज अखबार में रामपुर की यह खबर छपी है कि फूड में एडल्ट्रेशन केकारण २ व्यक्ति मर गये और ८ बीमार हैं, अस्पताल में बेहोश हैं । खेद के साथ यह भी कहना पड़ता है कि इन चीजों के सामने होते हुए भी मंत्री जी बार बार यह कहते रहे कि खाद्य की स्थिति संतोषजनक है । संतोषजनक के क्या मानी हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया । एक तो ३१ करोड़ रुपया सिर्फ इसीलिये मंत्रीजी मांग रहे हैं बड़ी मात्रा में दूसरे मुल्कों से गेहूं खरीदा जा रहा है उसकी कीमत चुकाना है । दूसरी तरफ उसकी हालत को संतोषजनक बताते हैं । मैं समझता हूं कि उनकी स्थिति उस भिखारी की सी है जो दिन भर मांगता है और मागने पर जो भी उसे मिल जाता है उसी को रात को खाकर सो जाता है । उसको नींद आ जाती है और फिर किसी और चीज की जरूरत वह महसूस नहीं करता कि उसको और कुछ पाना है । उसकी इस बात की चिन्ता नहीं होती कि मुझको अपने समाज के अन्दर स्थान प्राप्त करने के लिये अपने कुटुम्ब, परिवार के लिये एक मकान बनाना है या दूसरे काम करने हैं । इसी तरह से शायद मंत्री जी खाद्य समस्या को संतोषजनक समझते हैं । अगर हम यह देखें कि जो हम ३१ करोड़ रुपया खाद्यान की खरीदारी के लिये लगाने जा रहे हैं चाहे वह हम इसी प्रदेश के किसानों से खरीदें चाहे जो सेन्ट्रल गवनेमेंट से मिले उसकी कीमत अदा करें तब हमको इसमें जाना पड़ेगा कि हमारा जो सिस्टम गल्ले की खरीदारी का है आया वह संतोषजनक है या नहीं । हालत क्या है कि जब प्राइस सपोर्ट पालिसी की बात आयी तो मैंने सदन के अन्दर दो घंटे के डिस्कशन में यह बात रखी कि आज जब किसान के खलिहान के अन्द गल्ला है और किसान को पैसे की जरूरत है शादी--व्याह और दूसरे कामों के लिये तो उसके गेहूं की कीमत ६५ रुपये क्विन्टल है लेकिन १५ दिन के बाद जब आपकी प्राइस सपोर्ट पालिसी लागू होगी हमारे प्रदेश में और आप एजेंन्ट मुकर्रर करेंगे बजाय डायरेक्ट परचेज के तोवही एजेन्ट लोग उस गल्ले को जो आज ६५ रुपये क्विन्टल खरीद रहे हैं १५ दिन अपने गोदाम में रख कर ८५ और ८७ रुपये क्विन्टल बेचेंगे ?

दो तीन साल से प्राइस सपोर्ट की बात चली आ रही है । आपकी खरीदारी होती है । उसके लिये आपके मार्केटिंग और सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर मौजूद हैं । वह देखभाल करने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं। लेकिन अगर आप गहराई में जांय तो आप को यह देखना होगा कि उससे किसान को कोई फायदा होता है या नहीं। अगर किसान को फायदा होता है तो इसके लिये जो मांग आपने रखी है उसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जब आप एजेंटों के जरिये खरीदते हैं तो किसान को मजबूरन अपना गल्ला मंडियों में ले जाना पड़ता है और वहां जो एजेन्ट लोग हैं, जिनके पास घोड़ा गाड़ी खड़ा करने की जगह है और महज उसके बदले में अपनी आढ़त के ऊपर उस किसान से अनाज वसूल करते हैं अगर वह किसान बराहरास्त अपने चने या गेहूं का नमूना लेकर आपके इंस्पेक्टर के पास जाता है तो आपका इंस्पेक्टर उसमें से दाने अलग-अलग करके रख देता है और कहता है कि इम्प्योर है लिहाजा हम इसको नहीं खरीद सकते। लेकिन वही किसान उस नमूने को अगर उस एजेन्ट के जरिये जिसके घर में वह घोड़ा गाड़ी खड़ी है भेजता है उस इंस्पेक्टर के पास तो वही नमूना वहां पास हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कि उसमें से ८ आने या १२ आने क्विन्टल का भाव कम हो जाता है उन एजेन्ट साहब के इंटरेस्ट में। यह आमतौर पर हर मंडी में प्रथा चलती है जो आपकी खरीदारी के सम्बन्ध में हैं।

हमने बार-बार यह मांग की कि अगर आपको करनी है तो आप देहाती एरिया में जाइये चाहे थानों के ऊपर चाहे ब्लाक सेंटर्स पर। वहां आपके आदमी डायरेक्ट परचेज करने क्यों नहीं जाते ताकि किसान को किराया न देना पड़े, आढ़त न देना पड़े और उसके साथ वह अन्याय न हो जो मंडियों में होता है। अगर आपको अपने गोदामों में रखने के लिये या किसी एरिया को सप्लाई करने के लिये खरीदारी की जरूरत है तो आपकी डायरेक्ट परचेज होनी चाहिये। अगर आप एजेन्ट के द्वारा परचेज करेंगे तो किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिलने वाला है, उसका एक्सप्लायटेशन बन्द होने वाला नहीं है।

(इस समय १२ बजकर ५५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव, पीठासीन हुये।)

अब दूसरी बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फेयर प्राइस शाप्स के जरिये से जो गल्ले का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी क्या हालत है, उसको भी देखना पड़ेगा। एक मिसाल मैंने अभी रामपुर के एक अखबार की पढ़कर सुनाई कि एक सरकारी दूकान से ही खाद्यान्न लिया गया जिसमें प्वायजन था। उसको खाकर पूरी फैमिली बेहोश हो गयी और दो आदमी मर गये। यह अव्यवस्था क्यों होती है? क्योंकि आपका वितरण का सिस्टम उचित नहीं है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि दिसम्बर और जनवरी में जैसा कि आपने कहा कि कीमतें बढ़ती हैं खाद्यान्न की। चाहे शहर का आदमी हो या देहात का आदमी, करीब-करीब ९५ परसेंट को—चाहे रूरल एरिया का हो या अरबन एरिया का—वह गल्ला खरीद कर खाने लगता है। उस जनवरी और दिसम्बर की पूर्ति करने के लिए आप किसानों का ६५ रुपया क्विटल का गल्ला खरीद कर गोदामों में भरते हैं। अगर जनवरी, फरवरी में जिस वक्त गल्ले की किल्लत होती है अगर उन फेयर प्राइस शाप्स के जरिये से उन लोगों को ७५ या ७४ रुपये क्विटल के भाव से गल्ला मिल सके तब तो कुछ उनका भला हो सकता है,लेकिन अगर उनको १२० रुपया के भाव पर गल्ला खरीद कर खाना पड़े तो वह फेयर प्राइस शाप्स बिलकुल बेकार होती हैं, उनसे कोई फायदा नही हों सकता। वह तभी होगा जब कि खरीद कर खाने वालों की तादाद मार्केट में बढ़ जाय और बाजार में १२० रुपया क्विटल भाव हो जाय उस वक्त अगर ८० रुपया क्विटल भी फेयर प्राइस शाप्स से गल्ला मिल जाता है तो रिलीफ मिलता है। आज कल लाल गेंहूं हमारे सेंटर से आया है उसको कोई ७५ और ८० रुपया में क्यों खरीदे जबकि आज बाजार के अन्दर हर किसान अपना अच्छे से अच्छा गेंहूं ला रहा है? कौन आदमी फेयर प्राइस शाप पर जायगा? आपने इमर्जेंसी को सेव करने के लिए फेयर प्राइस शाप्स कायम की हैं। साधारण तौर से वहां कोई नहीं जाता। चीनी की आज कोई समस्या नहीं है। गन्ने की है। चीनी का कोई फेयर प्राइस शाप्स पर जरूरतमंद नहीं है क्योंकि खांड १४० रुपये की बोरी मिल रही है इसलिए १६५ रुपया बोरी आपकी लेने के लिए कोई जाने वाला नहीं है। लेकिन जिस वक्त कभी आती है अगर फेयर प्राइस शाप्स से रिलीफ मिल गया तभी वह स्कीम कामयाब कहलायेगी और अगर १२० रुपया क्विटल गल्ला खरीदकर खाना पड़ा तो बेकार होगी।

[श्री रियासत हुसैन]

होता क्या है। आपकी फेयरप्राइस शाप्स ह। काफी प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। आगे कोटा लेने के लिए रजिस्टर पर तहसीलदार या बी० डी० ओ० के दस्तखत कराये जाते हैं, तब आन वाला कोटा मिलेगा। लेकिन इन फेयर प्राइस शाप्स पर अगर गहराई में जाकर देखें तो कोटा बांटने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, सही मानों में कितने लोग ऐसे ह, तहसीलदार ऐसे हैं, कितने बी० डी० ओ० ऐसे हैं जो वहां जाकर शाप्स पर चेक करते हैं कि उनकी वितरण प्रणाली सही तरीके से फंक्शन कर रही है या नहीं। तहसील के अन्दर मैंने देखा कि लोग रजिस्टर लिये फिरते हैं दस्तखत कराने के लिए और कहा जाता है कि नायब तहसीलदार की जांच होगी आगे को परमिट और कोटा देने के लिए। तो अगर उनकी जांच होगी या बी० डी० ओ० की जांच होगी तो सब का अलग अलग बंधा हुआ है। राशनिंग इंसपेक्टर का अलग बन्धा हुआ है। फलां मुआयने के लिए आयेंगे लिहाजा २० सेर शक्कर निकाल कर रख लेना। हालांकि मौजूद नहीं हैं, लेकिन बजट के अन्दर आपने जिसकी तनख्वाहों के लिए भत्तों के लिए सारी मांग की है, आप हमसे बजट मांग रहे हैं उनकी वही मशीनरी है जिसकी यह कार्यप्रणाली है कि जब भी इमर्जेंसी में फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा किसान और गरीब आदमी शकर और गल्ला लेने की बात करता है तो इस तरह की हालत रही है कि इतना सामान लेंगे और फलां दिन मुआयना करने आयेंगे। वहां जाते भी नहीं, हेडक्वार्टर पर बुला कर दस्तखत कर देते हैं और कह देते हैं कि हमने जा कर मुआयना कर दिया, उसका कोटा रिलीज कर दिया जाय। याद रखिये जो आपका विभाग है उन्हीं कर्मचारियों से आपको काम लेना पड़ेगा और उसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का स्तेमाल करना होगा।

आज कहा यह जाता है कि स्थिति संतोषजनक है तो अगर स्थिति संतोषजनक है तो इस दौरान में जो थोड़ा समय मिला है अगर कहीं पर कुछ परेशानी है उसको दुरुस्त कर लें तो अच्छा होगा, लेकिन इन्सान की जिन्दगी की जरूरियात बहुत ज्यादा है। कहीं पर कपड़े की आवश्यकता है, कहीं पर चीनी की आवश्यकता है और कहीं पर दूसरी चीजों की आवश्यकता है। आशाएं यह थीं कि देशी घी खाने को मिलेगा हिन्दुस्तान के अन्दर, लेकिन आज हालत यह है कि घी तो दूर रहा, बनस्पति घी भी खाने को नहीं मिल रहा है। आज हालत यह है कि राशन कार्ड लेकर जाते हैं तो दुकानदार कह देते हैं कि स्टाक नहीं है। एक वक्त वह था कि शादियों में बनस्पति घी इस्तेमाल करना अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था और अगर कोई इस्तेमाल कर लेता था तो उसको सिवाय गालियों के और कुछ नहीं मिलता था लेकिन आज हालत यह है कि लड़के और लड़कियों की शादी के लिये बनस्पति घी के परमिट भी नहीं मिलते। तो यह सोचना पड़ेगा कि यह आप कैसे कहते हैं कि स्थिति संतोषजनक है। इसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा।

आज एक बड़ी भारी परेशानी हो गई है एडल्ट्रेशन की। कोई चीज देख लीजिये, दूध, गेंहू, दवाईयां, हर चीज में एडल्ट्रेशन आपको मिलेगा। इसकी वजह से तरह-तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। आप कह सकते हैं कि इनको चेक करना इन्सपेक्टर्स का काम है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दूध, घी, गल्ला जो हमारे लिये बहुत जरूरी है वह खालिस मिले यह जिम्मेदारी आपकी है, यह जिम्मेदारी खाद्य तथा रसद विभाग की है कि इनमें एडल्ट्रेशन न हो। अगर कानून की वजह से कोई मजबूरी हो रही हो तो उस कानून को दुरुस्त किया जाय और जो इन्सपेक्टर्स दूध, घी, गेंहू चने को आटे वगैरह में एडल्ट्रेशन करवाते हैं, चीनी में एडल्ट्रशन करवाते हैं और हर चीज में एडल्ट्रेशन करवाते हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जायें। इसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना होगा। आपने एक किताब हमको दी है उसमें लिखा है कि हम लोगों ने राशन कार्ड्स की चेकिंग की। कार्यवाही १९६८ से शुरू हुई लेकिन आज तक वह पूरी नहीं कर सके।

राशन कार्डों की चेकिंग, रूरल एरिया में तो राशन कार्ड हैं ही नहीं सिर्फ अरबन एरिया और टाउन एरिया में हैं, वह भी आज तक नहीं हो पाई। एक तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि आज प्रदेश में खाद्यान्नों की और दूसरी चीजों की स्मगलिंग बहुत तेजी में हो रही है।

आप यह कहकर अलग नहीं हो सकते कि चेक पोस्ट पर पुलिस वालों का काम है या किसी दूसरे का काम है। इसके लिए आपको गहराई में जाना चाहिए कि इस स्मगलिंग के रैकेट के अन्दर आपके विभाग के लोगों का हाथ है या नहीं। अगर आप स्वयं अपने विभाग से नहीं रोक सकते तो ज्वाइंट रिसपांसिबिलिटी है कैबिनेट की। आप इस प्वाइंट को कैबिनेट में रखें कि इस स्मगलिंग को कैसे रोका जाय। आज गेंहूं के जोन की पाबन्दी नहीं है लेकिन चावल पर आपने पाबन्दी लगा दी कि नैनीताल जिले का चावल जहां बड़ी मात्रा में चावल पैदा होता है गोरखपुर और देवरिया में नहीं जा सकता। क्या देवरिया और गोरखपुर को उत्तर प्रदेश का पार्ट आप नहीं समझते ? क्या गोरखपुर और देवरिया का किसान नैनीताल का चावल खाने का हकदार नहीं है ? देवरिया, गोरखपुर और पूर्वी जिलों को पच्छिमी जिलों का चावल खाने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसा समझते है तो ऐलान कीजिए लेकिन मैं समझता हूं कि समस्त उत्तर प्रदेश में जो चीज कही भी पैदा होती है उसको इस्तेमाल करने का हक सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लोगों को है और वे खाने के हकदार हैं। आपने जो रेस्ट्रिक्शन चावल और धान पर लगा दिया है इसको तुरन्त खत्म करना चाहिए ताकि पूरे प्रदेश के अन्दर जहां कहीं गेंहूं या चावल की आवश्यकता हो एक जिले से दूसरे जिले पहुंच सके और कमी को पूरा किया जा सके।

टायर और ट्यूब की तरफ भी आपने ध्यान दिया। इससे मुझे खुशी हुई कि इधर भी आपका ध्यान गया लेकिन साथ ही अगर आपने टायर और ट्यूब का मामला केवल साइकिलों तक ही सीमित न रखकर ट्रैक्टर के टायर ट्यूब की भी व्यवस्था करा देंगे तो उसका असर प्रदेश के खाद्यान्न पर भी पड़ेगा। तो आपका ध्यान ऐग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स में जहां टायर ट्यूब की आवश्यकता पड़ती है उधर भी जाना चाहिए। आप इस चीज को देखे कि कंट्रोल करके जो ट्रैक्टर्स ओनर्स है उनको किस तरह से टायर और ट्यूब मिल सकता है। आज किसानों के ट्रैक्टर्स और दूसरे ऐग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स टायर ट्यूब के न होने के कारण खड़े हैं और डीलर कहता है कि हमारे पास ज्यादा नहीं है तो श्रीमान् साइकिल और मोटर साइकिल के टायर ट्यूब के साथ ही आपको ट्रैक्टर्स और दूसरे ऐग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स के टायर और ट्यूब के लिए प्रबन्ध करना चाहिए।

वैसे तो आप कह देंगे कि सीमेन्ट के ऊपर कन्ट्रोल नहीं है, लोहे के ऊपर कन्ट्रोल नहीं है, इंटों के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है और आइरनशीट के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। माननीय मंत्री जी जो चारों चीजें मैंने बताईं यह वह चीजें हैं जो आपके प्रदेश में खाद्यान्न को पैदा करने में सहायक होती हैं। अगर आप इन चारों चीजों की सप्लाई उचित ढंग से किसानों को कर दें तो जो आप गल्ला दूसरी जगह से खरीदकर गोदाम भरते हैं उसमें कभी आ जाय।

आज क्या स्थिति है ? दाम जो ४ महीने पहले ८० रु० कुन्तल थे वह अब १४० रु० हो गये हैं सीमेंट अगर गोदाम में है तब तो वह कन्ट्रोल रेट पर मिल जायेगी परन्तु अगर वह आउट आफ स्टाक हो गई तो उसी समय सभी दुकानदारों को यह मालूम हो जाता है कि सीमेंट की कमी है और डिमान्ड ज्यादा है तब सभी जगह यह कहा जाने लगता हैकि सीमेंट गोदाम में नहीं है परन्तु जिनको जरूरत है वह मुनीम जी से बात कर लें और आप फिर चाहे जितनी सीमेंट १५रु० बोरी केभाव से खरीद लें वह मिल जायेगी। किसान देख रहा है कि १५ जून आने वाला है और उसने ईंट, लोहा आदि सभी चीजों को लेकर रख लिया है। उसको अपना कुंआ बनवाना है। अगर समय से वह नहीं बनेगा तो सभी चीजे बेकार हो जायेंगी ऐसी हालत में उसको १५ रु० बोरी की सीमेंट लेना पड़ता है। स्टाकिस्ट कहते हैं कि हमारे पास सीमेंट, सरिया आदि स्टाक में नहीं है और फिर कह देते हैं कि दाम बढ़ाकर देने पर मिल जायेगी। ईंट की हालत के बारे में क्या बताऊं। भट्टेवाले मनमाने दाम चार्ज करते हैं। ईंट का भाव ६० से ८० रु० तक है परन्तु उस पर भी कोई कन्ट्रोल चेकिंग नहीं है। आपको उसके ऊपर भाव का कन्ट्रोल जरूर करना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा यह कीमत होगी और इससे ज्यादा पर कोई भट्टेवाला नहीं बेचेगा। आज भट्टवाले को छूट है कि जिस भाव पर चाहे बचे। अगर ईंट की डिमान्ड कम है तो वह ५५ रु०

[श्री रियासत हुसैन]

में बेच देगा और जब वह यह देखता है कि डिमान्ड ज्यादा है वह बढ़ गई हैं तो वह उसके दाम८० रु० कर देता है। यह भी कहता है कि इतने दाम देने पर भी मुश्किल से मिलेगी। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर आपके प्रदेश का डेवलपमेंट, मन्सूबे सभी कुछ डिपेन्ड करता है परन्तु काम करवाने के लिये आपको इतना देना ही पड़ेगा।

इस बजट के अन्दर वेट्स और मेजर्स भी आपके डिपार्टमेंन्ट के अन्दर आ गया है। वह महकमा क्या है और किसके लिये काम करता है और क्या काम करता है। हम आज भी यह देखते हैं कि जब कोई गांव वाला शहरों में जाता है तो वहां पर कुन्तल वगैरा नहीं बोला जाता बल्कि वहां पर तो मन बोला जाता है। अब तो ४० किलो का मन बन गया है। कितने रुपये मन के माने यह है कि कितने रुपये के ४० किलो। चाहे आप कहीं पर भी देखें यह मन तो मन ही रहा और यह ४० सेर के बजाय अब ४० किलो का मन बन गया है।

हमारे प्रदेश में कई जगहों पर विभिन्न प्रकार की तौलें प्रचलित थीं जैसे कि कहीं पर तो १०० वाली तौल, कहीं पर ९६ वाली तौल, कहीं पर ८० वाली तौल और हमारे यहां रामपुर में तो ६६ वाली तौल प्रचलित है और उसी के हिसाब से वह अपना सौदा करेगा और वह अपना कैलकुलेशन कर लेता है कि इम भाव में बिके, मन से यह भाव हो गया। तो वह चालीस किलोग्राम के हिसाब से उसका हिसाब कर लेता है। आपने नये-नये कांटे लगा दिए। कोई आदमी खरीदने जाता है तो थैलिया में रख कर बैलेन्स के ऊपर रख दिया। कुछ पता नहीं चलता।

पहले तराजू चलती थी तो डन्डी सामने रहती थी कि ऊंची है या नीची है। लेकिन अब जो बैलेन्स चल रहा है, वह झटके के साथ नीचे चला गया और दे दिया। शिकायत पहले यह थी कि तराजू में डन्डी मार देते थे। लेकिन क्या इस शिकायत को इस नयी प्रथा से आप दूर कर पाए? कर पाए तो ठीक है लेकिन इससे उस कमी को अगर दूर नहीं कर पाए तो क्या फायदा हुआ? श्रीमन्, इस बजट के अन्दर एक मोबाइल लेबोरेटरी और एक मोबाइल स्क्वैड का जिक्र है नाप-तौल की चेकिंग करने के लिए, जिसमें एक ट्रक के लिए ७५ हजार और एक जीप के लिए २१ हजार का खर्च होगा।

श्रीमन्, हमारे यहां तो ५४ जिले हैं। वह कैसे काम करेंगे? यह तो हो सकता है कि लखनऊ हैडक्वार्टर पर किसी बड़े अधिकारी के इस्तेमाल में वह जीप रहे, किसी आर०एफ०सी० के इस्तेमाल में आती रहे। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि ७५ हजार और २१ हजार और उसके साथ दो ड्राइवर भी अवश्य होंगे, जो नया आयटम शामिल किया है और जिसका काम वेट्स ऐन्ड मेजर्स नये चल रहे हैं या नहीं इसकी चैकिंग करने का होगा, ५४ जिलों वाला इतना लम्बा-चौड़ा हमरा प्रदेश है, कैसे एक मोबाइल लैबोरेटरी काम करेंगी? जिले में आपके डी० एम०, डी० पी०ओ०, डी० एस० ओ०, एग्रीकल्चर आफीसर के पास जीपें रहती हैं। क्यों नी उनके जिम्मे यह एडीशनल काम आप डालते कि जिले में आप जांय तो यह भी देखें कि वेट्स ऐन्ड मेजर्स के मामले में बईमानी तो नहीं हो रही है। वह ज्यादा अच्छा होता और उससे यह करीब एक लाख रुपया भी बच जाता। जो मोबाइल यूनिट आप लोगा रहे है, आज एक लाख से शुरूआत हुई है। अगले साल आफीसर लोग कहेंगे कि एक से कुछ नहीं होता कमिश्नरी लेविल पर होना चाहिए। तो उसकी संख्या १० हो जाएगी। फिर उसके बाद अगले बजट में उनकी संख्या ५४ हो जाएगी। तो यह बुनियाद जो आपने एक मोबाइल यूनिट की बना दी इसका अन्त क्या होगा? अन्त यही होगा कि जिले में वट्स ऐन्ड मेजर्स का जो आफीसर है उसके जायज और नाजायद स्तेमाल के लिए एक गाड़ी का प्रावीजन हो जाय और एक ट्रक उसके डिस्पोजल पर हो जाय, वह चाहे जो कुछ करे। यही उसका अन्त होने वाला है।

अब आपके विभाग की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं। मंत्री जी जरा गौर से सुन लें। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह वह बदकिस्मत विभाग है जिसके सेक्रेटरी ने किसी भी मिनिस्टर के दवाब को नहीं माना, किसी मिनिस्टर के आदेश का पालन नहीं किया, जो सेक्रेटरी ने चाहा वह किया और मिनिस्टर के आर्डर्स की कोई परवाह नहीं की। इसी विभाग

के सेक्रेटरी के और भी पोलिटिकल अपोनेन्ट थे लेकिन जब माननीय झारखंडे राय जी ने इस्तीफा दिया था तो जहां और पोलिटिकल कारण थे वहां एक कारण यह भी था कि फूड और सिविल सप्लाई के सेक्रेटरी या इस विभाग के दूसरे अधिकारियों के सामने उन लोगों की कोई हैसियत नहीं थी। इसलिये उन्होंने इस विभाग को छोड़ दिया था।

मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। एक आपके यहां विद्या प्रकाश जी सिविल सप्लाई इन्सपेक्टर कानपुर राशनिंग में थे। उन्हें जिले के सीनियर इन्सपेक्टर सिविल सप्लाई विभाग के चार्ज हैंड ओवर करने के आर्डर हुये। वह आदेश मंगला प्रसाद जी ने दिये कि इन विद्या प्रकाश जी को सीनियर इन्सपेक्टर, सिविल सप्लाई बना दिया जाय जो कानपुर राशनिंग के होकर आये हैं। उन मंगला प्रसाद जी के आर्डर को नहीं माना गया। इसी तरह का आदेश मौजूदा नीट और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन वाली सशकार के माननीय रामकिंकर जी का हुआ। उन्होंने भी यह कहा कि यह होना चाहये। इस सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने इस आर्डर को कन्फर्म किया। वे मंत्री श्री श्रीपति मिश्र जी हैं। उन्होंने १४–४–७० को इसको कन्फर्म किया। अब आप देखें कि मंगला प्रसाद जी के आर्डर को नहीं माना और श्रीपति जी मिश्र के आर्डर को नहीं माना गया। वह फाइल आज तक यहां पर दबी हुई है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अब मैं आपके सामन दूसरी मिसाल रखता हूं। आपके इस विभाग के अन्दर एक सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब का स्थान हैं जो सब गजटेड और नानगजेटेड स्टाफ को डील करते हैं। लेकिन इसकी गहराई में देखिए कि जो नोटर और ड्राफ्टर का काम करते हैं वही सब काम करते हैं। ५ बजे के बाद होटल में बैठकर, घरों में बैठकर सारे नान गजटेट और गजटेड से सब बातें तय करते है। वह सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के सामने रखते हैं और सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब सेक्रेटरी के सामने रखते हैं और उनका एप्रूवल लेते हैं। इस तरह से आपका यह सारा विभाग चल रहा है। उन सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब को जो कमाई होती है इस प्रकार से नोटर ड्राफ्टर के द्वारा दफ्तर में बैठकर और गजटेड और नानगजेटेड स्टाफ को डील करके उससे उन्होंने अपना एक ५० हजार रुपये की लागत का निरालानगर में मकान बना लिया है। कहने के लिये उन्होंने १५ हजार रुपये का लोन भी लिया है। उस मकान को २५० रुपये महीना के हिसाब से उठाया भी है। वह खुद रीवर बैंक कालोनी में एक अलाटेड मकान में किराये पर रहते हैं। जो मकान निरालानगर में बनाया है उससे आमदानी करते है। बहरहाल आज ५००, ६०० रुपया उनको तनख्वाह मिलती होगी लेकिन उन्होंने ५० हजार का मकान बना लिया है। यह इस तरह से लखनऊ जैसे शहर में रहकर आसान बात नहीं है कि इतना बड़ा मकान बना लिया जाय जिससे २५० रुपये माहवार की आमदनी हो जाय।

दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले सन् १९६५ में जब आपने कानपुर में राशनिंग शुरू की तो यहां सेक्रेटरियट से ४० आदमी वहां भेजे गये थे। वहां पर उन्होंने काम किया। जब वहां की राशनिंग खतम हुई तो वे लोग वहां से वापस हो गये और सेक्रेटरियट में अपनी जगह पुरानी पर वह आगये। कुछ उनमें से सीनियर इन्सपेक्टर कानपुर में ही लगे रहे और जो आपके सेक्रेटेरिएट की सर्विस थी वह अबालिश की गई यह कह कर कि वे वहां चले गये उन की अब जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब यहां दास साहब चीफ सेक्रेटरी थे तो उन्होंने कहा कि उन को फूड ऐण्ड सिविल सप्लाई विभाग में लगाया जाय, उनका यह नोट है कि जो सेक्रेटेरिएट में लग गये वह लग गये बाकी को इस रसद विभाग में लगाया जाय लेकिन आज तक उनका वह हुक्म पूरा नहीं हुआ और उन लोगों को वापस भेज दिया गया सेक्रेटेरिएट में सिविल सप्लाई विभाग में नहीं और उन दिनों जब राशनिंग की बात थी तो उसके लिये उन के बजाय नये आदमियों को भरती किया गया। यदि आप इस की गहराई में जायेंगे तो यह १०० आदमी जो नये भरती किये गये इंसपेक्टर, सीनियर इन्सपेक्टर और क्लर्क वगैरह उन सब की भरती का जरिया ५००

[श्री रियासत हुसैन]

रुपये से २,००० रुपये तक की रकम थी। तो इस तरह से जब आप के चीफ सेक्रेटरी, श्री दास, के आदेश इस तरह से मारेमारे फिर रहे हैं तो फिर आप देखें कि यह नई भरती उनके के आदेश के खिलाफ क्यों और किस तरह से हो गई ?

एक बात की तरफ मैं और आप का ध्यान दिलाऊंगा । इसके लिये सेक्रेटरी साहब ने क्या किया और जो सुपरिंटेंडेंट ने इस के लिये नोट भेजा उसमें लिख दिया कि इस वक्त अन-एम्पलायमेंट बहुत ज्यादा है इस वास्ते अगर नये आदमी रखे जायेंगे तो १०० परिवारों के खाने-पीने का जरिया हो जायगा । यह कहकर नये आदमी रखे गये और दास साहब के आदेश को खत्म कर दिया गया ।

अब मैं आप के मकानों के अलाटमेंट के तरीके की तरफ आना चाहता हूं, यह आप का अलाटमेंट वाला काम जो चलता है उस में क्या-क्या होता है उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सारा सदन जानता है और जो घटना लखनऊ की पार्क रोड की श्री चतुर्वेदी के लड़के के मकान के बारे में अखबारों में कई बार छपी वह सब को मालम है। मकान श्री चतुर्वेदी के जो इलाहाबाद के डी०एम० हैं, उनके लड़के के नाम अलाट था और वह श्री द्विवेदी क नाम अलाट किया गया, वह खाली कराया गया और द्विवेदी जी ने उसी का कब्जा लिया, उन का सामान उसमें से पुलिस के जरिये से फिंकवाया गया, उसके बाद चतुर्वेदी जी की वाइफ ने दो भाग की मैं तो बराबर किराया दे रही हूं, मेरा कसे इविक्शन बिना नोटिस के हो गया। और क्यों निकाला जा रहा है ? उसके बाद फिर मकान उन को दिया गया । लेकिन अब फिर अखबार में आया है कि वही मकान अब किसी मंत्री के नाम अलाट कर दिया गया है जो पार्क रोड का है और जिसमें चतुर्वेदी जी के बच्चे रहते हैं । और अब ४ पुलिस के कांस्टेबिल लगा दिये गये हैं जो उस मकान की रक्षा कर रहे हैं न कि मंत्री जी की रक्षा कर रहे हैं । यह आप के अलाटमेंट की हालत है ।

इस तरह से चल रहा है यह आप का मनमाना रेंट कंट्रोल, यह सारी चीजें बड़े पैमाने पर पर चल रही हैं । इसके अलावा कल ही आपने कौंसिल में प्रश्न का उत्तर दिया है और कहा है कि लखनऊ में ४,५९१ दरख्वास्तें मकानों के अलाटमेंट के लिए आईं और उन में से आप केवल ९०५ अप्लीकेशन्स को ही एन्टरटेन कर सके । साथ ही आपने यह भी वहां कहा है कि जो दरख्वास्त पहले आती है उसको मकान अलाट करने में प्रायटरी की जाती है । लेकिन मंत्री जी के इस स्टेटमेंट को अगर हम इस पार्क रोड वाले मकान पर अप्लाई करते हैं तो किस तरह से चतुर्वेदी जी के लड़के के मकान को द्विवेदी जी को अलाट किया गया और फिर किस तरह से वह अलाटमेंट कैंसिल किया गया और किस तरह से अब फिर वह मंत्री जी को अलाट कर दिया गया और उस मकान की पुलिस हिफाजत कर रही है । कोई दरख्वास्त मंत्री जी की या द्विवेदी जी की पहले से थीं जिन कोकि प्रायर्टी दी जा रही है, किस की अप्लीकेशन पहली थी और क्या आप के स्टेटमेंट के मुताबिक अलाटमेंट दरख्वास्तों की प्रायटी से हुआ है? या बात कुछ और है कि जिस को पिया चाहे वही सुहागन जिस को आप और अफसर चाहते हैं उसी का नाम रजिस्टर में ऊपर आ जाता है। लेकिन आपने जो जवाब दिया विधान परिषद् में, आप उससे संबंधित हैं । लखनऊ के आधार पर ही आप देखें कि ५४ जिलों की क्या हालत होगी ? मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि अन्य जिलों में जो दरख्वास्तें होती हैं, वहां पर भी मकान सिनियोरिटी के आधार पर एलाट होते हैं या इसी तरह से होते हैं कि जिसको चाहा मकान दे दिया चाहे उसकी दरख्वास्त सबसे बाद में ही मिली हो ।

आपका जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट है, उसको देखें । उसमें दफा ४ है जिसमें यह प्राविधान है कि कोई पगड़ी एलाट नहीं होगी । यह ऐक्ट १९५१ में बना था । उस वक्त मकानों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी और पगड़ी का रेट भी इतना ऊंचा नहीं था लेकिन अब आप देखें लखनऊ में ही ५ गुना दरख्वास्तें पड़ी हुयी हैं । तो इसी तरह से हर जिले की हालत होगी ।

आज हालत यह है कि किसी भी मकान का कब्जा बिना पगड़ी दिये नही मिल पाता है। यह ऐक्ट १९५१ का है और अब १९७० हो गया । मकान वही खाली मिलता है जिस पर जपगड़ी तय हो गयी होती है । अगर यह हालत है तो मैं समझता हूं कि आपके ये कानून बेकार हैं । जिसके कब्जे में मकान होता है वह या तो सब-लेट कर देता है या अपने लड़के के नाम एलाट करा लेता है लेकिन उसे छोड़ने की बात नहीं करता है । यह धारा तो आपकी बिल्कुल नाकारा हो गयी है ।

आप लखनऊ में ही देखें, कितने ऐसे अधिकारी हैं, जिनको मकान एलाट थे और जिन्होंने अपने स्वयं मकान बना लिये थे और जिनके यहां से ट्रांसफर्स दूसरी जगह हो गये हैं, उन्होंने कितने मकान छोड़ दिये हैं तो कलई खुल जायगी । आज कोई भी अधिकारी जिसके नाम एक बार एक मकान एलाट हो जाता है छोड़ने की बात नहीं करता है ।

एक श्री चन्द्र मोहन साहब हैं जो यहां पर एम्प्लायमेंट अधिकारी थे । उनका ट्रांसफर शाहजहांपुर हो गया था । जब वे यहां पर थे तो उनको मकान नं० ४ बाबूगंज में एलाट हुआ । जब उनका यहां से ट्रांसफर हुआ तो उसके एक पोर्शन को २५ रुपये में सब-लेट कर दिया और एक कमरे के लिये नाम मात्र के लिये लडकी, जो यहां पर कहीं रहती थी, कह दिया कि यहां पर कभी कभी आकर रहती रहना । सुना है कि नं० ४ का मकान उनके लेट फादर के नाम, वालिद के नाम एलाटेड था । बाप के मकान को सब-लेट कर दिया दूसरों के नाम २५ रुपये के किराये पर उठा दिया और स्वयं २,८०० रुपया पेशगी भी लिया और अपना एक मकान खुद भी लखनऊ में बना लिया ।

एक मिसाल मैंने आपको बतलायी कि किसी आफिसर को आप मकान एलाट कर दें तो वह किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने की बात नहीं करता । इस तरह से आपका सेक्शन ७ जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट का है वह बिलकुल नकारा है, बेकार है । इसलिये मेरा कहना है कि आपके इस रेट कंट्रोल ऐक्ट की धारा ४ बेकार, धारा ५ बेकार है । आज जो यह कहते हैं कि किरायेदार और मकान मालिक दोनों आपस में बैठ कर फैसला कर लेंगे तो वह चीज होने वाली नहीं है । जो जरूरतमन्द आदमी है वह मकान मालिक की बात क्यों मानता है ? उसके बच्चे सड़क पर पड़े हैं, रेलवे स्टेशन पर पड़े हैं और उसको मकान चाहिये इसलिये जो कुछ भी मकान मालिक प्रेशर डाल कर उससे मांगता है वह उसको देता है लिहाजा आपकी धारा ५ बेकार, धारा ७ बेकार और भी तमाम धारायें बेकार हैं । इसलिये आप इस ऐक्ट में कम्प्रिहेंसिव चेंज करके नया बिल लाइये वरना उससे कोई फायदा नहीं है, बिलकुल बेकार है और वे सारी चीजें बदस्तूर चलती रहेंगी और कुछ होने वाला नहीं है । मैंने आपके सामने कुछ बातें रखीं और अब मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

जहां तक फूड ग्रेन का मामला है, हो सकता है कि किसी साल बम्पर फूड क्राप हो जाय, किसी साल अच्छी फसल हो जाय और किसान को मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीनों में कोई बेचैनी न हो जब कि किसान का गेहूं बाजार में आता है लेकिन जैसा कि आपने भी स्वयं बयान दिया है कि हर साल दिसम्बर और जनवरी के महीने में खाद्यान्न की दिक्कत होती है । मेरा कहना है यह जिम्मेदारी आपकी है । मेरा कहना है कि जब तक डाइरेक्ट परचेजिंग करके अपना गोदाम नहीं बनावेंगे, जब तक आप स्टेट ट्रेडिंग नहीं करेंगे तबतक मध्यवर्तियों और कमीशन एजेंटों द्वारा किसान का एक्सप्लायमेंट बराबर होता रहेगा और वह उसे लूटता रहेगा ।

दूसरा सुझाव जैसा कि मैंने पहले कहा धान और चावल पर से पाबन्दी फौरन हटाइये । तराई व जंगल को साफ करके आई० आर० एट० व अन्य वेराइटीज के धान की फसल पैदा की जाती है और उससे इल्ड भी काफी होती है लेकन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती । उसका चावल थर्ड क्लास का होता है जिसका बासमती चावल वगैरह से कोई

[श्री रियासत हुसैन--]
मुकाबला नहीं हो सकता लेकिन शार्टेज की वजह से भले ही अच्छा चावल न पैदा होता हो लेकिन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये आई० आर० ए० जैसे थर्ड क्लास धान के लिये व्यय कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो और हमारे उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, मजदूर हैं, या और उपभोक्ता हैं वे भूखों न रहें । लेकिन अगर आपने यह रोक लगा रखी कि नैनीताल से धान बलिया, गोरखपुर या देवरिया न जाने पावे तो क्या आप इस तरह से वहां के किसानों और मजदूरों की सेवा कर सकते हैं ? कैसे आप उसकी सेवा कर सकेंगे ? इसलिये मैं इस सुझाव के साथ अपने इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं ।

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के अनुदान पर श्री रियासत हुसैन ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारे देश में अन्न का उत्पादन बढ़े, पैदावार बढ़े जहां यह आवश्यक है वहां यह भी आवश्यक है कि जो पैदावार हो उसका वितरण भी ठीक हो तथा जहां तक उसके पहुंचने की जरूरत है, वहां तक वह पैदावार पहुंच सके ।

मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि अपने अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमें यह आवश्यक है कि हम विदेशी अन्न, वह अमेरिका का अन्न हो, कोई भी अन्न हो, उसको मंगाना बन्द करें । विदेशी अन्न पर निर्भर रहना बन्द करें तो बहुत माने में हम अपनी सामर्थ्य और पुरुषार्थ को जगाकर अपने देश के अन्दर इतना अन्न उत्पादन कर सकते हैं जिससे हम आत्म निर्भर हो सकें । जो पैदावार हो उसका वितरण ठीक हो, वह सही लोगों तक पहुंच सके वह भी इतना ही आवश्यक है। जितनी आवश्यकता पैदावार बढ़ाने की है उतना ही महत्वपूर्ण विषय वितरण भी है। परन्तु पिछले २०-२२ साल में जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारा यह विभाग पहले से भी था, जब उन महीनों में अन्न की कमी होती है तब यह विभाग सही लोगों तक अन्न के वितरण में असफल रहा है ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी नीति निर्धारित करें कि जिस समय अन्न पैदा होने को हो उससे पहले उसके दाम निर्धारित कर दिये जायं और जब किसान का अन्न बाजार में आये उसके जो निश्चित दाम हैं अगर उससे वह गिरता जाय तो सरकार उस अन्न को एक व्यापारी के रूप में खरीदे । और जिस समय उस गल्ले के दाम बढ़ जायं, वह दिसम्बर और जनवरी हो सकता है, तो उस समय जो हमारा गल्ला है जो हमने किसानों से खरीदा है उसको जनता तक पहुंचायें । इस प्रकार की नीति निर्धारित होनी चाहिये । उसमें दस या पांच परसेंट का फलक्चुएशन हो सकता है जो सरकार ने गल्ला खरीदकर रक्खा है उसको बाजार में लाये जिससे यह गल्ला सस्ता हो सके ।

जो हमने सस्ते गल्ले की दुकानें बनाई हैं मैं उस संबंध में कहना चाहता हूं कि उन दुकानों को बनाने में भी पक्षपात किया है। राजनैतिक कारणों से, सिफारिशों के आधार पर उन दुकानों को दिया गया है जिन्हें दुकान चलाने का अनुभव नहीं है। देहातों के अन्दर प्रधानों से सरपंचों ने जो एक बीच के लोग बन गये हैं उन्होंने उन दुकानों को ले रक्खा है । जरूरत इस बात की है कि हम दूकानें औचित्य के आधार पर दें और दूकानें उनको दी जायं जिनको व्यापार का अनुभव हो । वहां दुकान में होता यह है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह से दुनिया भर की चीजें वहां रख ली जाती हैं । शहरों के अन्दर भी जो दूकानें दी गई हैं वे लोगों के प्रभाव और सिफारिशों के कारण और राजनैतिक दबाव के कारण ऐसे लोगों को दी गई हैं जो दूकानें स्वयं नहीं चलाते । जो दूसरों से १०० या दो सौ रुपये माहवार का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन लोगों को दूकानें चलाने का अनुभव हो उन्हीं को दूकानें दी जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय मंत्री ने कहा है, इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि हमने बोगस राशन कार्डों का सन् ६८ से चैकिंग कराया है। दो साल हुये थोड़ी मात्रा में बोगस कार्डों का चैकिंग हो सका। म चाहूंगा कि आप बोगस राशन कार्डों का चकिंग सप्लाई विभाग से न करायें। किसी दूसरे विभाग के कर्मचारियों से कराया जाय। होता यह है कि सप्लाई इन्सपेक्टर और दूकानदार की सांठगांठ से फरजी राशन कार्ड बनाये जाते हैं और उन राशन कार्डों पर जिस समय चीनी की किल्लत हुई तो वह फरजी चीनी निकाल ली जाती है। तो चेकिंग दूसरे विभागों से कराई जाय। सारे प्रदेश के अन्दर इतनी थोड़ी संख्या में राशन कार्ड निकाले गये वह पर्याप्त नहीं है। उन राशन कार्डों का नवीनीकरण भी एक समस्या हो गई है। राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिये भी सप्लाई दफ्तर में पूजा करनी पड़ती है। तब उसके यूनिट बढ़ते हैं। मेरे जिले में कुछ बोगस राशन कार्ड पाये गये, इस प्रकार कुछ कम हुये। मगर उन से भी कुछ दिनों तक राशन मिलता रहा। मैं चाहता हूं कि राशनकार्ड की दूसरे विभाग द्वारा अच्छी तरह चेकिंग [illegible] जाय। इसके साथही जो लोग अपनी यूनिट बढ़ाना चाहते हैं, या उसको बदलवाना चाहते हैं, उनको उसमें कोई कठिनाई न हुआ करे, इसके लिये कोई उचित प्रबन्ध करना चाहिये।

बनस्पति घी के बारे में आपने बताया कि हमने लाइसेंस दिये हैं। मान्यवर, सीतापुर जिले में ३०० ऐसे व्यक्तियों को डालडा के लाइसेंस दिये गये जिन्होंने कभी डालडा बेंचा ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को आपने लाइसेंस दिये हैं जिन्होंने कभी दूकानदारी की ही नहीं है, जिनका घी के काम से कोई वास्ता ही नहीं है। जिन लोगों ने समझा कि घी की कीमतें बढ़ने वाली हैं, जिन्हें आपके आदेशों का पता चल गया, उन्होंने लाइसेंस ले लिया। जो वाकई में घी के दूकानदार थे, जिन्हें आपके आदेशों का किसी प्रकार पता नहीं चल पाया वे नहीं ले पाये क्योंकि आपके आदेशों में ३ सप्ताह की मियाद थी। बदायूं जिले में जो लोग बरसों से घी का काम करते थे वे लोग आपके आदेशों का पता न चल पाने के कारण लाइसेंस न ले पाये। आपको चाहिये था कि जो लोग घी का काम करते हैं उन्हीं को आप इसका लाइसेंस देते।

इसके अलावा जब संकट आता है तभी आपको फिकर होती है, वैसे आप चुप रहते हैं। इन दो महीनों में सहालग का मौसम था, ऐसे समय में घी का अकाल पड़ गया। पहले से आपने इसके लिये कोई नीति ऐसी नहीं बनायी जिससे लोग घी का चोरी छुपे स्टाक कर ही न पाते। होल्डर्स के प्रति आपको एक कठोर नीति बनानी चाहिये और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। आपकी नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे कि लोग गल्ले का या घी आदि का, जीवन की किसी भी उपयोगी वस्तु का भंडार न बना सकें।

श्रीमन्, हमारे यहां ३१ फ्लोर मिले हैं। उनके लिये यह प्रतिबन्ध है कि वे बाजार से गेहूं न खरीद सकें। परन्तु मैं नहीं समझ सकता कि उनको आपको गेहूं देने की क्या जरूरत है। वे उसमें मिलावट करते हैं और तरह-तरह का अनाज उसमें मिलाते हैं। सरकार को उसको देखना चाहिये। जो सस्ते गल्ले की दूकानों पर गेहूं आता है वह आम जनता के खाने योग्य नहीं होता। दूकानदार उसको सरेंडर कर देते हैं, अपना माल नहीं उठाते। फिर आटे का भाव भी तेज रहता है। आप करते क्या हैं? गोरखपुर का आटा मेरठ में बेंचने के लिये भेजते हैं और मेरठ का आटा गोरखपुर में बेंचने के लिये देते हैं। मान्यवर, हमारे यहां बरेली, मझोला, नहोरिया, पीलीभीत आदि जिलों में शकर की मिलें हैं। बरेली में शकर का भाव १६० रुपये क्वींटल है, जब कि मेरठ में उसका भाव १८० रुपये क्वींटल है। आप मेरठ की शकर को बदायूं में बेंचने के लिये देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में ही काफी खर्च पड़ जाता है और वह शकर बहुत तेज आकर पड़ती है। यह कितना अव्यावहारिक है? आप क्यों नहीं ऐसा करते कि अगर बदायूं में शकर देना है तो वह वहीं के आस-पास के जिलों से ही मिला करे। इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम पड़ेगा और शकर के दाम भी कम होंगे।

[श्री कृष्ण स्वरूप]

एक निवेदन मैं मेजर ऐंड वेट्स के संबंध में कहना चाहता हूं । सभी चाहते हैं कि तौल ठीक-ठीक हो । यह ठीक है, परन्तु व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं । मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि जब उन वेट्स का टाइम एक्सपायर होने को हो, तो उसके पहले से ही सरकार की तरफ से व्यवस्था हो । माननीय रियासत हुसैन ने मोबाईल स्कीम का बड़ा विरोध किया है, मैं उसका विरोध तो नहीं करता, लेकिन कहना चाहता हूं कि सरकारी इन्सपेक्टर्स और कर्मचारी जो नाप-तौल का सामान रखते हैं, वे दुकान-दुकान और कारखाने-कारखाने जाकर उनके बांट बदलवायें और कांटों पर मोहर लगायें । समयावधि समाप्त होने पर पहली जनवरी और उसके बाद के लिए इस कार्य को नहीं रखना चाहिये, दिसम्बर में ही यह होना चाहिये । लेकिन आप दिसम्बर में करते नहीं, जिससे दुकानदारों के सामने एक समस्या पैदा हो जाती है, आपको कोई बीच का रास्ता अपनाना चाहिये, जिससे दुकानदारों को अकारण कोई कष्ट न हो ।

रेंट कंट्रोल ऐक्ट के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारा यह बिल नकारा हो चुका है। जो आज की आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति करने में यह ऐक्ट सर्वथा असफल सिद्ध हुआ है। न यह किरायेदार के लिये लाभकारी है जिसे रहने के लिये मकान की आवश्यकता होती है और न ही यह मकान मालिकों के लिये उसका मकान दिलाने में सहायक है। मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच जो झगड़े हैं उनको भी निपटाने में हमारा यह एक्ट असफल रहा है। यों तो इसके दोष बहुत हैं, लेकिन इसका प्रमुख दोष यह है कि इसके सारे निर्णय एक्जीक्यूटिव अफसर-कार्यकारी अधिकारी करते हैं । रेंट कंट्रोल अफसर के फैसले की अपील कमिश्नर सुनता है और उसके निर्णय की अपील मंत्री जी सुनेंगे । मैं कहता हूं कि मंत्री जी के लिये और भी बहुत से काम हैं । किन्तु उन्होंने अदालतों का भी काम अपने ऊपर ले लिया है। जब से उन्हें इस बात का अवसर मिला है कि वह सरकार के सामने अपने वकील भी ला सकते हैं, तब से और भी हालत खराब हो गई है। पूर्ति मंत्री के यहां वकीलों और मुवक्किलों का दरबार लगा रहता है। यह जरूरी नहीं है कि हर मंत्री कानून से वाकिफ हो और कानून की बारीकियों में जाकर अपीलों को सुन सकें । इन तमाम कारणों से हमें यह व्यवस्था बदलनी चाहिये और मंत्री जी को अन्य महत्व के कामों के लिए समय मिलना चाहिये । रेंट कंट्रोल ऐंड इविक्शन अफसर के फैसले पर अपील डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज सुने और उनके फैसले की अपील को हाई कोर्ट सुने, ऐसी व्यवस्था हो । मैंने देखा है पहले के मंत्री के समय की बातों को। उनके सामने कई वकीलों प्रस्तुत हैं, न मंत्री जी ने फाइलें देखीं और न उन्हें उस ऐक्ट की वाकिफयत है कि क्या वकील बहस कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई होकर निर्णय हो गया ।

बदायूं के एक मामले की मुझे जानकारी है। उसका निर्णय आपके यहां से हो चुका है। मैं उस केस का नाम भी बता सकता हूं । उस केस का नाम है रूप नारायन वरसेस ताराचन्द्र। उस केस में निर्णय के बाद शासक दल के कुछ विधायक उस केस को रिन्यू कराना चाहते हैं। वे लोग माननीय मंत्री जी के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं कि उस निर्णय को बदला जाए। राजनैतिक नेताओं, और मंत्रियों को इस तरह से अदालतों के निर्णयों के बाद सुनवाई करने का अधिकार होगा तो उन पर कार्यकर्त्ता लोग, विधायक लोग नाजायज प्रभाव डाल सकते हैं और उन पर प्रभाव पड़ सकता है। मैं चाहूंगा कि हम इन सारी कमियों को निकाल दें और वह न्यायाधीशों के सामने जाय, हाईकोर्ट के सामने जाये और कमिश्नर महोदय उस में अपना कोई दखल न दे सकें।

मैं कुछ विभाग के बारे में भी कहना चाहूंगा। आपके विभाग में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो ९–९, १०–१० वर्ष से सर्विस करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें परमानेन्ट नहीं किया गया है, जबकि अन्य सब विभागों में कर्मचारी ३ साल में परमानेन्ट हो जाते हैं । यदि वे गलत काम करते हैं तो उनको सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन उनकी नौकरी की सुरक्षा

भी न हो यह कैसे चलेगा ? यदि उन्हें नौकरी की सुरक्षा हो तो शायद वे कमभ्रष्ट हों। इसलिए जो ऐसे कर्मचारी हैं जो आप के विभाग में कई वर्षों से काम कर रहे हैं और उन्हें आज तक स्थायी नहीं किया गया है, ऐसे सभी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिस स्थान पर वे नौकर हैं सुरक्षित हैं। टेम्पोरेरी आदमियों को आप कभी भी निकाल सकते हैं।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। इससे पहले जिला खाद्य सलाहकार समितियां थीं जिनके अन्दर जनता के प्रतिनिधि विधायक और कुछ और प्रतिनिधि होते थे जो जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ बैठ कर जिले की खाद्य समस्याओं पर विचार करते हैं। सरकार ने उनको यह कह कर बन्द कर दिया कि जब कोई गल्ले की कमी नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। कमी है यह नहीं इसके बारे में मुस्तकिल राय नहीं बनायी जा सकती। विधान सभा में भी उत्तर दिया कि आज किसी चीज का कष्ट नहीं है, जनता में असंतोष नहीं है इसलिए उन समितियों की आवश्यकता नहीं है। अभी देखा कि डालडा के लिए असंतोष हो गया कि किसको लाइसेंस दिया और किसको नहीं दिया। अगर खाद्य सलाहकार समितियां होतीं तो आप ने जिलों के लिये समन्वित नीति बना सकती थीं जिससे असंतोष कम होता, कुछ उचित लोगों को लाइसेंस मिल सकते थे।

मैं चावल के सम्बन्ध में एक बात करना चाहूंगा। जैसे जिस चीज पर प्रतिबन्ध रखा जायगा उसकी उतनी ही शार्टेज होगी वह चीज बाजार से उड़ जायगी। कंट्रोल और परमिट भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। परमिट और कोटा के राज्य में क्षपात, भाईचारा, कुनबा-परस्ती को बढ़ावा मिलता है। जितना ही कम कंट्रोल हो कम परमिट सिस्टम हो, स्वाभाविक धारा को बढ़ने का अवसर दिया जाय उतना ही अच्छा है। रफी साहब जब खाद्य मंत्री थे तो उन्होंने सारे कंट्रोल और परमिट हटा दिये और देश में ऐसा वातावरण पैदा किया कि देश में काफी अन्न है, जो सब को मिल सकता है। तो आज वातावरण पैदा करने की जरूरत है कि जितना हम पैदा करते हैं वह पर्याप्त है। परन्तु वितरण हमारा विभाग ठीक करे तो किसी प्रकार की आंतरिक आवश्यकता नहीं होगी चावल पर प्रतिबन्ध लगाने की। जो प्रदेश में वाटरटाइट कम्पार्टमेंट्स बनाये हैं इससे कहीं चावल सड़ता है और कहीं महंगा मिलता है। गेहूं की तरह चावल पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

माननीय रियासत हुसैन साहब ने एक बात कही राज्य व्यापार की। सरकार शांति और सुरक्षा का कामजो सरकार का प्राथमिक काम है वह करे। सरकार कानून से सुरक्षा, शिक्षा आदि जो सरकारी प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं, उनमें दलबन्दी के कारण इतनीग्रस्त है कि ईमान-दारी से उन कामों को अंजाम नहीं दे सकती। जो व्यापार का काम है, जिसको सरकार नहीं कर सकती, और जिस काम किया है को उसमें सरकार को हानि हुई है, और जनता को सही माने में वह पहुंचा नहीं पायी। यदि अभाव हो, बनिया होर्डिंग करे इस लिए कि अकाल के समय वह कीमत बढ़ाये और जनता को कष्ट पहुंचे तो सरकार हस्तक्षेप करे। लेकिन हस्तक्षेप व्यापारी के नाते करे। सरकार गल्ला खरीदे, लैवी की तरह नहीं, व्यापारी की तरह जैसे बाजार से हम गल्ला खरीदते हैं। वह किसान से उस भाव पर गल्ला खरीदे जिस भाव पर दूसरे लोग खरीदते हैं। जजब गल्ले का भा गिरेगा तो खरीद कर के भाव को रोकेंगे। जब कष्ट होगा अन्न की कमी होगी तो गल्ला सस्ती दूकानों पर ला कर लोगों को सुविधा पहुंच पायेंगे।

मान्यवर, अन्त में मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि आप का जो यह विभाग है जिसका कि सीधा सम्पर्क जनता से है और जिसका कि जनता से रोजमर्रा का सम्बन्ध पड़ता है। इस विभाग में यदि आप कर्त्तव्यपरायणता पैदा कर सके तो मैं समझूंगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। जिन कर्मचारियों की शिकायतें आयी है, जो भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर आप शीघ्र निर्णय लें

[श्री कृष्ण स्वरूप]

उनके ऊपर कार्यवाही करें, उनकी फाइले पेंडिंग मे न पड़ें। मुझे जानकारी है कि सीतापुर में ३०० लोगों को जो घी के लाइसेंस दिये गये वे फर्जी दिये गये। इसकी आप के पास शिकायत आई है। १५–२० दिन हो गये उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं चाहता हूं कि उस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे जो करप्ट अधिकारी हैं जोकि आप का विभाग बदनाम करते है जोकि अविश्वास पैदा करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो और सख्त से सख्त कार्यवाही हो। साथ ही जो जिलों में जिला सलाहकार समितियां गठित की गई थी, जिससे जनता का सीधा सम्पर्क था, जो कि इस विभाग को थोड़ा बहुत सहायता सकती थीं तथा जनता को सूख पहुंच सकता था, उन्हें पुनः गठित किया जाय।

श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)

मान्यवर, मैं माननीय रियासत हुसैन जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का लिए खड़ा हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, जिला सीतापुर सप्लाई आफिस की तरफ आप का ध्यान खींचना चाहता हूं। मान्यवर, इस आफिस की हालत यह है कि वहां पर रिश्वत बहुत चलती है। इधर आप स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं और उधर इस जोच को बढावा मिलता है। मान्यवर, वहां यह होता है कि बनस्पति के लाइसेंस को लेने के लिये १०० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक रिश्वत देने को लोग तैयार हो जाते हैं। यह जिला सीतापुर सें महमूदाबाद की बात है।

तौल में तो गड़बड़ की ही जाती है, भाव में भी गड़बड़ करते हैं। जो सरकारी रेट होता है वह किसानों को नहीं दिया जाता, उससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर एजेंन्टों से मिल कर रिश्वत लेता है। उसकी मनमानी इतनी बढ़ गयी है कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। वह देहातो में जाता है और लोगो के लाइसेंसों को चेक करता है और रुपया कमाता है। १९६९ में जब अरहर की दाल पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था? लोग २–२, ४–४ बोरे इधर से उधर ले जाकर बेचते थे। इस प्रकार से ११ लोगों की उसने ४२ बोरा दाल पकड़ ली।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर अब भी कोरम नहीं हुआ तो सदन को स्थगित करना पड़ेगा।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त—

मान्यवर, मैं महमूदाबाद मार्केटिंग इंनपेक्टर के बारे में कह रहा था कि उसने ४२ बोरों को सील कर दिया और केस पुलिस को दे दिया। उसके बाद उसने एक चिट्ठी पुलिस को भेज दी कि इनको रोक लिया जाय, इसमें अभी कोई कार्यवाही न की जाय। और नतीजा यह है कि ६९ से अब तक पुलिस ने कोई चार्जशीट नहीं लगायी है। न विभाग ही कुछ कर रहा है। दाल सड़ रही है। जब डी० एम० से बहुत कहा गया कि दाल खराब हो रही है तब १५ दिन हुये उसको नीलाम किया गया। जुर्म कोई बन नहीं रहा है इसलिए पुलिस और विभाग टाल रहे हैं। सारे अधिकारियों से मिले लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस प्रकार से ये खाने पीने वाले लोग जनता को बरबाद कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उनके ऊपर कोई जुर्म लगाया जाय, उनका चालान किया जाय ताकि केस कोर्ट में आये न चालान होता है, न उनको छोड़ा ही जाता है। छोटे-छोटे गरीब लोगों का माल। १–१ २–२ बोरा लेकर जाते थे और उनको बेचकर अपना पेट पालते थे। उनसे ५०० रुपया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मांगा गया। न देने पर एक साल से उनको परेशान किया जा रहा है। वे लोग उधार लेकर काम करते थे। उनका काम ठप्प पड़ा है। वहां अधिकारी और डी० एम० भी कुछ कर नहीं रहे हैं। आज भी वह इंसपेक्टर किसी को छोड़ता नहीं है। घोड़ों पर भी जो फुटकर बेचते हैं उनसे भी ५० रुपया लेता है। जो लोग २—२, ४—४ रुपया कमाते हैं भला ५० रुपया वे लोग कहां से दें।

मान्यवर, आजकल शादियों का जमाना है। वनस्पति की बहुत दिक्कत है। लाइसेन्सदार तो बहुत से बना दिये गये सीतापुर में लेकिन माल किसी के पास नहीं है। दो, तीन दुकानदार ऐसे हैं जिनको पूरा कोटा कानपुर से दिया जाता है। महीने में तीन-तीन, चार-चार मर्तबा आता है। मगर वह छोटे दुकानदारों को न दे कर वहीं से तकसीम हो जाता है। पता नहीं क्या गड़बड़ी है। खुले बाजार में वनस्पति मिलता नहीं है। दुकानों की यह हालत है कि वनस्पति का बोर्ड लगा हुआ है मगर रिफाइन्ड आयल बिकता है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, कोरम तब भी पूरा नहीं था लेकिन आपने कार्यवाही शुरू करा दी। अब भी कोरम पूरा नहीं है। जैसी आप की आज्ञा हो शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम नहीं है तो दस मिनट के लिये सदन स्थगित करता हूं।

(इस समय २ बजकर १० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर सदन की कार्यवाही, श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्यामसुन्दर लाल गुप्त बोल रहे थे। वह चले गये। माननीय पन्ना लाल।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान इस चीज की तरफ दिलाना चाहता हूं कि कोरम सरकार को पूरा करना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की सीट पूरी खाली है।

*श्री पन्ना लाल (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज खाद्य मंत्री ने जो अनुदान हाउस के सामने रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज खाद्य की समस्या पर काफी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने और हमने यह तय कर लिया है कि हम को बाहर से खाद्यान्न मंगाने की कोई जरूरत नहीं है तो हम को उस तरफ अपनी बहुत गहरी नजर रखनी चाहिए जिससे कि हम अपने उस लक्ष्य को पूरा कर सकें कि हम आत्म-निर्भर हो जायें, हमको बाहर के दरवाजे न खटखटाने पड़ें। आज हमारी सरकार ने खाद्य उत्पादन में जितनी प्रगति की है, जितना काम नीचे के अफसर कर रहे हैं, जो मजदूर तबके के हैं जिनकी मुल्क से हमदर्दी है वह आज इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मैंने कुछ बी० डी० ओज० को देखा, ग्राम सेवकों को देखा जो खेतों पर जा जाकर उत्पत्ति के साधन किसानों को बताते हैं और समझाते हैं। अगर कीड़ा लग जाता है तो एक-एक बाल अपने हाथ से तोड़ते हैं और किसानों को बतलाते हैं।

आज जहां ट्यूबवेल लग गये हैं, किसानों ने अच्छी मेहनत की है वहां जिस खेत पर ४—५ मन बीघे का गेहूं होता था अब २५ मन बीघे की उत्पत्ति हुई है। अगर इसी तरह से हम मेहनत करें, सरकारी अफसरों का सहयोग हो, सरकार की निगाह उन पर कड़ी रहे तो मैं समझता हूं कि हम आत्मनिर्भर बहुत जल्दी हो जायेंगे। आज भी हमारी स्थिति यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पन्ना लाल]

है कि गल्ला हमारे पास स्टाक में है, दूसरी तरफ हम किसानों को मदद पहुंचाना चाहते हैं। हमारी सरकार गल्ले का रेट नीचे नहीं जाने देती, क्योंकि अगर नीचे चले जायेंगे तो किसान को नुक्साग होगा और वह जो हमदर्दी रखता है उसकी कमी हो जायगी जब किसान को गल्ले का पैसा कम मिलेगा तो अपना ध्यान उस तरफ नहीं खींचेगा। इसीलिए आज सरकार ने खरीदारी शुरू कर दी है। जितना रेट कम होता है जैसे ही खरीद शुरू होती है, मार्केट में गल्ले के दाम तेज हो जाते हैं। गेहूं के रेट पर काफी हमारे किसानों को फायदा हो रहा है। आज गेहूं के साथ-साथ चने का रेट तो गेहूं से भी ऊंचा जा रहा है, क्योंकि मद्रास हमारे सूबे से और अन्य सूबों से चने की काफी मात्रा में खरीद कर रहा है, इसलिए कि आज कल हमारी सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने और प्रदेशीय गवर्नमेन्ट ने तय कर लिया है कि अब जोन सिस्टम नहीं रहेगा। उन्होंने देश भर में जहां कहीं कंट्रोल है और राशनिंग है, उन शहरों को छोड़ कर बाकी सब जगह गल्ले का आना-जाना फ्री कर दिया है। उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

आज कोई भी हिन्दुस्तान में कहीं गल्ला ले जा सकता है और बेच सकता है। आज हमारे सूबे का बुन्देलखण्ड का चना जो बहुत अच्छा होता है मद्रास जा कर अच्छे रेट पर बिक रहा है। जहां एक तरफ तरक्की हुई है वहां दूसरी तरफ हालत यह है कि कानपुर से स्टेट बैंक के जाली वाउचर द्वारा डेढ़ लाख का गल्ला निकल गया। जब आडिट हुआ तो पकड़ा गया और खुलासा हुआ। तो आज हालत यह है कि जबकि नियम यह है कि हर हफ्ते बैंक में जा कर उन वाउचर्स को मिलायें और तब उन वाउचर्स को उसमें लिखना चाहिये। मगर कानपुर के सरकारी अफसरों ने लापरवाही बरती और डेढ़ लाख रुपये का गल्ला निकल गया। तो मैं आज सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह इन अफसरों की खुशामद में न आये। उनकी कार्यवाहियों को भी देखें क्योंकि आज का अफिसर बहुत मक्खन बाज हो गया है। जिस बनिये का मुनीम ज्यादा खुशामद करने लगे तो समझ लीजिये कि कहीं न कहीं गोलमाल है। वही हालत आज सिविल सप्लाई में अफसरों की है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि हमारे फतेहपुर का मामला है, डी० एम० साहब अग्रवाल जी ने संतोष कुमार की दुकान का लाइसेन्स कैंसिल कर दिया बिना किसी नोटिस के। आखिर में वह कोर्ट गया। हाई कोर्ट से भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट से वह जीता और डी० एम० के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुए। श्रीमन्, आप के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस अफसर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? एक जमाना था कि जब किसी अफसर के खिलाफ हाई कोर्ट या सेशन्स कोर्ट से स्ट्रिक्चर पास हो जाता था तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जाती थी और आज हालत यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्चर पास करती है तो डी० एम० से जवाब तलब करने के बजाय उन की पोस्टिंग सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर हो जाती है।

अभी ३ अप्रैल, १९७० के चौथे पेज पर स्ट्रिक्चर निकला है। उसमें उनके ऊपर काफी आरोप लगाये गये हैं। तो मैं आप के माध्यम द्वारा श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रिक्चर पास किया जाय तो उस अफसर से जवाब तलब किया जाना चाहिये और अगर जवाब संतोषजनक नहीं है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। आज हालत यह है सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की कि मार्केटिंग इन्सपेक्टर जितना कूड़ा करकट होता है सब बोरों में भर के दे देते हैं। अगर गल्ला बरसात में गोदाम में रखा गया और कुंवार में निकाला गया तो दो किलोग्राम सीलन की वजह से बोरी का वजन बढ़ जाता है। उसकी बढ़ोतरी आज तक किसी अफसर ने नहीं दिखाई कि बरसात के बाद कुंवार में गल्ला निकाला गया और तोला गया तो उसमें इतनी बढ़ोतरी हुई।

इस तरह से काफी गल्ला बढ़ोत्तरी का गोदामों से अफसरों के जरिये निकल जाता है और बाजारों में बेचा जाता है। मैंने फतेहपुर के बारे में सवाल किया था लेकिन उसका बड़ा गोलमाल जबाव मिला और आखिर में वह सवाल रखा गया जिसके कारण मैं प्रश्न करने का भी अवसर न पा सका। वह यह था कि ८ बैगन गेहूं सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हमारे यहां के लिये जब सूखा पड़ा था बांटने के लिये भेजा था। वह गरीबों को फ्री बांटने के लिये भेजा गया था लेकिन मान्यवर उस का एक छटांक भी नहीं बांटा गया और हमारे यहां के डी० एम० के खिलाफ स्ट्रिक्चर भी पास हुआ। वहां के मारकेटिंग इन्सपेक्टर और डिप्टी कलेक्टरों ने उसको, ८ वैगन पूरे के पूरे को मारकेट में बेच दिया और साफ डकार गये। बड़ा पेट इतना होता है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। उस पर मैंने भी लिखा पढ़ी की। आज कल के जो विजिलेन्स के डाइरेक्टर हैं उनको पूरा पता है और उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा है कि इसकी खुली इन्क्वायरी कराई जाय, मामला सही पाया गया है लेकिन भूतपूर्व गवर्नमेंट फाइल दबाकर बैठ गई। खाली उनका ट्रांसफर किया गया गजेटियर में और डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया गया। इस तरह से इतने बड़े बड़े इलजाम होते हैं लेकिन कोई परवाह नहीं की जाती। हमने देखा मारकेटिंग इन्सपेक्टरों को रिश्वत के मामले में बरखास्त किया गया और गम्भीर आरोपों में बरखास्त किया गया लेकिन हम लोगों ने सिफारिश की गवर्नमेंट ने आर्डर्स पास किये और फिर जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन आर्डर्स को कैंसिल किया। इस तरह से यह सब चीजे कैसे भ्रष्टाचार मिटायेंगी और कैसे काम चलेगा ?

अब मैं थोड़ा सा मंत्री महोदय का ध्यान शक्कर की ओर ले जाना चाहूंगा। आज कंट्रोल में १७१, १७० और १६८ शक्कर का भाव है जो कन्ज्यूमर्स को दी जाय मगर मार्केट रेट है १६३ रु० से लेकर १६६ रुपये तक का। ओपेन मार्केट में शक्कर का भाव डाउन हो गया है ऐसी हालत में कौन कंज्यूमर कन्ट्रोल की दूकान से शक्कर खरीदेगा। आज उसका नतीजा यह है कि आज दो-दो सौ बोरे शक्कर एक, एक दूकानदार के पास पड़ी है और सरकारी अफसर उस पर कोई ध्यान नहीं देते। दुकानदारों को धमकी देते हैं कि तुम्हारा लाइसेंस जब्त कर लिया जायगा। उसको दो रुपये एक पैसा प्रति बोरी मुनाफा दिया जाता है और अगर वह शक्कर पड़ी रहे तो कम से कम तीन रुपया तो उसको व्याज देना पड़ेगा और बैंक में रखे तो इंश्योरेन्स का अलग और दूसरे खर्चे अलग देने होंगे।

तो, मान्यवर, मैं आज आपके जरिये से मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब इतनी शक्कर की उत्पत्ति हो रही है कि फ्री मार्केट में दाम कम है तो क्या जरूरी है कि शक्कर पर कंट्रोल रखा जाय, दुकानदारों को घाटा दिलाया जाय और सरकारी अफसर दुकानदारों को चाल बतावें और उनका नुकसान हो ? जैसे गल्ला फ्री है वैसे ही मंत्री जी शक्कर को भी फ्री कीजिये और कंट्रोल बन्द कीजिये और उनको नुकसान मत कराइये। श्रीमन्, इसी तरह आटे का सवाल है। जब मार्केट में अभाव होता है तो मिल ओनर्स आटे में जितना मैदा और सूजी का चोकर होता है सब मिला कर पीस देते हैं और मार्केट में उसको बेचते हैं। इसके बाद मार्केट में दुकानदार भी गड़बड़ करते हैं और दो महीने का आटा मार्केट में आता है मगर बेचारे गरीब जब गल्ला तेज मिलता है तो उस आटे को खरीद कर खाते हैं। इस तरह से मिल ओनर्स बहुत पैसा भी पैदा करते हैं।

हम आपको लखनऊ की हालत बता दें। भगवान इन्डस्ट्री की एक फ्लोर मिल थी परन्तु अब तो उनकी एक लम्बी चौड़ी कालोनी बस गई है। आप इलाहाबाद को लें लें या कानपुर को। वहां पर जो फ्लोर मिल हैं उनकी अब हर एक की चार चार पांच पांच मिलें हो गई हैं और उनकी भी कालोनी बस गई है। वह इसलिये कि वह आटा कन्ट्रोल में देते हैं और सरकारी आफिसर्स से मिल कर सब धांधलियां करते हैं। उस आटे में वे चोकर, सूजी और मैदा की छानन तथा झाड़न भी मिला कर पिसवा देते हैं। इसकी क्या जरूरत है। हमारे पास गेहूं, चने तथा चीनी का स्टाक है। आज भी चीनी मिलें चल रही हैं तो क्या जरूरत है कि उस पर कन्ट्रोल रखा जाय। अगर मंत्री महोदय को सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कोई दिक्कत है तो उसको वे दूर

[श्री पन्ना लाल]

करवायें। ये सरकारी आफिसर्स तो इसका भाग लेते है और उनको मजबूर करते हैं कि वह इसी प्रकार से चलने दें। हमारे पास इतनी शक्कर है इसको फ्री करें और अगर फ्री नहीं करेंगे तो दुकानदार शक्कर को नहीं उठायेगा तो आपकी बदनामी होगी और मिलओनर्स कहेंगे कि गवर्नमेंट हमारी शकक्र नहीं उठाती है। मैं तो कहूंगा कि आप बदनामी से बचें और आफिसर्स के झगड़े में न पड़ें।

मारकेटिंग इन्सपेक्टर की हालत, मैं भी एक मार्केट बिन्दकी से आता हूं, और मैं जानता हूं कि उन लोगों की क्या हालत है। चावल ६० परसेंट लेवी में लेते हैं और ४० परसेंट छोड़ते हैं। मैं मंत्री जी को बताऊं कि मार्केटिंग इन्सपेक्टर्स खुद मोटर में बैठ कर ब्लाक का चावल लाकर इलाहाबाद में फाफामऊ का पुल पार कर मोटर से उनको ठेलों में लौटते हैं। इस प्रकार से न जाने कितने ठेले जाते हैं। आपका सारा चावल बाहर निकल जाता है। ये दुकानदारों के ठेले चावल को लाद कर नैपाल ले जाते है जहां से वह चावल हमारे दुश्मनों के पास पहुंच जाता है। आप नैपाल को चावल जाने से नहीं रोक सकते हैं क्योंकि आपकी उनकी ट्रीटी है परन्तु वही चावल हमारे दुश्मनों के पास पहुंच जाता है जिसको खाकर वे हमसे लड़ते हैं। ४० परसेंट चावल फ्री करते हैं तो उसका भी लाइसेंस नहीं मिलता है। वह चावल नानपारा, नैपालगंज होता हुआ नैपाल जाता है फिर हमारे दुश्मन के पास पहुंच जाता है। इस चावल में १५ से २० रु० मन का फर्क होता है और यह लगातार वहां जा रहा है।

हलर के लिये भी हमारी गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती है। गरीब आदमी जो एक या दो मन चावल को कुटवाना चाहता है उसको हलर का लाइसेंस नहीं मिलता है। मार्केटिंग इन्सपेक्टर, थानेदार आदि के २५, ३० या ४० रु० महीना इसके लिये बंधा है। देहातों में २४ घंटे हलर चलता है। हमारे आफिसर्स इस प्रकार से बेईमानी पर उतर आये है और वह गरीब किसानों को लूट रहे हैं। अगर हलर का लाइसेंस फ्री कर दिया जाय तो यह बेईमानी बन्द हो जाय। यह चीज बन्द हो जाय कि थानेदार और मार्केटिंग इन्सपेक्टर को वह रुपया दे। और लाइसेंस से रुपया हमें मिले। मंत्री जी यह न समझें कि हलर में कुटाई से चावल कम पड़ता है। वह बिक्री में तो आता नहीं है, वह तो गांव वाले अपने खाने के लिये करते हैं। बिक्री वाला तो सैलर में जाता है।

अब श्रीमन्, तेल की बात देखें। उसमें आप लीकेज नहीं देते। हर एक जानता है कि खुला रखा जाय तो लीकेज होता है। लेकिन अफिसरों के ऊपर जूं नहीं रेंगती। वह कहते हैं कि हम लीकेज नहीं देंगे। ड्रम के ड्रम बहते हैं मगर लीकेज नहीं देते। दुकानदार बेईमानी करता है और गलत रजिस्टर भरता है। पूरे का पूरा दिखाता है। कम दिखाये तो चालान हो जायगा। तो अफसर खुद बेईमानी सिखाते हैं। तो तेल का लीकेज फौरन देना चाहिये। नहीं देंगे तो गड़बड़ी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और भी बहुत सी बातें हैं। मार्केटिंग के बारे में तो मैंने एक दफा कहा था कि चाहें मंत्री हों या कोई हो इसका भ्रष्टाचार बन्द नहीं हो सकता। यह तो गंगा की तरह बहता है। जैसे हिमालय में जब तक बर्फ है तब तक गंगा का श्रोत है वैसे ही जब तक सप्लाई विभाग है तब तक भ्रष्टाचार है। बड़े अफसर से छोटे अफसर तक कोई इस से बचा नहीं है। मंत्री महोदय को चाहिये कि जरा कड़ाई बरतें। जो उन्होंने अभी बताया कि एक मोटर लेकर स्क्वैड बनाने जा रहे हैं जो मौके पर जाकर अफसरों को और दुकानदारों को पकड़ेंगे। यह बड़ी अच्छी बात है और नीयत भी अच्छी है। मगर अफसर भी जरा अच्छे रखें। ऐसा न हो कि चोर चोर मौसेरे भाई। ऐसे ही अफसर हों जो परसन्टेज ले लें। तब तो पेट्रोल का खर्चा भी बेकार जायगा, ड्राइवर की तनख्वाह भी जायगी और स्क्वैड का खर्चा भी जायगा। काजल की कोठरी में कालिख ही हाथ लगे और कुछ न हाथ लगे।

हमारे मंत्री महोदय बहुत अच्छे और समझदार आदमी हैं। कांग्रेस के भक्त भी हैं और पब्लिक में भी आने जाने का उनका सम्पर्क रहा है क्योंकि वह चल फिर भी सकते हैं। तो खुद भी मोटर में बैठ कर इधर उधर देख लें तो विभाग को सुचारु रूप से चला लेंगे। पुरानी सरकार में जो हमारे मंत्री महोदय थे वह चल फिर नहीं सकते थे, आंख से दिखाई भी नहीं पड़ता था, कान से सुनाई भी नहीं पड़ता था। वह बुद्धू नाथ थे। पब्लिक ने उन्हें हटा दिया। मैं समझता हूं अब हमारे मंत्री महोदय इसको देखेंगे। अगर वह न ठीक कर पाये तो कौन ठीक करेगा? तो उनका जो अनुदान है, स्कवैड वगैरह की जो नयी बाते उसमें है, इससे भी ज्यादा रुपया अगर वह मांगते तो यह हाउस देने को तैयार है मगर उसी शर्त के साथ कि सब ठीक करें।

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने समय दिया। मैं तो उस अभागे जिले से आता हूं जहां पर प्रति वर्ष बाढ़ आया करती है। वहां पर जो सप्लाई आफिस हैं, वह खाद्य मन्त्री जी के विभाग से सम्बन्ध रखता है, इसलिये उसके कारनामों को मैं आपके माध्यम से उनके सामने रखना चाहता हूं। हमारे जिले में प्रति वर्ष बाढ़ आने से वहां पर गांवों में गल्ला बांटने के लिये दुकानें खोली जाती हैं। उन दुकानों को गल्ला दिया जाता है लेकिन मैं आपकी मारफत मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह गल्ला जो गांवों में उन बाढ़ पीड़ितों को बांटने के लिये जाता है उनके यहां पहुंच नहीं पाता। उसका कारण यह है कि जो गल्ला दिया जाता है उन गांवों में बाढ़ पीड़ितों को बांटने के लिये वह दुकानदार जब रुपया जमा करने के लिये सप्लाई आफिस में जाता है तो उसको तब तक गल्ला नहीं मिलता है जब तक कि वह सप्लाई आफिस में जो उससे संबंधित लोग हैं उनको रुपया न दे दे। इस तरह से जो व्यापारी हैं उसको कहां-कहां रुपया देना पड़ता है और इस तरह से जो गल्ले की कीमत बढ़ती है वह मैं आपके द्वारा मन्त्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं। जब व्यापारी रुपया जमा करने जाता है उस समय उसको बैंक में बिना रुपया दिये उसका चालान पास नहीं किया जाता है। उसके बाद जब वह चालान लेकर सप्लाई आफिस में जाता है तो वहां उसको रुपया देना पड़ता है तभी सप्लाई आफिस वाले उसको पास करते हैं। जब वह गल्ला गोदाम पर जाता है वहां पर जो गल्ले गोदाम का इन्चार्ज होता है उसको रुपया दिये बगैर गल्ला नहीं दिया जाता है। इस तरह से जो व्यापारी है, दुकानदार है उसको इतनी जगहों पर रुपया देना पड़ता है। इसलिये उसको रुपया अधिक देने के कारण गल्ले की चोरी करनी होती है। वह गल्ले को उन जगहों पर नहीं ले जाता जहां पर उसको बांटना है। वह उसी बाजार में जहां पर गोदाम है और बाजार है वहीं पर गल्ले को बेच लेता है। इस तरह से उन बाढ़ पीड़ितों को वह गल्ला नहीं मिल पाता है। यह गल्ले की हालत है।

इसी तरह से और भी जो मनुष्य जीवन के लिये आवश्यक वस्तुयें हैं उनके लिये भी सप्लाई आफिस में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। किरोसिन का लाइसेंस लेने के लिये कोई व्यक्ति अगर जाता है तो उसको बगैर पैसा लिये लाइसेंस नहीं दिया जाता। इसी तरह से चीनी के लाइसेंस के लिये, सीमेन्ट के लाइसेंस के लिये, गल्ले के लाइसेंस के लिये बिना रुपया लिये लाइसेंस नहीं दिया जाता है। अगर किसी तरह से लाइसेंस दे भी दिया जाय तो साल के आखीर में जब रिन्यूअल कराना पड़ता है तब उसको रुपया देना पड़ता है। तब जाकर कहीं लाइसेंस का रिन्यूअल होता है। इस तरह से सप्लाई आफिस में अष्टाचार व्याप्त है।

मैं अपने जिले के सप्लाई आफिसर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं अपने जिले के सप्लाई अफसर का नाम नहीं लेना चाहता। वह इस समय ससपैन्ड हैं। वह सप्लाई अफसर उन ५ सप्लाई अफसरों में से हैं जिनको आज के मुख्य मन्त्री जी, चौधरी चरण सिंह ने अपने संविद काल में ससपैन्ड किया था लेकिन संयोगवश वह संविद सरकार जब नहीं रही तो उन्होंने उसके खिलाफ अपील की और अपील में उनको वह स्थान फिर मिल गया। वह वहीं पर फिर पहुंच गये। आज उनकी यह हालत है कि मकानों का जो अलाटमेंट होता है उसमें वह २-२ और ३-३

[श्री नगीना सिंह]

३हजार रुपया लेकर, वह मकान चाहे किसी को भी अलाटेड हों, वह उन लोगों को मकानों से निकाल देते हैं। वह इन मकानों को जिन को उनकी आवश्यकता है अलाट नहीं करते बल्कि रुपया लेकर उनको छोड़ देते हैं।

इसी तरह से हमारे जिले में ऐसे ५–६ मकान हैं जो पहले कंट्रोल में थे और उनको उन्होंने छोड़ दिया और आज हालत यह है कि जब इन तमाम चीजों के लिये कहा गया तो इन सप्लाई आफिसर ने जो अलाटमेंट की फाइल थी दफतर में उसको जलवा दिया। जिसकी कि अब इन्क्वायरी हो रही है। इस तरह से हमारे यहां गड़बड़ी चल रही है। एक मकान के लिये एक व्यक्ति ने जो मुझसे संबंधित था अप्लाई किया लेकिन जब उस मकान को देने की बात आई जिसके लिये उस व्यक्ति ने अप्लाई किया था तो उसको मालिक मकान से ३००० रुपया लेकर अलाटमेंट से निकाल दिया गया और उस व्यक्ति को नहीं दिया गया। मैंने कहा कि ऐसा क्यों किया गया और यह कहां तक उचित है? तो उसने कहा कि एक मकान मेरे नाम से भी आज दस साल से एलाट है। यह सत्य है मेरे खास भतीजे हैं वह रहते हैं, मुझे भी मकान की आवश्यकता है, मैं वहां पर जगह की कमी से नहीं रहता, बलिया में मकान न होने से नहीं रह पाता, मेरा भतीजा मेरे मकान में रहता है। लेकिन मैं आप के द्वारा कहुंगा कि वह मुझ से बिलकुल अलग है मेरा परिवार बटा हुआ है। उस को सप्लाई आफिसर ने कहा कि आपके नाम पर मकान है और उसमें आपके भतीजे रहते हैं, मैंने उनसे कहा कि उनका मकान नहीं है, वह मेरा है, वह वकालत करते हैं आप उनको मकान दे दें, मैं तो राजनीति में काम करता हूं, मुझे भी बलिया में आवश्यक कार्य रहते हैं, मुझे दे दो, मैंने कहा कि वह मेरे खास परिवार के हैं लेकिन मैं उनको मनुष्यता के नाते अपने मकान में रहने देता हूं तब, एक दिन उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो कुछ सबूत दें। मैंने अलग रहने का सबूत दिया। लेकिन उन्होंने तो पहले रुपया ले रखा था इसलिये उन्होंने मेरे सबूत का कोई खयाल न करके मकान मुझे नहीं दिया। तब मैंने जिलाधीश महोदय से कहा तो उन्होंने कहा कि यह मकानों की हालत न पूछिये, वह सप्लाई आफिसर ऐसे हैं कि बिना रुपया लिये किसी को मकान अलाट नहीं करते। मैंने उनसे कहा कि यह तो आपका अधिकार है आप ही ने तो अपनी पावर उनको डेलीगेट की हुई है, आप चाहें तो उस केस की फाइल मंगा सकते हैं। तब जिलाधीश ने कहा कि आप जाकर जिला सप्लाई आफिसर से फाइल भेजने को कहें कि हमारे यहां उसे भेज दें। मैंने कहा कि मैं क्यों कहूं, आप ही मंगा लें आप तो उसे मंगाने के लिये सक्षम हैं। वह कहने लगे कि आप जानते नहीं है यह सप्लाई आफिसर ऐसे हैं कि श्री जगजीवन राम जी के पी० ए० एक मकान चाहते थे, वह हमारे यहां आये मैंने कहा कि उनको एक मकान दिया जाय लेकिन उस सप्लाई आफिसर ने मेरा भी कहना नहीं किया और जगजीवन राम जी के पी० ए० को मकान नहीं दिया। तब उन्होंने कहा कि आप के कहने से तो नहीं दिया, आप कहें तो हम उसको अलाट करा लें। उन्होंने कहा कि कराईये। इस पर उन्होंने १०० रुपये के करीब सप्लाई आफिसर को दिये और मकान अलाट करा लिया।

इस तरह से हमारे जिले का सप्लाई अफसर प्रदेश में भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। माननीय चरण सिंह जी ने उन्हें १९६७ में ससपैन्ड भी किया था। जब इस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है तो समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से स्वच्छ प्रशासन होगा। आज ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है। भ्रष्टाचार नीचे से नहीं आता है। यह ऊपर से ही होता है। जिस तरह से कोई नशा खाता है तो उसके पैर में कमजोरी नहीं आती पहले उसके मस्तिष्क में कमजोरी आती है और उसके कारण फिर उसके पैर ठीक से नहीं पड़ते हैं। हमारे ऊपर के अधिकारी भ्रष्ट हैं। आज उनके द्वारा ही ये चीजे हो रही हैं। आप छोटे कर्मचारियों को ही भ्रष्ट न समझें, पहले अपने ऊंचे अधिकारियों की ओर देखें और अगर उनके ऊपर कड़ाई रखेंगे तो भ्रष्टाचार दूर करने में सफल होंगे।

मैं यह भी चाहूंगा कि जो भी विधायक जिस जिले का हो, मकानों के एलाटमेंट और गल्ले आदि के मामले में, उनकी राय अवश्य लनी चाहिये। और यह भी हो कि वह

केवल अपनी बातें ही न रखें बल्कि उनकी बातों पर विचार किया जाय। यदि उनके द्वारा कही गयी कोई चीज सही न निकले तो उनकी जांच होनी चाहिये। विधायक भी कभी-कभी गलत काम कर सकते हैं। लकिन जिला स्तर पर एक समिति अवश्य बने जिसमें जिले के विधायक समय-समय पर ऐसे मामलों पर अपने विचार रख सकें। लाइसेन्स आदि के देने में भी एक समिति का निर्माण होना चाहिये जिसमे भी इन विधायकों की राय पर विचार किया जाय। तभी जाकर यह फैसला हुआ भ्रष्टाचार समाप्त होगा। यदि आप नौकरशाही के ऊपर ही निर्भर रहे तो यह प्रजातंत्र सफल नहीं होने वाला है, इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ता ही जायेगा। इसलिये, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी मे यह प्रार्थना करता हूं कि आप इन बातों पर विशेष ध्यान दें। आपके जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उन्हीं के जरिये भ्रष्टाचार व्यापक होता है, वहीं से आरम्भ होता है लेकिन होता क्या है? मारे जाते हैं छोटे कर्मचारी।

इसी सप्लाई आफिस के सम्बन्ध में छोटे कर्मचारियों के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिनों से वे दफ्तर में ही बैठे रहते हैं। वे भी भ्रष्टाचार के जरिये होते हैं। उदाहरण के लिये मैं निवेदन कर दूं कि बलिया में एक आम चर्चा है कि इस कार्यालय में एक हेड क्लर्क है। वे विकलांग हैं, उनके दोनों पैर कटे हुये हैं लेकिन १०–१२ साल से वे वहां पर ही हैं। उनका मासिक बेतन मुश्किल से २०० रुपया या २५० रुपया होगा लेकिन उन्होंने ५२ हजार रुपया का एक मकान बनवाया है। वे ही वहां के सप्लाई अफसरों को भ्रष्ट होने का रास्ता बताते हैं लेकिन कोई भी सरकार हो, चाहे संविद की सरकार हो चाहे, गुप्ताजी की सरकार हो, उनको वहां से न हटा सकी है। वे हर एक से यह कह देते हैं कि मैं विकलांग हूं, मैं कैसे दूर जा सकता हूं। इस प्रकार से वे अपने को बचा लेते हैं।

आप दिखवायें उनके पास सारी फाइलें रखीं हैं जो कि दबायी गयी हैं। उन्हीं के चार्ज में लोहा, कोयला, सीमेंट आदि की सारी लाइसेंन्सों से सम्बन्धित फाइलें रहती हैं। उसके जरिये ही यह सब भ्रष्टाचार होता है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारियों के प्रति आप अपना रुख कड़ा रखें। और यदि वह कहता है कि मैं तो विकलांग हूं, मैं क्या कर सकता हूं तो इसकी भी जांच करायें कि वह विकलांग कितना भ्रष्टाचार फैलाता है और इसको ध्यान में रखते हुए उसे छूट नहीं होनी चाहिये। मैं नहीं कहता कि विकलांग को तरह न दें, उसकी सहायता न करें लेकिन ऐसे विकलांग के लिये मैं कहता हूं कि उसको तरह देने की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हुकुम सिंह (जिला आगरा–पश्चिम)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपका मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे आज के अनुदानों पर बोलने का मौका दिया। वैसे आज के युग में कंट्रोल आवश्यक है क्योंकि बगैर कंट्रोल के गरीबों और किसानों तक जो आवश्यक वस्तुयें हैं वे नहीं पहुंच सकती हैं। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा, सभी चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वह दूर हो जाय। इतिहास साक्षी है कि अलाउद्दीन लिखजी के समय में भी कंट्रोल था। जरूरत की छोटी से छोटी वस्तु से लेकर हाथी, घोड़े और गुलाम तक की कीमत निश्चित थी लेकिन आज के युग में यह दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी चीज हम तय नहीं कर सके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश और प्रान्त के अन्दर खाद्यान्नों की कमी है और जब तक यह कमी दूर नहीं होगी तब तक कंट्रोल की व्यवस्था दूर नहीं हो सकती।

(इस समय ३ बजकर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगवीर सिंह पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुक्म सिंह]

उसका खास कारण यह है कि किसान जो खाद्यान्न पैदा करता है, उसके पश्चात् वह उसे बाजार में ले जाता है जिसे व्यापारी मनमाने ढंग से खरीदता है। जब तक वह चीज रहेंगी कंट्रोल की बीमारी दूर नहीं हो सकती। हम बात तो करते हैं रामराज्य की और हमारी भावना है दूसरी जगह। जब तक हमारी भावना सही स्थान पर नहीं आयेगी तब तक रामराज्य की स्थापना नहीं कर सकेंगे।

सबसे पहली चीज यह है कि जो वस्तुयें बाजार में आवें, उनके आने पर उनका भाव निश्चित हो जाना चाहिये जिससे वहां ब्लैक की गुंजायश न रहे। साथ ही साथ भाव में स्थिरता होनी चाहिये। जैसे रबी की फसलमें कोई अनाज पैदा हुआ और उसकी खरीदारी के लिये कोई नहीं रहा हो व्यापारी लोग मनमाने ढंग से उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं और उसके पश्चात् उसे छिपा कर अपने गोदामों में रख देते हैं। इसके बाद जब आवश्यकता पड़ती है तब उसे धीरे-धीरे निकालते हैं और उसे मानमाने दामों पर बेचते हैं।

जैसे अभी कुछ दिन पहले वनस्पति आयल का अकाल पड़ गया था। उसके बाद लोगों ने सरकार से प्रार्थना की तो सरकार ने उसके लिये परमिट की व्यवस्था कर दी लेकिन परमिट भी सही आदमियों को न मिल कर गलत आदमियों को ही अधिक मिली। इस तरह से ब्लैक में किसी चीज की कमी नहीं रहती। ब्लैक में १०, २०, ५० टीन तक व्यापारियों की मेहरबानी से मिल जाता था। इसलिये जब तक व्यापारी लोग सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक बाजार में भी वे चीजें नहीं मिल सकेंगी। कहा जाता है कि कंन्ट्रोल से गरीब जनता को सामान मिलेगा। ठीक है, शहरी जनता को मिलेगा क्योंकि उनमें जाग्रति है। देहाती जनता में जाग्रति नहीं हैं इसलिये उनकी कोई भी चिन्ता नहीं करता है जब कि देश की बहुत बड़ी आबादी देहातों में ही रहती है और आबादी के लिहाज से चीजें भी देहातों में ही अधिक हैं। परन्तु देहाती जनता को दस दस रुपये और बीस बीस रुपये एक टीन पर ब्लैक देना पड़ा। शहरी जनता ने तो भाग-दौड़ कर परमिटों से ले लिया। इस तरह देहाती जनता ही पिसी रहती है।

जब किसानों से सरकार खरीद करती है तो भी उनके साथ धोखा होता है। खरीद के समय जो बांट होता है उनमें ही सरकार सौ-सौ बोरे पर एक एक और दो-दो के०जी० ज्यादा लेती है और उनका भुगतान भी ठीक समय पर नहीं हो पाता है। कीमतें तो माननीय रफी साहब ने अपने समय में नियत कर दी थीं। उसकी वजह से बाजार से चीजें गायब नहीं हो पाती थीं। जब तक सरकार सख्ती के साथ चीजों का दाम तय नहीं करेगी और भ्रष्टाचारियों को सख्त से सख्त दंड नहीं देगी तब तक कीमतों में सुधार नहीं हो सकेगा। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय कीमतों को तय करने में ज्यादा से ज्यादा व्यय करें। इसके लिये फ्लाइंग स्क्वैड रक्खे और भ्रष्टाचारियों को पकड़े।

रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट तो एक ऐसी बीमारी है जिससे और कोई परेशान हो या न हो मैं तो इससे पड़ा परेशान हूं। इसमें कोई रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स नहीं हैं। इसमें तो डी० एस० ओ० और ए० टी० आर० ओ० की मेहरबानी पर रहता है। बी० के० डी०, आफिस आगरा के लिये मैंने अप्लाई किया। उसके लिये तीन तारीख पड़ी हियरिंग के लिये। हियरिंग के बाद वह अलाटमेन्ट ए० टी० आर० ओ० महोदय ने आगरा के बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े पैसे वाले जिनके पास तीन चार बिल्डिंग्स हैं, को अलाट किया। वह बोरा की बैठक के लिये अलाट किया गया। हमारी नीयत थी कि कहीं कलैक्टरी के पास रख लिया जाय ताकि जनसम्पर्क बना रहें। ए० टी० आर० ओ० महोदय ने अलाट करते समय रिमार्क दिया कि "तीन कमरों की एकमोडेशन है और वे अकेले रहते हैं। इसीलिये उनमें से एक कमरा बी० के० डी० कार्यालय के काम आ सकता है। अतः यह मकान हुकुमसिंह एम० एल० ए० को, बोरा रामगोपाल को बैठक के लिये दिया जाता है। यह हमारी व्यवस्था है।"

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि अलाटमैन्ट के केसेज को विशेष रूप से देखें क्योंकि वहां पर भी बहुत भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। जो लोग उनसे मिलते जुलते रहते हैं या जो उनकी दान-दक्षिणा या पूजा करते रहते हैं उनको अलाटमेन्ट होता रहता है। और किसी के लिये कान्सीडेशन नहीं होता, चाहे गरीब हो, चाहे दूर का हो, चाहे नजदीक का हो।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि कन्ट्रोल के लिये आवश्यक यह है कि व्यापारी अपने-अपने स्टाक का रजिस्टर रक्खें और उनका आवश्यकतानुसार चैकिंग होना चाहिये जिससे ऐसे समय में जब माल की आवश्यकता हो तो माल बाजार में लाया जा सके। आज कल सरकार ने खरीद शुरू कर दी है पर वह बहुत नहीं खरीद पा रही है क्योंकि वह देहातों में नहीं पहुंच पा रही है। किसानों से सरकार ६५ और ७० रुपये के हिसाब से खरीद रही है जब कि किसानों के लिये ७६ रुपये क्विन्टल दाम तय हुए हैं। उसको वही ६०-६५ रुपये क्विन्टल पर बेचना पड़ रहा है। किसानों के पास रुपये पैसे का यही साधन है कि वह अपनी फसल को बेचकर छः महीने और साल भर के लिये हुए कर्जे को पूरा करे, शादी ब्याह करे। इसलिये उसको जैसा भी दाम मिल जाता है उसी दाम पर अपना अनाज देना पड़ता है।

साथ ही साथ मिलावट का जहां तक सुवाल है श्रीमन्, आज मिलावट हमारे खून तक में आ गयी है। उसी के कारण आज हम अपने सही कार्यों को छोड़ कर अधिकारियों के कब्जे आ गये हैं। आज हम सही रास्ते से भटक गये हैं। अगर हमारे पास कोई गलत आदमी भी सिफारिश के लिये आता है तो हम उसकी सिफारिश करने चले जाते हैं। हमें चाहिये कि हम गलत आदमी की सिफारिश न करें और जो सही आदमी है उसकी सहायता करें। जब हम ऐसा करेंगे तभी भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। हम विधायक लोग ही भ्रष्टाचार को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। मगर कोई उसे दूर करने की कोशिश नहीं करता।

लाइसेन्स उन दूकानदारों को देना चाहियें जो सभी शर्तों को पूरा करते हों। मगर आज मिलता किनको है ? उनको मिलता है जो अधिकारियों से मिले रहते हैं और जिन पर उनकी महती कृपा होती है। वे चाहे मिलावट करें चाहे जो कुछ करें। अगर शिकायत भी होती है तो अधिकारियों से दुकानदारों का गठबन्धन होने के कारण उनका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। आपने फ्लाइंग स्क्वाड बना रखे हैं, मगर उनके पीछे भी सी० आई० डी० लगी होनी चाहिये। जैसे चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में गुप्तचरोंके पीछे भी गुप्तचर रहते थे उसी प्रकार की व्यवस्था आपको भी करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री भानुप्रताप सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में मेरा लक्ष्य तो माननीय खाद्य मंत्री को केवल अपनी बातें सुनाना हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर आपके सामने अपने दो एक सुझाव रखूंगा। मंत्री जी के कमरे में जाकर तो ठंडे दिल से बात नहीं हो पाती, क्योंकि वे प्रायः ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो अपना अपना स्वार्थ लेकर जाते हैं। इस समय उनके समक्ष और कोई कार्य नहीं है, केवल हमारी बात सुनने के। इसलिये मैं उनको अपनी बात सुनाना चाहता हूं। माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा, वे किसानों की बड़ी मजबूती के साथ पैरवी करते हैं, कि वे मेरी बातों को ध्यान से सुनें। वे, आशा है, मौका आने पर केबिनेट में भी उसको रख सकेंगे। मैं मुख्य रूप से एक ही चीज को लेकर अपनी बात कहूंगा और वह है धान और चावल को लेकर। सरकार ने उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। इसकी चर्चा मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी की थी। उस समय शिवराज बहादुर ने कहा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

वही पुरानी बात कह रहा है। मैं उसका हवाला इसलिये दे रहा हूं कि इस विषय में वे कितनी कम जानकारी रखते हैं।

पश्चिम के लोग चूंकि इसके पीड़त नहीं हैं, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है। मैं उनको बताना चाहत हूं कि यह किस तरह से हो रहा है और इससे किसानों को किस तरह से कितना नुकसान हो रहा है। श्रीमन, मैंने नियम ५१में एक चर्चा उठाई थी, जिसमें, मुझे पहले से सूचना नहीं थी, इसलिए उपस्थित नहीं रहा था लेकिन मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने इन प्रतिबन्धों को लगाने के मुख्य रूप से दो कारण दिए थे। पहला यह कि चावल की खरीदारी जरूरी है ताकि लोगों को सस्ता चावल सप्लाई किया जा सके। दूसरा कारण यह बताया था---जिससे दूसरे राज्यों में हमारा चावल न जा सके। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के सोचने के ढंग में कुछ फ्लैक्सिबिल्टी होनी चाहिए, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन आना चाहिये। आज अनाज की कमी न अपने देश में है और न उत्तर प्रदेश में है। पिछले २० वर्षों के यदि आंकड़े लिए जाएं---जो देश में उत्पादन हुआ है, जो विदेशों से अनाज मंगाया गया है, उसका टोटल देखा जाए और आबादी को देखा जाए तो यह नतीजा निकलेगा कि एक टन खाद्यान्न ६ व्यक्तियों के लिये काफी होता है एक साल के लिये और इससे ज्यादा भारतीयों को कम से कम पिछले २० वर्षों में नहीं मिला है।

अब उत्तर प्रदेश के ही उत्पादन को आप ले लें, पिछले वर्ष १७० लाख टन पैदा हुआ है, उससे साढ़े १२ प्रतिशत--बीज इत्यादि के लिये और दूसरे नुकसानों के लिये निकाल दिया जाए, फिर यह हिसाब लगाया जाए, तो यह खाद्यान्न जो पैदा हो चुका है इस प्रदेश में ९ करोड़ आबादी के लिए साल भर के लिये काफी है। इसी प्रकार यदि पूरे देश का हिसाब लगाया जाए, तब भी यही नतीजा निकलेगा। आज इस देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको अनाज खरीदने की और व्यवस्था करने की जो तीन वर्ष पहले आवश्यता थी आज नहीं रही है। यह चीज उस पुस्तक से भी जाहिर है जो आपने दी है। उत्तर प्रदेश में पहले जितने भी लाख टन सस्ते गल्ले की दुकानों से गल्ला बेचा जाता था, परन्तु पिछले साल के यह आंकड़े हैं कि पूरे साल के अन्दर--साल नहीं केवल ८ महीने के अन्दर १ लाख १७ हजार टन अनाज केवल सस्ते गल्ले की दुकानों से बांटा गया।

श्रीमन्, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सारे कन्ट्रोल, नियन्त्रण भ्रष्टाचार के कारण हैं और इनके कारण किसानों का बड़ा नुकसान होता है तथा साथ ही आपकी भी बदनामी होती है। आपने केवल १ लाख १७ हजार टन गल्ला बांटा है, अब उसी फार्मूले के अनुसार कि १ टन ६ व्यक्तियों के लिए काफी होता है, आप देखें तो आपके कुल प्रयत्नों का फल इतना ही हुआ है कि ९ करोड़ की आबादी में १० लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि यदि आप व्यवस्था न करते तो कौन-सा आसमान जमीन पर गिर पड़ता। जिस तरह से यह ९ करोड़ लोग जिन्दा रहे, उसी तरह से यह १० लाख भी जिंदा रह लेते।

अब चावल की खरीदारी की बात आती है। इसके आंकड़े मैंने मंत्री जी से पूछे थे, लेकिन मालूम नहीं हो सका, अब भी हो सके तो वह हमें बता दें। मैं समझता हूं ३ लाख टन से अधिक भी नहीं देंगे। क्योंकि गेहूं का भाव महंगा है, चावल आपको कभी २ लाख टन से ज्यादा नहीं मिला है। केवल बाजार के ऊपर उसका असर आप डाल सकते हैं, इसके ऊपर आप स्वयं विचार कर लें। तो मेरा निवेदन है कि यह सारा आपका प्रयास और आपके विभाग का कन्ट्रोल इत्यादि इसलिये चल रहा है कि आपको इस प्रकार का मशिवरा दिया जाता रहा है। और यह राय इसलिये दी जाती रही है कि वह विभाग खुला हुआ है और उससे लोगों को वेतन के अलावा भी बहुत से लाभ हैं। मेरा निवेदन है कि बदली हुई देश की परिस्थितियों में आप इस पर सोचें कि क्या आपको इसकी आवश्यकता भी है?

श्रीमन्, मैं यह भी बतला देना चाहता हूं और क्या मंत्री जी के वक्तव्य में था कि बिहार सरकार ने चावल और धान के मूवमेंट पर से कन्ट्रोल हटा लिया है। आपने एक कारण दिया था अपने यहां न हटाने का कि चूंकि बिहार में हट गया है, इसलिये खतरा है कि बिहार चला जाएगा। मैं इस बात का हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि जो काम बिहार सरकार कर सकती है, आपके ही लोग वहां भी हैं, आप भी कर सकते हैं। मुझे यह भी मजबूरी बतायी जाती हैकि चूंकि भारत सरकार का आदेश है इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार मजबूर है। क्या आप बिहार सरकार से कमजोर हैं? अगर बिहार सरकार केन्द्रीय सरकार से मनवा सकती है तो आप भी कर सकते हैं। बिहार की स्थिति इस नाते कमजोर है, कि जो सबसे बड़ा चावल का उपभोक्ता क्षेत्र है वह कलकत्ता और उसके इर्दगिर्द का एरिया है, वह बिहार से ज्यादा नजदीक है, बनिस्बत आपके सूबे से। फिर भी उन्होंने हटाया। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि आप भी चाहें तो हटा सकते हैं, बिहार का उदाहरण देते हुए हटा सकते हैं।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कन्ट्रोल किस उद्देश्य से और किस प्रकार आपरेट करता है। वास्तव में लक्ष्य तो यह है कि चावल सरकार सही दामों पर खरीदे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये तरीका यह बनाया जाता है कि एक भाव निश्चित कर दिया गया। साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया कि कोई भी व्यापारी जो लाइसेंसी नहीं होगा, वह चावल का व्यापार नहीं कर सकता और लाइसेंसी से कहा जाता है कि चावल तुम खरीद लो उसका ६० प्रतिशत, ५० प्रतिशत, भिन्न-भिन्न क्षेत्र के लिये भिन्न भिन्न भाव हैं, उसके अनुसार सरकार को सरकारी भाव पर देना पड़ता है। किसान से जो सीधा गल्ला वसूल होता है, एक बार जब चौधरी चरणसिंह मुख्य मंत्री थे एस०वी०डी० गवर्नमेंट ने तो वसूल किया था किसानों से, उसके विरोध में काफी आवाज उठी थी और सभी स्तरों पर काफी लोगों ने विरोध किया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो सीधी वसूली किसान से होती है उससे ज्यादा हानिकारक यह वसूली है जो व्यपारियों की मार्फत होती है।

जब सीधे किसान से वसूली होती है तब किसान से सरकार अपना हिस्सा चौथाई,पांचवां हिस्सा जो कुछ लेना चाहती है, ले लेती है। बाकी खुले बाजार में जो कुछ चाहे कीमत मिले उसको बेच कर फायदा पा सकता है। उस वर्ष ८५ रुपये क्विन्टल गेहूं वसूल हुआ। खुले बाजार में गेहूं १४० में था। लोगों ने सरकार का हिस्सा दिया और बाकी १४० के भाव बेचा। लेकिन जो चावल की वसूली के आदेश हैं उसका परिणाम यह होता है कि कोई भी व्यापारी चावल नहीं खरीद सकता बिना आपके लाइसेंस के और लाइसेंस की शर्त है कि उसको इतना हिस्सा देना पड़ेगा। इस लिए सरकार द्वारा निश्चित भाव से ऊपर कोई नहीं खरीदता है और जितनी उपज है सब का मूल्य एक नीचे स्तर पर आ कर रुकता है क्योंकि और कोई खरीदता नहीं है। जो कोई खरीदता है सरकारी रेट पर खरीदता है क्योंकि एक अंश उसको सरकार को देना है। इसलिये उस समय व्यापारी कहते हैं कि हम इससे ज्यादा दाम नहीं दे सकते तो जहां सीधे प्रक्योरमेंट तथा हिस्से पर किसान का नुकसान होता है वहां इस बजट के द्वारा पूरी उपज पर नुकसान होता है।

श्रीमन्, इसका फायदा किसको होता है इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस पुस्तिका में लिखा है कि श्रेणी ४ चावल ८४ रुपये प्रति क्विन्टल लिया गया है। इसमें कई श्रेणियों चावलों की है। मगर मैंने इसका काफी अध्ययन किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि और श्रेणियां तो ईर्रीवेन्ट हैं केवल ३ और ४ श्रेणी रेलीवेन्ट हैं। मैं इस समय क्लास ४ की बात करता हूं। इसकी कीमत ८४ रुपये प्रति क्विन्टल है। हमने मान लिया कि ८४ रुपये क्विन्टल लिया होगा। तो अब माननीय खाद्य मंत्री ने अपने बयान के अनुसार जो गोरखपुर, बस्ती देवरिया में जिसको कि वहां के विधायक स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि फीगर्स गलत हैं मगर मैं उसे मान लेता हूं खुले बजार में जो चावल की कीमत है वह १३५ रु० १३० रु० और १४० रुपये प्रति क्विन्टल है तो इसको अर्थ यह हुआ कि जिस समय

[श्री भानु प्रताप सिंह]

चावल खरीदा गया उससे आज ५० रुपये का अन्तर हो गया क्योंकि सरकारी भाव में ५० रुपये क्विन्टल का फर्क है यानी ५०० रु० टन।

अभी आपके पास फीगर्स नहीं हैं कि कितना चावल खरीदा गया। मेरे पास भी बिलकुल सही फीगर्स नहीं हैं किन्तु मेरा अनुमान है कि आपने लगभग २ लाख टन चावल खरीदा है। इसी को आधार मानते हुये मैं आंकड़े देता हूं। इस दो लाख टन चावल के प्रोक्योर करने के लिये वास्तव में व्यापारियों ने खरीदा होगा कम से कम ७ लाख टन। क्योंकि कहीं आपका ३० प्रतिशत कहीं ४० प्रतिशत रहा है हम इसको मानते हैं कि ४० प्रतिशत आपको मिला और ६० प्रतिशत व्यापारियों के पास रह गया। तो दो लाख अगर आपको मिलता है तो आप २ लाख सप्लाई करेंगे। तो मैंने अभी बताया कि ५०० रुपया टन हुआ। अब आप श्रीमन् विचार करें कि यह एक बहुत बड़ी रकम हुई। ४५ करोड़ रुपये किसानों को चावल उत्पादकों की इस व्यवस्था के कारण नुक्सान हुआ। इसमें अगर कोई हिसाब-किताब में गलती हो तो माननीय खाद्य मंत्री जी और माननीय वीरेंद्र वर्मा जी कृपया मुझे बतायें मैं बड़ा आभारी हूंगा क्योंकि मुझे इसका धक्का लगता और यह सोचकर आप थोड़े से लोगों को चावल देने की गर्ज से उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वी जिलों में ३५ करोड़ रुपये का नुकसान करते हैं। इस नुकसान का फायदा किसको होता है? उपभोक्ताओं को तो बहुत सस्ता नहीं मिलता है। मैं इस बात पर अभी आऊंगा।

आप ४० प्रतिशत लेकर ६० प्रतिशत उन्हीं व्यापारियों को छोड़ देते हैं। उन व्यापारियों को कुछ नहीं करना है वे रोके रखेंगे आप ही से वसूल करेंगे और जहां सबसे ज्यादा महंगाई होगी वहां भेज देंगे। जो फीगर्स आपने दी हैं उसमें ५० रुपये क्विंटल या ५०० रु० टन मुनाफा लेंगे। २५ करोड़ रुपये का नुक्सान होगा। इसमें कोई गलती हो तो बताइयेगा। इस २५ करोड़ रुपयों का हिसाब तो तब बैठता है जब आपके सारे इन्सपेक्टर आदि ईमानदार हों। मैं ईमानदारी का हिसाब बताता हूं उससे यह २५ करोड़ रुपया के करीब उनको मुनाफा होता है और अगर बेईमानी का हिसाब जोड़ दिया जाय तो १५ करोड़ और बढ़ जायगा। ४० करोड़ का मुनाफा वह सरकार उन लोगों को कराती है। इसका कितना बड़ा आकर्षण है, मैं बता दूं। मैं चूंकि स्वयं पीड़ित हूं इसलिये इसके पीछे बहुत दिनों से पड़ा हुआ हूं सरकार किस अधिकार से यह वसूल करती है? मालूम हुआ कि एसेंशियल कामोडिटी ऐक्ट के अधीन वह वसूल करती है।

पहले जब चरण सिंह जी ने गेहूं पर रोक लगा दी थी तब इस अधिनियम को मुझे देखने का मौका मिला। मुझे मालूम हुआ कि कोई भी माल यह सरकार ले तो उसकी कीमत अदा करने के तीन ही रास्ते हैं-१ या तो स्टेटुटरी कंट्रोल प्राइस हो, २ या ओपेन प्राइस हो, या ३ म्युचुअली एग्रीड प्राइस हो। उस समय मैंने कहा था कि आप यह जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, वह इन तीनों में से एक भी नहीं हैं। मन माना ८५ रुपया आपने तय कर दिया है। मैंने कहा था कि ऐक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। उस समय शर्मा जी थे और चरण सिंह जी भी थे। उस समय उन्होंने कहा था कि आप वकील तो नहीं है। इसका फैसला तो कोर्ट में ही हो सकता है और हुआ भी यही कि उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ और उन्होंने यही कहा कि यह ठीक नहीं है और उसी के कारण गवर्नमेंट को ७० हजार मुकदमों को वापस लेना पड़ा क्योंकि उसने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया था। इसी प्रकार से मैंने धान और चावल के विषय में भी गहराई पर जाने की कोशिश की और गल्ला व्यापारी संघ के पदाधिकारियों से मिला, मैंने कहा कि आप लोग भी लड़ जाइये और इससे मुक्त हो जाइये। उनको मैंने एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट की धाराओं को बताया। उन्होंने मेरी बात को सुना और कहा कि हम क्यों लड़ें जबकि हमें इससे फायदा है।

इधर विभाग ने भी एक सबक सीख लिया और उन्होंने सोचा कि यह किसी न किसी प्रकार से लागू तो होना ही चाहिये। अब वे यह करते हैं कि लाइसेंस देते वक्त ही एक एग्रीमेंट

लिखा लेते हैं कि सरकार जो भी भाव निश्चित कर देगी उस भाव से हम देंगे। अगर वह एग्रीमेंट पर दस्तखत न करें तो उसको लाइसेंस ही न दिया जाय और उसको इस प्रकार से म्युचुअल ऐग्रीमेंट कर दिया जाता है। इसका परिणाम हुआ किसानों का शोषण। इस प्रकार के कानून बना कर सरकार उनका तो कुछ कर नहीं पाती लेकिन किसानों के लिये एक षड़यंत्र तैयार कर देती है। कम से कम ३५ करोड़ रुपया किसानों को नुक्सान हो रहा है।

सिर्फ प्राइस सपोर्ट के बारे में कह कर समाप्त करूंगा। जब कभी प्राइस सपोर्ट शब्द मेरे सामनें आता है तो मुझे दूसरे सपोर्ट की याद आ जाती है। पहले पहल जब यु०के० लेबर गवर्नमेंट बनी तो वहां कम्युनिस्टों ने मास्को में अपने नेताओं से पूछा कि अब तो इंगलैन्ड में मजदूरों की सरकार बन गयी, क्या इस सरकार को हम सपोर्ट करें। तो मास्को से उनको जवाब यह मिला कि हां, आपको सपोर्ट करना चाहिये लेकिन उस तरह से जैसे रस्सी सपोर्ट करती है उस व्यक्ति को जिसको फांसी दी गयी हो। फांसी जिस आदमी को दी जाती है वह भी सपोर्टेड है। तो मास्को के जो कम्युनिस्ट नेता थ उन्होंने युनाइटेड किंगडम की कम्युनिस्ट पार्टी को यह मशविरा दिया कि आप लेबर पार्टी को इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं जैसे कि रस्सी कंडेम्ड आदमी को सपोर्ट करती है।

श्रीमन्, यह सपोर्ट जब मैं देखता हूं तो मुझको उस सपोर्ट की याद आ जाती है। वह सपोर्ट प्राइस जरा सुन लीजिये, सपोर्ट प्राइस है ४१ और ४५ रुपये क्विंटल धान की। सौभाग्य से आजतक सपोर्ट प्राइस की जरुरत नहीं पड़ी क्योंकि उससे नीचे प्राइस गिरी नहीं। यह तो एक खयाली पुलाव है जो छाप दिया जाता है कि हमने किसानों के फायदे के लिये एक सपोर्ट प्राइस भी रखी है। लेकिन उसकी धान और चावल के विषय में जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर जरूरत ही पड़ जाय तो मैं माननीय वीरेंद्र वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ४१ रुपये क्विंटल पर धान दे कर वह एक पैसे का भी मुनाफा कर सकता है? क्या वह चाहते हैं कि इसकी खेती किसान बन्द कर दें इस तरह की प्राइस लेकर?

उत्तर प्रदेश में आज जहां सबसे अच्छी खेती होती है मेरी निगाह में वह है ऐग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी, पंतनगर। उस युनिवर्सिटी के बोर्ड आफ मैनेजमेंट का मैं एक सदस्य हूं इसलिये उनके फार्मों की आमदनी और खर्चे का ब्योरा साल में एक दफा देखने का मौका मिलता है। पिछले तीन वर्षों में उस यूनिवर्सिटी में जो आज हिन्दुस्तान में ही नहीं मैं समझता हूं कि एशिया में सब से अच्छी मैनेंज्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती है और मैं कह सकता हूं अपने निजी अनुभव से भी कि वहां बहुत अच्छा काम हो रहा है, बेईमानी इत्यादि कुछ नहीं है, वहां पैडी की कास्ट आफ प्रोडक्शन कमर्शल स्केल पर जो अमत आयी है वह ६६.८८ रुपये पिछले तीन वर्षों की औसत है। तो जहां सब साधन उपलब्ध हों, अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक काम कर रहे हों उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन ६६.८८ है। उसको अगर आप ४१ रुपये पर सपोर्ट प्राइस देते हैं तो आप स्वयं समझ जायेंगे कि इस सपोर्ट की मैं उस सपोर्ट से क्यों तुलना किया करता हूं। वास्तव में जब किसान की जान निकल जायेगी तब यह प्राइस काम आयेगी। लेकिन मरे हुये आदमी के कोई चीज काम नहीं आती।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः माननीय खाद्य मंत्री और माननीय वीरेंद्र वर्मा जी से अपील करता हूं कि आज जब सब चीजों से कंट्रोल हट गया है तो चावल और धान के मूवमेंट पर से भी कंट्रोल हटा दें। कोई सीमित मांग नहीं कि गोरखपुर रीजन में कर दीजिये हमको खुश करने के लिये यह व्यावहारिक रूप से ठीक नहीं है, सिद्धांत रूप से ठीक नहीं है। अगर आप को बहुत भय है, यद्यपि मैं उस भय को नहीं मानता हूं, कि उत्तर प्रदेश से बाहर चला जायगा तो आप इतना कर सकते हैं कि राज्य की सरहद से ५ मील के अन्दर अपनी फौज लगा दें, कुछ अपने अधिकारियों को भी लगा दें ताकि उनकी भी जीविका चलती रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर आवागमन से मुक्ति मिलनी चाहिये।

[श्री भानु प्रताप सिंह]

और मैं ज्यादा तो नहीं कहुंगा, इस विषय पर आगे भी बातचीत करने की मैं आशा करता हूं, आप इसको उठा लें वरना इसको टूटना तो है ही, अगर दूसरे तरीके से टूटेगा, आन्दोलन के तरीके से टूटेगा तो फिर वही बात कहनी होगी कि इस देश में कभी कोई काम होता ही नहीं जब तक आन्दोलन न किया जाय। अगर आपके पास कोई दलीलें हैं तो आप बैठ जाइये, आपके अधिकारीगण बैठ जायं, कृषि विभाग के अधिकारी बैठ जायं और हम बैठ कर निर्णय करें इसलिये नहीं कि कुछ लोगों की रोजी लगने वाली है, कुछ लोगों को भ्रष्टाचार से लाभ उठाना है। बल्कि इसलिये कि इस उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में क्या है और उपभोक्ताओं के हित में भी क्या है ? उपभोक्ताओं के बारे में मैं कह देना चाहता हूं कि जिस चावल को ८४ रुपये पर क्विंटल खरीदते हैं उसको बेंचते हैं १०६ रुपया ....

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भानुप्रताप सिंह---

एक सेकेंड में समाप्त करता हूं। यह २६ परसेंट का मार्जिन है खरीदारी और बिक्री के बीच में। यह इतना बड़ा मार्जिन है जो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं और इससे कोई लाभ नहीं है।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, मैंने आज जो सिविल सप्लाईज पर स्पीचेज हुई हैं उनको बहुत गौर से सुना। खास तौर से श्री रियासत हुसैन साहब ने जितनी खूबरसती और फोर्सबिल स्पीच दी है उससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं आपके जरिये से उनको उनकी स्पीचे पर मुबारकबाद दूंगा। मैं उनके ख्यालात से बिलकुल सहमत हूं, मगर उन बातों को वाजह करने की जरूरत नहीं है कि शायद मैं उनके साथ वोट न दे सकूं, मगर जहां तक उनके ख्यालात का ताल्लुक है, जो उन्होंने बातें बतायी हैं वह सब दुरुस्त हैं और मामलात को दुरस्त होना चाहिये। हमारे रियासत हुसैन साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि यह वह डिपार्टमेंट है जिसमें सेक्रेटरी साहबान हुकूमत करते हैं। मालूम नहीं, उनको ज्यादा तजुर्बा है, ठीक है या गलत है, मगर मैं खुद दो साल में कुछ लगभग इसी तरीके की बात देख रहा हूं। मुझे अफसोस है कि आज कोई सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी जो इस गैलरी में नहीं हैं जिससे वे असेम्बली की कार्यवाही को सुनें अगर ऐसा होता तो शायद वह जो ऐडवाइस अपने मिनिस्टर को देंगे तो उससे हलात में कुछ दुरुस्ती हो जाती।

आज मैंने देखा यह कि मेरे मिनिस्टर साहब ने भी जो स्पीच दी वह लिखी हुई थी। वह लिखी हुई स्पीच सेक्रेटरी साहब की होगी, बेहतर यह था कि अगर सेक्रेटरी साहब खुद मौजूद होते तो सुन लेते कि हम लोगों को क्या करना है उन डिपार्टमेंटस के बारे में, तो शायद उसका असर होता। लिहाजा मुझ को ज्यादा उम्मीद तो नहीं है कि हम लोग जो कुछ इस हाउस में कह रहे हैं उसका कोई खास असर होगा, उससे कोई खास तबदीली होगी और उससे जनता को कोई खास फायदा पहुंचने वाला है। मगर कोशिश तो करनी ही चाहिये, क्योंकि हमको असेम्बली में इसी वास्ते भेजा गया है कि जहां तक हो हम ऐसी तब्दीलियां लाने की कोशिश करें जिससे जनता को फायदा पहुंचे।

(इस समय ३ बजकर ४८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

पहली बात जो मैं इस सिलसिले में कहूंगा वह यह है कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब २० साल में हमको यह तजुर्बा हुआ है कि जब हम कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल्स की वजह से सिर्फ अहलकारान अक्सर, और कभी कभी मिनिस्टर भी करप्ट हो जाते हैं, हम देखते हैं कि जिस चीज को हम कंट्रोल करते हैं वह चीज बाजार से खत्म हो जाती है, तो फिर यह कंट्रोल्स का

शौक अभी तक खत्म क्यों नहीं किया गया है ? कई मर्तबा गुजिश्ता २० साल में इसका तजुर्बा हो चुका है कि हमने जब कंट्रोल किया तो वह चीज बाजार से गायब हो गयी । अगर कंट्रोल न होता तब वह चीज बाजार में भी आयेगी और जनता की दिक्कतें भी रफा होंगी, मगर अब भी शायद डिपार्टमेंट की खातिर या मिनिस्ट्री की खातिर इस तरह का कंट्रोल जारी है और इस डिपार्टमेंट के जरिये से ऐसी ज्यादतियां होती हैं जिससे बजाय पब्लिक को आराम पहुंचने के पब्लिक को परेशानी हो जाती है ।

मैं शुरु-शुरू में जब असेम्बली का मेम्बर हुआ तो एक रोज मेरे पास नोटिस आई कि एक शक्कर कमेटी है उसकी मीटिंग सप्लाई अफसर के यहां हो रही है, आप उसमें तशरीफ लायें । मैं उसमें हाजिर हुआ । वहां क्या देखते हैं कि बहुत सी एप्लीकेशन्स हैं, कुछ लोगों के खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं । सप्लाई अफसर साहब कहते हैं कि फलां आदमी को हटा कर दूसरे को कर दिया जाय । मैंने पूछा कि फलां आदमी ने क्या किया, उसने क्या गलती की तो उन्होंने कहा कि यह ब्लैक मार्केटिंग करता था । मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि जो नये साहब मुकर्रर हो रहे थे वह भी इसके लिये बेताब थे कि ब्लैक मार्केटिंग का मौका मिले । तब मैंने एक पत्र लिखा सिविल सप्लाइज मिनिस्टर को कि जो लाइसेंस होल्डर हैं शुगर के वह बेईमान हैं और जो नये होने वाले हैं वह भी बेईमान हैं, लिहाजा ऐसी कमेटियों में आप मुझको दावत न दिया करें ।

केरोसीन को मैंने देखा, आपने उसका कंट्रोल किया । मैं उम्मीद करता था कि जब जनता की हुकूमत हो जायेगी हमारे मुल्क में तो हर घर में रोशनी हो जायेगी मगर देखते क्या हैं कि वह गांव जिनमें चिराग जलते थे वहां अब अंधेरा है केरोसीन मिलता ही नहीं और अगर कोई केरोसीन ले सकता है तो वह ब्लैक मार्केट से ही ले सकता है और राशन कार्ड से उसको प्राप्त नहीं होता । अब घी पर भी कंट्रोल शुरू हुआ है । किसी अफसर के यहां मैंने घी की कमी नहीं देखी, मगर बार-बार मेरे पास लोग आये और उन्होंने कहा कि मेरे लड़के-लड़की की शादी है घी दिलवा दीजिये । एक आध बार मैंने खुद सप्लाई अफसर साहब को टेलीफोन किया कि घी की बहुत सख्त दिक्कत हो रही है तो उन्होंने कहा कि आप लिखकर भेज दीजिये । मैंने लिखकर भेजा तो बमुश्किल तमाम जिसको दो टिन की जरूरत थी उसको आधा टिन मिला । कभी-कभी ऐसे लोगों से सप्लाई अफसर साहब से मुलाकात भी नहीं हुई । लोगों से मैं कहता हूं कि घी मेरे अख्तियार में नहीं है और न मैं सप्लाई आफीसर की खुशामद कर सकता हूं और न उनके पास दौड़-दौड़ कर जाकर सिफारश ही कर सकता हूं । नाउम्मीद होकर वह बाजार जाता है उन्हीं लाइसेंस होल्डर्स के पास और ज्यादा दामों पर उसको चीज मिल जाती है।

यह मेरा तजुर्बा है और मैं समझता हूं कि इस हाउस के बहुत से मेम्बर्स इस बात से इत्तिफाक करेंगे कि कंट्रोल से कोई फायदा नहीं होता है । कंट्रोल से कुछ डिपार्टमेंटस के आफिशियल्स पलते हैं और कुछ लोगों को करप्शन का मौका मिलता है, कुछ लोगों को पैसे बनाने का मौका मिलता है और जब गलत तरीके से उनके पास पैसा आता है तो वह दूसरों को भी करप्ट करते हैं । होना यह चाहिये कि आप होर्डिंग पर कंट्रोल करें जिससे कोई होर्ड न कर सके । आप प्राइस कंट्रोल कर दें । होलसेल प्राइस पर कंट्रोल करें, रिटेल प्राइस पर कंट्रोल करें और होर्डिंग्स को रोक लें तो जो आपकी समस्यायें हैं जो चीजें आज दिक्कत की हैं, जिनकी कमी है और जिनके लिये कंट्रोल करने की जरूरत है, सप्लाई में दिक्कत होती है, वह सब आप से आप जिस तरह से हिन्दुस्तान में होता रहा है वह अपने आप हल हो जायंगी । जहां-जहां यह चीजें की गई हैं, कंट्रोल हटाये गये बहुत कुछ मुश्किलात कम हो गई हैं और अगर यू०पी० में भी सिविल सप्लाई मिनिस्टर साहब इसकी कोशिश करें, एक्सपेरीमेंट करें हालांकि यह एक बोल्ड एक्सपेरीमेंट होगा और मुमकिन है कि सिविल सप्लाईज मिनिस्टर की इतना हिम्मत न पड़े, मगर मैं अपनी तरफ से यही उनको राय दूंगा कि अगर वह चाहते

[श्री मुस्तफा कामिल किदवई]

है कि यहां की जनता को फायदा पहुंचे, उनकी तकलीफें रफा हों तो उसका सिर्फ इलाज यही है कि प्राइस कंट्रोल करें । होल सेल प्राइस पर कंट्रोल करें, रिटेल प्राइस पर कंट्रोल करें और जितना सख्त कदम ले सकें, अगर कहीं होडिंग हुई है तो उसके घर में घुसकर निकाल सकें और दुकानों में पहुंचा सकें अगर इतना हो जाय और यह ईमानदारी स इन्फोर्स हो जाय तो यह जो दिक्कतें हैं यह सभी रफा हो जायें । आज स्पीचेज में मैंने सुना और मुझे ताज्जुब हुआ कि सहारनपुर की तरफ से चावल गोरखपुर नहीं जा सकता । गोरखपुर का चावल सहारनपुर की तरफ नहीं जा सकता । मगर कल सवालात के दरमियान मालूम हुआ कि देवरिया का चावल नैपाल जा सकता है और नैपाल से फिर वह यहां आकर बिक सकता है। यह बड़े अफसोस की बात है। यह कैसा कंट्रोल है कि डिस्ट्रिक्ट में भी कंट्रोल किया जाय, रीजन में भी कंट्रोल किया जाय और प्राविन्स में भी कंट्रोल किया जाय। प्राविंस एक पूरी यूनिट है और उस यूनिट में किसी किस्म का कंट्रोल मेरी समझ में नहीं आता ।

दूसरी चीज जो मैं अर्ज करूंगा वह रेंट कंट्रोल ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट के बारे में है। मैंने बहुत से वाक्यात यहां पर भी देखे हैं लखनऊ में और दूसरे जिलों में भी देखे हैं कि लोगों ने मकानात किराये पर लिये उसके बाद उनका तबादला हो गया या किसी वजह से जिस जगह रहते थे, वहां से चले गये । उन्होंने अपने दोस्तों को या अपने अजीजों को वह मकान दे दिया । किराया वही चल रहा है। मकान मालिक को जरूरत पड़े कि मैं मकान में खुद रहूं तो वह मालिक मकान बेचारा उस मकान मे घुस नहीं सकता। यह बड़ा सख्त कानून है और मेरे खयाल में अब जब रेंट कंट्रोल और इविक्शन ऐक्ट को तरमीम किया जा रहा है तो माननीय मंत्री जी उसके ऊपर खास तौर से खयाल करें कि अगर जायज जरूरत हो, मालिक मकान अपने मकान को चाहता है वह चाहता है कि वह खुद रहे और वह खुद किराये के मकान में रह रहा है, तकलीफें उठा रहा है तो कोई वजह नहीं है कि उसका मकान खाली न किया जाय या उसके मकान का किराया जो आजकल के रेट हैं उससे बहुत कम है तो कोई वजह नहीं है कि उसको किराया बढ़ाने की इजाजत न दें ।

फिर इसी सिलसिले में मैंने यह भी देखा है कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट में कुछ ऐसे प्राविजन हैं जिसके मुताबिक अपील मिनिस्टर साहब खुद सुनते हैं। यह जरूरी नहीं है कि खाद्य तथा रसद मिनिस्टर साहब ला से वाकिफ हों और न यही जरूरी है कि वह इतने पढ़े-लिखे हों कि वह वकीलों की बहस को सुनकर उस पर इंसाफ कर सकें । मेरे खयाल से ऐसी हालत में मिनिस्टर अपील सुनने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लिया करें। इतना काफी है कि असेम्बली के अन्दर वह जो चाहें वह कहें और जिस तरीके की स्पीच वह देना चाहें वह दें लेकिन अगर कानून के मामले में भी मिनिस्टर साहबान मदाखलत करते हैं जब कि उन्हें कानून की वाकफियत भी नहीं है और यह समझें कि वह इन्साफ कर लेंगे तो इन्साफ बिल्कुल ही सूबे से खत्म हो जायगा । जुडीशल या क्वासी जुडीशल मामला है और उसकी अपील जज के सामने होनी चाहिये, रिवीजन हाई कोर्ट में होना चाहिये । यह लीगल जूरिस्प्रडेन्स के खिलाफ है कि ऐसे लोगों के हाथों में फैसला हो जिनको कानून से वाकफियत न हो ।

तीसरी बात करप्शन की है। करप्शन के खिलाफ इस हाउस में काफी जिक्र हुआ करता है। हमारे मुख्य मंत्री जी जब ऐडमिनिस्ट्रेशन में आये तो उन्होंने कहा कि हम क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन देंगे और इसीलिये आये हैं। हम यह नहीं कहते कि उन्होंने इसके लिये कोशिश नहीं की। उन्होंने जो-जो इस करप्शन को रफा करने में कोशिश की है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। हममें से वहीं केवल ऐसे शख्स हैं जो शायद इस करप्शन को रफा करने में कामयाब हो सकें लेकिन उसके साथ ही इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि करप्ट डिपार्टमेन्ट्स में सिविल सप्लाइज का मुहकमा अपनी मिसाल नहीं रखता ।

[श्री मुस्तफा कामिल किदवई]

आपके जो आफिसर्स हैं, इन्सपेक्टर्स हैं जिनको आप १००, २०० या ४०० रु० माहवार देते हैं उन लोगों के बड़े-बड़े मकान बने हुये हैं। क्या मिनिस्टर साहबान और डिपार्टमेंट के दूसरे अफसरान को यह नहीं मालूम हो सकता है कि यह ३०० रु० पाने वाले की ५० हजार की इमारत कैसे बन गई ? क्या इसकी इन्क्वायरी नहीं की जा सकती ? क्या यह नहीं मालूम किया जा सकता है उसकी आदमी की रेप्यूटेशन जिले में कैसी है यह दौलत एक क्लर्क के हाथ में क्यों कर आ गई। अब चाहे वह सेक्रेटेरियट का बाबू हो या डिपार्ट का सेक्रेटरी हो या फिर इन्सपेक्टर हो। यह तो मालूम किया जा सकता है कि उसके हाथ में यह दौलत कैसे आ गई। अगर मुख्य मंत्री जी होते तो वह भी मुझको सुन लेते, हालांकि मैं, यह खबर उन तक पहुंच जरूर जायगी कि करप्शन के खिलाफ तकरीरों से करप्शन कभी रफा नहीं हो सका। अहलकार उस वक्त तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक कि उनके आफिसर्स करेप्ट हैं। आफिसर्स उस वक्त तक करेप्ट रहेंगे जब तक कि मिनिस्टर्स करेप्ट हैं। उसका इलाज यह है कि मिनिस्टर साहबान खुद आनेस्ट बनें और उनकी इन्टीग्रेटी ऐसी हो कि उनके खिलाफ भी कोई अंगुली न उठा सके।

मैंने अपनी जिन्दगी में बहुत से डिपार्टमेंट्स में काम किया है और मैंने देखा है कि अगर मिनिस्टर या हेड आफ दि डिपार्टमेंट आनेस्ट है तो उस डिपार्टमेंट में करेप्शन कभी नहीं होता है। सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट के करेप्शन को जरूर रोका जा सकता है और उसकी सूरत यह है कि नीचे से ऊपर तक सब का करप्शन रोका जाय। हम करेप्शन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जब बड़े आफिसर्स करेप्ट हैं और हम उनके करप्शन नजरन्दाज करते हैं तो इससे करप्शन रुकता नहीं है। अगर हम एक छोटे चपरासी को एक रुपया भी ले लेने पर उसको डिसमिस कर देते हैं इससे करप्शन रुकता नहीं। सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट बहुत ही करेप्ट डिपार्टमेंट्स में से है और इससे जनता को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंच रही है। अगर आप इस करप्शन को नहीं रोकते हैं तो फिर जनता किसी न किसी रोज कोई ऐसा जरिया निकालेगी जो आपके भी काबू में नहीं होगा, करप्शन तो रुकेगा। जनता की तकलीफ जब हद से बढ़ेगी तो उसको पूरा हक होगा कि वह कानून को अपने हाथ में ले।

आखीर में मैं बेट्स ऐन्ड मेजर्स के बारे में कहूंगा। एक इन्सपेक्टर साहब से मैंने कहा कि फलां विलेज में मैं गया था और वहां देखा कि अभी तक पुराने सेर और मन चल रहे हैं, किलो वगैरह नहीं चलते हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे ले चलिये और आप गवाह वगैरह दिलवा दीजिये तो मैं उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चला दूं। अब एक एम० एल० ए० से या किसी शरीफ आदमी से एक चिड़ीमार का काम लेना बहुत गलत बात है। तनख्वाह इन्सपेक्टर साहब पाते हैं और काम उनका है। मेरा यह काम नहीं है कि मैं मुल्जिमों को पकड़वाता घूमूं। मैंने उन्हें बता दिया कि फलां विलेज में यह बात है। अब उसको देखना उनका काम है। आखीर में मंत्री जी से, जो बहुत ही नेक और शरीफ आदमी हैं, यह कहूंगा कि सिविल सप्लाईज डिपार्टमेन्ट के करप्शन को अगर रोकना चाहते हैं तो आप यहां कुर्सी पर बैठ कर, अपने सेक्रेटरीज की एडवाइस पर और सेक्रेटरीज से घिरे हुए दफ्तर के जरिये से नहीं रोक सकते। जिन लोगों ने रोकना चाहा है, कोशिश की है, उन्होंने घर से बाहर निकल कर, दफ्तर से बाहर निकल कर कोशिश की है। अगर वह वाकई रोकना चाहते हैं तो उनको सरप्राइज विजिट्स करनी चाहिये। फेयर प्राइस शाप्स में खुद जाकर देखें और ऐसे जरिये स्तेमाल करें कि उनको मालूम हो कि कहां-कहां ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कौन-कौन कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी किस पर है। अगर वह खुद जाकर देखें तो उनको मालूम होगा कि जिलों में कुछ लोगों को लाइसेंस लेना मानोपोली सी हो गयी है, और जिसको देने वाला उनका डी० एस० ओ० है। मैं अपने जिले के बारे में कह सकता हूं। एक-एक आदमी के पास छः-छः, सात-सात दुकाने हैं। क्यों हैं ? इस वजह से नहीं कि वह उसका लीडर रह चुका है, सिर्फ इस वजह से कि वह सप्लाई आफीसर के बहुत ही करीब था। डी० एस० ओ० ऐसा क्यों करता है। सिर्फ इस वजह से कि खुद उसे भी उसमें फायदा होता है। इन अल्फाज के साथ मैं सिविल सप्लाइज की ग्रान्ट को तो

[श्री मुस्तफा कामिल किदवई---]

सपोर्ट करता हूं मगर मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जो मैंने कमेन्ट्स किये हैं उन पर तो जरूर गौर करें और घर और दफ्तर से बाहर निकलकर बिना अपने एडवाइजर्स को साथ लिये हुये अपना खुद दिमाग इस्तेमाल करें और देखें कि वे किस कदर पब्लिक सर्विस कर सकते हैं। थैन्क यू।

श्री हरी सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं प्रदेश के उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां आज से पांच, सात साल पहले साल में केवल तीन माह का खाना पैदा होता था। अब लोग कुछ अच्छी खेती करने लगे हैं। परिश्रम करके अब बड़ी मुश्किल से चार महीने का खाना पर्वतीय जिलों में अब पैदा होता है। आठ महीने अभी भी मैदानी क्षेत्र से गल्ला जाता है। उसी पर हम निर्भर करते हैं। बरसात में जब सड़कें टूट जाती हैं तो बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। यहां तक नौबत आ जाती है कि लोग कई दिनों तक भूखों रहते हैं। सौभाग्य की बात है कि हमारे खाद्य मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्र के ही रहने वाले हैं उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों का अनुभव है। लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां-जहां गल्ले की दुकानें इस समय खुली हुई हैं वह १५, २० मील के फासले पर एक-एक दुकान है।

दुकान से सामान लेने के लिये जब आदमी आता है तो उसको एक दिन हर्ज करना पड़ता है। एक दिन की मजदूरी अगर वह करे तो उसको ३, ४ रुपया मिल जाता है। ३, ४ रुपया का नुकसान करके वह गल्ला ले जाता है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों की भूगोलिक स्थिति को देखते हुये कम से कम जहां तक नजदीक हो सके गल्ले की दुकानों को खोलना चाहिये। देहात में जहां पर सस्ते गल्ले की दुकानें नहीं हैं वहां पर डालडा, मिट्टी का तेल खास तौर से नहीं मिलता है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बागेश्वर से अल्मोड़ा ४० मील की दूरी पर है। वहां पर सस्ते गल्ले की दुकान है। सरकार का गल्ले का गोदाम है लेकिन वहां पर न मिट्टी का तेल, न चीनी और न डालडा आवश्यकता के अनुसार लोगों को मिल पाता है। जैसे शहर में चीनी, डालडा शादी वगैरा के लिये आसानी से मिल जाती है वह देहात वालों को नहीं मिल पाती है। देहात वालों को ४० मील की दूरी पर अल्मोड़े आना पड़ता है। वहां आने के बावजूद भी देहात वाले को उस मात्रा में वह नहीं मिलते हैं। शहर के आदमी को एक टीन डालडा और ५० किलो तक मिलती है। लेकिन देहात के आदमी को ३ दिन खर्च करने के बाद दो किलो डालडा और ५ किलो चीनी के अतिरिक्त नहीं मिल सकती है। इसलिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि शहर और देहात को अलग-अलग रूप में देखने की सरकार की नीति में हो, ऐसा नहीं होना चाहिये और इस पर उनको विचार करना चाहिये।

हमारे जिले का अधिकतर आदमी या यों कहिये कि पर्वत का समस्त आदमी वहां पर खेती कम होने के कारण ६ महीने के लिये मैदानी इलाके में आ जाता है और यहां आकर वह मजदूरी करते हैं या बटाई पर खेती का काम करते हैं लेकिन सरकार के नियम ऐसे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में और एक जिले से दूसरे जिले में गल्ला नहीं ले जा सकते हैं। मैं वैसे तो अल्मोड़े प्रापर का रहने वाला हूं लेकिन मेरी कुछ जमीन किच्छा तराई में है। मेरा परिवार अल्मोड़े में रहता है लेकिन किच्छा में जो मेरे खेतों में चावल पैदा होता है वह मैं अल्मोड़े नहीं ले जा सकता हूं। जो खेतिहर मजदूर है वह मैदानी इलाके तराई क्षेत्र में आकर नौकरी करते है या बटाई का काम करते हैं। वह उसका पैसा लेकर जाते हैं। वहां से खेती का अन्न नहीं ले जा सकते है क्योंकि अगर वह अन्न ले जाना चाहें तो अन्न ले जा नहीं सकते हैं। सरकार की बन्दिश इस तरह की है कि वह नहीं ले जा सकते हैं। इसलिये मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम पर्वतीय क्षेत्रों की भूगोलिक स्थिति को देखते हुये, उनकी गरीबी और बेकारी को देखते हुये वहां के खेतिहर मजदूरों, जो मैदानी हिस्से में खेती करने के लिये आते हैं उसके बदले में वह पैसा न लेकर अन्न प्राप्त करना चाहें तो उनको अपने घर वह अन्न ले जाने की

[श्री हरी सिंह बिष्ट---]

सुविधा आपको देनी चाहिये। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के लोग जो मैदानी हिस्सों में रहते हैं जिनकी वहां पर खेती है उनको अपने बच्चों के लिये, अपने परिवार के लिये अन्न गेहूं और चावल या दूसरी वस्तुयें ले जाने की अनुमति दें। उनके ऊपर ऐसा नियंत्रण नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। भ्रष्टाचार की बाबत चाहे वे इधर के सदस्य हों और या सरकारी तरफ के लोग हों सभी ने बताया कि इस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। दो साल पहले की बात है जब यहां पर संविद सरकार थी तो नैनीताल में एक डी०एस०ओ० थे उन दिनों चीनी ५ रुपया किलो बाजार में बिकती थी। लेकिन वह कुछ लोगों से मिलकर परमिट दे दिया करते थे और एक बोरा १५० रुपया में परमिट से आ जाता था। मार्केट में वह ३०० रुपया में बिकता था। २५० रुपया उस बोरे पर मुनाफा मिलता था। तो वह ऐसा करते थे कि १२५ रुपया उस आदमी से लेते थे और १२५ वह आदमी पा जाता था। उसका नाम चन्दोला था। तो लोग वहां पर कहते थे कि "जिसको न दे मौला उसको दे चन्दोला"। जब उनकी शिकायत की गई तो उनको किसी अच्छे शहर में भेज दिया गया। जो भ्रष्टाचार करता है और घूस लेता है उसको बजाय सजा देने के सरकार का रवइया यह रहा है कि उसकी तरक्की कर दी जाती है। ताकि आगे चलकर घूसखोरी की और अधिक वह बातें करें। देहाती क्षेत्र के लिये सीमेंट और टीन की चद्दर नहीं मिल पाती है।

मैं अपना अनुभव बताता हूं कि ४ साल पहले मैं एक गोशाला बनाना चाहता था तो मैंने चाहा कि टीन की चद्दर मुझे मिल जायं मैंने एक गौशाला के लिये टिन के लिये कहा लेकिन मैं बीसों बार सप्लाई आफिस गया लेकिन कुछ नहीं हुआ और टिन नहीं मिला। पहले तो कहा कि जब माल आयेगा तब मिलेगा, जब माल आया और मैं फिर उनके पास गया तो कहा कि डी० एस० ओ० का परमिट लाइये, फिर लौट कर मैं डी० एस० ओ० के पास गया तो कहा गया कि माल खत्म हो गया। इस तरह से जहां गरीब लोगों को देहाती क्षेत्रों में सहूलियत देने की बात सरकार सोचती है और चाहती है कि नियंत्रण करके उन तक हर चीज पहुंचे और कहीं गड़बड़ न हो, वहां यह हो रहा है कि सैकड़ों मील दूर से लोग पैसा और वक्त खराब कर के आते हैं लेकिन उन को सामान नहीं मिलता। मैं नहीं समझ सकता कि इस तरह के कंट्रोल से हमें क्या लाभ हो सकता है।

देखने में आया है कि गरीब आदमी को कोई सामान नहीं मिलता और बड़े आदमियों को सामान मिल जाता है और छोटे आदमियों के लिये तो कंट्रोल के माने केवल लूट है, उसके माने है कि उन को चीज नहीं मिलेगी। घूस के मामले में भी मैं स्पष्ट कहता हूं कि डी० एस० ओ से लेकर नीचे तक घूस का जोर है और कहा जाता है कि यह गांधी जी की तसवीर लगी है और कह रहे हैं कि ५ रुपया दो। उसके बाद नंदा जी ने बड़ी कोशिश करके एक सदाचार कमेटी बनाई कि उसके जरिये से घूस रुकेगी लेकिन उस कमेटी को भी लोगों ने कहा कि सदा ४ रुपये लो। इस तरह से गरीबों के लिये कंट्रोल की परिभाषा गांधी जी और नन्दा जी के नाम पर की जाती है। इस वास्ते इन तमाम चीजों का ध्यान रख कर गरीब मजदूरों, किसानों को जिनकी सुविधा के लिये कंट्रोल है आसानी से सामान दिलाया जाय।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बागेश्वर में, अल्मोड़ा के क्षेत्र में कोई धान ऐसा नहीं होता कि जो दूसरों को बेचा जाता हो, किसान जो धान पैदा करते हैं वह केवल अपने खाने के लिये ही काफी नहीं होता है और बाहर वह नहीं भेजा जाता है। वहां एक आदमी ने देश से लाकर एक हलर लगाया कि वहां के दुकानोंदारों के खाने के लिये और वहां का धान मशीन से कूटा जा सके। लेकिन मुझे दुख है कि हाल में वहां आदेश उस के पास गये हैं कि वह उस पर लेवी दे। मैं नहीं समझ पाता कि जहां पर खाने तक को पूरा नहीं होता वह, लेवी से मुक्त जिला होने पर भी यह आदेश क्यों गये हैं। हमारा जिला लेवी में नहीं आता है। इसलिये उस आदेश का ध्यान रखकर वहां से लेवी के आदेश को वापस लिया जाय। हमारे यहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुये और गरीबी को देखते हुये नियंत्रण की चीजें वहां आसानी से उपलब्ध कराई जायं।

[श्री हरीसिंह बिष्ट]

वहां पर बीस-बीस और तीस मील तक दुकानें सस्ते गल्ले की नहीं हैं वह अधिक मात्रा में खुलवाई जायं और उन पर चीनी, डालडा और मिट्टी के तेल का भी प्रबन्ध किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह खाद्य तथा सिविल सप्लाई विभाग सब से बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। इस महकमे में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक व्याप्त है। एक साल पहले कोयला का भी कंट्रोल था और वह भी कोटा परमिट से मिलता था लेकिन अब अकेले बनारस शहर में ११२ दुकानें हैं जबकि पहले जब ब्लैक चलता था और कंट्रोल था केवल १२ दुकानें थीं। इस तरह से कोयले की दुकान में ही नहीं हर चीज के कन्ट्रोल में करप्शन फैलता है। साथ ही उस से वेस्टेड इन्टरेस्ट भी क्रियेट होता है। हमारे यहां बनारस में राशन की दुकानों में मानोपाली है एक ग्रुप की, मैं नाम तो नहीं लूंगा वह नाराज हो जायेंगे लेकिन वह चन्दौली का एक ग्रुप है जो राशन की दुकानों को कंट्रोल करता है। हर दुकान में २०० रुपया प्राफिट लगता है और सम्बन्धित दुकानदार बड़ी मुश्किल से कुछ बचा पाते हैं। सारे शहर की दुकानों पर एक ग्रुप का वैस्टेड इन्टरेस्ट है।

मकानों के बारे में मुझे निवेदन करना है कि लखनऊ, जो कि यू० पी० का कैपिटल है, यहां पर भी कारपोरेशन के बहुत से मकान हैं और बहुत से प्राइवेट भी हैं। कोई-कोई अफसर चले गये हैं, उनका ट्रांसफर हो गया है, कुछ यूनियन गवर्नमेंट की सर्विस में चले गये हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य यहां पर रहते हैं और अगर परिवार वाले भी चले गये तो जाते समय वे किसी न किसी को दे देते हैं। मैंने महमूद बट्ट को लिखा कि बेचारे गरीबों की भी कुछ भलाई करो केवल एन्क्रोचमेंट को ही दूर न करो। यह जो आई० सी० एस० अधिकारी हैं इन्होंने जगहों जगहों पर ३-३ और ४-४ साल से बड़ी-बड़ी और अच्छी-अच्छी जगहों पर कब्जा कर रखा है, उनको निकालने की कोशिश करें।

मैं २-३ मंजिल वाले मकान पर नहीं चढ़ सकता हूं। मैंने प्रयास किया था कि मुझे कोई ग्राउन्ड फ्लोर का मकान मिल जाता लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। मैंने बरसों से कोशिश की कि कारपोरशन का ही कोई फ्लैट जिसका किराया ७०, ८० या ९० रुपया हो मुझे मिल जाय लेकिन वहां भी नहीं मिल पाया। कारपोरेशन्स के मकानों में रहते-रहते ३-४पुश्त बीच गयी है लेकिन वे दूसरों को नहीं मिलती है। यहां पर यह हालत है।

कन्ट्रोल में वेस्टेड इन्टरेस्ट पैदा कर दिया गया है। इस डिपार्टमेन्ट के लोगों ने अपना-अपना कैरियर बना लिया है। अभी जौनपुर के एक माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर ने ५ साल के दौरान में जो एसेट्स बनाये हैं, जिनका नाम श्याम बिहारी साहब हैं। वहां पर इन्होंने एक ईंटों का भट्टा बना लिया है, एक नयी एम्बेसेडर कार भी ले ली है, एक दूध के मक्खन का भी व्यवसाय कर लिया है और एक लाख रुपये का मकान भी जौनपुर शहर में बना लिया है। जब उनका मिर्जापुर में ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे कुछ सम्बन्ध हो जाने के कारण वहां के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अधिकारी के साथ ही रहते हैं। मेरा निवेदन है कि इसकी आप सी० आई० डी० या विजिलेन्स द्वारा जांच करा लें तो आपको मालूम हो जायगा कि चौ० श्याम बिहारी साहब ने कितना-कितना घूंस लिया। तो यह इस विभाग की कारगुजारियां हैं जितना कन्ट्रोल होगा, उतना ही ज्यादा ष्टाचार बढ़ता जा रहा है। कम से कम मुझे यह तो संतोष है कि विभाग के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब जेल विभाग से सम्बन्धित यहां पर बाद विवाद हुआ करता था तो कर्नल क्लीमेंट्स, जो जेल विभाग का आई० जी० था, मौजूद रहता था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्त में फिर इस सरकार से चाहूंगा कि वे अपने सी० आई० डी० विभाग द्वारा या विजिलेन्स विभाग द्वारा इसकी जांच करायें । मैं यह भी चाहूंगा कि यह सरकार जितने भी कन्ट्रोल हैं उन्हें समाप्त करे क्योंकि लाइसेन्स और परमिटों का दिया जाना ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है । मैं इस सरकार से यह भी चाहूंगा कि जो गल्ला यह बाजार से खरीदती है उसे यह बीच-बीच में रिलीज करती रहे ताकि बाजार के भाव से ऊंचे न चढ़ने चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय बहुत थोड़ा है । माननीय रियासत हुसैन अपनी बात कह लें ।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, आदरणीय सदन के उन सभी आदरणीय सदस्यों का मैं आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती प्रस्ताव के वाद विवाद में भाग लिया । मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे पूरे सूबे के पूर्ति अधिकारियों के मंत्री हैं, लेकिन मुझे खेद है कि अपनी उन मांगों के दर्मियान जब वे इस सदन में कोरम की पूर्ति नहीं करा सके तो मुझे शक है कि आगे कैसे गाड़ी चल पायेगी । मुझे यह भी खेद है कि यह पहला मौका है जब कि अधिकारी लोग रोजाना बैठते थे, आज जब माननीय मुस्तफा कामिल किदवाई साहब ने उस तरफ ध्यान आकृष्ट किया तब उसके बाद से क्रेटरी साहब तशरीफ लाये हैं और तबतक पूरी गैलरी खाली पड़ी रही । इस पर भी माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिये । एक बार मैं फिर माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे अपने विभाग के ऊपर अधिक मजबूती से नियंत्रण करें और कन्ट्रोल करने की कोशिश करें । एक छोटी सी मिसाल मैं और बतला दूं कि एक श्री सी० एम० जायसवाल हैं जिनकी आपके विभाग के अन्दर नियुक्ति की गयी है, सिविल सप्लाई विभाग के अन्दर । जब वे इंडस्ट्रीज डाइरेक्टोरेट में थे तो उनके ऊपर गम्भीर चार्ज लगाये गये थे और वहां से उनका टार्मिनेशन हो गया था लेकिन न मालूम किसकी सिफारिश से उनको फूड ऐंड सिविल सप्लाई में जगह दे दी गयी और वे रख लिये गये । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में—चाहे अपने किसानों से गल्ला खरीदा हो, चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसमें जो कुछ रुपया पैसा दिया गया हो, उसमें बट्टेखाते के रूप में कितनी रकम गयी है । मेरी सूचना है कि कई करोड़ रुपये उसमे बट्टे खाते में चल रहे हैं । इस पर आप ध्यान दें कि बट्टेखाते की रकम की सूरत क्या है और उसकी आडिट करावें ।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मौजूदा हालत में जब पूरे सदन की मांग है कि आप डिस्ट्रिक्ट फूड ऐडवाइजरी कमेटी का पुनर्गठन करें तो उचित होगा कि इस आदरणीय सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए वह अच्छी बात होगी ।

अब मैं ईंट के भट्ठों के लिये जो परमिट मिलता है उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । ईंट पकाने के भट्ठे लगाने के कुछ उसूल बने हुए हैं । जहां आम के बागात होते हैं उसके चारों तरफ खास जगह तक भट्ठे लगाने की परमिट न दी जाय । जैसे पूरब में एक मील पश्चिम में आधा मील, और उत्तर-दक्षिण दो-दो फर्लांग की दूरी पर फलदार आम के पेड़ हों तो वहां भट्ठे लगाने की इजाजत न दी जायगी । अगर माननीय मंत्री जी हर जिले का सर्वे करावें, तो परमिट देने के जो कायदे कानून रक्खे गये हैं, ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जगह ऐसे भट्ठे मिलेंगे जहां पूर्ति अधिकारियों द्वारा परमिट का लाइसेंस देने के सिलसिले में तमाम गड़बड़ घुटाला किये गये हैं और जहां आप के बागात हैं वहा भी ईंट के भट्ठे लगाने के परमिट दे दिये गये हैं । माननीय मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

[श्री रियासत हुसेन]

मेरठ और बुलन्दशहर जिले में दूध से मावा बनाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि जो दूध बहुत इंटीरियर में होता है, आमतौर से वहां डाइरेक्ट परचेंज नहीं होती है, मार्केट में सीधे बिक्री नहीं हो पाती है लेकिन खेद है कि इन दोनों जिलों के अन्दर प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि कोई दूध से मावा नहीं बना सकता । इससे इंटीरियर के किसानों को काफी परेशानी होती है । कोआपरेटिव सोसाइटी वाले भी सड़कों पर ही दूध खरीदने की बात करते हैं, इंटीरियर में नहीं जाते हैं जिससे किसानों का बड़ा नुक्सान हो रहा है ।

चावल के सिलसिले में भी माननीय सदस्यों की मांग है कि चावल पर जो आपने लेवी लगा रखी है उसे दूर कीजिये । उसके मूवमेंट पर जो रिस्ट्रिक्शन है कि एक जिले से दूसरे जिले में चावल न भेजा जाय, उसको दूर किया जाय, उसको खतम किया जाय तो अच्छा होता किसी क्षेत्र में अच्छा चावल होता है, किसी क्षेत्र में खराब किस्म का चावल होता है, लेकिन अगर हर किस्म के चावल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की इजाजत हो जाय तो बड़ा अच्छा होगा ।

एक तरफ और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो दूकानदारों को गेहूं मिलता है मौजूदा समय में, उसमें पुराने गेहूं को क्योंकि अच्छी क्वालिटी का गेहूं नहीं मिलता है, लाल गेहूं मिलता है । मुल्क में सफेद गेहूं अवेलेबुल है, दूकानदारों ने उठाया नहीं या उनके पास गेहूं हो गया है । उस गेहूं को जो क्वालिटी का अच्छा नहीं है जो खराब हो रहा है जिसमें रकम फंसी पड़ी है उसको खास तौर पर डिस्पोज करने का प्रयत्न करें । ये बातें माननीय मंत्री जी के सामने रखकर मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि यह पूर्ति विभाग ऐसा विभाग है जिसका सम्बन्ध इस देश के हर शख्स से है चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो चाहे वकील हो । भले ही वह बात दूसरी है कि कभी गेहूं की किल्लत है, कभी घी की किल्लत है और कभी किसी और चीज की। यह मुस्तकिल विभाग आपका है । इस विभाग के अन्दर बहुत गहराई में जाकर माननीय सदस्यों ने जितने सुझाव दिये हैं उनको सामने रखकर रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट जो कि १९५१ का है उसको काम्प्रिहेन्सिव तरीके से लाये , जो आउट डेटेड हो गया है । यह बात कहकर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं कि आज संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

एक सदस्य बोले हैं । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप अपने नेता से पूछिये । अगर आपके नेता कहेंगे कि आप इनको बुलाकर डिवाइड एण्ड रूल करते हैं तो मैं हरगिज-हरगिज नहीं बुलाऊंगा । मैंने वक्त दिया । उन्होंने चिट्ठी लिख दी । उनको नहीं मानते और माननीय राजितराम खड़े हुए । वे इसी विषय पर बोलें हैं ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

श्री राजितराम नहीं बोले हैं । राजितराम का नाम गया था । दल की ओर से जिनका नाम आयेगा वही बोलेंगे । यह काटौती नहीं होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज दो मर्तबा हाउस स्थागित हुआ समय भी कम हो गया ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

और पार्टियों के तीन-तीन, चार-चार सदस्यों को मौका दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष––

डेढ़ सदस्य कांग्रेस (संगठन) से बोले हैं। जनसंघ से दो, आपके यहां से नगीनासिंह को बुलाया था क्योंकि उन्होंने परसों माननीय अध्यक्ष से यह कहा कि हम ....

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)––

सभी दल के लोग बोल चुके। हमारे दल के एक भी....

श्री उपाध्यक्ष ––

जब यह सूचना हो कि श्री नगीनासिंह आपके दल में नहीं हैं तो मैं सोचूंगा।

श्री बलदेवसिंह आर्य––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस सदन के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये है उनको मैंने ध्यान से सुना हूं और उनके जो व्यवहारिक सुझाव है, जिन पर विभाग अमल कर सकता है उन पर अमल करने की कोशिश करेगा। मेरे मित्र श्री रियासत हुसैन जिन्होंने अपनी कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उनके भाषण को भी मैंने बड़े गौर से सुना और नोट किया। मैं यह तो नहीं कह सकता कि जितनी चीजों को उन्होंने सदन के समक्ष रक्खा है वे सब की सब निराधार है। इनमें से कुछ ऐसी है जिन पर कि विचार किया जा सकता है और विचार होना चाहिये।

हमारे प्रदेश में यह कहा गया, विदेशी गल्ला मंगा कर देश के स्वाभिमान को धक्का नहीं लगाना चाहिये। मैंने शुरू में ही अपने भाषण में इस बात को कहा है कि हम इसी प्रदेश में पैदा हुये गेहूं को किसानों से खरीदेंगे। मैंने कहा भी यह नहीं कहा कि हम विदेशी गेहूं खरीदेंगे। अपने यहां का ही गेहूं खरीदने के लिये बजट में प्राविधान किया गया है। यह सचमुच में हमारे लिये कोई गौरव की बात नहीं है कि आज जब हम अपने प्रदेश में नियोजन की अनेकों योजनायें प्रारम्भ कर चुके हैं, खास तौर से कृषि से सम्बन्धित योजनायें, और आज जब कि हमारे किसान रात-दिन मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने में लगे हैं, तो ऐसे समय में हम किसी दूसरे देश के ऊपर आश्रित रहें। यह हमारे लिये गौरव की बात नहीं है। यदि कोई कमी है तो हमें उसे अपने ही परिश्रम से पूरी करनी चाहिये। तभी हम स्वाभिमान के साथ अपना जीवन बसर कर सकते हैं। मैं मा नीय सदस्य को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम अपने ही प्रदेश में गेहूं की खरीदारी की बात सोच रहे हैं। इस समय जो खरीदारी हो रही है वह बाजार से हो रहीं है। किसानों के फार्म से हो रही है। मैं इसको शत प्रतिशत मानने को तैयार नहीं हूं कि यह खरीदारी एजेन्टों द्वारा हो रही है। इसके लिये हमने अपने प्रदेश में ७०० केन्द्र स्थापित किये हुये हैं। भारतीय खाद्य निगम प्रदेश की विभिन्न मंडियों से इसकी खरीद करता है। किसी भी बीच के दलाल या एजेन्ट द्वारा खरीदारी नहीं होती है। इस समय जो भी खरीदारी हो रही है वह सीधे बाजार से हो रही है।

यह ठीक है कि जो उपभोक्ता हैं उनको गल्ला सस्ता मिलना चाहिये। आप जानते हैं कि आज हर इन्सान का जीवन-स्तर उन्नत हो गया है। किसान के पैदावार की कास्ट आफ प्रोडक्शन भी काफी बढ़ गयी है। उसी अनुपात में मूल्य भी बढ़ गये हैं। अगर आज हमें मूल्य कुछ अधिक देना पड़ता है तो हमें यह समझना चाहिये कि हमारे देश और प्रदेश का जीवन-स्तर कुछ आगे बढ़ा है।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)––

कन्ट्रोल से पहले डालडा का क्या भाव था और आज क्या है?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

कन्ट्रोल तो आज भी डालडा पर नहीं है । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्राइस पर कन्ट्रोल होना चाहिये, बाकी सब छूट होना चाहिये । तो प्राइस कन्ट्रोल ही डालडा पर है....

श्री राजितराम पाण्डेय---

जब कन्ट्रोल नहीं था तब बड़े पीपे के दाम ८४ रुपये थे, आज उसके दाम ९४ रुपये हैं । आज वह ब्लैक में डेढ़ सौ रुपये में बिकता है । ९४ रु० में तो मिलता नहीं । यदि किसान को शादी-व्याह के लिए लेने की गर्ज हो तो वह डेढ़ सौ रुपये में खरीदे ।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मैं माननीय मित्र को यह बताना चाहता हूं कि डालडे का लाइसेंस की वजह से मूल्य नहीं बढ़ा है । जिस मैटीरियल से डालडा बनता है, उसका यहां भी अभाव है और जहां से इम्पोर्ट किया जाता है वहां भी उसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसलिए आज डालडा की कीमतें बढ़ी हुई हैं । फिर भी मैं अपने मित्रों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं जिन दुकानों से डालडा मिलता है, जिनके पास हमारे लाइसेंस मौजूद हैं उनके ऊपर सरकार की कड़ी निगरानी है और यदि कहीं कोई शिथिलता है तो और निगाह कड़ी की जाएगी जिससे अधिक मूल्य पर कोई न बेच सके ।

श्री राजितराम पाण्डेय--

आपके इशारे पर आज बनस्पति निर्माता करोड़ों रुपये कमा रहे हैं और आप आखें बन्द किए बैठे हैं । वह करोड़ों रुपया आपकी जात से कमाएंगे और आपको भी लाखों रुपया देंगे । आपके एलेक्शन में देंगे । यही कन्ट्रोल करने की वजह है ।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मैं पान्डे जी के इस कथन का तो विरोध करता हूं कि उन्होंने हम पर व्यक्तिगत आक्षेप भी किया है । कुछ वह कमायेंगे और कुछ हमें दे देंगे---हमें इस बात पर बड़ी आपत्ति है । आज किसी की नीयत पर हमला करना ठीक नहीं है । यह मेरी दरख्वास्त है कि उसको प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाए तो ठीक है ।

श्री राजितराम पान्डेय---

चौधरी साहब से आशा थी कि स्वच्छ प्रशासन आएगा, भ्रष्टाचार मिटेगा, लेकिन उनके रंग ढंग से, उनकी कारगुजारियों से अब यह मालूम पड़ता है कि एक क्या हजारों चौधरी आएं, जाएं । यह होने वाला नहीं है । जिन लोगों से वह नफरत करते थे और इसलिए कांग्रेस छोड़ा था आज उन्हीं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करवा रहे हैं (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष---

किसी की नीयत पर हमला नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री राजितराम पांडेय---

मैं तो सरकार के बारे में कह रहा हूं, जो सरकार ब्लैक भ्रष्टाचार करवा रही है ।

(व्यवधान)

श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)---

श्रीमन्, मेरी गुजारिश यह है कि जो जाती हमला किया है मंत्री जी पर रिश्वत लेने का, इतना कार्यवाही से निकाल देना चाहिए ।

श्री राजितराम पाण्डेय—

गलत क्या कहता हूं । इनके २० साल के शासन में किसान तबाह हो गया है । उसे डालडा नहीं मिलता है, दवा-दारू नहीं मिलती है । आपके यहां चोरी डकैती बढ़ रही है, लोग नंगे भूखे तबाह हो रहे हैं ।

श्री इम्तियाज हुसैन—

यह बीच में जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको भी आपको रोकना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी बैठ जाते हैं । इसलिए वह कहते हैं और मैं कहने देता हूं ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सदन की परम्परा के मुताबिक जब कोई सदस्य खड़ा होता है तो पता नहीं उसकी मंशा क्या कहने की हो, मेरे लिए उचित है मैं बैठ जाऊं । मैं उसी परम्परा को निभाने की कोशिश कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नहीं बैठेंगे तो उनको अनुमति नहीं होगी । जब आप बैठ जाते हैं तो उनको मौका मिल जाता है ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मान्यवर, इस सदन में जिन माननीय सदस्य के इन अनुदानों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार की बहुत सारी बातों का जिक्र किया है । भ्रष्टाचार समाज की एक कैंसर की बीमारी है । इसको मैं मानता हूं और सभी सम्मानित सदस्य मानेंगे, लेकिन आज भ्रष्टाचार किनके बीच में हैं ? हमारे पूरे समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है और समाज हम आप सबसे मिलकर बना है । अगर समाज इसको रोकना चाहता है और माननीय सदस्य उसे भ्रष्टाचार समझते हैं तो क्यों नहीं आप और हम सब मिलकर इसके खिलाफ जेहाद बोलें ? किसी पर केवल आरोप लगाने से तो काम नहीं चलेगा । यहां पर आदर्श की बात करें और बाहर जा कर दूसरी बात करें । जो बात हम जबान से कहते हैं उसी बात को करना चाहिए । भ्रष्टाचार का समाज से उन्मूलन परमावश्यक है । उसके लिए समाज से आदर्शवादी लोगों की आवश्यकता है जो समाज में अपने व्यक्तिगत आदर्श के द्वारा हृदय परिवर्तन कर सकें और नया मार्ग दिखा सकें । जब तक ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे, खाली यहां पर कह दें और बाहर जाकर दूसरा काम करें इस से समाज से भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा । जहां भ्रष्टाचार बढ़ता है वहां डेमोक्रैसी और सोशलिज्म कैसे आ सकती है ? उसी मुल्क में समाजवाद प्रगति कर सकता है जिसमें आदर्शवादी लोग हों और गरीब अमीर का भेदभाव न मान कर समता का भाव लाना चाहते हों ।

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि कहीं आज उनकी नजर में भ्रष्टाचार दिखायी देता हो तो वह और हम मिल कर जेहाद बोलें जिससे वह समाप्त हो । जहां तक इस विभाग के सम्बन्ध में कहा गया है, कहीं कहीं जिला के अधिकारियों के विरुद्ध बात कही गयी है, मैं नहीं कहता कि जो बातें कही गयी हैं झूठी हैं, कोई न कोई दोष है कहीं कहीं उन बातों को पनपने का मौका मिला है । मैं यही आश्वासन दे सकता हूं कि जिन अधिकारियों के बारे में आपने कहा है, हम देखेंगे और इसमें आप बिल्कुल संदेह न समझें कि जो दोषी पाया जायगा उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही होगी । किन्तु बगैर आधार और प्रमाण के सजा दे देना, खाली इसलिए कि अमुक सदस्य ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, किसी अधिकारी को सजा दे देना, यह बात न्याय संगत नहीं होगी । क्योंकि अगर हम इसी बात को मानकर सजा दे दें तो उसके लिए मौका है, वह कोर्ट आफ ला कर उसके खिलाफ अपनी बात कहें । और ऐसे कई मामले जाते हैं, कोर्ट से छूट कर आते हैं और

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

में जा गवर्नमेंट को उसका मुआवजा भुगतान करना पड़ता है । जो ऐसे माननीय सदस्यों की नोटिस में हों हमको बता दें हम छानबीन करेंगे और निश्चय ही जो दोषी पाया जायगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी ।

हमारे कुछ मित्रों को और खास कर रियासत हुसैन साहब को लोहे और सीमेंट की कीमत बढ़ने की शिकायत है । बात सही हो सकती है । लेकिन दो तरह की बातें एक साथ नहीं चल सकतीं । एक तो कंट्रोल खत्म करो, तो आसानी से चीज मिलेगी, दूसरी तरफ यह कि कीमतें बढ़ गयी हैं । दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं । इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । मैं उनके इस सुझाव को मानता हूं कि कीमतें बढ़ी हैं उनको कम होना चाहिए । इसमें शुबहा की बात नहीं है । किन्तु इसमें संयम की आवश्यकता है । हम से कुछ लोग अमीर हैं, उनका किसी न किसी से सम्बन्ध होता है । जब कभी कोई मामला चलता है, मुझे क्षमा करेंगे, मैं सदन से माफी चाहूंगा, हम उनकी कोशिशों में जुटे रहते हैं, इस लिए कि हमारे ताल्लुकात हैं । हम भी समाज के जीव हैं । हम जब किसी को तकलीफ में देखते हैं, चाहे वह तकलीफ उसके बुरे आचारण से हुई हो, उसको तकलीफ में देखते हैं तो मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं । लेकिन मैं आप से कहता हूं कि जिसका दोष है उसको अवश्य सजा मिलनी चाहिए । उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । उसकी तरफदारी इसलिये नहीं होनी चाहिए कि वह हमारा रिश्तेदार है, हमारा दोस्त और मित्र है । करेप्शन इसी तरह से दूर हो सकता है । यह मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो १० सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में तय हुआ था स्टेट ट्रेडिंग के बारे में उसे आप कब से लागू कर रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मेरे माननीय मित्र ने स्टेट ट्रेडिंग की बात कही है । जो कमेटी ने कहा है.....

(व्यवधान)

एक सदस्य---

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं.....।

(व्यवधान)

यदि वे नहीं बैठेंगे तो आपका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठिये ।

एक सदस्य---

यह क्वेश्चन आवर नहीं है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

श्रीमन् मैं मानता हूं कि करप्शन के मामलों पर कार्यवाही होनी चाहिये । मेरे मित्र माननीय रियासत हुसैन साहब ने एक सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर की यहां पर चर्चा की है । जिन दिनों यहां रिट्रेंचमेंट की बात हो रही थी तो कुछ लोग यहां सचिवालय से भी मारकेटिंक और राशनिंग में गये थे । जब वह समाप्त हुये तो उनकी यहां पर जगह मौजूद थी । वे फिर अपनी जगह पर मुकर्रर हो गये और वही वेतन उनको दिया गया ।

मेरी समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो यह बात की जाती है कि यह विभाग बहुत ही खराब है, इसमें भ्रष्टाचार है और दूसरी तरफ यह वकालत होती है कि तुम भी आ जाओ और मुझको भी शामिल कर लो। तो यह बात मेरी समझ में ठीक नहीं है। एक आदमी को इम्प्लायमेंट मिला है उससे वह अपना गुजारा कर रहा है अपना जीवन यापन कर रहा है उसे आप लेना चाहते हैं और कहते हैं कि सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर बनाया जाय। तो बाकी लोगों का क्या होगा जो कि दूसरी श्रेणी के लोग हैं? आवश्यकता से अधिक लोग कैसे रखे जा सकते हैं? मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जिन जगहों के लिये आपने इस सदन में स्वीकृत ही नहीं दी है उन जगहों के लिये आदमी कैसे रखे जा सकते हैं? यह सवाल आपका ही है और इसका जवाब भी आपको ही देना है।

यहां पर किराये के मकानों के बारे में चर्चा हुई। उनके बारे में शिकायतें हैं। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि इन के बारे में शिकायतें हैं। इन शिकायतों को दूर करने का जो कानूनी तरीका है उसी के अनुसार इन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जाती है। रेण्ट कन्ट्रोल का एक कम्प्रेहेन्सिव बिल इस सदन में पेश हो चुका है। उस पर इस सदन में विस्तार से विचार होगा। जिस तरह से यह सदन चाहेगा, उसको जिस तरह से बनाना चाहेगा उसके मुताबिक ही रेन्ट कन्ट्रोल का काम इस प्रदेश में चल सकता है। यह चीज आपके सामने है और जल्दी से विचार के लिये आने वाली है।

श्री रामनगीना सिंह जी ने बलिया जिले की कुछ शिकायतें कीं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम बलिया के सिविल सप्लाईज के स्टाफ के बारे में जानकारी करेंगे और जांच करेंगे। यदि कोई दोषी पाया गया तो दोषी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से छोड़ने की कोशिश नहीं हो सकती है। उनको इतना आश्वासन देता हूं।

माननीय किदवई साहब ने अपने जिले की बहुत सी बातें कहीं। वे हमारे साथी हैं। उन्होंने कहा कि कन्ट्रोल से करप्शन बढ़ा है। इस बारे में दो प्रकार के विचार प्रकट किये गये हैं कि उससे भ्रष्टाचार बढ़ा है और दूसरी बात यह कि कन्ट्रोल से चीजों के मिलने में आसानी हुई है। एक बात उन्होंने कही कि रेंट कन्ट्रोल के केसेज यहां पर आते हैं उनके पास जिनको ला की जानकारी नहीं होती। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यहां पर कोई लीगल हीयरिंग नहीं होती है और अगर किसी केस को हाईकोर्ट ने रेफर किया है कि उसकी हीयरिंग की जाय, तो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को मिनिस्टर अधिकार दे देता है वह उनको सुनता है। आम तौर से यहां पर हीयरिंग नहीं होती। जो रिकार्ड रेंट कन्ट्रोल आफीसर के यहां से आता है उसको देखकर ही यहां पर डिसीजन लिया जाता है किसी पार्टी को यहां पर हीयरिंग का मौका नहीं दिया जाता, न किसी वकील को एपीअर होने की इजाजत ही है। कोई किसी की दरख्वास्त लेकर आ जाय और उससे अपनी फीस ले ले उसको न आप चेक कर सकते हैं और न हम चैककर सकते हैं।

लेवी के बारे में एक बात और कही गयी। भानु प्रताप जी ने इस प्रश्न को बड़े जोरों से उठाया। १९६९–७० में २,८० ५२३ टन चावल लिया गया था जिसमें से १ लाख टन भारत सरकार को दिया।

अन्त में माननीय सदस्यों का मैं हृदय से आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें बहुमूल्य सुझाव दिये। उन सुझावों से हमें काम करने में आसानी होगी।

श्री रियासत हुसैन––

७ आदमियों को तो सरकार ने वापस बुला लिया और कहते हैं कि उसके लिये सदन ने चूंकि पैसा नहीं दिया इसलिये उनको नहीं रखा जा सका। लेकिन माननीय मंत्री जी ने बाहर के १०० आदमियों को किस प्रकार से रख लिया?

श्री बलदेवसिंह आर्य––

जो व्यक्ति रखे गये हैं उनका संबंध सेक्रेटेरियट की सर्विस से नहीं था। वे टेम्परेरी थे।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१५,१९,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५४ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३१,२५,४६,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिये थे नियम ५६ के अन्तर्गत माननीय सुरेन्द्र विक्रम, माननीय कल्पनाथ सिंह तथा माननीय बंशीधर पांडेय ने ग्राम सजोरा नदी गांव के पास थाना रेन्टर, जिला जालौन से मध्य प्रदेश के सशस्त्र डकैतों द्वारा ११ व्यक्तियों का अपहरण के बारे में यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया गया है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

नियम ५१ में कर दीजिये । यह इतना इम्पार्टेन्ट मामला है कि सरकार ने अपहरण को समाप्त करने के लिये वहां से चौकी ही हटा ली है । माननीय राजस्व मंत्री जी, आपके जिले का मामला है । जरा खड़े हो जाइये और इसको नियम ५१ में मंजूर करा लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

कार्य-स्थगन का जो वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जायगा उसमें तारीख बहुत दूर पड़ सकती है लेकिन अल्प सूचना के बारे में चर्चा पहले हो सकती है क्योंकि जो समय है उसी के भीतर तो होगा । इसलिये मैं कहूंगा कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अल्प सूचना में बहुत जल्दी चर्चा मिलेगी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, अल्प सूचित में दे दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा है माननीय हिम्मत सिंह, माननीय मोहनलाल कपूर तथा माननीय श्री राम सिंह का नियम ५१ में सीतापुर जिले में शारदा नहर के रजबहा सीतापुर में पानी न आने के कारण किसानों में चिन्ता के बारे में। इस पर प्रश्न कर लें। तात्कालिक महत्व का हो तो आप अल्पसूचित कर लें। दूसरा है माननीय कृष्ण स्वरूप वैश्य, माननीय भगवत दयाल और माननीय प्रेम नारायण का ग्राम सजेरा, जिला जालौन के ११ बच्चों का डाकुओं द्वारा अपहरण से आतंक के सम्बन्ध में। यह वैसा ही है जो वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुआ है।

अगला है माननीय राजेन्द्र कुमार शर्मा तथा माननीय चेतराम का रामपुर नगर में खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं नागरिक स्वच्छता के अभाव के कारण, जन-जीवन संकट ग्रस्त होने के बारे में। आज आपने खाद्य बजट पर इस बारे में चर्चा की है। इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

एक है माननीय शम्भू नाथ चौधरी का भारत सरकार द्वारा छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदेश की जनसंख्या और पिछड़ेपन के आधार पर न मिलने के सम्बन्ध में। यह अस्वीकृत हुआ है। इस पर आप प्रश्न कर सकते हैं, आपको जल्दी उत्तर मिल जायगा।

एक है माननीय उमाशंकर शुक्ल श्रीमती सरस्वती टमटा, श्री जगदीश गांधी तथा श्री पन्नालाल का ग्राम शिवरा भवन, थाना सचेडी, जिला कानपुर निवासी श्री मिट्ठू लाल, श्री पाती लाल व श्री मेवालाल के मकानों पर डकैती तथा लूट मार के बारे में। इस पर भी प्रश्न किया जा सकता है।

एक सूचना श्री राजित राम पांडेय, श्री रामपूजन पटेल और श्री शिव प्रसाद पांडिया की ग्राम राढ़ थाना बिल्हौर, जिला कानपुर निवासी श्री जगतनारायण कटियार के घर पर सशस्त्र डकैती के सम्बन्ध में है। इसके लिये आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर दें।

एक सूचना श्री मोती लाल देहलवी की है थाना गजरौला के अन्तर्गत जिला मुरादाबाद में ३—६—७० को श्री इतवारी खां को गोली मार कर चोट पहुंचाने के सम्बन्ध में। यह एक राजनैतिक कार्य कर्ता थे। इसको आप तारांकित प्रश्न कर दें और इसका जवाब आपको मिल जायेगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम और श्री कल्पनाथ सिंह की सूचना थाना नवाब गंज, जिला फर्रूखाबाद के अन्तर्गत भगेनाथ हवालाती की २ जून, १९७० को जेल के शफाखाने में मृत्यु के बारे में है। इस पर भी आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लीजिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मेरे इस प्रश्न को आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर दें।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मुरादाबाद जिले में जो ग्राम समाज की जमीन है . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप रुक जायें, इसको समाप्त कर लेने दें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ही निर्णय ले लिया कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अध्यक्ष के निर्णय के अनुरूप है।

[श्री उपाध्यक्ष]

एक सूचना माननीय गोविन्द सिंह नेगी और माननीय दुर्जन भाई की ग्राम पहरा, थाना करवी, जिला बांदा से जाने वाली हरिजन बरातियों को प्राइवेट कार द्वारा कुचलने से ३ बरातियों की मृत्यु के सम्बन्ध में है। इस पर भी आप प्रश्न कर लें।

एक सूचना माननीय श्यामलाल कनौजिया की है दि लार्ड कृष्ण शुगर मिल, सहारनपुर के क्रशिंग सीजन के पूर्व बन्द होने से किसानों के खड़े गन्ने की हानि के बारे में। इसके ऊपर भी आप प्रश्न कर लें।

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, जिला मुरादाबाद में जितनी गांव समाज की जमीन है उस जमीन को सरकार की घोषित नीतियों के विपरीत वहां पर कुछ सभापतियों ने और राजनैतिक लोगों ने उस जमीन को हथिया लिया है। हमारी पार्टी उसके खिलाफ संघर्ष कर रही है और वहां पर स्थिति थी गोली चलने की। सरकार को आवाज दी जाती रही लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कारणवश हमारे क्षेत्रीय मंत्री को इस संघर्ष में गोली मारी गई और पता चला है कि मुख्य मंत्री के आदमी ने गोली मारी है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रश्न को नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया जाय। वहां ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हमारे दल के और भी लोग मारे जायेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप से श्रीमन्, कि इसको नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी तारीख बहुत पीछे पड़ जायगी। इसको आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर दें, उसका जवाब आपको जल्दी मिल जायेगा।

श्री मोती लाल देहलवी---

तब तक कितनी जानें चली जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष---

मान लीजिये, इसको स्वीकार करें तब तारीख कब पड़ेगी ?

आप अपने नेता को लिखें क्योंकि यह महत्व का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि इसको आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न बनायें, इसका जवाब आपको जल्दी मिल जायेगा। तारांकित प्रश्न आप कर दें तो और जल्दी इसका जवाब मिल जायगा। कई दफा आप सोचते हैं कि अल्पसूचित में जल्दी जवाब मिल जाता है तो ऐसा नहीं होता है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मान्यवर, यह जो मैंने अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न दिया है वह इस दृष्टि कोण से.. (व्यवधान) (सदन में अत्यधिक शोर हो रहा था) महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की जन संख्या को ध्यान में रखते हुये कम से कम ११ जिले आने चाहिये। प्रायोजनाओं के लिये केवल ४ जिले लिये गये हैं और दूसरी में दो जिले और लिये गये हैं। फतेहपुर दोनों में रह गया है और पूर्वी जिले नहीं लिये गये। हमारे जो मुख्य मंत्री और मंत्री लोग हैं वह दिल्ली जाते हैं तो वह प्रदेश की हित की बात नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

जो आप कह रहे हैं और आपने जो लिखा है उसमें अन्तर है। उत्तर प्रदेश सामान्य तौर पर पिछड़ा हुआ है और केन्द्र को ज्यादा ध्यान देना चाहिये, यह नीति का प्रश्न है या आप चार जिलों के बारे में कह रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं ?

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मान्यवर, एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन जिलों के नाम भेजा उसका कोई आधार नहीं रखा। उसमें एक प्रधान मंत्री का आ गया और एक कृषिमंत्री का आ गया और फतेहपुर दोनों में रह गया। (व्यवधान) . . . . . हमारे मंत्री दिल्ली जाते हैं और खर्चा होता है लेकिन वह इन्दिरा कांग्रेस और भारतीय क्रान्तिदल के विलय पर बात करते हैं और उनको इस काम के लिये समय नहीं रहता। (व्यवधान) तो मान्यवर कम से कम आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

नियम ५२ के अन्तर्गत मान्यवर ले लें और कम से कम यह चर्चा का विषय तो बन जाय। यह मेरा निवेदन है। अब आप जैसा समझें।

श्री कृष्णा नन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न मैंने भी उठाया था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से एक ग्रांट आई थी जो चार जिलों को दे दी गई। उसमें एक जिला कृषि मंत्री का था लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, बुन्देल खण्ड और पहाड़ी जिले जो मान्यता प्राप्त गरीब जिले हैं उनमें से किसी को नहीं दिया। श्री शम्भू नाथ चौधरी ने प्रश्न उठाया है कि दो जिलों के लिये और आया था और वह दो जिलों को दे दिया गया लेकिन पूर्वी और पहाड़ी जिलों को नहीं लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न आज तो है नहीं। आप पूछ लीजियेगा।

श्री कृष्णा नन्द राय--

आज नहीं है किन्तु आपकी इजाजत से निवेदन कर रहा हूं। गरीब पूर्वी जिलों को छोड़ा जा रहा है और इसका बड़ा भारी असर पड़ेगा इस प्रदेश की शांति और व्यवस्था पर इसलिये इसे ५२ में स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष--

अल्पसूचित प्रश्न पूछिये उसमें जल्द जवाब आ जायेगा।

श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, नियम ५१ में मैंने सूचना दी थी।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप व्यवस्था कर दें। मेरी आपत्ति है कि दफा ५१ की सूचना के सम्बन्ध में जब . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जांय। व्यवस्था का प्रश्न सुन लूं।

श्री शिवराज सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब एक बार कोई चीज निश्चित हो जाती है उसके बाद भी कुछ बातें यहां पर प्रकट की जाती हैं और सरकारी पक्ष को उस समय अपना मत प्रकट करने का मौका नहीं मिलता। अखबारों में भी उन्हीं के प्रश्न छप जाते हैं और स्थिति स्पष्ट नही होती है। अध्यक्ष के निश्चय के पश्चात उनका भाषण नहीं होना चाहिये। अन्यथा सरकार को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

एक भी आदमी ने अध्यक्ष के विनिश्चय को चुनौती नहीं दी है ।

(तालियों की आवाज)

जो सिलसिला चल रहा है उसी सिलसिले में अगर कोई माननीय सदस्य कुछ निवेदन करना चाहे तो मैं कैसे उसका मुंह बन्द कर सकता हूं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, आप उनको यह आदेश दें कि जब उनका काम हो तभी बोलें ।

श्री श्याम लाल---

मान्यवर, आज मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत जिला सहारनपुर में मिल के बन्द होने की सूचना दी है । सीजन के समाप्त होने के पूर्व ही वह मिल बन्द हो गई है । किसानों का लाखों मन गन्ना खेतों में खड़ा है और वह खराब हो रहा है । जिले में और जो मिलें हैं कोई भी किसानों का गन्ना लेने नहीं जा रही हैं । इस विषय में तत्काल ही सरकार को ध्यान देना चाहिये । अब तो वर्षा भी एक या दो हफ्ते में शुरू हो जायेगी और उस समय किसान को कितना अधिक नुकसान हो जायेगा । किसी दूसरी मिल में उस गन्ने को ले जाने में भी बड़ी परेशानी काश्तकार को है और न तो वे इसको लेना ही चाहते हैं । सीजन खत्म हो रहा है । दूसरे जिलों की मिलें भी जल्दी ही बन्द हो जायेंगी । इस कारण मान्यवर, इस विषय में सरकार को तुरन्त ही ध्यान देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न के रूप में इसको स्वीकार करके इसका उत्तर दिलवा देंगे । गन्ने वाले प्रश्न पर बड़ी चर्चा हो गई ।

श्री श्याम लाल---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की सबसे बड़ी कमाई गन्ना ही है और इस समय लाखों टन गन्ना खेतों में लगा हुआ बरबाद हो रहा है और अगर इस पर तुरन्त ही सरकार ध्यान नहीं देगी तो उनका क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप इसके लिये प्रश्न कर दीजिये । तारांकित प्रश्न कीजिये । इसका जबाव आपको जल्दी ही मिल जायेगा ।

श्री श्याम लाल---

मान्यवर, मसला बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर आप वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

जितना हमारे क्षेत्र के अन्तर्गत है उतना हम कर देते हैं । आश्वस्त कर आप प्रश्न कर दें । वक्तव्य के लिये आप माननीय अध्यक्ष से बातचीत कर लें ।

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, करीब १०० विधायकों के हस्ताक्षरों से एक प्रार्थना पत्र अध्यक्ष महोदय को दिया गया था जिसमें हम लोगों ने यह कहा था कि सदन की माइक व्यवस्था अच्छी नहीं है और कुछ समझ में नहीं आता है । अध्यक्ष महोदय क्या कह जाते हैं, सदस्य महोदय अथवा मंत्री महोदय क्या कह जाते हैं कुछ समझ में नहीं आ पाता है । यह तो बड़ी लज्जा की बात है और इससे अफसोस भी होता है । १००, १०० विधायकों के हस्ताक्षरों से इसकी व्यवस्था करने की प्रार्थना की गई परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

दूसरी बात यह है कि यहां पर ४० पैसे होटल का दूध मिल रहा है। विधायकों के लिये एक विशेष व्यवस्था की गयी है। लेकिन मान्यवर, वही दूध जनता को क्या भाव मिलता है इस पर ध्यान नहीं दिया गया ? चौधरी साहब विधायकों के लिये तो विशेष व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन जनता की क्या हालत है ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस बात से इनकार कर दिया गया था इसलिये यह बात जो सत्य नहीं है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोतीलाल देहलवी---

श्रीमन्, एक खतरे की बात और बताना चाहता हूं। जहां हम लोग कैन्टीन में चाय पीते हैं, अगर आप किसी दिन वहां अन्दर चले जायं या चौधरी साहब चले जायं तो शायद उसमें चाय पीना पसन्द नहीं करेंगे। वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। जितने बर्तन है वह एक टब में डाल दिये जाते हैं और वैसे ही चाय पिलायी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष---

आवास मंत्रणा समिति में जो आपने प्रश्न किये हैं इस बारे में बात भी हुई थी.....

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, दूध वाली बात जो देहलवी जी ने कही, मेरा निवेदन है कि इसके पहले कि दूध हम लोगों को मिलना शुरू हो उसकी केमीकल एक्जामिनर से जांच करवा ली जाय। परसों हमने पिया तो सिर में दर्द होने लगा। तो पहले उसकी जांच करवा ली जाय, वह चाहे जिस भाव बिके यह दूसरी बात है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, एक प्रश्न उठाया हमारे मित्र ने यहां की आवाज की व्यवस्था के सम्बन्ध में। मैं इस सम्बन्ध में यह सूचना देना चाहता हूं कि आज से तीन चार महीने पहले इस कठिनाई को सोचा गया था और उस समय, जहां तक मुझे स्मरण है, कंटिजेन्सी से रुपया मंजर किया गया। यह बिलकुल सही शिकायत है कि आवाज की व्यवस्था बहुत खराब है। कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये। कमरे में बैठ कर आवाज साफ सुनायी देती है लेकिन यहां नहीं सुनाई देती।

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे भी ऐसा अनुभव होता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

तो शीघ्रता से जो कुछ भी सम्भव हो, किया जाना चाहिये।

एक सदस्य---

श्रीमन्, अभी शम्भू नाथ जी ने दफा ५१ में जो दिया था उसमें आपने कहा कि प्रश्न के रूप में दीजिये और आपने यह आश्वासन दिया कि तारांकित प्रश्न के रूप में दीजिये तो जल्दी आ जायगा। तारांकित प्रश्नों का यह महत्व रह गया है कि दो तीन महीने लग जाते हैं। इस लिए अल्पसूचित में हम लोग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने कहा कि आप लोग यह उम्मीद न कर कि जल्दी आ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

'तारांकित' जो मैंने कहा, मेरा मतलब 'अल्पसूचित तारांकित' से था।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने माइक की शिकायत की है। तीन दिन पहले मैं उस बैन्च पर बैठा था सरकारी पक्ष में। मेरे पीछे श्रीमती कला रानी बैठी थीं। वहां पर बहुत साफ सुनाई देता है। मैंने कलारानी जी से कहा कि यह तो पक्षपात मालूम होता है। वहां पर साफ सुनायी देता है लेकिन यहां साफ नहीं सुनायी देता।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, जब हम अल्पसूचित तारांकित प्रश्न देते हैं तो वह तारांकित में परिवर्तित हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो होगा ही। जिनके बारे में सदन में आपने कहा है और जिनके बारे में मुझे प्रत्यक्षतः आप जानकारी दे रहे हैं उनके बारे में....

(व्यवधान)

श्री सजीवन लाल—

इसमें मुझे शक पैदा होता है कि कहीं वह तारांकित प्रश्न में न बदल जाय। इसलिये आप यह बतला दें कि वह किस प्रकार के प्रश्नों में आप स्वीकार करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो हर हालत में यहां आयेगा। मन्त्री जी उस पर १५ दिन से अधिक समय नहीं ले सकते।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, ११ मार्च की विधान सभा की बैठक में शिक्षा मन्त्री जी ने एक प्रश्न के सम्बन्ध में आश्वासन दिया था। बाद में मेरे दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में प्रश्न विभाग ने सूचना दी कि ऐसा नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय से मिला था तो उन्होंने कहा था कि मुझको लिख कर दे दें। मैंने लिख कर दे दिया तो मुझे उसकी अभी तक जानकारी नहीं हुई है कि उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने अध्यक्ष महोदय को दिया है। वह इस पर विचार कर रहे हैं। आप मुझसे भी मिले थे। लेकिन निर्णय वहीं करेंगे।

दैनिक पत्र 'भारत' के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण पत्र का प्रकाशन बन्द होने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

सर्वश्री न्यूजपेपर्स लि० (भारत), इलाहाबाद के श्रमिकों की ओर इलाहाबाद प्रेस वर्कर्स यूनियन, इलाहाबाद नामक वहां की यूनियन ने १३ मार्च, १९७० को एक हड़ताल नोटिस भारत के मालिकों को दिया था। श्रम अधिकारियों के प्रयत्न से २२ मार्च, १९७० को दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया। समझौते की मुख्य शर्त एक यह भी थी कि श्रमिकों द्वारा "धीरे काम करो" की नीति अपनाई गई। तथा कथित नीति के सम्बन्ध में उन्हें ४, ५ व ६ मार्च, १९७० को उनकी मजदूरी का ५० प्रतिशत ही मिलेगा।

इसके बाद 'भारत' अखबार के दिनांक १ अप्रैल, १९७० के अंक म एक अनधिकृत समाचार छापे जाने के अभियोग में प्रबन्धकों द्वारा न्यूज करेक्टर श्री घासी राम को निलम्बित कर दिया गया। इस निलम्बन के फलस्वरुप, अन्य श्रमिकों ने ४ अप्रैल, १९७० को आकस्मात हड़ताल कर दी। बहरहाल, श्रमिकों ने ५ अप्रैल, १९७० से काम प्रारम्भ कर दिया। किन्तु जैसा कि ऊपर बताया गया है, गत ४, ५ व ६ मार्च, १९७० के सम्बन्ध में ५० प्रतिशत वेतन देने के प्रश्न को लेकर श्रमिकों ने पुन: ७ अप्रैल, १९७० को अकस्मात हड़ताल कर दी जिसके कारण 'भारत' का ८ अप्रैल, १९७० का अंक न निकल सका। इस बार भी क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, इलाहाबाद के हस्तक्षेप से दिनांक ८ अप्रैल, १९७० से कार्य प्रारम्भ हो गया था।

चूंकि दिनांक ४ तथा ७ अप्रैल, १९७० की हड़तालें अकस्मात की गई थीं और उस सम्बन्ध में श्रमिकों की ओर से कोई हड़ताल नोटिस नहीं दी गई थी इसलिय ७ मई, १९७० को माह अप्रैल, १९७० को बटने वाली वेतन से कथित ४ व ७ अप्रैल, १९७० के वेतन की कटौती प्रबन्धकों ने यह कह कर कर ली कि उन दिनों पर की गई हड़ताल अवैधानिक थी। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों ने पूर्व की भांति ७ मई, १९७० के सांयकाल से अकस्मात एवं बिना किसी नोटिस के हड़ताल कर दी। श्रमायुक्त की १५ मई, १९७० की रिपोर्ट के अनुसार यह हड़ताल चल रही है। इसका कारण ८ मई, १९७० से 'भारत' का प्रकाशन बन्द है। यह भी बताया गया है कि इस हड़ताल में ४१ पत्रकार कर्मचारी सम्मिलित है और सेवायोजकों ने २१ पत्रकार कर्मचारियों की बैठकी भी घोषित कर दी है।

क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, इलाहाबाद ने कथित यूनियन के पदाधिकारियों को मौखिक रूप से यह स्पष्ट कर दिया था कि वे हड़ताल करना यदि आवश्यक समझते है तो श्रम कानून के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुगमन करते हुए हड़ताल की नोटिस दें, किन्तु इस परामर्श के बावजूद भी श्रमिक बिना किसी नोटिस के हड़ताल पर चले गये। यहां पर संकेत कर देना प्रासंगिक प्रतीत होता है कि इलाहाबाद प्रेस वर्कर्स यूनियन के मंत्री श्री आर० के० जैन ने भी इस प्रकार की हड़ताल न करने का परामर्श दिया था किन्तु श्रमिकों ने इस परामर्श को नहीं माना।

इस सम्बन्ध में 'भारत" के प्रबन्धक-सम्पादक डा० मुकुन्द देव शर्मा का दिनांक २१ मई, १९७० का एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने बताया है कि ८ से १७ मई, १९७० तक 'भारत' का प्रकाशन बन्द रहा और अब १८ मई, १९७० से उसका पुन: प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है। यह प्रकाशन सेवायोजकों ने ८. ९ बाहरी श्रमिकों को कार्य पर रख कर प्रारम्भ किया है तथा हैन्ड कम्पोजिंग से केवल ६ पृष्ठ का अखबार निकल रहा है। बाहरी श्रमिकों द्वारा कार्य लिये जाने के प्रति हड़ताली कर्मचारियों में रोष है और प्राय: गेट मीटिंग एवं प्रदर्शन आदि उनके द्वारा किये जा रहे हैं।

प्राप्त सूचना के अनुसार हड़ताल अभी चल रही है। समझौते के प्रयास जारी हैं।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के वक्तव्य में कई असंगति हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पत्र के मूल पत्र 'लीडर' अखबार को पं० मदन मोहन मालवीय, पं० मोती लाल नेहरू और सर तेज बहादुर सप्रू जैसे देश के महापुरुषों ने आरम्भ किया था। इस अखबार के प्रबन्धकों न अब से ३ साल पहले 'लीडर' अखबार को बन्द कर दिया था। और अब २१ पत्रकारों की बैठीकी कराई गई है जिनमें श्री बालकृष्ण, उदय नारायण और श्री हेरम्ब मिश्र जैसे देश और राष्ट्र की सेवा करने वाले पत्रकार हैं। उनको घर पर बिठा कर पूंजीपतियों के प्रबन्धकों ने गैर पत्रकारों को बाहर से बुला कर सरकार से अनुदान ले रहे हैं और न्यूज प्रिन्ट ले रहे हैं और केवल नाम को ५०० कापी छपती है और इस तरह से जनता को धोखा दे रहे हैं। जब कि पहले उसकी १५–२० हजार प्रतियां छपती थीं। इस पत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन की लड़ाई लड़ी है। हम चाहते हैं कि वह अखबार फिर से जल्द से जल्द प्रकाशित हो और इन ४१ गैर पत्रकार लोगों को और २१ पत्रकारों को पुन: काम पर वापस लिया जाय। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें।

श्री राज मंगल पांडेय---

श्रीमन्, मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि जिन बड़े-बड़े लोगों का नाम इस पत्र के साथ सम्बन्धित किया गया है उनके नाम को साथ जोड़ने से क्या कोई गैरकानूनी चीज कानूनी हो जायगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इतने बड़े लोगों का नाम जोड़ा गया है लेकिन यह सब आदमी जानते हैं कि जो लोग हड़ताल कराना चाहते हैं उन को कानूनी तौर पर नोटिस हड़ताल का देना पड़ता है और उसकी एक अवधि होती है। उन्होंने वह हड़ताल का नोटिस समय से नहीं दिया और अपने समझौते का उल्लंघन कर के न्यूज कलेक्टर ने ऐसी खबर छापी जिसकी कि कोई अथारिटी नहीं थी। इस पर उस को निलम्बित किया गया और उसके बाद बिना किसी नोटिस के वह हड़ताल पर चले गये जब कि समझौता एक दिन पहले ही हुआ था। इस तरह से एक समझौता कर के उसको तोड़ना और ज्यादती की बात कहना कहां तक उचित है? उसके बाद भी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने सुझाव दिया कि अगर हड़ताल करना चाहते हैं तो बाकायदा उसका नोटिस दें और हड़ताल पर जाना चाहते हैं तो उस हालत में उनके साथ सहानुभूति हो सकती है। लाफुल तरीके से काम हो तो बात सुनी जा सकती है लेकिन गलत तरह से कोई चीज की जाय तो कानून क्षमा नहीं कर सकता। अगर हड़ताल का बाकायदा नोटिस दिया जाय और उसके बाद हड़ताल हो तो उन की मांगों पर भी गौर किया जा सकता है और मांगे जायज होंगी तो उनको मनाने के लिये भी दबाव डाला जा सकता है।

श्री राम चरन (जिला इलाहाबाद)---

इस प्रेस से पहले 'लीडर' निकलता था और उस पत्र को भी इन लोगों ने बन्द कर दिया और उसके तमाम पत्रकारों और कर्मचारियों को छांट दिया और अब दूसरे पत्र 'भारत' को भी समाप्त करने की यह मुहिम शुरू की है। यह अखबार बिरला का है और मेरी जानकारी है कि बिरला जी उसको समाप्त कर के वहां कोई अपनी फैक्टरी लगाने वाले हैं और इसी कारण से वह वहां कर्मचारियों और पत्रकारों का शोषण कर रहे हैं और उनको निकाल कर इस 'भारत' अखबार को भी समाप्त करना चाहते हैं, क्या यह सही है?

श्री राज मंगल पांडेय---

श्रीमन्, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है कि बिरला जी के दिल में क्या इरादा है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार मैं केवल इतना कहूंगा कि वहां के कर्मचारी और पत्रकार यदि उचित मांग, बाकायदा अपनी मांगें रखेंगे तो उन पर विचार किया जायगा और जो सम्भव सहायता होगी वह उनकी की जायगी।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के प्रारम्भ में कहा है कि सर्व श्री न्युजपेपर्स लि० (भारत), इलाहाबाद के श्रमिकों की ओर से इलाहाबाद प्रेस वर्कर्स यूनियन, इलाहाबाद नामक वहां की यूनियन ने १३ मार्च, १९७० को एक हड़ताल नोटिस 'भारत' के मालिकों को दिया था। बाद में जब वहां के वर्कर्स ने हड़ताल की तो उनको दबाने का प्रयास किया गया और फिर जब समझौता हुआ तो २ दिन की तनख्वाह भी काटी गयी। श्रीमन्, ऐसा पहली बार ही नहीं हुआ है बल्कि ४-५ साल से यह मसला चला आ रहा है। वर्कर्स की जो डिमांड्स होती है उनको नहीं माना जाता है और बराबर उनको दबाने की कोशिश की जाती है। आगे इसमें यह भी कहा गया है कि बाहरी श्रमिकों को कार्य पर रख कर प्रारम्भ किया है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर हड़ताल समाप्त करने के लिये सरकार की ओर से क्या प्रयास किये गये हैं?

श्री राज मंगल पांडेय---

श्रीमन्, इसी वक्तव्य में यह भी दिया हुआ है कि श्रम अधिकारियों के प्रयत्न से २२ मार्च को दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया। समझौते की मुख्य शर्त एक यह भी थी कि श्रमिकों द्वारा 'धीरे काम करो' की नीति अपनाई गई। तथा कथित नीति के संबंध में उन्हें ४, ५, व ६ मार्च, १९७० को उनकी मजदूरी का ५० प्रतिशत ही मिलेगा।

इसके बाद 'भारत' अखबार के दिनांक १ अप्रैल, १९७० के अंक में एक अनधिकर समाचार छापे जाने के अभियोग में प्रबन्धकों द्वारा न्युज कलेक्टर, श्री घासीराम को निलंबित कर दिया गया है। इस निलम्बन के फलस्वरूप अन्य श्रमिकों ने ४ अप्रैल, १९७० को अकस्मात हडताल कर दी जिसके कारण 'भारत' का ८ अप्रैल, १९७० का अंक न निकल सका।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि 'लीडर' अखबार और 'भारत' अखबार दोनों ही बिरला द्वारा चलाये जाते हैं ? और क्या यह भी सही है कि 'लीडर' को पूर्व ही बन्द कर दिया और अब 'भारत' अखबार को भी बन्द करने की योजना चलायी जा रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सरकार को इसकी जानकारी है कि 'लीडर' और 'भारत' अखबार एक ही प्रकाशक के माध्यम से चलते हैं ।

श्री राम गोपाल संड—

क्या उन्हें यह भी मालूम है कि १४ पत्रकार निकाले जा रहे हैं ? श्रीमन्, ये तो नाराज होकर जबाब देते हैं !

श्री उपाध्यक्ष—

वे जबाब तो दे रहे हैं ।

श्री राज मंगल पांडेय—

यह सही है कि 'लीडर' बन्द हो गया है। उसके जो कारण हमें पता चला है। एक तो यह है कि मजदूरों की ऐसी नीति थी कि जिनके कारण इसे बन्द करना पड़ा । अगर वह सही तरीके पर बन्द न हुआ होता तो जैसे आज संतोष व्यक्त किया जा रहा है उस वक्त व्यक्त किया जाता । आज यह २-ढाई साल की बात है । उनका इरादा इसको भी बन्द करने का था। जबकि लेबर की भी नीति हो तभी चलाने की बात सोचें। इसमें एक समझौता हो गया था। फिर एक अनधिकृत समाचार छापे जाने के अभियोग में प्रबन्धकों द्वारा न्यूज कलेक्टर सस्पेंड होता है। फिर बिना किसी कारण श्रमिक लोग हड़ताल पर चले जाते ह । यदि एम्प्लाईज अपने कार्य क्षेत्र के अन्दर कोई नोटिस दें और उचित मांगों को सामने रखें तो जितना सम्भव होगा उनकी सहायता की जायगी लेकिन उनको कोई गलत कार्य करने पर कोई संरक्षण देने को तैयार नहीं है ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बतायेगी, जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में श्रमायुक्त का जिक्र किया, कि उन्होंने इस विवाद को समाप्त करने की कोशिश की ? और क्या माननीय मंत्री जी यह उचित समझेंगे कि सदन की एक कमेटी के सुपुर्द यह काम हो तो इस हड़ताल को समाप्त करावे और 'भारत' दोबारा चल सके इसका प्रयास करे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मुझे दुःख है कि अगर मेरे माननीय सदस्य मेरे इस पूरे वक्तव्य को पढें होते तो उसमें है कि एक समझौता २२ मार्च को हुआ और दूसरा समझौता ५ अप्रैल को हुआ । २२ मार्च के बाद फिर वे लोग हड़ताल पर चले गये और उसके बाद समझौता होने पर ५ अप्रैल को चले आये काम पर । लेकिन ४,५ व ६ अप्रैल के वेतन को लेकर फिर ७ अप्रैल को वे हड़ताल पर चले गये । इस तरह से तीसरी हड़ताल के होनें पर सरकार समझौता कराने की कोशिश

[श्री राज मंगल पांडेय]

कर रही है क्योंकि आगे वाली लाइन में लिखा है समझौते के प्रयास जारी हैं । मार्च से लेकर अब तक दो समझौते हो चुके हैं और अब तीसरे समझौते की बात चल रही है। फिर इसमें लिखा है कि समझौते का प्रयास सरकार खुद कर रही है। जो श्रम आयुक्त हैं, एडिशनल श्रम आयुक्त हैं, वे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई समझौता हो जाय । वैसे तो यहां तक कहा गया है "क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, इलाहाबाद ने कथित यूनियन के पदाधिकारियों को मौखिक रूप से यह स्पष्ट कर दिया था कि वे हड़ताल करना यदि आवश्यक समझते हैं तो श्रम कानून के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुगमन करते हुए हड़ताल की नोटिस दें, किन्तु इस परामर्श के बावजूद भी श्रमिक बिना किसी नोटिस के हड़ताल पर चले गये" इससे यह जाहिर होता है कि सरकार और सरकार की तरफ से उनको यह बतलाया गया कि कायदे कानून के अनुसार आप कोई कार्यवाही करेंगे तो हमारी सहानुभूति पाने के हकदार होंगे ।

श्री रामगोपाल संड—

इससे २१ पत्रकार प्रभावित हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से सभी पत्रकारों को जानता हूं । उनमें न कोई साम्यवादी है और न किसी साम्यवादी दल से उनका सम्बन्ध है । उनको कोई सांप ने काट खाया था जो वे हड़ताल पर चले गये । मैं श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यूनियन के मंत्री डाक्टर मुकुन्द देव शर्मा जो शायद आर०के० बिड़ला के खास व्यक्ति हैं, उनको भेज कर भारत के संपादक श्री शंकर दयाल श्रीवास्तव को रिटायर कर दिया गया और उदय प्रताप सिंह आदि अनेक पत्रकारों को जो अनेक वर्षों से 'भारत' की सेवा करते रहे हैं उनको निकालना चाहते हैं, तो क्या सदन के एम०एल० एज० की कोई कमेटी नियुक्त करेंगे जो इस स्थान पर जाकर समझौता करावें जिससे राष्ट्रीय विचार का पत्र 'भारत' पुनः प्रकाशित हो सके ?

श्री राजमंगल पांडेय—

अगर यह संभव हो जाय कि एम०एल०एज० की कमेटी बन जाय तो क्या उसको ज्यादा पावर हो जायेगा जिससे वह समझौता करा सकेगी ? मैंने कहा कि सरकार खुद समझौते का प्रयास कर रही है। जो रीजनल लेबर कमिश्नर हैं वे खुद इसका प्रयास कर रहे हैं कि समझौता हो जाय । अगर हम मान भी लें कि एम०एल०एज० की कमेटी बन जाय तो उनको ऐसा पावर हो जायेगा कि वे समझौता जरूर करा दें ?

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

आपने फरमाया कि जो श्रम आयुक्त हैं वे समझौते का प्रयास कर रहे हैं और एम० एल० एज० की कमेटी बन जाय तो उसे कोई पावर न होगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब सदन की कमेटी बन जायेगी तो उससे बढ़कर भी किसी का पावर हो सकता है, सुनने में आया कि चूंकि बिड़ला उस पत्र को समाप्त करना चाहते हैं और वहां कोई दूसरी चीज स्थापित करना चाहते हैं ? मैं समझता हूं कि इसें वे किसी प्रकार से सफल नहीं हो सकेंगे । सबसे खास बात यह कि आज कल इलाहाबाद से सिवा, "भारत" के हिन्दी का कोई समाचार पत्र नहीं निकला, केवल इंगलिश का एक पत्र निकलता है जिससे इलाहाबाद के देहात के लोगों को सारे देश व प्रदेश की कुछ भी जानकारी नहीं हो पा रही है । तो यह प्रश्न भी हमारे लिये प्रमुख है कि सरकार क्या कर रही है इसकी जानकारी उनको नहीं हो रही है। बार-बार यहां समझौते की बात कही गयी । मैं जानना चाहता हूं कि सदन द्वारा बनायी गयी कमेटी के जो अधिकार हैं क्या उसे सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, मैंने पहले ही यह निवेदन किया कि कोई भी जो संस्था हो वह किसी कानून के अन्तर्गत ही कार्य करेगी। सदन की कमेटी बनाये जाने से अगर समस्या का समाधान हो सके तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन श्रीमन्, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट बना है सेन्ट्रल गवर्नमेंट के तहत में। उसमें खुद ही प्राविधान है कि वर्कमैन और एम्प्लायर में जब किसी किस्म का विवाद होगा तो वह रीजनल कंसिलिएशन बोर्ड के सामने जायेगा। जब वहां तय नहीं होता है तो रिकमैन्डेशन करके वह शासन को भेजेगा। शासन यदि उपयक्त समझता है तो इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को जायेगा। इस हाउस का ही ऐक्ट बनाया हुआ है उस ऐक्ट के अन्तर्गत ही चाहे मैं कार्य करूं, चाहे सदन कार्य करे, जो भी फाइन्डिंग्स होंगी वे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यनल के सामने जायेंगी। हम उसके बारे में डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं। यह चीज आपको माननी पड़ेगी, सरकार भी इस पोजीशन में नहीं है कि किसी भी एम्प्लायर को कह सके कि जबरदस्ती हम आपसे यह कानून मनवाते हैं। हम भी डायरेक्शन देंगे तो कानून के अन्दर ही देंगे। कानून मजबूर करेगा तो मैं मजबूर करूंगा कि कानून की बातें मानो।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की जांच करायेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिड़ला बन्धु मोनोपोलिस्ट होकर इस अखबार को खत्म कराने की कोई साजिश तो नहीं करा रहे हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मैंने श्रीमन् पहले ही कह दिया कि बिड़ला बन्धुओं की प्रोप्राइटरशिप हो सकती है। उनकी क्या साजिश है, इसके बारे में मैं बतला दूं कि जो रिपोर्ट शासन के पास है और जिम्मेदार अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इस किस्म की कोई साजिश नहीं है। अगर ऐसी एवीडेंस माननीय सदस्य दें कि "इट इज दि पार्ट आब् दि कान्स्पैरेसी आब् दि प्रोप्राइटर" तो हम आपकी भावनाओं को सम्बद्ध करते हुये यह कोशिश करेंगे कि वहां के श्रमिकों का कोई अहित न हो।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार को इस बात का पता है कि जिस बिल्डिंग में यह अखबार निकलता है उस कम्पाउन्ड में काफी बड़ा जमीन का टुकड़ा खाली पड़ा हुआ है और बिल्डिंग भी वह काफी बड़ी है जिसको देखते हुये उस बिल्डिंग को और वहां उस जमीन पर कोई दूसरा कारोबार करने का बिड़ला बन्धुओं का इरादा है इसलिये यह सब किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं हो सकता है कि ऐसा हो।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब श्रमिकों और उनके मालिकों में कोई समझौता नहीं हो पाता है तो सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करें? क्या माननीय मंत्री जी इस बात के लिये तैयार हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मैंने जो पहले कहा है शायद माननीय सदस्य ने उसको सुनने की कृपा नहीं की। मैंने कहा है कि जब एम्प्लायर्स और वर्कर्स में विवाद होगा जो पहले वह रीजनल कांसीलिएशन बोर्ड के सामने जायेगा। वह बोर्ड अपने सजेशन्स के साथ गवर्नमेंट को भेजेगा। गवर्नमेंट यदि

[श्री राज मंगल पांडेय]

उपयुक्त समझती है कि यह विवाद ठीक है तो वह इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जायगा। पहले कुछ सजेशन्स तो जायं। एक महीने के पहले कुछ चीजें हुईं। हम कोशिश कर रहे हैं कि समझौता हो जाय। समझौता नहीं होगा तो रीजनल कांसिलिएशन बोर्ड के द्वारा गवर्नमेंट के पास आयेगा। अगर हम समझौता नहीं करा सके तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने लायेंगे।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

७ अप्रैल को मजदूर और मालिकों के बीच समझौता हो गया था और मजदूर अपने काम पर आ गये थे। किन्तु जब वेतन उस माह का बांटा गया तो अप्रैल ४ और ७ का वेतन आधा दिया गया जिसके कारण मजदूरों में क्षोभ फैल गया और वे फिर हड़ताल पर चले गये। तो यह जो दो दिन का वेतन काटा गया था क्या समझौते में इसका कोई जिक्र था ?

श्री राजमंगल पांडेय—

समझौते में अगर इसका कोई जिक्र होता तो कोई वजह नहीं थी इसको काटने की।

श्री उपाध्यक्ष—

यह शर्तिया जवाब है, आपको इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

यह देखते हुये कि 'लीडर' पेपर के बन्द होने के कारण पत्रकारिता को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है और जनता को भी तकलीफ हुई है, और यह 'भारत' पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, इसके बन्द होने का भी खतरा पैदा हो गया है, समस्त उत्तर प्रदेश का यह सम्मानित पेपर है, मंत्री जी कोई गम्भीर रुख अख्तियार करेंगे और कोई ऐसा मजबूत कदम उठायेंगे जिससे कि यह समस्या सुलझ सके और इस अखबार के साथ जो खेल खेला जा रहा है वह न खेला जा सके ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन, हम लोगों की भावनायें भी ऐसी ही हैं कि श्रमिकों का अहित न हो। सरकार इसको कोई उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख रही है। हम इसके प्रति उदासीन हों, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर किसी उचित मांग को उचित तरीके से नहीं रखा जाता तो उसको मानने में दिक्कत पैदा हो सकती है। रीजनल लेबर कमिश्नर ने भी यही कहा है कि अगर हड़ताल करनी थी तो कानूनों का तो पालन करना चाहिये। आप उन नियमों का प्रतिपालन न करें और फिर उम्मीद करें सरकार आपको प्रोत्साहन देगी किसी तरह का तो यह संभव नहीं है। कानूनी दायरे में पहले श्रमिक आयें। मैंने तो यहां तक कहा कि हम एक कदम आगे जाकर कोशिश करेंगे और उनकी मांगों पर अधिक से अधिक सहानुभूति से विचार करेंगे, लेकिन जबतक उनकी मांग अनुचित रूप से चल रही है, उस हड़ताल के बारे में जिसकी कोई प्रापर नोटिस नहीं दी गई है, उसके बारे में कैसे विचार हो सकता है ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मंत्री जी ने कहा कि एक कदम आगे जाकर इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के अन्तर्गत सब व्यवस्था है कि रीजनल कंसीलिएशन अफसर समझौता कराये या आर्बीट्रेशन या सरकार को भेजने के लिए रेफर कर दे। तो रीजनल कंसीलिएशन अफसर तो अब तक इसको सुलझा नहीं पाया, तो क्या उन्होंने कोई दरख्वास्त दिया है कि यह सरकार मामला सुलझाये या आरबीट्रेशन द्वारा सुलझाया जाये ?

(इस समय ५ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री राजमंगल पांडेय--

इस तरह की कोई दरख्वास्त इम्प्लायर की तरफ से आई नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वक्तव्य की जो कापी सरकार की तरफ से दी जाती है, वह केवल संबंधित व्यक्तियों, पार्टी नेताओं को दी जाती है। वक्तव्य माईक की खराबी या शोर के कारण अधिकांश लोग सुन नहीं पाते। किन्तु हमें भी हक है उसकी जानकारी रखने का। तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि वक्तव्य की कापी हर सदस्य को दे दी जाया करे ?

श्री अध्यक्ष--

इस पर विचार किया जायेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं श्रम मंत्री जी से अत्यन्त विनम्रता से दो बातें कहना चाहता हूं। इस सदन में यह भावना है कि 'भारत' बिड़लाबन्धुओं का पत्र है और वे उसे बन्द करना चाहते हैं और उसके स्थान पर वह दूसरा हिन्दी पत्र या दूसरा कार्य करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने तैयारियां कर ली हैं। यह भी सदन की भावना है कि वहां का कांसीलेशन आफिसर भी बिड़ला बन्धुओं से मिला है। इसलिये मैंने कहा था कि क्या वह कोई सदन की समिति बनाना चाहेंगे कि वह जाकर उस विवाद को समाप्त करवा दें ? यह स्पष्ट है कि कांसीलेशन अफसर लिख देगा कि हड़ताल अनियमित है तो कोई भी सरकार उसे नियमित नहीं कहेगी। मैं कहूंगा कि सरकार नियमित और अनियमित यहां बैठकर न देखें। मैंने यह भी कहा था कि रीजनल कंसीलेशन अफसर के अतिरिक्त सरकार ने और कोई प्रयास इस हड़ताल को खत्म करने के लिए किया है। मंत्री जी ने इसका कोई उत्तर नहीं मुझे दिया। तो मेरा सुझाव यह है कि हाउस की एक समिति बना दें और वह इस संबंध में पता लगावें और फिर हल निकाले। क्योंकि वह एक पत्र एक मात्र इलाहाबाद का पत्र रह गया है। तो क्या वह तैयार होंगे हाउस की एक समिति बनाने को तथा समिति जो बने वह इस विवाद को समाप्त करने का प्रयास करे ?

श्री राजमंगल पांडेय--

श्रीमन्, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं। अगर कोई भी एविडेंस, माइनर सब्सटेंस की हो, जिससे सरकार को मालूम हो कि बिड़ला की कांसपिरेसी है कि जैसे पहले 'लीडर' को बन्द किया अब 'भारत' को भी बन्द करने की सोच रहे हैं, मेरे पास प्राइमाफेसी अगर हो तो मैं इस सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि इस कांसपिरेसी को हम कभी भी पूरी नहीं होने देंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैंने कहा हाउस की समिति बना कर ....

श्री अध्यक्ष--

सुन तो लें।

श्री राजमंगल पांडेय--

इन लोगों ने यह कहा कि कांसिपिरेसी है। मैंने कहा कि कांसपिरेसी का कोई एविडेंस तो हो। आपका कहना यह है कि जो आर०सी०ओ है वह बिड़ला जी की पे में है। मैं आचार्य जी निवेदन करूंगा कि उनको उत्तर प्रदेश में जो ईमानदार आर० सी० ओ० नजर आये हम

[श्री राज मंगल पांडेय]

उसको वहां भेज देते हैं, जब तक समझौता न हो जाय, मैं आज ही, हाउस को आश्वासन देता हूं, आज ही नाम आ जाय। आज ही पोस्टिंग कर देंगे वह महीने, दो महीने, दस दिन में कर दें, मैं इस हद तक जाने को तैयार हूं ताकि भ्रम न हो कि शासन श्रमिकों के बारे में उपेक्षा की नीति बरत रही है। जहां तक श्रमिकों का सवाल है, कानून के अन्दर जो अधिकार मिला है, इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स ऐक्ट के अन्दर, कमेटी भी बनेगी तो वह आर्बीट्रेरी नहीं हो सकती है। वह भी उसी ऐक्ट की तहत में कोई बात कहेगी। इसलिये कमेटी के बनाने से कोई यूजफुल परपज सर्व नहीं होगा। आप कहें कि आर०सी०ओ० को बदल दें तो इस मामले को हम करने को तैयार हैं लेकिन आप बतायें कोई आपकी नजर में ईमानदार आर०सी०ओ० हो।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि बिड़ला बन्धु की कांसपिरेसी का एविडेंस नहीं है। माननीय मंत्री जी सुन लें। इलाहाबाद जिले के जितने विधायक चुन कर आये हैं, वह और वहां के मजदूर एविडेंस हैं। श्रमायुक्त और मालिक सब समझौता कर लेते हैं लेकिन मजदूरों की बात नहीं सुनी जाती है। इससे बढ़कर क्या एविडेंस चाहिये। माननीय मंत्री जी की बगल में माननीय सर्वसुखसिंह, इलाहाबाद के विधायक हैं, खुद ही इस बात को बता रहे हैं। वहां के मालिक इस चीज को बढ़ा रहे हैं। यह कांसपिरेसी निश्चित रूप से है कि जिस प्रकार 'लीडर' को समाप्त किया है उसी प्रकार 'भारत' को बन्द करना चाहते हैं। मजदूरों के हितों को देखते हुए, इलाहाबाद की जनता और पत्रकारों के हितों को देखते हुए, विधायकों की बात सुन कर इस बात को मान लें। आप हमें कोई उत्तर न दें। सदन की एक समिति बना देते हैं तो कम से कम माननीय सदन को रिपोर्ट दे देगी ताकि सदन को मालूम हो जायगा कि कांसपिरेसी है या नहीं और मजदूरों की मांग जायज है या नहीं।

श्री अध्यक्ष---

छः बज गये हैं।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

आचार्य जी ने कहा कि एक कमेटी बना दी जाय, उसको भी मंत्री जी नहीं मान रहे हैं। आचार्य जी ने यह भी कहा कि मौके पर जाकर स्थिति का अवलोकन कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बिड़ला से साजिश है, बिड़ला की साजिश में आ कर आप खुद मिले हुये हैं कि वहां 'भारत' अखबार बन्द करा दिया जाय।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की एक कमेटी बनायी जाय। इस पर सदन की राय ले लें।

श्री अध्यक्ष---

यहां प्रस्ताव नहीं आ सकता है। प्रस्ताव भेजिये। श्री प्रेमचन्द शर्मा!

श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो मसला सदन में चल रहा है, सदन की राय ले ली जाय कि कमेटी बनायी जाय या नहीं।

श्री अध्यक्ष---

नियम ५१ में यह कायदा नहीं है। प्रश्न पूछ सकते हैं। जवाब मिल गया। प्रस्ताव लाना है तो कायदे के हिसाब से मेरे पास भेजिये।

कार्य मंत्रणा समिति से विरोधी दल के सदस्यों का त्याग-पत्र

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

सूचना चाहिये। आज हम को मालूम हुआ है कि कार्य मंत्रणा समिति सदस्य, विरोधी पक्ष के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या यह सही बात है ?

श्री अध्यक्ष—

यह बात सही है। उन्होंने मेरे पास इस्तीफा भेजा। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे पुनर्विचार करें। कल कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग बुलायी है, आपसे भी कह रहा हूं। उपाध्यक्ष जी बहुत देर से बैठे हुये थे, मैंने सोचा उसके बाद आपसे बात करूंगा। और लोगों से प्रार्थना कर चुका हूं। आप भी कृपा करके सजीवनलाल जी को भेजिये। कल मीटिंग होगी और इस पर पुनर्विचार होगा।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

त्याग-पत्र दे दिया है तो उनके मीटिंग में जाने का प्रश्न नहीं उठता है। यह मसला तब तक तय नहीं होता जब तक सरकार राजी नहीं होती जो जबरदस्ती बहुमत के आधार पर बिल लाना चाहती है। माननीय सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया है तो मीटिंग में जाने का सवाल नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों कहते हैं ? मैंने सब सदस्यों को बुला कर बातचीत करके राजी करने की कोशिश की। मैं प्रार्थना करता हूं तो आप बीच में क्यों आते हैं ? उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। जब पुनर्विचार कर रहे हैं तो झगड़े की बात नहीं है।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

किन कारणों से इस्तीफा दिया इसको बताने की भी कृपा करें ?

श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर)—

सदन की राय है कि कमेटी बनायी जाय लेकिन गलत रुख अपनाया जा रहा है। सदन को नेगलेक्ट किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं एकता लाने की कोशिश करूंगा और कामयाब हो जाऊंगा।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण में विलम्ब के कारण मिल मालिकों द्वारा गन्ने की पेराई में बिलम्ब के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने गन्ने के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जो विषय था उस पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। सदन के काफी सदस्यों की दिलचस्पी इसमें है। और वह चाहते हैं कि इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें। यह जो चीनी का उद्योग है इस देश के सबसे प्रमुख उद्योगों में है और इस देश में इस उद्योग का एक प्रमुख स्थान रहा है। देश में २०५ चीनी मिलें हैं जिनमें ७२ उत्तर प्रदेश में हैं। इससे मालूम होता है कि हमारे प्रदेश का यह कितना प्रमुख उद्योग है। कई लाख गन्ना उत्पादक हैं। लाखों एकड़ भूमि इस गन्ना के लिये इस्तेमाल की जाती है। इस उद्योग की जो स्थिति है उसकी व्यवस्था पिछले दिनों से खराब होती चली जा रही है। मिलों की क्षमता बराबर गिर रही है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

माननीय मुख्य मंत्री नहीं हैं इस लिये विवाद करवाने से कोई मतलब नहीं होगा। इतने महत्व का यह प्रश्न है। इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसको स्थगित कर दें। जब वह बैठे.....

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न नहीं है। दो बार पोस्टपोन हो चुका है।

श्री बंशीधर पांडेय —

मुख्य मंत्री को रहना चाहिये। इससे फायदा होता है।

श्री अध्यक्ष—

कभी होता है, कभी नहीं भी होता है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि व्यवस्था खराब होती जा रही है। मिलों में काफी मुनाफा होता है लेकिन मिल की मशीनरी की हालत इतनी खराब हो गयी है कि वह आज मशीनरी मशीनरी कहने लायक नहीं रह गयी है। उस उद्योग में काफी मुनाफा इन लोगों को होता है। इस प्रकार मशीनरी के आधुनिकीकरण पर कितना पैसा लगाया गया है। मशीनरी पर जो कि हमारे प्रदेश का प्रमुख धन्धा है उन पर जंक लगता जा रहा है और इस प्रकार वे खराब होती जा रही हैं।

दूसरी स्थिति यह है कि हमारे किसान जो कि बड़े परिश्रमी हैं गन्ने का उत्पादन बड़े परिश्रम से करते हैं। इस गन्ने के जो मूल्य हैं और किसान का जो गन्ना फैक्टरियों में जाता है उसे आप जानते हैं कि कई वर्ष हो गये हैं किसानों का उन पर बकाया चलता चला आ रहा है। मैंने जब १९६५--६६ की जो फीगर्स देखीं तो मालूम हुआ कि ९ करोड़ रुपया इन किसानों के गन्ने का बकाया इन मिलों पर था। उस बकाया रुपये की चर्चा भी इस सदन में हुई है। कई दफे कहा सुना गया किन्तु वह रुपया करोड़ों की तादाद में चलता चला जा रहा है। इसी प्रकार सरकार का भी करोड़ों रुपया इन गन्ना मिलों पर टैक्स वगैरह का बाकी है....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जिस विषय पर यहां चर्चा हो रही है उसमें लिखा है कि सरकारी नियंत्रण में लेने के उद्देश्य से बनाई गई समिति की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश विधान सभा.....। तो यह जो समिति की रिपोर्ट की चर्चा इसमें आई है वह तो हमें प्राप्त नहीं हुई है और मैं समझता हूं कि हम इस पर चर्चा क्या करें? इस समिति की रिपोर्ट के बिना हम उसे अंधेरे में क्या टटोलें? हो सकता है कि सरकारी पक्ष के पास यह रिपोर्ट हो। किन्तु हम उस पर क्या कहें? माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित नहीं हैं। वे होते तो शायद वे कुछ संकेत देते। अतः इसको करने से क्या लाभ है कि हम फिर उसको पढ़ें और तब बहस करें।

श्री अध्यक्ष—

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। सवाल यह है कि प्रेम चन्द्र शर्मा ने मेरे पास कई दफा इसके लिये कहा। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों का गन्ना खड़ा है वह खराब हो जायेगा और भी बहुत से लोगों ने मुझ से कहा कि हमारा गन्ना खेतों में खड़ा है और यह चीज जल्दी तय हो जानी चाहिये। काफी लोग इस पर बोलना भी चाहते थे। लिहाजा इसको प्रस्तुत किया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

(व्यवधान)

बात यह है कि इसमें समिति की रिपोर्ट का जिक्र क्यों आया है ? उसके यहां न रहने पर यह मामला असंगत हो जाता है।

श्री अध्यक्ष---

वर्तमान सरकार ने कार्यभार सम्हालते ही प्रदेश की चीनी मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेने के उद्देश्य से एक कमेटी बनाई थी और यह घोषणा की थी कि उसकी रिपोर्ट एक माह में प्राप्त हो जायेगी। किन्तु कई मास व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक रिपोर्ट उक्त कमेटी को सरकार को नहीं प्राप्त हो सकी है। चीनी मिल मालिक निरन्तर इस बात के सतत प्रयास में हैं कि इस विषय में जितना विलम्ब हो सके, किया जाय और इस पर शीघ्र निर्णय न हो। इससे उनको मशीनों आदि में घपला करने का अवसर प्राप्त हो जाय। सरकार की इस ढिलाई से प्रदेश की जनता में व्यापक असन्तोष एवं चिन्ता व्याप्त है कि कहीं चीनी मिल मालिक अपने कार्य में सफल हो गये तो यह आश्वासन जो प्रदेश की जनता को दिया गया था वह निर्मूल हो जायेगा। इससे गन्ना उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है। सरकार का इस विषम स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये इस विषय पर चर्चा उठाने की अनुमति दी जाय। तो मैं उनको इस पर भाषण देने की इजाजत दे दी। इसमें जो इतना घपला हो रहा है उसको हटाने का प्रयास करें।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मान्यवर, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कदाचित् हमारे प्रेमचन्द्र शर्मा हम लोगों से सहमत हों जायं। उन्होंने इस सम्बन्ध में जितना प्रयास किया है वह अत्यन्त प्रशंसनीय है हम सब को चिन्ता है लेकिन हम सब बैठ कर क्या करेंगे। जो चीज कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से संबंधित है अगर वे ही इस चीज को इतना गौण और निर्जीव समझते हैं तो हम लोगों के यहां बैठने से क्या फायदा होगा और प्रेम चन्द्र जी के इतने लम्बे-चौड़े कहने से भी क्या फायदा होगा ? हमारा आप से एक निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से कह दीजिये कि यदि वे ५ मिनट में नहीं आयेंगे तो कम से कम आज के इस वाद-विवाद में हम भाग नहीं लेंगे।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

प्रेमचन्द्र शर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है वह इस प्रकार है---"प्रदेश की चीनी मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेने के उद्देश्य से बनायी गयी समिति की रिपोर्ट के विषय में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, सदस्य विधान सभा की सूचना पर दो घंटे की चर्चा।"

इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह कि रिपोर्ट आने वाली है और दूसरा यह कि रिपोर्ट आ गयी है। अगर रिपोर्ट के आ जाने से मतलब है तो अगर रिपोर्ट आ जाती अब उस पर बहस होती, तब ज्यादा अच्छा था।

श्री अध्यक्ष---

जब रिपोर्ट आ जायगी तो दुबारा बहस होगी। (कई सदस्यों के बोलने पर) आपको नहीं सुनना है तो आप भी चले जाइये, जिस प्रकार से और लोग चले गये हैं।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

आज का एजेन्डा सूक्ष्म रूप में लिखा गया है। मेरा प्रश्न इस रिपोर्ट से बिलकुल भी संबंधित नहीं है। अगर रिपोर्ट आ गयी है तो भी मेरा कहना यह है कि सरकार इस विषय में देर

[श्री प्रेमचन्द्र शर्मा]

कर रही है। रिपोर्ट के आने में ऐसे मसले निकल आयेंगे कि उस से और विलम्ब हो जायगा। मैंने दो घंटे का विषय इस लिये दिया था कि जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकरण हो जाय नहीं तो मिल मालिक सारी मशीनों को उखाड़ कर ले जायेंगे। बड़ा अच्छा तो यही होता कि रिपोर्ट आ जाती और फिर इस पर विवाद हो जाता। लेकिन मैं समझता हूं कि रिपोर्ट के यहां आने में कुछ न कुछ ऐसी कानूनी बात निकल आयेगी जिससे यह मामला टल जायगा। अगर आप चाहते है कि रिपोर्ट आने के बाद बहस हो तो मैं उससे सहमत हूं, बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन जल्दी में इसलिये चाहता था कि किसानों का गन्ना सूख रहा है, उसमें आग लगायी जा रही है। ५१ पैसा प्रति क्विन्टल गन्ने का दाम घटा दिया गया है। (व्यवधान)

विरोधी दल के लोग जो किसानों के बड़े हिमायती बनते हैं, वे अगर इस पर बहस नहीं करना चाहते तो रहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे पूछता हूं आप डिबेट अब चाहते है या रिपोर्ट आने के बाद में ? अगर आप अभी डिबेट चाहते हैं तो आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

हम सभी डिबेट चाहते हैं लेकिन हमारा केवल इतना कहना था कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित होते तो अच्छा था।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मैं अभी बहस चाहता हूं। लेकिन माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी इस समय यहां हैं, उन्होंने ही कमेटी की रिपोर्ट पेश की है। अगर वह कल उसको हाउस के सामने रखने का आश्वासन दें तो यह बहस परसों को रख दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

कोई गारन्टी नहीं दी जा सकती। अगर आप आज बहस चाहते है तो भाषण जारी रखिये।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मैं यह कह रहा था कि उनके ऊपर काफी रुपया बकाया है और इसके अलावा मजदूरों का भी वहां काफी शोषण हो रहा है। लगभग एक लाख मजदूर इस कारोबार में लगे हुये हैं। उनको उचित और समय पर बेतन नहीं मिलता। जैसा मैंने अभी आप सेनिवेदन किया गन्ने की स्थिति ऐसी है कि काश्तकार दो दो दिन गेंट पर पड़े रहते हैं, मिल मालिकान उस गन्ने को लेते नहीं ह और मजबूर करते हैं कि या तो वे दाम घटा कर दें या सरकार कोई रियायत दे तब वे उस गन्ने को उठायें। साथ ही उपभोक्ताओं का भी शोषण हो रहा है। जो चीनी उनके लिये छोड़ी जाती है वह काफी बढ़ा चढ़ा कर बची गयी। इन सब चीजों को देखते हुये प्रदेश में एक मांग पैदा हुई कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसे ही शासन की बागडोर संभाली उन्होंने यहां घोषणा की कि हम बहुत शीघ्र ही उनका राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं। इसके बाद वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा और एक कमेटी नियुक्त की गयी। इसके अलावा मैंने जब यह प्रश्न दिया उस वक्त रिपोर्ट आने की कोई बात नहीं थी और मैं देख रहा था कि एक महीने का समय

कमेटी को दिया गया था लेकिन ३-४ महीने गुजरने के बाद भी उस कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी। साथ ही मिल मालिक बराबर इस प्रयत्न में लगे हुये हैं कि मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेने के मामले को अधिक से अधिक घुमाया जाय जिससे जो उसका खास मकसद है वह फारफीट हो जाय। इसको देख कर मैंने अपना प्रस्ताव पेश किया है।

रिपोर्ट के संबंध में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी कायम हुई। मुझे खुशी है कि दो, तीन दिन पहले उस कमेटी ने मुख्य मंत्री जी की रिपोर्ट दे दी है। अच्छा होता यदि हमारे हाथ में भी वह रिपोर्ट होती। हम केवल यह निवेदन करना चाहते है कि रिपोर्ट में क्या है यह मंत्री जी बतायेंगे नहीं लेकिन अगर उसमें इसी प्रकार की कोई प्रक्रिया हुई जिससे इन मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेने में विलम्ब हो तो आप समझ लीजिये बजट के मौके पर माननीय सदस्यों ने बहुत संदेह प्रकट किया था कि क्या कारण है कि यह मामला टलता जा रहा है। तो वह रिपोर्ट शीघ्र सदन में पेश की जाय और जल्दी से जल्दी उनका राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की जाय। जैसा मैंने अपने प्रस्ताव में बहुत थोड़ा-सा इंगित किया है सुनने में आया है, पता नहीं कहां तक सही है और कहां तक गलत है, ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले को डिले किया जाय और उस मशीनरी को सूबे से बाहर शिफ्ट किया जाय। अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो गयी तो जो हमारा लक्ष्य है कि राष्ट्रीयकरण होने से लोगों को अच्छा पैसा मिलेगा, मजदूरों को अच्छा रोजगार मिलेगा, सरकार के कर की टाइम से वसूली होगी उसकी पूर्ति नहीं हो पायेगी।

सरकार के सामने कम्पेन्सेशन, इत्यादि की समस्या हो सकती है। लेकिन उसके लिये मेरा निवेदन है कि जिस तरह जमींदारी उन्मूलन के बारे में बांड दिये गये थे उसी तरह इनको भी बांड दिये जायं। सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करे।

इसके साथ ही राष्ट्रीयकरण या सरकारी नियन्त्रण में लेने के एक, दो खतरे भी हो सकते है। अखबारों में बराबर पढ़ते है कि जो जो उद्योग सरकारी नियंत्रण में आये, चाहे वह केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में हों या प्रदेशीय सरकार के नियंत्रण में हो, उनमें बहुत काफी गड़बड़ घोटाला हुआ। करोड़ों रुपये का घाटा हुआ। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसका नियंत्रण सरकार के ऊपर मत छोड़ो। राष्ट्रीयकरण तो हो लेकिन उसका सरकारीकरण नहीं होना चाहिये जिससे वहां आई० ए० एस० अफसर जा कर बैठ जायें और जिनको कोई अनुभव नहीं है वह उनको चलावें और वे घाटे में परिवर्तित हो जायें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट में आपके पास एक प्रतिशत कैडर होना चाहिये जिससे जो चीजे आप अपने हाथ में लें तो आपके पास जो अनुभवी लोग हैं वे उनका नियंत्रण ठीक तरीके से और मुनाफे के साथ कर सकें। एक बात सुनने में आई है। एक तरफ तो आप राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और दूसरी तरफ पलिया में हजारों एकड़ जमीन शुगर मिल को दी है। वह है गोला के निवेतिया। उनको ९० लाख रुपया लोन भी दिया गया है और उसमें ५१ परसेन्ट उनके शेयर हैं। एक तरफ तो आप राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिये ९० लाख रुपया दे रहे हैं और जमीन भी एक्वायर कर के दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हू मंत्री जी से कि जब आप राष्ट्रीयकरण करने जा रहे है और उसनें ५१ परसेन्ट उनके शेयर हैं तो यह राष्ट्रीयकरण की नीति नहीं हो सकती। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप से निवेदन करना चाहता हूं कि एक शुभ इरादा आपका है, आपने घोषणा की है, तो आप इसको शीघ्र करें जिससे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जिसकी घोषणा आपने यहां की है।

श्री अध्यक्ष---

नियम यह है कि पहले माननीय सदस्य अपना वक्तव्य देगे, तब मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे और फिर अन्य सदस्यों को बोलने का मौका होगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

माननीय मंत्री जी (श्री राज मंगल पांडेय की ओर संकेत) गन्ना विभाग के हैं। यह उद्योग का मामला है इसलिये यहां उद्योग मंत्री हों या मुख्य मंत्री हों तब ठीक रहेगा क्योंकि चीनी का मामला है।

श्रम राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)---

माननीय प्रेमचन्द्र शर्मा ने कुछ आशंकायें व्यक्त की हैं। श्रीमन् आशंकायें तो ऐसी हैं कि बहुतों ने तो ईश्वर के ऊपर भी आशंका व्यक्त की है कि वह है भी या नहीं।

एक सदस्य---

क्या कहा, फिर से कहिये।

श्री राज मंगल पांडेय---

फिर से सुन लें। मैं अपने और अपनी सरकर के बारे में बहुत साफ बता देना चाहता हूं कि हमारा इरादा डिले करने का नहीं है। अगर डिले करने का इरादा होता तो २१ फरवरी को इसके सम्बन्ध में एक डिक्लेरेशन हुआ था और ३१ मई को यानी ३ महीना १० दिन के अन्दर इतने बड़े मसले पर जहां ७१, ७२ चीनी मिलें हैं और हर मिलें की अलग-अलग समस्यायें हैं। हर मिल में जहां हजारों मजदूर काम करते है उसकी सारी समस्याओं को देखते हुए ३ महीने १० रोज के अन्दर एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी तो मैं तो यही कहूंगा कि वह कमेटी सराहना की पात्र है जिसने इतने थोड़े समय में लगभग डेढ़ सौ पेज की रिपोर्ट होगी, मैंने पेज गिना नहीं श्रीमन्, लेकिन काफी बड़ी है। श्रीमन्, कुछ वैधानिक प्रश्न किये गये कि वह रिपोर्ट सामने नहीं है। एक वैधानिक प्रश्न आपकी तरफ से आया कि रिपोर्ट नहीं है इसलिये विवाद क्या हो? श्रीमन्, आपको यह तो पहले ही सोचना चाहिये। वह रिपोर्ट है और वह कांफिडेन्शल है और उस रिपोर्ट को अभी कैबिनेट के सामने जाना है।

श्री रामधारी शास्त्री---

जब वह कान्फिडेन्शल है तो अखबारों में कैसे निकल गया?

श्री राज मंगल पांडेय---

अखबार वालों ने स्पेकुलेशन किया है। बहुत-सी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें वह अपना स्पेकुलेशन देते हैं। तो, श्रीमन्, यह अखबार वालों का स्पेकुलेशन है और अगर उनको रिपोर्ट मालूम होती तो वह सारी रिपोर्ट छाप देते। श्रीमन्, वह कानफिडेन्शल पेपर है।

श्री रामधारी शास्त्री---

मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट बहुत अच्छी है और कैबिनेट में वह गई नहीं है। तो मंत्री महोदय ने कैसे जान लिया कि वह अच्छी है? क्या प्रेस को वह रिलीज की गई है या नहीं?

श्री राज मंगल पांडेय---

किसी को रिलीज नहीं किया गया है।

मैंने यह नहीं कहा कि रिपोर्ट कैसी है? ठीक है या ठीक नही है, उचित है या अनुचित है? इसका प्रमाण-पत्र तो हाउस ही देगा।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

इन्होंने कहा अच्छी है तो यह इन्होंने कैसे कहा?

श्री अध्यक्ष---

मैंने नहीं सुना कि इन्होंने कहा अच्छी है।

श्री राज मंगल पांडेय—

मैंने यह कहा कि कमेटी की रिपोर्ट खासी मोटी है जो करीब सौ डेढ़ सौ पन्ने की होगी।

श्री राम बिलास पांडेय—

इन्होंने कहा "बहुत अच्छी रिपोर्ट है।"

श्री अध्यक्ष—

एक तो आप गलत बात करते हैं और फिर उस पर जोर देते हैं। उन्होंने 'अच्छी नहीं कहा।

श्री राम बिलास पांडेय—

आपने भी कह दिया कि इन्होंने नहीं कहा है इसलिए मैं कहता हूं कि जो कार्यवाही रिपोर्ट हो रही है वह पढ़वाई जाय। चूंकि आपने भी कह दिया, इसलिए कृपा कर पढ़वा दें।

एक सदस्य—

जब वीरेन्द्र वर्मा जी कमेटी में शामिल थे तो उन्हीं को यह वक्तव्य देना चाहिए न कि यह दे। जबकि अभी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने नहीं गई। अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे हो सकता है? ज्वाइंट रिसपांसिबिलिटी होती है इसलिए कोई भी मंत्री उत्तर दे सकते हैं। आप भाषण दीजिए। दूसरे को सुनना नहीं चाहते।

श्री राज मंगल पांडेय—

इट इज क्वाइट एवाल्यूमिनस रिपोर्ट? मेरा यह मतलब था। यह जो वैधानिक बात कही गई और अगर मेरे मित्रों को उस पर पूरी चर्चा करनी है तो इस मसले को दो या ढाई महीने के लिये टाल दिया जाय ताकि वह इस बीच में कैबिनेट में आ जाये और वहां पर उसका कोई निश्चित डिसीजन हो जाय, उस पर पूरा कन्सीडरेशन हो जाये तब उसको हाउस के सामने प्रस्तुत कर दिया जाय। हाउस के सामने तो उस रिपोर्ट को आना ही है। अगर आप का हाउस होगा तब आप चाहे उसको न आने दीजियेगा। अगर हाउस उस रिपोर्ट को आने के बाद डिस्कस करना चाहे तब तो बात दूसरी है ..... (व्यवधान)

एक सदस्य—

कभी यह कहते है कि मोटी है, उसकी जिल्द बढ़िया है और वह बड़ी मोटी है।

श्री राज मंगल पांडेय—

यही मैंने कहा था कि इसमें इतने व्यवधान हैं। फक्ट्रीज के लिये हम लोगों ने रिसीवर बैठाया, दो दो दफे हाई कोर्ट से वे हट गये और प्रोप्राइटर्स के हाथों में वह फैक्ट्री फिर पहुंच गई। सरकार के सामने भी बहुत सी परेशानियां है। कैबिनेट में जायगी, एडवोकेट जनरल का भी फिटनेस सर्टीफिकेट लगाया जायगा तभी वह हाउस में आयेगी। इसके पूर्व हम इसको कैसे बता सकते हैं कि उस रिपोर्ट का डिसीजन क्या है।

एक सदस्य---

भूतपूर्व गवर्नमेंट कह रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर्स नहीं है कि शुगर मिल्स का नेशनलाइजशन करे तो क्या फिर भी स्टेट गवर्नमेंट उनका नेशनलाइजेशन कर सकती है। दूसरी बात यह है कि मंत्री जी यह बतायें कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

पहले मंत्री जी को बोलने द ।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

अगर सरकार का डिस्क्रीशन ही नहीं है नेशनलाइज करने का·····

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है जरा साफ-साफ माइक के पास से बोलें ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बोलें ।

श्री राज मंगल पान्डेय---

मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे सामने बड़ी दिक्कतें हैं और सबसे बड़ी तो कानूनी दिक्कत है। उन सारी दिक्कतों को हल करने के बाद ही हम इस स्थिति में होंगे कि उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि हाउस के हर सदस्य को दे सकें और फिर उसके बाद आप जो व्यवस्था चाहें, जो कानून चाहें बनवा सकते है । जब तक ये सारी चीजें नहीं हो जातीं तब तक यह कहना कि हमारी बदनीयती है, उपयुक्त नहीं होगा । दूसरी चीज कही गयी कि करोड़ों मन गन्ना खेत में पड़ा हुआ है । यह सही है लेकिन नेशनेलाइजेन के होने या न होने से क्रशिंग कैपेसिटी पर क्या असर पड़ेगा यह बात समझ में नहीं आयी । फैक्टरी की एक क्रशिंग कैपेसिटी होती है । अगर इनएफीशियेन्ट मैनेजमेंट है तो हम कुछ सुधार कर सकते है और हो सकता है कि कुछ ज्यादा क्रश कर लें । लेकिन यह तो गन्ने के उत्पादकों पर डिपेन्ड करता है कि इतना उगाएं कि फैक्टरी पेर सके । इस समस्या का नेशनेलाइजेशन से कोई सम्बन्ध नहीं है ·····

श्री दीप नारायण मणि---

प्वाइंट आफ आर्डर । वह कह रहे है कि चाहे स्टेट मैनेज्ड हो, या प्राइवेट मैनेज्ड हो, तो जब सरकार ने घोषित कर दिया है·····

श्री अध्यक्ष---

यह आप अपने भाषण में कह लीजिएगा ।

श्री राज मंगल पान्डेय---

जहां तक शुगर इंडस्ट्री के नेशनेलाइजेशन का सवाल है, यह सरकार कमिटेड है । उसमें वापस जाने की कोई बात नहीं है·····

श्री बंशीधर पांडेय---

जब मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैंने कभी नेशनेलाइजेशन नहीं कहा, मैंने टेकओवर की बात कही है । मंत्री जी ने अभी कहा कि नेशनेलाइजेशन के लिए कमिटेड है । तो दोनों में अन्तर हो गया । इसलिए आपकी बात मुख्य मंत्री जी से उल्टी पड़ रही है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, बड़ी मुश्किल से दो घंटे का समय मिला है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर चर्चा हो जाने दें।

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं। बात यह है कि कांग्रेस दो हिस्से में बंट गयी है। इसमें तो झगड़ा चलेगा ही।

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, नेशनेलाइजेशन के बारे में अभी एक प्रश्न उठाया गया। नेशनेलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसकी डेफिनीशन बहुत लम्बी-चौड़ी है। जहां प्राइवेट ओनरशिप को हम रिमूव करते हैं और सोशल कंट्रोल को लेते हैं इट इज आलसो ए पार्ट आफ नेशनेलाइजेशन स्कीम..... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहें।

श्री राजमंगल पांडेय—

तो गन्ने के उत्पादकों की समस्या का समाधान नेशनेलाइजेशन या टेकओवर से सम्बन्धित नहीं है। यह तो इससे सम्बन्धित है कि काश्तकार उतना ही गन्ना उगायें जितना उस एरिया की फैक्टरी पेरने की क्षमता रखती हो। अगर काश्तकार सहयोग नहीं करेंगे तो यह समस्या हमेशा बनी रहेगी।

कुछ फैक्टरीज के डिस्पोजल के बारे में बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें कहीं गयीं। मैं कह चुका हूं कि हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से हम कानून न रोक नहीं सकते क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप है। अभी तक फैक्टरी उनकी है। हम सतर्क जरूर हैं। जो लेबर यूनियन है वह भी सतर्क है कि यह लोग कुछ ऐसा न कर दें कि अगले साल का सीजन न चल सके। मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई खामी नहीं होगी। यह सरकार फैक्टरियों के ओनर्स से किसी तरह की साठ-गांठ करके उनके हितों की रक्षा करने और काश्तकारों के हितों को न देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती। अगर यह बात होती तो सरकार कभी तीन आदमियों की कमेटी बैठाकर इतनी जल्दी रिपोर्ट मंगाकर गहराई से अध्ययन न करती। हमारी यह कोशिश है कि जल्दी से जल्दी बिल हाउस के अन्दर आये कानूनी दिक्कतों को हल करने के बाद कि ये जो पूंजीपति हैं, मिल वाले हैं इनका इरादा नहीं है और यहां से फैक्टरी बाहर ले जायेंगे या बेच देंगे। उस इरादे को हम जानते हैं और सरकार सजग है।

मैं सरकार के इरादे के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार का इरादा बिलकुल साफ है। सरकार का इरादा इस प्रदेश में केन ग्रोवर के साथ है। उनके भविष्य का खयाल करते हुए, उनके हित का खयाल करते हुए, इस प्रदेश की प्रगति का खयाल करते हुए और यह भी खयाल करते हुए कि इस प्रदेश की चीनी मिलों को जितनी सेवा इस प्रदेश की करनी चाहिये थी अगर वह नहीं कर सकती है तो उनके कारणों की जांच करते हुये जो भी कानून के माध्यम से या जो भी सम्भव हो सकता है इस प्रदेश की जनता और केन ग्रोवर्स का ध्यान रखते हुए हम कोई अपनी कोशिश उठा नहीं रखेंगे जिससे यह साबित हो कि यह सरकार पूंजीपतियों का खयाल करती है।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर, बहुत समय से इन शुगर मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न इस सदन के सामने एक न एक प्रकार से आता रहा है। मेरे मित्र मुझे क्षमा करेंगे कि हम लोगों ने एक प्रकार से इस प्रश्न को राजनैतिक ढोंग बना दिया है। मुझे पता नहीं है कि वाकई इस सरकार का इरादा क्या है ? हम लोगों ने शुरू में सोचा था जबकि वित्त मंत्री जी का बयान आया कि वाकई में वह राष्ट्रीयकरण इनका चाहते हैं। मैंने अपनी कानूनी बुद्धि से इस चीज पर विचार करने की चेष्टा की। मैं प्रारम्भ से इस मत का रहा हूं और वही पूर्व सरकार ने भी निर्णय लिया था कि केन्द्रीय सरकार जब तक चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की योजना न बनाये तब तक इन मिलों का यह सरकार राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकती है। विधान का अनुच्छेद जिस प्रकार से है उसमें यहां राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता है जब तक कि केन्द्रीय सरकार न बनाये। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि एक के बाद दूसरी सरकार इस राजनैतिक ढोंग को अपने राजनैतिक दिखावे के लिये नारेबाजी का साधन बनाना चाहती है बल्कि इस सरकार का यह रवइया है आज भी मैं सुन रहा था और उस पर बारबार मैंने विचार करने की चेष्टा की और मैंने टोकने की उस समय चेष्टा की लेकिन वह नहीं किया।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि २-२।। महीने में इसका निर्णय होगा। हम लोग खूब जानते हैं यह बजट सेशन समाप्त करने की योजना चल रही है। हम लोग यह भी जानते हैं कि असेम्बली के कुछ लोग चुपचाप मिल मालिकों से मिले हुये हैं जिन्होंने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि बजट सेशन पूरा होने दीजिये तो यह राष्ट्रीयकरण की बात जहां की तहां रह जायेगी। हमारे माननीय मंत्री जी को इसका ज्ञान है। ऐसी बात नहीं है कि उनको ज्ञान न हो....

(श्री वीरेन्द्र वर्मा के बैठे बैठे कुछ कहने पर) (व्यवधान)

मैं आपके लिये कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आप तो इनके भी गुरू हैं।

श्री कृष्णा नन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, यह इस सदन का कहां का नियम है कि बैठे-बैठे कुछ कह दिया जाय। जो भी बात कहना हो खड़े होकर कहिये। अध्यक्ष महोदय यह वीरेन्द्र वर्मा १६ लाख रुपया मिल मालिकों से लिये हैं और इसको सारा सूबा जानता है।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

मैं कह रहा था कि आप समय निश्चित कर दें ताकि सब लोग बोल सकें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें वह मैं देख लूंगा।

श्री दीपनारायणमणि---

मैं यह कह रहा था कि जल्दी ही आचार्य जी विषय पर आ जायं, दूध का धोया कोई नहीं है यह सब जानते हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि मंत्रि परिषद् से हटने के बाद माननीय कृष्णानन्द राय को इस तरह से इतने निम्न स्तर की बात नहीं करनी चाहिये। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं साबित कर सकता हूं कि इन्होने १६ लाख रुपया प्रदेश के चीनी मिल मालिकों से लिया है।

(शोर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यह जो रुपया लेने का चार्ज लगाया गया उसके बारे में कहूंगा कि अगर बी० के० डी० ने अपने चुनाव में एक नया पैसा भी चीनी मिल मालिकों से लिया है तो आप उस मिल का नाम बता दें और साबित कर दें कि वह लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, एक जज नियुक्त कर दिया जाय जो इस की जांच करे।

(व्यवधान)

(श्री बांके लाल के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है कि यह विवाद एक निम्न स्तर पर चला गया.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

वह आपने ही तो शुरु किया.....

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

मैं कहता हूं कि वह हमने ही किया लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगा कि सरकार को थोड़ा सहिष्णु होना चाहिये। मैंनें तो कुछ शुरु नहीं किया माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने कुछ कहकर बात चला दी, उसका मुझे दुख है कि यह नहीं होना चाहिये क्योंकि वह सरकारी पक्ष के व्यक्ति हैं जिन को थोड़ा सहिष्णु होना ही चाहिये और हम भी शासन में रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमन्, इस तरह से यह बातें होंगीं तो मैं बोलने से इन्कार करूंगा। क्या मैं लक्ष्मण स्वरुप जी का कोई उत्तर दूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो सदस्य भाषण दे रहे हैं उन्हें इस तरह से डिसटर्ब न करें।

श्री चेतराम गंगवार--

श्रीमन्, समय भाषण का निश्चित कर दें ताकि सब को अवसर मिल जाय।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

मैं कह रहा था कि हमारे यहां ७२ चीनी मिले हैं और उममें से केवल चार कोआपरेटिव सेक्टर में हैं। सरकार ने यह निश्चय लिया था कि आगे जो भी चीनी मिल खोली जायेंगीं वे निश्चित रूप से कोआपरेटिव सेक्टर में ही खोली जायंगी। मैसूर, महाराष्ट्र या दक्षिण में

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

भी कुछ चीनी मिलें हैं वहां भी बहुत सी कोआपरेटिव सेक्टर में हैं और कुछ निजी क्षेत्र में हैं। जहां तक यह प्रश्न है कि चीनी मिल मालिकान उत्पादकों को तंग करें या कम पैसा दें, मुआवजा कम दें और हर तरह से उनका शोषण करें इस सब के हम लोग तो विरोधी हैं और स्वयं हमारी यह नीयत रही है क्योंकि हमारे इल्म में है कि बहुत बार चीनी मिल मालिकों पर बकाया रही है और पिछले साल के आंकड़ों का मुझे कुछ थोड़ा सा ज्ञान है और समय समय पर सरकार चिन्तित रही है चाहे वह पहले की सरकार हो या आज की सरकार हो सब को इसकी चिन्ता रही है।

मेरा कुछ दुर्भाग्य है और मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करूंगा और न यह कहूंगा कि श्री वीरेन्द्र वर्मा जी या हमारा यह कोई सवाल है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक दूसरे को समझकर कार्य करें, चाहे वह सरकार में हों तब भी कोई दुख की बात नहीं है, कल तक हम सरकार में रहे हैं। और जो दिक्कतें कल तक इस प्रदेश के सामने थीं, वे कल भी रह सकती हैं। सरकारें, गणतन्त्र में आयेंगीं और गिरेंगीं। यह विचार किसी के भी मन में नहीं है कि चीनी मिलों में सुधार न हो। किसी को एतराज नहीं है कि उत्पादकों या कृषकों का, जिनका ये शोषण करती हैं, भला न हो। पूर्ववर्ती सरकार, यानी हम लोगों ने, यह तय किया था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय लेकिन केन्द्र ने हमारी बात को अनसुनी की। यदि आज्ञा दें, मैं इंदिरा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के राजनीतिक ढोंग को आसानी से स्वीकार नहीं किया। यदि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि मोदी इन्डस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं हो रहा है?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम ५५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि "अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, भाषणों के लिये समय-सीमा विहित कर सकेंगे।" तो मैं चाहता हूं कि इसमें कोई सीमा निर्धारित कर दें। आप देखें एक घंटे का समय हो गया है और केवल २ लोग ही बोले हैं, तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने अभी अभी कहा कि प्रधान मंत्री ने राजनीतिक ढोंग को स्वीकार किया और उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वगामी सरकार ने निश्चय किया था कि राष्ट्रीयकरण किया जाय तो फिर आपका भी राजनीतिक ढोंग ही है?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं नहीं समझता हूं कि माननीय मंत्री भी इस प्रकार की चीजें समझने की चेष्टा नहीं करते हैं। मैंने कहा है कि माननीया इंदिरा जी ने राजनीतिक ढोंग को स्वीकार नहीं किया। फिर समझ में नहीं आता कि उन्हें किस बात पर एतराज है?

तो, श्रीमन्, मेरा निवेदन हैकि जब इस प्रदेश की प्रत्येक चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो इस देश की प्रत्येक चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर करना है तो तत्काल कीजिये। आप तो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। एक ओर सिक मिल्स हैं चीनी की, उनके लिये हम लोगों ने विचार किया था कि रिसीवर की नियुक्ति के द्वारा उन्हें सरकार अपने कब्जे में ले लेगी लेकिन आज तक भी सरकार उसमें सफल नहीं हुयी, पूरी सीजन अर्थात् मौसम समाप्त हो गया और गन्ना उत्पादकों की कठिनाई जो थी वह बढ़ गयी। एक बहुत बड़ी अनिश्चितता और भयंकर आशंका प्रत्येक व्यक्ति के मन में पैदा हो गयी है।

गन्ना उत्पादक आज गन्ना पैदा नहीं करना चाहता है, चीनी मिलें भी सोच रही हैं कि राष्ट्रीयकरण या टेक ओवर होने वाला है। उसका परिणाम यह है कि कहीं पर कोई निश्चितता नहीं है । मिलों में कहीं पर रोलर तोड़ दिया जाता है और कह देते हैं कि वे गन्ना नहीं लेंगे । इस प्रदेश का गन्ना उत्पादक आंसू बहायेगा इतिहास के पन्ने पर । इस वर्ष उसको २ रुपये प्रति क्विंटल भाव भी नहीं मिला है और करोड़ों क्विंटल गन्ना आज प्रदेश में खड़ा हुआ है । संभव है कल उसको जलाना पड़े । हम यहां पर बहुत चर्चा कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं लेकिन इस अनिश्चितता के लिए कौन जिम्मेदार है । यदि कुछ करना था तो क्या दिक्कत थी, ३ माह हो चुके हैं, कमेटी बिठाये, तो क्या परेशानी थी । आज हमारे मित्र कहते हैं कि २ या २ १/२ महीने और लगेंगे । तो मुझे बड़ा दुख है कि यदि आपको टेक ओवर करना है तो कल ही कीजिये यदि आपको नेशनलाइजेशन करना है तो कृपा करके इंदिरा जी कहें कि वे इस देश की प्रत्येक चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण कर दें और हम सभी उसके लिये तैयार हैं । और हम चाहते हैं कि इस प्रदेश की प्रत्येक चीनी मिल का नेशनलाइजेशन हो जाय यदि वे कर सकें लेकिन कृपा करके इस प्रदेश को गर्त में एक धक्का न दीजिये ।

एक तो चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के नाम पर आपने मौजूदा गन्ना उत्पादकों के मन में आशंका पैदा कर दी जिससे वे आगे गन्ना न पैदा करें, और दूसरी तरफ प्रत्येक चीनी मिल मालिकों के मन में भी आशंका पैदा कर दी कि न मालूम आगे भविष्य क्या हो । यही नहीं श्रीमन्, वेस्ट बंगाल से न जाने कितने उद्योगपति अपने उद्योग लगाने के लिये इस उत्तर प्रदेश में आना चाहते थे लेकिन जब से यह सरकार आयी है तब से एक भी उद्योगपति यहां नहीं आया ? बड़ी लम्बी लम्बी राजनीतिक बातें की जाती हैं जिनमें केवल नारेबाजी होती है । बाहर कुछ कहते हैं और सदन में कुछ कहते हैं और फिर उसके बाद बदल जाते हैं । मैं आपसे कहता हूं कि आप राष्ट्रीयकरण कीजिये, टेक ओवर कीजिये लेकिन वास्तव में आपको कुछ नहीं करना है। न तो आप राष्ट्रीयकरण करेंगे और न टेक ओवर करेंगे । हां, एक बात आपने कर दी कि इस प्रदेश के व्यापार को, इस प्रदेश के उद्योग को इतना धक्का पहुंचाया जिसकी पूर्ति जल्दी नहीं हो सकती ।

एक सदस्य—

आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

इसके लिये मैं खुद कहता हूं और बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण कर दीजिये लेकिन कृपा करके इस काम को कल कीजिये अन्यथा इस प्रदेश का इतना बड़ा अहित होगा जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह चर्चा इसलिये हो रही है कि आज गन्ना उत्पादकों की जो स्थित है उस पर हम विचार कर सकें । अबकी बार ढाई रुपये क्विंटल गन्ने का दाम किसानों को मिला है । मैं अपनी बात कहता हूं मैं अपने मन में ऐसा समझता हूं कि समय-समय पर इस सरकार ने जो घोषणायें की हैं, चाहे वे चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में हों, चाहे उनके टेक ओवर के बारे में हों, वह केवल पोलिटिकल स्टंट था, वह गुड फेथ में नहीं था । मैं अपने तर्क से इसे साबित करूंगा । इसमें इतनी देर लगाने में कोई सुगंध नहीं थी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

१७ तारीख को इस सरकार ने शपथ ली और २२ तारीख को इस सरकार ने समिति की घोषणा की, नेशनलाइजेशन की घोषणा की, उन परिस्थितियों में जब कि नेशनलाइजेशन का दौर दौरा था। गुप्ता जी होते तो तब भी मैं यही कहता कि इसमें राजनीतिक दावपेंच की बात थी। नेशनलाइजेशन तो एक पोलिटिकल स्टंट था। अब भी अगर इस तरह की कोई चीज हो तो खड़े होकर कह दें। कहा गया कि इसमें सेंटर से लीगल राय ले लीजिये, अपने ए० जी० की ही राय मांग लीजिये कि स्टेट चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने के लिये कम्पिटेंट है कि नहीं है और सोच विचार कर कोई कदम उठाइये। जो कमेटी बनायी गयी उसके मेम्बरों के लिए कहा गया कि उसमें बहुत बड़े-बड़े शुगर एक्सपर्टस हैं। वे कौन थे? एक थे माननीय गेंदा सिंह, दूसरे श्री वीरेंद्र वर्मा जी और तीसरे श्री पृथ्वीनाथ सेठ। मुझे यह भी सूचना मिली कि इनमें से एक का किसी मिल मालिक के साथ गहरा संबंध है। जब मैंने इस पर प्रश्न किया था तो मुझे आश्चर्य है कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि यह सब डिटेल की बात है।

मैंने कहा था कि राजनीतिक दृष्टि से समिति को रिपोर्ट देने के लिये एक महीने का समय रखा गया है और किसानों की दृष्ट से एक महीने के अन्दर रिपोर्ट आ जानी चाहिये। यह बहुत जरूरी था लेकिन पहले वे यह समझते थे कि एक महीने के अन्दर जो तमाम बवंडर हैं वे शांत हो जायेंगे लेकिन वे शांत नहीं हुये और मैं समझता हूं कि यह केवल पोलिटिकल स्टंट है कि नेश्नेलाईजेशन के मेरी पार्टी विरोध में है। नेशनलाईजेशन करके यह अवसर दिया। नेश्नेलाईजेशन करेंगे नहीं। अपनी बात से ही सोशलिस्ट टेक ओवर और नेशनलाईजेशन इन तीन बातों पर चक्कर काटते हैं। इन्हीं की मस्तिष्क की परिस्थति को देखकर यही संकेत मिलता है कि इस बारे में इनकी कोई निश्चित नीति नहीं है।

मैं नेशनलाईजेशन का इसलिये विरोधी हूं कि हमारे और आपके सामने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है। जितनी पब्लिक सैक्टर की फैक्टरियां चल रही हैं उनमें हर वर्ष ३५ करोड़ रुपये का नुक्सान होता है। आज नेशनलाइजेशन करके उसका नहीं होता? अगर चेंज आफ् ओनरशिप बदलनी है तो ब्यूरोक्रेसी किस तरह किसानों की दुर्दशा करती है उससे तो उनका गला ही कट जायेगा। मेरी पार्टी की नीति यह है कि सहकारीकरण हो जिसमें भाग ले सकें किसान और मजदूर। किसान और मजदूर के हित की बात करके एक समिति तक गठित की है? आज तमाम पार्टियां रुपया पैसा लेती हैं इलेक्शन के लिये। ठीक है। लेकिन अगर यह रुपया ऐसे विश्वास पर आप लेते हैं ऐसे तरीके से लेते हैं जिसका असर किसानों पर पड़ता है, मजदूरों पर पड़ता है तो कभी भी यह न्यायसंगत नहीं कहा जायेगा। अब नेशनलाइजेशन की मैं दूसरी बातें कहना चाहता हूं।

इनके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने यह कहा था कि नेशनलाईजेशन मैं भी चाहता हूं लेकिन नेशनलाईजेशन सारे देश का हो। गुप्ता जी पर चूंकि प्रेशर था कि नेशनलाईजेशन यहां का कराइये तो खट से हमारे चौधरी साहब ने एक्सैप्ट कर लिया कि हम नेशनलाईजेशन करायेंगे। आप महाराष्ट्र में देखें। वहां क्यों नहीं नेशनलाईजेशन किया गया? वहां कोआपरेटिव सैक्टर बढ़ाया गया है। हमारे देश में २०५ मिल हैं जिसमें ६० कोआपरेटिव सैक्टर में चल रही हैं। भागीदार मजदूर रहे और गन्ना उत्पादक रहे। अगर देखा जाय तो सरकार ही रही क्योंकि इसका तजुर्बा हमने लिया महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर ६२ कोआपरेटिव मिल्स चल रही हैं और सब की सब सफलतापूर्वक चल रही हैं। वहां गड़बड़ियां थोड़ी बहुत चाहे हों पर वे मिल्स आन दि होल, मुनाफे पर चल रही हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि इस गन्ने के बारे में जो आज दुर्दशा है कि किसान गन्ना जला रहे हैं तो उसका पाप किसके सिर पर है? उसका पाप इन्हीं के सिर पर जाता है। इन्होंने घोषणा की पर उसको किया नहीं? आज किसान त्रसित है। मैंने

ये थोड़े से विचार आपके सामने रक्खे । मैं स्पष्ट नीति का हूं कि नेशनलाइजेशन से या टेक ओवर से समाज का हित होने वाला नहीं है। अगर हित होने वाला है तो सहकारीकरण से होने वाला है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

कुछ सदस्य यहां के भी दिलचस्पी रखते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

पहले वहां के बोलेंगे ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि सरकार के रूल के बारे में आशंका वैसी ही है जैसी कुछ ईश्वर के बारे में आशंका करते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ईश्वर की आशंका इसलिये होती है कहा यह जाता है कि वह निराकार है, निर्गुण है, न रंग है न रूप है । मैं भी यह समझता हूं कि यह सरकार निर्गुण है । इनका रंग है और न रूप और इसीलिये आशंका होती है। उसका कारण है। मैं श्रीमन्, आपसे कहना चाहता हूं बहुत अदब से कि अखबारों में यह रिपोर्ट आ गई ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ा ही गम्भीर मामला है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह रिपोर्ट कांफीडेंशियल है । मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि अगर यह रिपोर्ट कांफीडेंशियल है तो अखबारों में कैसे शाया हुई ? इस कमेटी के केवल ३ सदस्य थे दो इस माननीय सदन के सदस्य थे और एक बाहर का सदस्य था । सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिये तक वह रिपोर्ट अखबारों में कैसे चली गयी ।

मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण का ढोल पीटा क्यों गया ? यह एक पैतरे-बाजी थी । और यह सरकार जो बनी है किसी एक दल की नहीं बनी है। माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने समाजवाद को स्वीकार किया है। कहां ? कहीं भी इस सरकार के घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं है, घोषणा पत्र तो है ही नहीं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहीं समाजवाद का एक शब्द भी देखने को नहीं मिलेगा । यह जो माननीय मंत्री महोदय का भाषण हुआ उसको भी देख लीजिये कहीं समाजवाद का नाम दिखाई नहीं देखा । अब प्रश्न यह है कि यह आया कहां से ?

श्रीमन्, जब कांग्रेस दो हिस्सों में बट गयी-एक गप्पा जी की कांग्रेस हो गयी एक इंद्रा जी की हो गयी और इंद्रा जी वाली नयी कांग्रेस का बम्बई में सम्मेलन हुआ और उसमें यह प्रश्न उठा कि यह कांग्रेस समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। और उसमें प्रश्न केवल इतना पेश हुआ कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो । क्यों हो ? इसलिये हो कि उस समय चूंकि माननीय सी० बी० गुप्ता जी की सरकार थी उसको टापिल डाउन करने के लिए यह प्रस्ताव हुआ कि उसको इसी तरह से गिराया जा सकता है। वरना मान्यवर, बिहार की चीनी मिलों की हालत तो उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से कहीं ज्यादा खराब है, वहां के लिये राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव क्यों पास नहीं किया ? इंद्रा जी के इशारे पर केवल उत्तर प्रदेश के लिये यह प्रस्ताव पास किया गया । उस प्रस्ताव में उन्होंने अपनी कारगुजारी भी दिखाई और उसका असर भी पड़ा कि यहां की कांग्रेस भी दो हिस्सों में बंट गयी और इंडीकेट की मदद से चरण सिंह जी पावर में आये और उनको चेयर मिल गयी और जब आये तो उन्होंने क्या कहा ? जो कहा और जिस तरह से एक कमेटी का गठन किया वह सर्व विदित है।

इस शुगर इंडस्ट्री के मामले में एक से एक एक्सपर्ट हैं, ऊंचे से ऊंचे एक्सपर्ट हैं, मगर कौन नहीं जानता कि उसमें किनको रखा और क्यों रखा । संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

[श्री रामधारी शास्त्री]

सोशलिस्ट पार्टी का तो खुला हुआ, ओपिन घोषणा-पत्र है, मगर कम्युनिस्ट पार्टी जिसकेसमर्थन से वे सरकार चला रहे हैं, उन्हीं की पार्टी का एक सदस्य उस कमेटी में रख देते। लेकिन हिम्मत नहीं हुई। २६ फरवरी को सरकार ने इस सदन का आह्वाहन किया और २५ फरवरी को अमीनुद्दौला पार्क में एक सभा की जिसमें माननीय मुख्य मंत्री ने उसको एड्रेस किया और क्या कहा? आप सब जानते हैं उसको। उसके पहले भी जब अखबार वालों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम न राष्ट्रीयकरण चाहते हैं न सहकारी करण चाहते हैं, हम टेक ओवर चाहते हैं। न चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा, न सहकारीगकरण होगा, इन मिलों का चरणीकरण होगा। माननीय मुख्य मंत्री ने मान्यवर, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और अगर जरूरत होगी तो मैं अखबारों की कटिंग भी पेश करुंगा। तो वहां इन्द्राकरण हुआ और यहां चरणीकरण हुआ।

इस कमेटी की रिपोर्ट आई जो कि अखबारों में भी शाया हुई। जब यह कहा गया कि प्रान्तीय सरकार सक्षम नहीं है उस उद्योग के राष्ट्रीयकरण में, इसलिए यदि आपकी स्वीकृति हो तो दिल्ली का दौड़ा करें ताकि शुबहा न हो। कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यह आया है। सरकार यदि सक्षम नहीं है तो हम केन्द्र से सहायता लेंगे। कहा यह गया कि जैसे एयर लाइंस का हुआ वैसे इसका होगा। किन्तु मैं निश्चित रूप से इस राय का हूं कि यह सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी। इस विषय को लेकर सरकार ने और उसकी कमेटी ने जो रवैया अपनाया है उससे वही बात सामने आती है कि जैसे किसी पुलिस अफसर को किसी डाकू के घर की तलाशी लेनी हो और वह डकैत को हफ्तों पहले नोटिस दे दे कि मैं तुम्हारे घर में फलां तारीख को फलां वक्त तलाशी लेने आऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब से रिसीवर्स नियुक्त हुए, तब से आपने किस तरह से रिसीवर्स से काम लिया।

पिछले वर्ष अप्रैल-मई में साढ़े नौ प्रतिशत चीनी की रिकवरी हुई थी तो इस साल इस समय में साढ़े सात, पौने आठ और कहीं साढ़े आठ प्रतिशत की हुई है। यह है सरकार के कारनामे और रिसीवर्स के कारनामे। सरकार इस पर फौरन गौर करे। और जिस तरह से उसका पुर्जा-पुर्जा हटाना आपने शुरू कर दिया है वह बात किसी से छिपी नहीं है। आपको न गन्ने की फिक्र है, न किसान की, न चीनी की, आपको तो फिक्र है चुनाव का क्या होगा। यदि आपको इन्दिरा गांधी के समाजवाद की स्थापना करनी है तो आप उनसे कहिए कि वह मुआवजा देने का क्लाज हटा दें।

६९ में से ५ को छोड़कर, ६२ चीनी मिलें, कोई सन् ३४ की हैं कोई ३० की। ये अब तक करोड़ों रुपया मुनाफा कमा चुकी हैं और ८—८ व ७—७ रुपये में बनी हैं। चाहे लक्ष्मनगंज (देवरिया) की मिल हो, छितौनी, खड्डा, रामकोला, खेतान, सिसवा बाजार या भटनी आदि की मिल हो सभी का यह हाल है। इसमें कोई दम नहीं रह गया है। केवल साढ़े सात व ८ मन चीनी १०० मन गन्ना में पैदा करती हैं। आप कहीं कुछ करेंगे, आप दूसरी कमेटी बैठायेंगे तो वह भी तमाम दौड़ा करेगी और फिर मिल वालों को बुलाएगी, इन्टरव्यू लेगी, यहां नहीं तो मोदीनगर में लेगी। तो वहां तय होगा कि मुआवजा किस तरह से और क्या दिया जाए।

गरीब किसान मिल वालों को बहुत कुछ दे चुके हैं, आपको करना है तो आप तुरन्त करिए और इन्दिरा जी से कहिए कि वह यह क्लाज हटा दें। ये मिलें समाप्त हो रही हैं, जा रही हैं, आपके रोके रुकेंगी नहीं। जो कुछ करना है शीघ्र कीजिए।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, जब इस सरकार ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी तो हमने ही नहीं पूरे प्रदेश ने उसका स्वागत किया था। इसलिए किया था कि जहां हमारे प्रदेश का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीनी उद्योग मजदूरों का शोषण करता रहा है, किसानों का शोषण करता रहा है वहां राजनैतिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बनी हुई है। इसके रहते हुए नेताओं की खरीदारी हुई है। किसी के जन्मदिन के नाम पर थैलियां दी गई हैं, कहीं किसी के नाम पर दी गई हैं। इसलिए यह सरकार का बहुत बहादुरी का फैसला था, हमने उसका स्वागत किया और सरकार को बधाई दी। कहा जाता है कि पिछली सरकार ने भी राष्ट्रीयकरण की बात कही थी। इस सरकार के बारे में कहा जाता है, मैं नहीं कह सकता कि इस सरकार ने सडीकेट को पीटने के लिए राष्ट्रीयकरण का नारा दिया।

मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो माननीय मंत्री जी बतायें, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन श्रीमन् यह हकीकत है कि पिछले मंत्रिमंडल में यहां से राष्ट्रीयकरण की बात उठी थी तो वह इन्दिरा गांधी को बैठाना चाहते थे। अभी तक जो भी प्रशासन इस प्रदेश के अन्दर रहा है वह प्रशासन ईमानदारी के साथ चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करता। आज सरकार ने इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई है उसकी सिफारिशें हमको मालूम नहीं हैं। उसको देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि इस सरकार की क्या ईमानदारी है। श्रीमन, जब तक सारी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आती है तब तक हम सरकार के ऊपर शंका ही कर सकते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से इस बात की स्पष्ट घोषणा की गई कि वे राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते हैं बल्कि टेक ओवर और हैंड ओवर करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि टेक ओवर और हैण्ड ओवर वे किसको करना चाहते हैं? उन्होंने इस बात का इशारा किया कि वे उन काश्तकारों को हैण्ड ओवर करना चाहते हैं जो गन्ना पैदा करते हैं। मैं मान्यवर, निवेदन करूंगा कि अगर आपने यह नीति अपनाई तो यह नीति भी पक्षपातपूर्ण नीति होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आप समाजवाद की बात करते हैं, आप मजदूरों की बात करते हैं किन्तु उनका क्या होगा जिन्होंने अपने खून पसीने को बहा करके इन मिलों को अपनी जिन्दगी सौंप रखी है, जिन्होंने कि इस गन्ने का उत्पादन किया है, जो गरीब और मेहनती हैं उनके बारे में आपने क्या सोचा है? क्या आपने उन मजदूरों को भी इन सहकारी समितियों में, जिन्हें आप हैंड ओवर करना चाहते हैं, शामिल किया है? इसके बारे में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? आप जो बड़े-बड़े उद्योगपतियों के कारखाने लेने जा रहे हैं वह किसको देने जा रहे हैं जिनके पास कि बड़े-बड़े फार्म हैं सैकड़ों बीघे जमीन हैं।

मान्यवर, यह समाजवादी रास्ता नहीं है यह भी पूंजी वादी रास्ता है। एक तरफ तो आप उद्योगपतियों से लें रहे हैं और दूसरी तरफ पूंजीपतियों को दे रहे हैं उनको और मजबूत कर रहे हैं। तो इस नीति को समाजवादी नीति नहीं कहा जा सकता। इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, सरकार से निवेदन करूंगा कि जो समिति की रिपोर्ट है वह सदन के सामने आये। यदि वह रिपोर्ट सामने नहीं आती है तो बहुत सारी शंकायें पैदा हो जायेंगी और उसी प्रकार जिस प्रकार कि आपने सीलिंग की घोषणा की उसका आप कोई बिल यहां पर नहीं लाये। आपने बहुत सी घोषणायें की किन्तु बिल नहीं लाये, राष्ट्रीयकरण की घोषणा की उसकी रिपोर्ट आ गई है तो इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से निवेदन है कि वह जल्द से जल्द सदन में आये ताकि प्रदेश के अन्दर जो आशंकायें पैदा हो गई हैं वह दूर हो सकें।

श्री दीपनारायणमणि—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इधर के लोगों को भी राय जाहिर करने का मौका दिया है। मान्यवर, यह जो चर्चा शुरू हुई है, स्पष्ट है सारा सदन जानता है कि जब माननीय चरण सिंह विरोधी पक्ष के नेता थे तो उन्होंने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। इस चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग पर १०–१५ वर्ष हो गये। कानपुर में जब बी० के० डी० का सम्मेलन हुआ था तो उसमें सर्व सम्मति स निश्चय हुआ था कि चीनी मिलों का

[श्री दीपनारायणमणि]

राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। कुछ कानूनी पेचीदगियां थीं। बम्बई में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें उठाया गया था और यह प्रश्न गेंदा सिंह ने उठाया था। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें चीनी मिलें ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में हैं और सारे भारतवर्ष में चीनी मिलें कोआपरेटिव सेक्टर में हैं।

जहां तक बिहार की बात है वहां तो १०–२० मिलें हैं जब कि उत्तर प्रदेश में ७२ मिलें हैं इसलिये उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का मसला सबसे अहम मसला था। जब श्रीमती इन्द्रा गांधी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश के मसले को हल करने के लिये चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये तो चौधरी चरण सिंह ने इस बात को मान लिया। उत्तर भारत की चीनी मिलों का मुकाबला दक्षिण भारत से नहीं किया जा सकता। दक्षिण की मिलें पूरे साल चलती हैं जब कि उत्तर प्रदेश की मिलें केवल ४–६ महीने चलती हैं। छोटे-छोटे जिलों में से देवरिया जिले में १४–१४ मिलें हैं। इसलिये चाहे तो राष्ट्रीयकरण हो अथवा टेक ओवर हो अथवा और कुछ हो, उससे किसान को लाभ होगा। यह आश्वासन माननीय चौधरी साहब और भारतीय क्रान्तिदल ने दिया था। अब रही मुआविजे की बात। हम तो चाहते हैं कि उनको कोई मुआवजा न दिया जाय। जिस वक्त की ये मिलें लगी हुई हैं बहुत सस्ती की हैं और बहुत रुपया वह कमा चुकी हैं लेकिन इसमें संवैधानिक दिक्कत पड़ती है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिये उसके मुआवजे के रूप में हमें ६० करोड़ रुपया देना होगा। जहां तक शेयरों का मामला है मेरी राय यह है कि एक हजार से ज्यादा रुपये के शेयर लेने के लिये किसी को इजाजत न दी जायगी नेगी जी ने कहा कि वह फिर पूंजीवादी व्यवस्था के हाथ में चली जायेंगी। जब एक हजार से ज्यादा का शेयर नहीं होगा तो किस प्रकार से मिलें पूंजीवादी हो जायंगी ? इसके अलावा मजदूरों का भी उसमें कुछ स्थान रखा जायगा। लेकिन यह इतना बड़ा विषय है कि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एकदम से राष्ट्रीयकरण या टेकओवर हो जाय उसकी क्या रूपरेखा हो, इस सबके बारे में तय करने के लिये कुछ समय तो अवश्य ही चाहिये।

एक चन्दे की बात भी कही गयी। देवरिया जिले में सबसे ज्यादा चीनी की मिलें हैं और यह चौधरी साहब वहां गये तो मिल वाले उनको चेक देने लगे, उन्होंने उसको नहीं लिया और मैंने ही उनके आदेश से उनके चेक को वापस कर दिया और सारा चन्दा जनता से ही इकट्ठा किया गया। उसकी एक-एक रसीद मेरे पास है। देवरिया का कोई मिल मालिक अगर यह बता दे कि भारतीय क्रान्तिदल को एक पैसा भी उसने दिया है तो मुझ पर आप चार्जशीट लगा दीजिये और जो चाहे सजा दे दीजिये। (शोर) साथी लोग कहते हैं कि पैसा फिर कहां से आया। हमारा पैसा चन्दे से पब्लिक से आया और गुप्ता जी वहां से एक-एक मिल से ५–५ लाख रुपया लाये।

जहां तक गन्ने की पिराई का सम्बन्ध है, बहुत सी मिलें सिक मिल्स हैं इसलिये बहुत सा गन्ना बिना पिरे पड़ा हुआ है। इस गन्ने का सरकार को कोई प्रबन्ध करना चाहिये।

*श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में चर्चा हो रही है। आपके माध्यम से मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह प्रश्न दीपनारायण मणि जी ने खड़ा किया कि सब से पहले यह प्रश्न चौधरी चरण सिंह ने उठाया था जब कि वे विरोधी दल के नेता थे। उन्होंने चीनी मिलों के नेशनलाईजेशन की बात कही थी। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस दल का मैं हूं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का सवाल कोई आज से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं पहले १०–१५ वर्षों से उठा रही है और उसी के देन स्वरूप जो माननीय गेंदा सिंह जी बैठे हैं यह उसी की देन है कि उन्होंने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात अकेले अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर बम्बई के अधिवेशन में पास कराया था, दूसरे किसी प्रदेश की बात नहीं थी।

इस वक्त जो चर्चा चल रही है यह नीति का सवाल नहीं है, नीयत का सवाल है। नीति ठीक हो सकती है लेकिन अगर नीयत खराब है तो काम नहीं हो सकता। तो नीति सही हो सकती है लेकिन नीयत की बात तो निश्चित रूप से खराब पायी गयी। उदाहरणस्वरूप प्रदेश में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का ऐसा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के सारे जन-जीवन का सम्बन्ध इससे है। एक ही उद्योग है जिससे यहां के किसानों की माली हालत का सुधार हो सकता था। इसके अन्दर कोई राजनीतिक खेल नहीं है, जिस किसी ने इस सवाल को उठाया है, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से यह प्रदेश के हित का सवाल है। लेकिन इस प्रश्न को टाला जा रहा है। जब यह सरकार बनी तो इसने इस बात की घोषणा की कि एक महीने के अन्दर चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट बन जायगी और उस कमेटी के तीन मेम्बर चुने गये, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर माननीय वीरेन्द्र वर्मा, माननीय गेंदा सिंह और श्री पृथ्वीनाथ सेठ।

वह रिपोर्ट जो एक महीने में आनी चाहिये थी जिस पर प्रदेश के किसानों, मजदूरों और सारी जनता की निगाह लगी थी कि यह एक अच्छा क्रान्तिकारी कदम सरकार ने उठाया है, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि नीति नहीं, नीयत खराब थी, एक महीने की रिपोर्ट ३ महीने १० रोज में आयी और मंत्री जी खड़े हुये बयान देने के लिये तो उन्होंने कहा कि अभी दो, ढाई महीने की और बात है। तो नीयत का सवाल आता है, एक शंका पैदा होती है। गेंदा सिंह जी ने एक बयान दिया कुछ दिन पहले। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकान सरकार को गिराना चाहते हैं। तो मुझे इस बात की शंका पैदा हुई कि कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को बचाने के लिये क्या दो, ढाई महीने का मौका चाहते हैं ताकि बजट पास हो जाय। यह बात नहीं है।

जो कमेटी बनी है वह केवल सौदेबाजी के लिये बनी है इसलिये इसकी रिपोर्ट एक महीने में न आकर तीन महीने के बाद आयी। इतने दिनों में चीनी मिल मालिकों को मौका मिलेगा किस बात के लिये? जब आप इस बात को मानते हैं कि सारी फैक्टरियां जर्जर हैं और पिछले १०–१२ वर्षों से किसी मिल मालिक ने अपना पैसा फैक्टरी को दुरुस्त करने में नहीं लगाया बल्कि जो भी फायदा हुआ उसे अपने खजाने में पहुंचाने की कोशिश करते रहे क्योंकि यह आवाज उठ रही थी कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा और इधर जो २ महीने का मौका मिला इसमें तो खुली छूट दे दी इस नारे को लगा कर।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब आप इसको मानते हैं कि चीनी मिलें इस हालत में नहीं हैं कि उनको ले सकें तो मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर नीयत नहीं खराब है तो क्या वजह है कि चीनी मिलों के टेक ओवर के मसले को सुबह से नहीं लिया गया। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री महीलाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय···

एक सदस्य—

यह तो सरकार के हैं, इनको न बोलने दिया जाय।

*श्री महीलाल—

यह प्रस्ताव भी शासन दल के माननीय सदस्यों का है, आपका नहीं है।

मान्यवर, जहां तक सरकार की नीयत का सवाल है, सरकार के मुखिया चौ० चरण सिंह ने बी० क० डी० के चुनाव से पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि जब शासन में आयेंगे तो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे, जो बड़े उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा और उनको कानून के शिकंजे में लाकर दिन प्रति दिन कम करने की कोशिश की जायेगी और देश और प्रदेश की जनता को काम देने के लिये लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा। इसलिये मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की नीयत पर हमला करने से पहले, सरकार के मुखिया पर हमला करन से पहले पीछे इतिहास में जायें और तब अपने मुंह से कोई बात निकालें। इतना ही नहीं, मान्यवर, मैं उस समय की याद दिलाना चाहता हूं जब सभी कांग्रेस में थे और उनका बहुमत था तब शायद १४ सितम्बर, १९४६ को इस सदन में यह प्रस्ताव पास हुआ था कि स्वच्छ समाज की रचना के लिये पूंजीवाद की समाप्ति आवश्यक है। उस कांग्रेस में उधर के लोग भी शामिल थे और इधर के भी शामिल थे, एक ही कांग्रेस थी और उसमें चौधरी चरण सिंह भी शामिल थे। तो मान्यवर, यह कोई नया फैसला नहीं है। श्रीमन्, जहां तक इसके टेकओवर करने का सवाल है इसको राजनीतिक दांवपेंच की बात करना, राजनीतिक नारा कहना घोर अन्याय है।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह, माननीय चरण सिंह जी और तीसरे माननीय कमलापति जी इत्यादि कांग्रेसी और मान्यवर आप ने स्वयं जो फैसला सन् ४६ में लिया उस पर अडिग रहे लेकिन माननीय शान्ति प्रपन्न जी और माननीय कृष्णानन्द जी आज जिस दल में हैं और जिस दल का नेतृत्व हमारे माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी कर रहे हैं वह लोग अपनी जगह से हट गये, अपने फैसले से हट गये और उसको घुमा फिराकर कहा कि राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं कब जब केन्द्रीय सरकार फैसला ले।

एक सदस्य—

रिपोर्ट में क्या है ?

श्री महीलाल—

रिपोर्ट में यह है कि शुगर फैक्टरीज को लिया जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, यही घोषणा कर दें कि बिना केन्द्रीय सरकार की राय के यह राष्ट्रीयकरण करेंगे ?

श्री महीलाल—

मैं इस बात के पक्ष में हूं कि बड़े उद्योग व्यक्तिगत नहीं चलने चाहिए। अगर बड़े उद्योग चलाये जाते हैं तो वह समाज की सम्पत्ति होने चाहिए।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह कहना सरकार के पक्ष की तरफ से अच्छा नहीं लगता कि नहीं चलना चाहिए बल्कि सरकार की तरफ से इनको यह कहना चाहिए कि कल से बन्द होगा।

श्री महीलाल—

जिन कानूनों की परिधि में सरकार को फैसला लेना पड़ रहा है माननीय जायसवाल जी जानते हैं कि वह डिक्टेटरशिप का नहीं है। इसमें हर व्यक्ति को अधिकार है कि किसी भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अदालत में सरकार के फैसले के खिलाफ चैलेन्ज दे और मौलिक अधिकार के नाम पर संरक्षण मांगें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शासन क किसी कर्मचारी का आज तबादला होता है तो वह भी मुन्सफी में जाकर स्टे आर्डर ले आता है। यह आप क्यों भूल गये। (व्यवधान) तो सरकार यह नहीं कर सकती कि एक रात में फैसला करके मिलों पर कब्जा ल ले। संविधान के अन्तर्गत उसको चलना है। (व्यवधान) कानूनी कठिनाइयों को दखते हुए सरकार को फैसला लेना है। सरकार उसमें अडिग है। माननीय सदस्यों से मैं निवदन करना चाहता हूं कि आप नीतियों का विरोध करें किन्तु नियत पर हमला न करें। नियत पर हमला करना सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है।

मान्यवर, अब मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। दो मिनट आपसे और चाहूंगा। मान्यवर, चीनी मिलों की जमीन सीलिंग में ली गई और उस सरकार ने जिसमें आचार्य जी शामिल थे, वह हैं नहीं चले गये, उन्हीं चीनी मिलों को पट्टे पर उस जमीन को दे दिया। (व्यवधान) और सरकारी खजाने से जिसमें किसानों का पैसा शामिल था शुगर फैक्टरीज को कम्पेनसेशन दिया और फिर वही जमीन उन लोगों को दे दिया। यह कारनामे हमारी पूर्वगामी सरकार के हमारे सामने हैं।

(व्यवधान)

मैं वर्तमान सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो पट्टे पुरानी सरकार शुगर फैक्ट्रीज के नाम लिख गई है उनको कैंसिल कर दे और वह जमीन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को अविलम्ब दे। मान्यवर, चीनी मिलों के मालिक यह कोशिश कर रहे हैं कि जो चल सम्पत्ति है चीनी मिलों के पास उसको जहां तक मुमकिन हो सके ज्यादा से ज्यादा निकाल लें। अनेक चीनी मिलों के उदाहरण हैं कि जिस दिन से यह आवाज उठी है वह नकद और चल सम्पत्ति और सारा सामान मिलों से निकालना शुरू कर दिए हैं। सरकार की कोशिश करनी चाहिए कि चीनी मिलों के मालिक चल सम्पत्ति को न निकाल सकें।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, श्री प्रेमचन्द्र जी की जो मंशा थी उसको आपने पढ़ कर सुनाया। जो कमेटी बनी है उसकी वजह से किसान हमारा पिट गया और वह रिपोर्ट आई भी नहीं और उसको बराबर टाला जा रहा है और यही चीज उनकी नियत को साबित करती है। जहां तक कि मैं मन्त्री जी को समझ पाया तो उनके वक्तव्य से यह जाहिर है कि राष्ट्रीयकरण या कोई चीज यह करने वाले नहीं हैं। रिपोर्ट क्या होगी यह तो मैं नहीं कह सकता। जब इस सदन के सामने आये भी तब उसकी पूरी तस्वीर उस वक्त सामने आयेगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस कमेटी की वजह से और जो मिलों का इन्तजाम हुआ, हमारे प्रदेश के किसान पिट गये। एक तो इस माने में कि उनके भाव अच्छे नहीं मिले और दूसरे इस माने में कि उनका गन्ना आज भी खेतों में खड़ा है और खराब हो रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। माननीय महीलाल जी ने घोषणा पत्र की भी चर्चा की।

सन् १९६९ में माननीय मुख्य मंत्री जी अनेक सभाओं में कहा था कि जब हमारा राज्य होगा तो हम किसानों के गन्ने के भाव बहुत ऊंचे दिलवायेंगे। गवर्नर शासन में भी भाव अच्छे मिले परन्तु अब की नहीं मिले। अब की दफा एक बात और हुई। ५१ पैसा फी कुन्तल गन्ने का रेट कम कर दिया गया। जहां पर इसके रेट बढ़ने का आश्वासन था वहां पर ५१ पैसा फी कुन्तल यह रेट कम कर दिया गया। उसका बहाना क्या है कि मिलें गन्ना नहीं ले रही हैं। रिसीवर वहां पर नियुक्त कर दिया जहां पर सरकारी अधिकार है। मुझे नियत पर शक नहीं है लेकिन इसका रेट क्यों कम कर दिया। सारे प्रदेश में रिकवरी कम हो गई है इन दिनों। पिछले साल के आंकड़े निकाले जायें। सारे प्रदेश में गन्ना ५१ पैसा फी कुन्तल कम कर दिया जो कुछ समझ में नहीं आता। खुदा बक्स भी आप, मौला बक्स भी आप और मारा गया बेचारा अल्ला बक्स किसान।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

५१ पैसा कम नहीं हुआ है बल्कि क्रय कर में यह छूट दी है। यह रेट कम तो नहीं हुआ है।

श्री रामचन्द्र विकल---

किसानों की हानि हुई। जहां पर रिसीवर मुकर्रर किया गया वहां भी किसानों के दाम वापस नहीं लौटा रहे हैं और सरकार को भी रेवेन्यू नहीं मिला। किसानों को भी उसका दाम नहीं मिल रहा है। पर्चियों में जो अबकी दफा भ्रष्टाचार हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। जिन लोगों के पास गन्ना नहीं है उनकी पर्चियां बिक रही हैं और गन्ने वाले काश्तकार को पर्ची नहीं मिल पा रही है। गन्ना नहीं बिजनेस हो गया है। इतनी बड़ी सरकार है इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। गन्ना नहीं लिया जा रहा है जो कमांड एरिया में था उसको न लेकर दूसरी जगह से इसको ले लिया। मैं ऐसी कई मिलों को जानता हूं। तो भाव जो पहले मिल चुका था, वह नहीं मिला। जो गन्ना दिया है किसान ने उसको उसका दाम नहीं मिल रहा है। और जुलाई में भी अबकी बार कुछ ज्यादा गड़बड़ी हुई। तो हर तरह से किसान को हानि हुई। अब रिपोर्ट आ गयी।

राष्ट्रीयकरण की वजह से शंका है। मैं तो चाहता हूं कि हो। वर्मा जी और गेंदासिंह जी यहां बैठे हैं। सीक्रेट न बतावें लेकिन क्या करने जा रहे हैं यह संकेत तो दे दें। एक अनिश्चितता फैल गयी है। किसान मारा जा रहा है। रिसीवर बैठायें वहां भी कोई इन्तजाम नहीं है। तो दो मंत्री यहां बैठे हैं, यह बतावें कि क्या करने जा रहे हैं और जो गन्ना खड़ा है उसको ले पायेंगे या नहीं। किसान के गन्ने में आग लगायी जा रही है और उसे भाव भी नहीं मिल रहा है। उसके बारे में क्या सोच रहे हैं यह तो बता दें। सरकार को यह भी स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये कि राष्ट्रीयकरण करेंगे या नहीं।

श्री अध्यक्ष---

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, केवल दो मिनट में कह दें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

श्रीमन्, यह जो कमेटी बनी है इसने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और अहित किया है किसानों का। जो उद्योगपति है, माननीय गेंदासिंह जी को इग्नोर करके वीरेन्द्र वर्मा और पृथ्वीनाथ सेठ के पीछे गाड़ियों में घूमते हैं। और किसानों का गन्ना जलाया जाता है। शाहजहांपुर की मुझे जानकारी है। छोटे किसानों का गन्ना नहीं लिया जाता। बड़े-बड़े लोग पर्चीं हासिल करके रातो-रात ट्रक में गन्ना पहुंचाते हैं। हजारों बीघा गन्ने में आग लगायी गयी। पिछले साल से कम गन्ना बोया गया है। श्रीमन् अंग्रेजी की एक कहावत है---व्हैयर देयर इज बिल, देयर इज वे। अगर इन्हें राष्ट्रीयकरण करना था तो आर्डिनेन्स क्यों नहीं किया जैसे इन्दिरा जी ने किया था। ढाई महीने क्यों ले रहे हैं? १६ लाख रु० की जो बात है, मैं चार्ज करता हूं (व्यवधान) मेरा चार्ज है कि इनका रुपया नहीं है। हाईकोर्ट के जज से जांच करायी जाय। मिल मालिक बराबर इनके पीछे घूम रहे हैं। ढाई महीने का मौका इसलिये दिया गया कि कुछ हिसाब-किताब अभी बाकी है।

श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, मैं वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं। किसान के गन्ने की जो यह दशा हो रही है उसका कारण यह सरकार है। किसान तो गन्ना हमेशा ही पैदा करता था लेकिन इस सरकार ने, चौधरी साहब ने यह आर्डर दिया केन कमिश्नर के जरिये से कि किसानों को दो रुपया फी मन के हिसाब से (व्यवधान)...

मैं यह कहना चाहता हूं कि फैक्टरियों में उतना गन्ना क्यों नहीं बांड किया जितना उनकी क्रशिंग पावर थी। सरकार ने जो उस पर २ रुपया क्विंटल के हिसाब से लैवी लगाई तो इस वजह

से और उनको क्षति उठानी पड़ रही है। दूसरी जगह उनके गन्ने का इन्तजाम होना चाहिये था। यह सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो इस वजह से इस प्रदेश के काश्तकारों को इस जबरदस्त नुक्सान का सामना करना पड़ रहा है। केन डवलपमेंट सोसाइटी, भोजीपुरा का हाल मुझे मालूम है। बरेली जिले की कुछ केन सोसाईटीज ने यह किया कि उन सेन्टरों के लोग लखनऊ आये और अपना काम कराकर ले गये। मैं इस बात को और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दमाकोडा केन सोसाइटी के लोग, दोपहरिया केन सोसाइटी के लोग और पंडेरा सोसाइटी के लोग यहां आये और उन लोगों ने अपने-अपने सेटन्रों के गन्ने का यह इन्तजाम यहां से कराया कि उनका गन्ना बरेली मिल ले। उन लोगों ने लखनऊ में २५ हजार रुपया दिया और उनका गन्ना जो बहेड़ी मिल के लिये निश्चित था उसको बरेली मिल में देने के लिये बात तय हो गई। इन तीनों सैन्टर के गन्ने का इन्तजाम बरेली मील में हो गया और वहां जाने लगा। यह इस वजह से हुआ कि चौधरी चरणसिंह के कोई रिश्तदार जाट वहां पर मौजूद हैं उन लोगों ने यहां से यह करा दिया। यह इस तरह की बात है जिसको हम न्याय की बात नहीं समझते हैं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, अभी चेतराम जी गंगवार ने एक बात कही कि २ रुपया पैनाल्टी का आर्डर उस गन्ने पर हुआ। मैं माननीय सदस्यों को और चेतराम जी को यह बतला देना मुनासिब समझता हूं कि यह पैनाल्टी बांडेड पर नहीं है। यह २ रुपया तब हुआ था जब माननीय गुप्तजी की सरकार के जमाने में नवम्बर और दिसम्बर में आदेश हुआ था। जहां तक मेरे मित्र ने २५ हजार रुपय की बात कहीं कि वे देकर गये हैं। अगर वह लिखित इस प्रकार की सूचना मुझे दे दें और उसमें शहादत भी दें तो मैं पूरी तरह खुलकर इन्क्वायरी कराने का वादा उनसे करता हूं।

(व्यवधान)

अगर ऐसी बात है तो आप सी० आई० डी० से इन्क्वायरी करा लें। मैं उनसे कहता हूं कि यह मामला सी०आई०डी० को दे दें तो मालूम हो जायगा कि क्या असलियत है।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये। मेरी मन्शा यही था कि इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर।)

श्री राजमंगल पांडेय—

मुझे खुशी है कि सच्चाई अपने आप आखीर में आकर जाहिर हो ही जाती है। अभी मेरे एक भाई ने यह कहा कि इन्दिरा जी ने बैंक नेशनलाइजेशन इसलिये किया.....

(श्री बांकलाल के खड़े होने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, आप कृपा कर बांकेलाल जी को अवसर दे दें। वह अकेले देवरिया जिले के ऐसे सदस्य हैं जो वहां की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। देवरिया में सबसे ज्यादा शुगर मिल हैं। उनको २ या ३ मिनट का समय दे दिया जाय या फिर आप हमें मौका दें।

श्री अध्यक्ष---

अब मौका नहीं है। अब ८ बजने वाले हैं बहुत कम समय है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, इसमें चर्चा का समय २ घंटे का है और निश्चित रूप से आधा घंटे का समय व्यवस्था के प्रश्नों पर चला गया, तो अभी समय और दें.....

श्री अध्यक्ष---

चला गया तो मैं क्या करूं, अब मंत्री जी को बोलने दें, आप बैठें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

लेकिन जो किसानों को तकलीफ है उनकी बात तो सदन के सामने आई नहीं.....

श्री अध्यक्ष---

सब लोग किसानों के मामले ही में तो बोले।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

वह तो बहस राष्ट्रीयकरण पर होती रही...।

श्री अध्यक्ष---

नहीं बैठते और मंत्री जी को नहीं सुनना चाहते तो ८ बज गये हैं और समय हो गया, अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
४ जून, १९७०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६८ पर]

होमगार्ड्स संस्था में अवैतनिक मानदेय प्राप्त विभिन्न पदों पर कुल १६१ सेवा निवृत अधिकारी फरवरी, १९६८ से फरवरी, १९७० तक नियुक्त किये गये। इनका ब्योरा निम्न प्रकार से है:

१—रीजनल कमाण्डेन्ट होम गार्ड्स (राजपत्रित) ..	७
२—बटालियन कमाण्डेन्ट, बटालियन एडजुटेन्ट कम्पनी, कमाण्डर, कम्पनी सेकेण्ड इन कमाण्ड, प्लाटून कमाण्डर, सेक्शन लीडर आदि ..	१५४
कुल योग ..	१६१

उपर्युक्त सेवा निवृत्त १६१ अधिकारी नियुक्त किये गये थे उनमें से दो अधिकारी अब सेवा में नहीं हैं—एक रीजनल कमाण्डेन्ट एवं एक बटालियन कमाण्डेन्ट होम गार्ड्स जिनकी नियुक्ति इस अवधि में हुई थी, त्याग-पत्र देकर संस्था से कार्य मुक्त हो गये हैं। इसके अतिरिक्त सात सेवा निवृत कर्मचारी होम गार्ड्स संगठन के लिपिक एवं रनर पद पर नियुक्त किये गये। इनमें से भी अब दो सेवा में नहीं हैं।

नागरिक सुरक्षा संगठन में कुल ३ सेवा निवृत कर्मचारी उक्त अवधि में नियुक्त किये गये। इनमें से एक वाराणसी, एक लखनऊ तथा एक सहारनपुर में नियुक्त किये गये। वाराणसी तथा सहारनपुर में ड्राइवर के पद पर तथा लखनऊ में चौकीदार पद पर नियुक्तियां की गई हैं।

संसद सदस्य सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७३ पर)

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,

आजमगढ़ ।

मान्यवर,

निवेदन यह है कि प्रार्थिनी ग्राम ताजपुर मठिया, थाना मऊ की निवासिनी है । प्रार्थिनी के पति श्री फिरंगी यादव कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनकी गत ३० जून को सरे ग्राम हत्या कर दी गई । प्रार्थिनी के पति के हत्यारे बहुत ही सरकश हैं । उन्होंने पुलिस को साजिश में करके कुल वाकया पर पर्दा डलवा दिया । जिसमें मऊ के वर्तमान थानाध्यक्ष, श्री सर्वदेव कुंवर, का मुख्य हाथ था । उक्त काण्ड के बाद भी हम प्रार्थिनी तथा उसके परिवार वालों का उत्पीड़न मऊ थाना द्वारा होता रहा जिसका ताजा प्रभाव यह है कि कल १८ अक्तूबर को प्रातःकाल मऊ थाने का एक सिपाही राम नाथ यादव प्रार्थिनी के घर आया और प्रार्थिनी, उसकी लड़की बिन्दु (आयु ९ वर्ष) तथा प्रार्थिनी के देवर श्री श्याम लाल यादव को मऊ थाने पर यह कहकर चलने को कहा कि बड़े दरोगा जी ने बुलाया है । हम प्रार्थिनी तत्काल प्रातःकालीन ट्रेन से अपनी लड़की व देवर के साथ पिपरीडीह स्टेशन से मऊ थाने पर आईं । थाने पर उस समय प्रार्थिनी तथा उसके परिवार वालों को रुकने को कहा गया क्योंकि बड़े दरोगा वहां उपस्थित नहीं थे । करीब एक घण्टे के बाद लगभग साढ़े दस बजे दरोगा श्री सर्व सुख देव कुंवर तथा श्रीमती जानकी देवी मिडवाइफ, कोपागंज के साथ थाने पर आ गये । उन्होंने आते ही फौरन यह कहा कि बिन्दु कौन है । मेरे इशारे पर उन्होंने हम लोगों से कहा कि तुम लोग इसे बिदा क्यों नहीं करते हो इसकी सास आई हुई है इसके साथ अभी तुम लोग बिन्दु को बिदा कर दो इस पर प्रार्थिनी ने यह कह कर आपत्ति की कि साहब बिन्दु की उमर अभी केवल ९ वर्ष की है बिदा करने लायक उमर नहीं है यह उमर हो जावेगी तो बिदा कर दूंगी । इस पर बड़े दरोगा ने गाली देते हुये कहा कि तुमको बिन्दु को अभी विदा करना होगा इस पर प्रार्थिनी के देवर श्री श्यामलाल ने कहा कि साहब आप जो कुछ कहें लेकिन चूंकि लड़की की उमर अभी कम है हम किसी कीमत पर इसे बिदा नहीं करेंगे । इस पर दरोगा जी काफी गुस्से में आ गये और बेत लेकर श्यामलाल पर टूट पड़े और जमीन पर पटक कर बुरी तरह मारने लगे । मेरी लड़की और मैं रोने लगी । मैंने दरोगा जी का पांव पकड़ लिया जिस पर उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और श्यामलाल को मारते ही रहे । मौके पर मेरा छोटा देवर भोला नाथ यादव और मेरे पति के चचेरे बड़े भाई श्री राम मूरत यादव भी पहुंच गये थे और उन लोगों ने भी हाथ जोड़कर दरोगा जी को मारने से मना किया, दरोगा जी ने कहा कि अगर लड़की को नहीं बिदा करना है तो उसका कुल जेवर अभी मंगवाओ और उन्होंने थाने के एक दीवान को हुक्म दिया कि इन लोगों को तब तक रोके रखो जब तक कि जेवर न आ जाय । श्री राम मूरत यादव लड़की को लेकर गांव चले गये और ६ बजे वाली ट्रेन से कुल जेवर लेकर मऊ थाने पर पहुंचे । हम लोगों को बिना खाने पीने का मौका दिये थाने में हिरासत में रखा गया । मौका पाकर प्रार्थिनी का देवर भोलानाथ यादव शहर में गया । कुछ देर बाद थाने पर श्री रामगोपाल खण्डेवाल, चेयरमैन नगरपालिका और श्री राम अवतार पान्डेय, नायब कप्तान और मेरे देवर वगैरह पहुंचे उसी समय जेवर लेकर श्री राम यादव भी जा गये । नायब कप्तान ने मेरे देवर श्यामलाल को खून से लथपथ घायल दशा में और मुझे थाने के दफ्तर में बैठे हुये देखा और वाकया की जानकारी की । उन्होंने हम लोगों को छोड़ने की हुक्म दिया । और श्री रामगोपाल खन्डेलवाल और श्री रामअवतार पान्डेय के दस्तखत करने पर लगभग साढ़े सात बजे शाम को हम लोगों को थाने से बाहर आने दिया गया । थाने से आने के बाद हम लोगों ने टैक्सी से आजमगढ़ जाकर उसी दिन रात्रि में

लगभग १० बजे श्रीमान् को घटना का पूर्ण विवरण दिया और श्यामलाल की चोटों को भी दिखाया और फिर मऊ वापस आकर रात्रि में ही डाक्टरी मुआयना मऊ अस्पताल में कराया। हम लोगों के आजमगढ़ जाने और डाक्टरी मुआयना कराने से थानेदार काफी नाराज हो गये हैं जिससे प्रार्थिनी के परिवार वालों के जान व माल को गम्भीर खतरे का अंदेशा हो गया है।

अतः श्रीमान् से करबद्ध प्रार्थना है कि मऊ के बड़े दरोगा के अनाधिकृत कार्यवाही व मारने पीटने व हम लोगों को अनुचित ढंग से हिरासत में रखने व भावी जान-माल की धमकी देने की कुल कार्यवाही की जांच स्वयं करें तथा हम प्रार्थिनी, उसकी अल्प वयस्क लड़की तथा परिवार के अन्य सदस्यों की रक्षा की जाय तथा मऊ थाने के अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की कृपा की जाय।

प्रार्थिनी ह० दासीदेवी, विधवा पत्नी स्व० श्री किरंगी यादव ग्राम ताजपुर मठिया, थाना मऊ, जिला आजमढ़, दिनांक २०-१०-६९।

प्रमाणित

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७६ पर)

राजकीय गन्ना ग्राम सेवकों की सूची जिनका स्थानान्तरण १-१-६८ से १५-४-७० तक हुआ है

क्रम-सं०	नाम गन्ना ग्राम सेवक	कहां से	जोन में ज्वाइन करने की तिथि	कहां को	आधार	कारण
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री राज बहादुर सिंह ..	.. हरगांव	२३-११-६८	बिसवां	प्रार्थना-पत्र पर	उनके स्वयं के प्रार्थना पर उक्त
२	श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव	.. बिसवां	१४-७-६७	महोली	प्रार्थना-पत्र पर	स्थानीय थे।
३	श्री नत्थाराम ..	.. महोली	२३-८-६१	बिसवां	प्रशासनिक	क्षेत्र प्रचार अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाई गई अनियमितताओं के आधार पर।
४	श्री गुलाम मुर्तजा सिद्दीकी	.. बिसवां	१५-१२-६५	महोली	,,	
५	श्री राम चन्द्र मिश्रा ..	.. महोली	२५-१-६७	हरगांव	प्रशासनिक	शिकायत के आधार पर।
६	श्री हबीबुल्ला खां ..	.. हरगांव	१९-१२-६६	सीतापुर	जनहित में	रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये।
७	श्री कैलाश नाथ मिश्रा ..	.. हरगांव	१-१०-१९६५	बिसवां	जनहित में	शिकायत के आधार पर।
८	श्री राम सहाय यादव ..	.. महोली	२५-७-६६	बिसवां	जनहित में	रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये।
९	श्री नवल किशोर पाण्डे ..	.. हरगांव	८-९-६७	महोली	जनहित में	स्थानीय होने के कारण।
१०	श्री मातादीन ..	.. बिसवां	१६-८-६२	हरगांव	जनहित में	स्थानीय होने के कारण।
११	श्री केवल किशोर श्रीवास्तव	.. बिसवां	३१-१-६६	हरगांव	जनहित में	स्थानीय होने के कारण।
१२	श्री बेनी माधव ..	.. बिसवां	१९-८-६६	हरगांव	जनहित में	स्थानीय होने के कारण।
१३	श्री बदलू राम ..	.. बिसवां	१-९-६५	महोली	जनहित में	अधिक समय से नियुक्त होने के कारण।

१४	श्री इब्राहीम खां	..	..	बिसवां	दिसम्बर, १९६६	महोली	जनहित में	स्थानीय होने के कारण ।
१५	श्री श्री श्याम लाल	..	..	बिसवां	२७–१२–६७	महोली	जनहित में	शिकायत के आधार पर ।
१६	श्री राम लाल रत्नाकर	..	..	महोली	१७–१२–६६	बिसवां	जनहित में	स्थानीय होने के कारण ।
१७	श्री पुत्तू लाल सिंह	..	..	महोली	११–१–६७	बिसवां	जनहित में	स्थानीय होने के कारण ।
१८	श्री सियाराम त्रिवेदी	..	..	महोली	१५–७–१९५८	बिसवां	जनहित में	स्थानीय होने के कारण ।
१९	श्री श्याम लाल लोदी	..	..	बिसवां	१९–८–६५	महोली	जनहित में	शिकायत के आधार पर ।
२०	श्री डल्ला राम	..	..	सीतापुर	२–८–६१	बिसवां	जनहित में	स्थानीय होने के कारण ।
२१	श्री राम बक्स सिंह	..	..	सीतापुर	२२–४–६५	बिसवां	जनहित में	रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु ।
२२	श्री केवल सिंह	..	..	बिसवां	२९–९–६१	सीतापुर	जनहित में	अधिक समय से नियुक्त होने के कारण ।
२३	श्री पुत्तू सिंह	..	..	बिसवां	२४–१–५७	सीतापुर	जनहित में	अधिक समय से नियुक्त थे ।
२४	श्री दयाराम आगम	..	..	हरगांव	१८–१०–६६	महोली	प्रशासनिक	रिपोर्ट पर ।
२५	श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव		..	हरगांव	१९–१०–५३	महोली	प्रशासनिक	अधिक समय से नियुक्त होने के कारण ।
२६	श्री राधे श्याम सिंह	...	..	बिसवां	५–८–५७	महोली	जनहित में	अधिक समय से नियुक्त थे ।
२७	श्री शिव प्रसाद पाण्डे	..	..	बिसवां	११–११–५९	हरगांव	जनहित में	अधिक समय से नियुक्त थे ।
२८	श्री चन्द्र गुप्ता	..	..	बिसवां	२३–५–५८	महोली	जनहित में	अधिक समय से नियुक्त थे ।
२९	श्री श्रीपाल सिंह	..	..	बिसवां	२३–३–५८	महोली	जनहित में	अधिक समय से नियुक्त थे ।
३०	श्री हरद्वारीलाल	..	..	हरगांव	१९–८–५८	महोली	जनहित में	अधिक समय से नियुक्त थे ।
३१	श्री शिवकुमार पाण्डे	..	..	हरगांव	२०–१०–५७	बिसवां	जनहित में	स्थानीय एवं अधिक समय से नियुक्त होने के कारण ।
३२	श्री शिव कुमार	..	..	हरगांव	२५–१–५७	बिसवां	जनहित में	स्थाई होने के कारण ।
३३	श्री लक्ष्मीकान्त शुक्ल	..	..	महोली	२५–१–५७	बिसवां	जनहित में	स्थानीय थे ।
३४	श्री राजाराम अग्निहोत्री		..	महोली	२४–८–६१	बिसवां	जनहित में	स्थानीय थे ।
३५	श्री राम किशोर	..	..	बिसवां	२३–१–५७	महोली	जनहित में	अधिक समय से नियुक्त होने के कारण ।
३६	श्री बेनी राम	..	..	महोली	२८–१–६४	सीतापुर	प्रार्थना-पत्र पर	स्वयं की प्रार्थना पर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	नाम गन्ना ग्राम सेवक	कहां से	जोन में ज्वाइन करने की तिथि	कहां को	आधार	कारण
१	२	३	४	५	६	७
३७	श्री अमरनाथ श्रीवास्तव	हरगांव	२५–७–६८	बिसवां	प्रार्थना-पत्र पर	स्वयं की प्रार्थना पर।
३८	श्रीधर शुक्ल	हरगांव	२०–१०–६४	बिसवां	जनहित में	रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये
३९	श्री मुक्ता प्रसाद	हरगांव	२–९–६२	महोली	प्रशासनिक	शिकायत के आधार पर।
४०	श्री श्याम कुमार शुक्ला	बिसवां	१५–८–६६	सीतापुर	प्रशासनिक	शिकायत के आधार पर एवं स्थानीय थे।
४१	श्री रघुवीर प्रसाद	हरगांव	३०–८–६९	बिसवां	प्रशासनिक	रिक्त की पूर्ति के लिये।
४२	श्री समसुद्दीन	महोली	१६–७–६८	हरगांव	प्रार्थना पर	स्वयं की प्रार्थना पर।
४३	श्री श्रीपाल सिंह	बिसवां	रोके गये बाबत अपने बच्चे की परीक्षा		प्रार्थना पर	स्वयं की प्रार्थना पर।
४४	श्री लाल जी प्रसाद	बिसवां	२०–८–६६	हरगांव	प्रशासनिक	शिकायत के आधार पर
४५	श्री जगदीश नरायन गुप्ता	महोली	१५–६–६३	सीतापुर	प्रार्थना पर	स्वयं की प्रार्थना पर।
४६	श्री देवी बक्स सिंह	बिसवां	९–३–६१	महोली	प्रशासनिक	अधिक समय से नियुक्त कारण।
४७	श्री मुन्नू सिंह	बिसवां	१४–८–६५	महोली	प्रशासनिक	अधिक समय से नियुक्त होने कारण ?
४८	श्री दीनबन्धु	बिसवां	४–९–६५	महोली	प्रशासनिक	स्थानीय होने के करण।
४९	श्री राम गुलाम वर्मा	बिसवां	२–९–६६	महोली	प्रशासनिक	स्थानीय होने के कारण।

नोट :—अधिक समय में वह नाम हैं जो ४–५ वर्ष से १० वर्ष तक एक ही स्थान पर रहे थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

समिति भोगी गन्ना ग्राम सेवकों के स्थानान्तरण की सूची १–१–६८ से १५–४–७० तक

क्रम-सं०	नाम गन्ना ग्राम सेवक	कहां से	जोन में ज्वाइन करने की तिथि	कहां को	आधार	कारण
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री लाल जी प्रसाद	हरगांव	३–९–५९	महोली	प्रशासनिक	स्थानीय एवं अधिक समय से होने के कारण ।
२	श्री राम शर्मा	हरगांव	७–१–६१	महोली	,,	स्थानीय एवं अधिक समय से होने के कारण ।
३	श्री रमाकान्त मिश्रा	हरगांव	२२–१२–६०	सीतापुर	,,	अधिक समय से नियुक्त होने के कारण ।
४	श्री अब्दुल रहमान खां	हरगांव	२८–७–६२	बिसवां	,,	स्थानीय एवं अधिक समय से नियुक्त होने के कारण ।
५	श्री राम जीवन शुक्ला	हरगांव	२६–५–६४	महोली	,,	स्थानीय एवं अधिक समय से नियुक्त होने के कारण ।
६	श्री किशुन दयाल	बिसवां	१०–२–६८	हरगांव	,,	स्थानीय होने के कारण ।
७	श्री कालिका प्रसाद निगम ..	बिसवां	१२–७–६२	हरगांव	प्र० स्टे हुआ ।	अधिक समय के कारण ।
८	श्री गलाम रसूल	बिसवां	२३–७–६४	हरगांव	प्र० स्टे हुआ	होम जोन होने के कारण ।
९	श्री राम अवतार त्रिबेदी	महोली	४–९–५९	हरगांव	प्र० स्टे हुआ	स्थानीय एवं अधिक समय से नियुक्त होने के कारण ।
१०	श्री गिरिधारी लाल	महोली	२–७–६२	बिसवां	प्रशासनिक	बिसवां के बजाय हरगांव स्थानीय एवं अधिक समय से होने के कारण ।
११	श्री प्रभुदयाल त्रिबेदी	महोली	१०–९–६६	हरगांव	प्रशासनिक	स्थानीय होने क कारण ।

क्रम-संख्या	नाम गन्ना ग्राम सेवक	कहां से	जोन में ज्वाइन करने की तिथि	कहां को	आधार	कारण
१	२	३	४	५	६	७
१२	श्री रामलाल त्रिवेदी	महोली	१७–१०–६६	बिसवां	प्रशासनिक के बजाय हरगांव	स्थानीय होने के कारण
१३	श्री शिव शंकर लाल	महोली	७–१०–६६	हरगांव	स्टे हुआ	स्थानीय होने के कारण।
१४	श्री चक्करदीन	सीतापुर	५–७–६२	महोली	प्रशासनिक	स्थानीय तथा अधिक समय के कारण।
१५	श्री राम लोटन	हरगांव	१७–१०–६६	महोली	जनहित में	होम जोन होने के कारण
१६	श्री लाल जी प्रसाद	महोली	३–९–५९	हरगांव	जनहित में	होम जोन होने के कारण
१७	श्री अब्दुल रहमान खां	बिसवां	२८–६–६९	हरगांव	प्रार्थना पर	स्वयं की प्रार्थना पर
१८	श्री बिशुन दयाल	हरगांव	९–७–६९	बिसवां	प्रार्थना पर	स्वयं की प्रार्थना पर
	परिषद् भोगी गन्ना ग्राम सेवकों के स्थानान्तरण की सूची १–१–६८ से १५–४–७० तक					
१	श्री श्याम सुन्दर लाल	बिसवां	१–९–६७	महोली	प्रार्थना पर	स्वयं को प्रार्थना पर
२	श्री भोगी लाल	महोली	२–३–६८	बिसवां	प्रार्थना पत्र पर	स्वयं को प्रार्थना पर
३	श्री राम दास त्रिपाठी	महोली	१०–४–५४	बिसवां	जनहित में	अधिक दिन से नियुक्त थे।
४	श्री लाल जी प्रसाद	बिसवां	वर्ष १९६९	महोली	ज्ये० गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा प्रसारित।	रिक्त स्थान की पूर्ति में।

अनुवाद शाखा विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७८ पर)

जिला सीतापुर के थाना कमलापुर पर १-११-६९ से ३०-४-७० तक दर्ज डकैती, राहजनी तथा हत्या के मामलों के सम्बन्ध में सूचना

	दर्ज रिपोर्ट की की संख्या	जिनमें अन्तिम रिपोर्ट लगी	जिनमें चार्ज-शीट लगाई गई	जिनमें जांच जारी है
डकैती	९	३	२	४
राहजनी	६	५	१	—
हत्या	२	—	२	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये ता० प्र० ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८२ पर)

[नियुक्त किये गये गन्ना पर्यवेक्षकों के नाम व शैक्षिक योग्यता]

क्रम-सं०	अभ्यर्थी का नाम	शैक्षिक योग्यता
१	२	३
	सर्वश्री	
१	लक्ष्मीकान्त मिश्रा	एम०एस-सी० (एग्री)
२	रतन सिंह	,,
३	मलिक जाफर लारी	,,
४	रुस्तम सिंह	,,
५	जैपाल सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह	,,
६	जमील अखतर	बी० एस-सी० (एजी)
७	मो० जफुर याव खान वारसी	,,
८	सुखबीर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह	,,
९	लालजी लाल श्रीवास्तव	,,
१०	श्री नारायण सिंह	,,
११	बचन सिंह पुत्र श्री खजान सिंह	,,
१२	गंगा प्रसाद यादव	,,
१३	बांके बिहारी पाण्डे	,,
१४	साबिर अली	,,
१५	दयाराम	,,
१६	रमाकान्त मौर्य	,,
१७	राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी	एम० एस-सी० (एजी)
१८	राम सनेही	बी० एस०-सी० (एजी)
१९	रनबीर सिंह पुत्र श्री अतर सिंह	,,
२०	बृजबीर सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह	,,
२१	जैपाल सिंह पुत्र श्री रोशन सिंह	एम० एस-सी० (एजी)
२२	दुरगेन्द्र नाथ त्रिपाठी	बी० एस-सी० (एजी)
२३	जगलाल पुत्र श्री देव मन्दन	,,
२४	रामायन सिंह	,,
२५	शिव कुमार सिंह	,,
२६	बृज पाल सिंह	,,
२७	सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय	,,
२८	योगेन्द्र प्रसाद शर्मा	,,
२९	रोजेन्द प्रसाद सहायक अध्यापक	,,
३०	सेतु बन्धु सिंह	,,
३१	ओउम प्रकाश सिंह	,,
३२	जामा खान	,,
३३	जय प्रकाश श्रीवास्तव	,,
३४	विश्म्भर सिंह	,,
३५	राम सुख वर्मा	,,
३६	जगदम्बा प्रसाद मिश्रा	,,
३७	विक्रम जीत राम	,,

विधान सभा

१	२	३
३८	राम नरेश सिंह	बी० एस-सी० (एजी)
३९	भूपेन्द्र कुमार	,,
४०	मोहम्मद यासीन	,,
४१	सुरेन्द्र पाल मल्ल	,,
४२	खरग बहादुर मिश्रा	,,
४३	रमेश चन्द्र गुप्ता	,,
४४	विन्ध्याचल सिंह	,,
४५	अराम सेवक तिवारी	,,
४६	जैपाल सिंह	,,
४७	जै सिंह	,,
४८	महिश चन्द्र	,,
४९	विजय बहादुर सिंह	,,
५०	दिल शाद अली	,,
५१	जगदीश सिंह	,,
५२	शिव पूजन गुप्ता	,,
५३	भीम शंकर मिश्रा	,,
५४	सुखपाल सिंह त्योतिया	,,
५५	महेन्द्र प्रसाद	,,
५६	महेन्द्र पाल	,,
५७	फिरारात जबी उसमानी	,,
५८	सुख पाल सिंह	,,
५९	देवी सरन दुबे	,,
६०	माधोराम	,,
६१	तेज बहादुर मिश्रा	,,
६२	राधे श्याम गुप्ता	,,
६३	दिनेश सरन	,,
६४	शिव पूजन सिंह	,,
६५	हृदय नाथ मिश्र	,,
६६	श्याम सिंह	,,
६७	हरपाल सिंह	,,
६८	हरवंश सिंह लावाना	,,
६९	शमशाद अहमद मलिक	,,
७०	श्यामी नाथ सिंह	,,
७१	सुमेर राम	,,
७२	हर शंकर सिंह	,,
७३	जगदम्बा प्रसाद मिश्र	,,
७४	इन्द्र पाल सिंह सोलंकी	,,
७५	रनजीत सिंह चौहान	,,
७६	फकीर मोहम्मद	,,
७७	धनवीर सिंह	,,
७८	ब्रम्ह सिंह	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३
७९	राम चन्द्र सिंह	बी० एस-सी० (एजी)
८०	देवदत्त	"
८१	लल्लन उपाध्याय	"
८२	विक्रम सिंह	"
८३	योगराम	"
८४	राजपति सिंह	"
८५	अनमोल प्रसाद सिंह	"
८६	मुरतजा	"
८७	दीन दयाल सिंह	"
८८	ठाकुर सिंह	"
८९	सुखवीर पाल सिंह धर्मा पुत्र श्री बलजीत सिंह	"
९०	महफूज अली	"
९१	इन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह	"
९२	शील कुमार तोमर	"
९३	राज नारायण सिंह	"
९४	देश पाल सिंह	"
९५	प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव	"
९६	स्वामी दीन विश्वकर्मा	"
९७	ब्रजेन्द्र बाबू सक्सेना	"
९८	विश्व नाथ सिंह	"
९९	कुशल पाल सिंह त्योतिया	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये ता० प्र० ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८७ पर)

आजमगढ़ जिले के महराजगंज थाने के अन्तर्गत फरवरी ७० से ५ मई ७० तक की अवधि में हुई डकैती, राहजनी और कत्ल की घटनाओं के बारे में थाने पर दर्ज मुकदमों के बारे में सूचना

अपराध		घटना का स्थान दिनांक	घटना के संबंध में दर्ज मुकदमें का विवरण संख्या और धारा दर्ज होने की तिथि	चालान किया गया जिन अभियुक्तों का चालान किया गया उनके नाम	अंतिम रिपोर्ट जो (यदि खारिज हुआ हो तो यह तथ्य अंकित कर दे)	जांच चल रही है
१—डकैती	..	छीड़ी गोपाल १५-४-७०	अ०सं० ६९ धारा ३९५	—	घटना गलत पाई अपराध खारिज किया गया।	
राहजनी	..	—	निल	—	निल	—
१—कत्ल	..	शिवपुर २२-२-७०	अ० सं० ३५ धारा १४७/१४८/१४९/३०२ २३-२-७०	गोरख साभी हरिवंश शिवबंश जद्दू बंश परमहंस शंकर रामधारी अयोध्या	चालान	—
२—कत्ल	..	महतपुर ६-३-७०	अ०सं०४० धारा १४७/१४८/३०२/३२४/१०९	उदई दहारी दिमई लोटू झूझ अवध धनराज	चालान	—
३—कत्ल	..	झोगीपर २५-३-७०	अ०सं० ५६ धारा ३०२	गया फूलचन्द्र लालचन्द रामबली	चालान	—

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० ६० सं० १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९२ पर)

वर्ष १९७०–७१ में विद्युतीकरण किये गये ग्रामों की सूची

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
१	अफचींग	३९	सोनपुर हांडी
२	भटोली	४०	कराकों
३	दिगोरिया	४१	मुगारों
४	कठोली	४२	नेहू डूला
५	कोंधर	४३	राम नगर
६	लेहनादी	४४	समोधीपुर
७	राम नगर	४५	नासिर पट्टी
८	सारायूं पंथी	४६	उपरवाहा
९	तराओं	४७	उमराओं
१०	उपरौरा	४८	रामपुर
११	चाका	४९	बागवान
१२	दामीं	५०	महूराई
१३	जरी	५१	पीटो
१४	हरादत गंज	५२	डेलहुआ
१५	चक बबूरा	५३	मन्दरेमुकन्दपुर
१६	माहौनी	५४	राजापुर
१७	करचे	५५	अभिलिया खास
१८	पुरा खास	५६	डेरेनगर
१९	जरी बाजार	५७	शमहाबाद
२०	मूंगरी	५८	कारा
२१	काछू	५९	मझारी
२२	पट्टी परवाजाबाद	६०	रमरीली
२३	डिहा उपराहर	६१	चुरवा
२४	ऊंच डीह	६२	मनसूरेबाद
२५	अगर पट्टी	६३	चिनपुर
२६	दिरजापुर	६४	उपादा
२७	केनीथी	६५	बलराम उर्फ नवाबगंज
२८	खरखौसो	६६	भदरी
२९	फाजिलाबाद उर्फ कलरपुर	६७	हाबीमाहा
३०	दमारहा	६८	अदमपुर
३१	बुलापुर	६९	अलवलपुप
३२	डुबको कलां	७०	मलक हरीहर
३३	जगदीशपुर	७१	सरावतीपुर उर्फ कीरीहर
३४	पागोंडा सौंधा	७२	सामी
३५	जराओं	७३	नूरपुर बेहरिया
३६	जेसवामां	७४	तारा डिहमैच सुदम
३७	कन्हैरा	७५	बधई खुर्द
३८	कहकुहीमा	७६	बजाहा

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
७७	सौंनहित	१०२	सियाडिह
७८	पैतरसुर पैगामबरपुर	१०३	चमेरपुर
७९	घराकलां	१०४	अरेहर चकिया
८०	दमदमा	१०५	डालापुर
८१	हनलिया खासी	१०६	कटका
८२	सारोकान	१०७	कौडिह
८३	बाहन	१०८	कांडिह
८४	धरवारा	१०९	पुरशोरामपुर
८५	घोटा	११०	अभयपुर
८६	गरई	१११	हीरमपुर
८७	लोहकट काछर	११२	मलथुवा
८८	हरीश करियां	११३	बगवारा
८९	सियारेमिथिसुर	११४	पैगाना
९०	मन्डिया	११५	सरायसोबली
९१	कल्यानपुर	११६	सिधौली
९२	धरवाई	११७	सेमरी
९३	कालागढ़	११८	मजहानपुर
९४	कंजिया	११९	छैलखास
९५	जमैला	१२०	महगांव
९६	मिसकी	१२१	सय्यदसरवां
९७	अबनाहा मिनान	१२२	मनोरी
९८	बजीथी	१२३	आलमचन्द्र
९९	बिदा	१२४	प्रसरवां कलां
१००	गणेशपुर	१२५	पुरामुफती
१०१	सराय ममराज		

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ८७ एल० ए०—१९७१-८४५।